महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 7 जून, 2019, रु. 5.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग देश को महत्त्वपूर्ण जानकारियां, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (प्रशासनिक परिषद) की बैठक होगी।

पुनर्गठित आयोग में राजीव कुमार उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा वीके सारस्वत, रमेश चंद और डॉ. वीके पॉल को सदस्य बनाया गया है। आयोग के पदेन सदस्यों के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शामिल किया गया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इसके विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी।

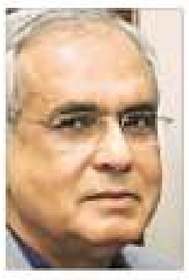
राजीव कुमार

- राजीव कुमार बने रहेंगे उपाध्यक्ष, वीके सारस्वत, रमेश चंद और डॉक्टर वीके पॉल सदस्य बनाए गए
- आयोग के पदेन सदस्य बनाए गए शाह, सीतारमण, राजनाथ और तोमर

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की यह पांचवीं बैठक होगी। नीति आयोग ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है।

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार का संस्थान है, जिसे पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर मोदी सरकार के पहले दौर में गठित किया गया था। एक जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग, केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है।

खाते से ऑनलाइन पैसा भेजने पर अब शुल्क नहीं

आरटीजीएस और एनईएफटी से भुगतान पर लगने वाली फीस खत्म

रेपो दर घटने से मकान व अन्य कर्ज सस्ते होने की उम्मीद

मुंबई, 6 जून (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन को मजबूती देने के इरादे से गुरुवार को आरटीजीएस और नेफ्ट के जरिए धन अंतरण के लिए बैंकों पर लगने वाले शुल्क समाप्त करने की घोषणा की और बैंकों को इसका लाभ ग्राहकों को देने को कहा। मालूम हो कि दो लाख रुपए से अधिक की राशि तत्काल दूसरे के खाते में भेजने के लिए रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) का उपयोग किया जाता है। दो लाख रुपए तक की राशि भेजने में के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली बनी है।

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को नीतिगत दर में चौथाई फीसद की कमी की। इससे मकान, वाहन और अन्य कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआइ) कम होने की उम्मीद है। उधर, नीतिगत दर में कटौती का शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और एनबीएफसी बाकी पेज 8 पर

नीतिगत दर घटने के बावजूद सूचकांक धड़ाम

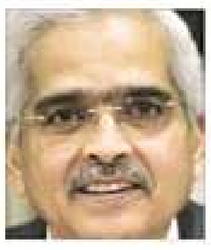
शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति के मुख्य बिंदु

0.25 प्रतिशत की कटौती रेपो दर में लगातार तीसरी बार। रेपो दर अब 5.75 फीसद। रिवर्स रेपो 5.50 फीसद, उधार की सीमांत स्थायी सुविधा पर ब्याज दर छह फीसद।

7.20 फीसद से घटाकर सात प्रतिशत फीसद किया गया वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि का पूर्वानुमान। खुदरा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान बढ़ाकर अप्रैल-सितंबर के लिए 3.0-3.1 फीसद और अक्तूबर-मार्च के लिए 3.40-3.70 फीसद किया गया

मानसून की अनिश्चितता, सब्जियों की कीमतों में बेमौसम तेजी, कच्चा तेल की बढ़ती कीमतें, वित्तीय बाजार की उथल-पुथल और राजकोषीय परिदृश्य के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी पर शुल्क समाप्त।

एटीएम शुल्क, बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की समीक्षा के लिए समिति का गठन। पहली बैठक के दो महीने के भीतर सिफारिशें मिलने की उम्मीद जताई शक्तिकांत दास ने।

साल में तीसरी बार घटाई रेपो दर

भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में चौथाई फीसद की कमी की। केंद्रीय बैंक ने इस साल तीसरी बार रेपो दरें घटाई हैं। खबर पेज 16

"बैंकों को नीतिगत दर (रेपो) में कमी का लाभ ग्राहकों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा और अधिक तेजी से देना चाहिए। पूर्व में यह देखने में आया है कि नीतिगत दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचने में चार से छह महीने लगते हैं। लेकिन इस बार यह लाभ तेजी से स्थानांतरित होना चाहिए। *-शक्तिकांत दास, गवर्नर आरबीआइ*"

खबर पेज 16
- शेयर बाजार में गिरावट से लगी 2.22 लाख की चपत
- सस्ते कर्ज का लाभ और तेजी से ग्राहकों को दे सकते हैं बैंक

उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस में कलह

तेलंगाना में कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस में शामिल हुए

हैदराबाद, 6 जून (भाषा)।

तेलंगाना में कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके 18 में से 12 विधायकों ने गुरुवार को अपने समूह का सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) में विलय करने की मांग की। इसके कुछ ही घंटों बाद विधानसभा के स्पीकर ने इन विधायकों की मांग मानते हुए टीआरएस में उनके विलय को मान्यता दे दी।

तेजी से हो रहे सियासी घटनाक्रमों के बीच स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने 12 विधायकों के अनुरोध को मान लिया। उन्होंने इस तथ्य पर विचार करते हुए फैसला किया कि यह 12 विधायक कांग्रेस विधायक दल में शामिल कुल 18 विधायकों का दो-तिहाई हैं और दल-बदल निरोधक कानून के तहत विलय के लिए दो-तिहाई संख्याबल की जरूरत होती है।

गुरुवार की रात विधानसभा से जारी एक बुलेटिन में बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छिन जाएगा

गुरुवार की रात विधानसभा से जारी एक बुलेटिन में कहा गया कि 12 विधायकों को सदन में टीआरएस विधायक दल के सदस्यों के साथ सीटें आबंटित की गई हैं। स्पीकर के फैसले के बाद विधानसभा में कांग्रेस का मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा छिन जाएगा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ छह विधायक रह गए हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बदला सिद्धू का विभाग

चंडीगढ़, 6 जून (जनसत्ता)।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू समेत कम से कम छह मंत्रियों के विभाग बदलने की स्वीकृति मांगते हुए राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को एक चिट्ठी भेजी जिसे राज्यपाल ने तत्काल मंजूर कर लिया। अमरिंदर ने यह चिट्ठी नवजोत सिंह सिद्धू के उन आरोपों के तुरंत बाद भेजी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उन्हें अलग-थलग करके बेइज्जत किया जा रहा है।

सिद्धू का मुख्यमंत्री से काफी समय से टकराव चल रहा है और लोकसभा चुनावों के बाद पहले फेरबदल में सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग छीनकर उन्हें बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रभार दिया गया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, सिद्धू से पर्यटन और संस्कृति मामलों का प्रभार भी ले लिया गया है। कैप्टन ने अपने अधिकतर मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया है। चार मंत्रियों को छोड़कर बदलाव के तौर पर अन्य सभी मंत्रियों के प्रभारों में कुछ फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार के कामकाज में और सुधार होगा और पारदर्शिता और कुशलता आएगी।

कैप्टन अमरिंदर सिंह

इससे पहले राज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी में कैप्टन ने आग्रह किया था कि वे सिद्धू को प्रदत्त स्थानीय निकाय बाकी पेज 8 पर

कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए नवजोत

चंडीगढ़, 6 जून (भाषा)।

पंजाब के शहरी इलाकों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 'खराब प्रदर्शन' को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की नाराजगी का सामना कर रहे राज्य के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव के बाद गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमरिंदर ने हाल में कहा था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखकर वे सिद्धू का स्थानीय शासन विभाग बदलना चाहते हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू

सिद्धू ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने अपने जीवन में 40 साल तक अच्छा प्रदर्शन कर-के दिखाया है, भले ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बाकी पेज 8 पर

मोदी-इमरान के बीच द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक में होने वाले शंघाई शिखर सम्मेलन (एससीओ) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के उनके समकक्ष इमरान खान के बीच किसी भी द्विपक्षीय बैठक की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया। बिस्केक में 13 और 14 जून को होने जा रहे शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच किसी भी द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं बनाई जा रही है। अभी तक ऐसी किसी अनौपचारिक बैठक की भी योजना नहीं है।

दरअसल, पाकिस्तान के विदेश सचिव सोहेल महमूद के ईद के मौके पर भारत दौरे के बाद ऐसी अटकलें शुरू हो गई थीं कि एससीओ सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। एससीओ से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के तहत आठ और नौ जून को मालदीव जाएंगे। विदेश बाकी पेज 8 पर

कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रज्ञा ठाकुर ने ली अस्पताल से छुट्टी

भोपाल, 6 जून (भाषा)।

भोपाल लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट की तकलीफ के कारण बुधवार रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया हालांकि गुरुवार सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रज्ञा की निकट सहयोगी उपमा ने बताया कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे उपचार के लिए अस्पताल लौट आएंगी।

उपमा ने कहा कि वे ठीक नहीं है। उन्हें उपचार के लिए बुधवार रात अस्पताल में भर्ती किया गया था। वे पेट की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें इंजेक्शन से दवाइयां दी गईं। कार्यकर्ताओं के जोर के कारण उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह अस्पताल से जाने दिया गया लेकिन इसके बाद वह उपचार के लिए अस्पताल वापस आ जाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है।

प्रज्ञा ने हाल ही में हुए लोकसभा के आमचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल लोकसभा सीट पर पराजित किया । प्रज्ञा 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर हैं।

मालूम हो कि इस सप्ताह अदालत में पेश होने से छूट देने की प्रज्ञा की अर्जी को सोमवार को एनआइए जज वीएस पडालकर ने खारिज कर दिया बाकी पेज 8 पर

महंगा हो जाएगा वाहन बीमा का प्रीमियम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

कार और दोपहिया वाहनों का तीसरा पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी बीमा) 16 जून से महंगा हो जाएगा। दरअसल बीमा नियामक इरडा ने वाहनों की कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में 21 फीसद तक की बढ़ोतरी की है।

सामान्य तौर पर तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम की दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया जाता है। लेकिन 2019-20 के लिए नई दरें 16 जून से लागू होंगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा है कि 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों के तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम में 12 फीसद की वृद्धि की गई है। अब प्रीमियम 1,850 रुपए (वर्तमान में) से बढ़कर 2,072 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार 1,000-1,500 सीसी के वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 फीसद बढ़कर 3,221 रुपए हो गया है। हालांकि 1,500 सीसी बाकी पेज 8 पर

कुछ श्रेणियों के अनिवार्य तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में 21 फीसद तक की बढ़ोतरी

कैबिनेट समितियों में शाह का वर्चस्व

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल की जिन आठ समितियों का गठन किया है, गृह मंत्री अमित शाह उन सभी में शामिल हैं। सभी समितियों का ब्योरा आधिकारिक तौर पर गुरुवार को जारी किया गया। गृह मंत्री शाह जहां इन सभी समितियों में शामिल हैं, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक को छोड़कर बाकी सभी समितियों की सदस्य हैं। केंद्र ने निवेश व वृद्धि एवं रोजगार व कौशल विकास को लेकर दो नई समितियां गठित की हैं। बुधवार को इन नई समितियों के बारे में खबरें मीडिया में आईं।

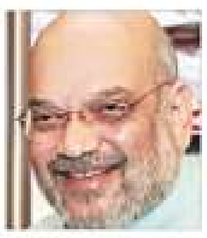
अमित शाह

निर्मला सीतारमण

- छह समितियों का पुनर्गठन, दो नई समितियां
- शाह सभी आठ में, सीतारमण सात में, गोयल पांच और गडकरी चार समितियों में शामिल
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय और आवास कमेटी को छोड़कर अन्य सभी में बतौर अध्यक्ष
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी मामलों की कमेटी में जगह

इन दोनों के अलावा छह समितियों का पुनर्गठन किया गया है। नरेंद्र मोदी की पूर्ववर्ती सरकार में गृह मंत्री रहे मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले के दौर में सभी छह समितियों के सदस्य थे। इस बार उन्हें सिर्फ दो समितियों- आर्थिक मामलों और सुरक्षा संबंधी समितियों का सदस्य बनाया गया है। इस बार वे राजनीतिक मामलों की बाकी पेज 8 पर

दरअसल

अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री के कोप का शिकार बना कार्यकर्ता

अव्यवस्था पर भड़के

मंच से कैबिनेट मंत्री व ओएसडी को भी लगाई फटकार

सेल्फी लेने आए कार्यकर्ता का हाथ झटका खट्टर ने

संजीव शर्मा
चंडीगढ़, 6 जून।

लोकसभा चुनाव में मिली अभूतपूर्व जीत के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने प्रदेश भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को करनाल में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में व्याप्त अव्यवस्था से बुरी तरह भड़क गए और कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को उनके कोप का शिकार बनना पड़ा। इस दौरान एक नौजवान को मुख्यमंत्री खट्टर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश महंगी पड़ गई।

मुख्यमंत्री ने भरी सभा में सेल्फी लेने वाले नौजवान का हाथ झटक दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी मुख्यमंत्री का मिजाज भांपकर आनन-फानन में उस नौजवान को समारोह स्थल से बाहर निकाला।

मुख्यमंत्री पिछले दो दिन से कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में व्यस्त हैं।बुधवार को वे हिसार और पंचकूला में थे तो गुरुवार की सुबह करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मनोहर लाल पंडाल में पहुंचे और दोनों तरफ खड़े कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करते हुए मंच की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान भाजपा के युवा नेता अंकुर गर्ग मुख्यमंत्री के पास आकर उनके पांव छुए। मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार करके जैसे ही आगे बढ़े, अंकुर ने अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। लेकिन मुख्यमंत्री ने उक्त युवक पर नाराज होते हुए उसका हाथ झटक दिया। मुख्यमंत्री को गुस्से में देखकर उनके साथ मौजूद कैबिनेट मंत्री, विधायक और सुरक्षा अमले के हाथ-पांव फूल गए। उन्होंने उक्त नौजवान को एक तरफ करके मामला शांत किया।

सीएम के साथ सेल्फी लेने का प्रयास करने वाला नौजवान अंकुर गर्ग तरावड़ी का निवासी है और उसके माता-पिता भी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर भी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है।

इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने मंच पर भी उनसे मुलाकात की कोशिश की। लेकिन खट्टर ने बाकी पेज 8 पर

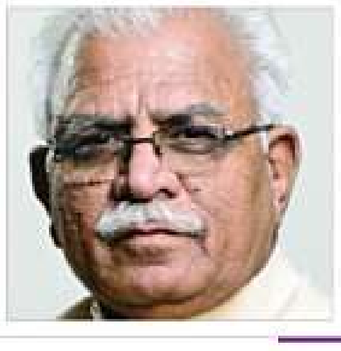

'मीडिया लोगों को गुमराह कर रहा'

सेल्फी घटनाक्रम पर टीवी चैनलों द्वारा खबरें चलाए जाने के बाद अंकित ने गुरुवार देर शाम एक वीडियो जारी करके कहा कि मीडिया ने इस मुद्दे को बिना वजह तूल दिया है। मुख्यमंत्री शांत स्वभाव के हैं। इस घटना का मुझे कतई बुरा नहीं लगा। अंकित ने अपने चार मिनट 34 सेकेंड के वीडियो में कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के समर्थन में यह बयान किसी के दबाव में नहीं दे रहा। मैं और मेरा परिवार हमेशा भाजपा के साथ रहा है और रहेगा। गर्ग ने अपने इस वीडियो में चार बार यह दोहराया कि मुख्यमंत्री बेहद शांत स्वभाव के हैं। मीडिया बिकाऊ है और लोगों को गुमराह कर रहा है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Vani Thukral D/o Trilok Kumar R/o-F1B602, Samridhi Apartments,Dwarka Sector-18B, New Delhi-110078,have changed my name to Vani and I Shall henceforth be known as Vani for all purposes. 0040498258-1

I,Trilok Thukral S/o Late Sh.Vasdev Thukral R/o-F-1B602, Samridhi Apartments, Dwarka Sector-18B, New Delhi-110078 have changed my name to Trilok Kumar and I shall henceforth be known as Trilok Kumar for all purposes. 0040498258-2

I, Preeti Kathuria D/o Kishan Chand Kathuria R/o H.no.440, Sector, 7-B, Faridabad H.R-121006 have changed to (D.o.B-20.08.2010) my minor daughter's name Bhoomi Arora to Sara Kathuria for all Purposes 0040498269-2

I,Mukul Patel S/O Babu Bhai Patel R/O C-87, Mansarover Garden, Delhi-110015.Changed My Name To Mukul Kumar Patel. 0040498321-2

I,Geeta Narang@Geeta D/o Harish Chand Narang & Usha Narang W/o Sandeep Gupta R/o-341/1-C, Gali No.2, Shalimar Park, Bholanath Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Geeta Gupta for all purposes. 0040498284-8

I,Ekaansh S/o-Roop Chand R/o: D-60,Top Floor, Sewak Park,Uttam Nagar, New Delhi-59 Have Changed My Name to Ekaansh Khosla. 0040498284-4

I, Ashwin Kujur R/o Vill-Pharkona Bathantoli Thana Kersai, Kanjoba, Kurbeg Simdega Jharkhand-835212, inform that in my EME records my wife name wrongly written as Asha Manisha Kirkatta instead of Asha Manisha Kujur. 0040498323-1

I,Anil kumar Gupta S/o Daya Nand Gupta R/o-B-60, first floor East Jyoti Nagar, Nand Nagari, Delhi have Changed my Name to Anil Gupta 0040498250-1

I, Yogesh Cahnder Lakhotia S/O Nemchand Lakhotia R/O-A-602, First-Floor, Shastri-Nagar, Ashok-Vihar, Delhi-110052 Have Change My Name To Yogesh Lakhotia. 0040498298-1

I, Vipin Kumar Tyagi s/o Satyadev Tyagi r/o 33-B, Tyagi Mohalla, Chhattarpur, Delhi-110074, have changed my name to VIPIN TYAGI. 0040498266-1

I, Vijay R Chauhan S/o R.P. Chauhan R/o A-201, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Vijay Chauhan for all purposes. 0040498263-1

I, Vidushi Sangwan D/o Mr. Sanjay kumar Sangwan R/o D-165, Sec-61, Noida, UP-201301. That Vidushi and Vidushi Sangwan is one and same person belongs to me. 0040498268-1

I, Sukhwinder Kaur W/o Dilbag Singh R/o.Village-Rodala, Post office-Raja Sansi, Teh-Ajnala, Dist-Amritsar, State-Punjab. Have changed my name to Sukhjit Kaur. 0040498284-2

I, Sonu Garg W/o Manish R/o-J-1/32, Budh Vihar Phase-1, Delhi-110086 have changed my Name to Sonia for all purposes. 0040498296-1

I, Sonial D/O Surinder Kumar Seth W/O Neeraj Sabharwal R/O-Flatno.140, Top-Floor, Gh-1, Archana-Apartment, Paschim-Vihar, Delhi-110063. Changed my Name To Sonia. 0040498324-4

I, Sneh Prbha Ahuja W/o Jogesh Chander Ahuja R/o,A-652-A, S/F, Palam Vihar-I, Gurgao-122017, have changed my name to Sneh Prabha Ahuja. 0040498297-10

I, Shashi Sharma, R/o B-114, Surajmal Vihar, Delhi-110092, have changed my name to Shashi Kochar. 0070659121-1

I, Shashi Bala, R/o B-114, Surajmal Vihar, Delhi-110092, have changed my name to Shashi Kochar. 0070659118-1

I, Shailja Mangla D/o Ajay Mangla R/o F-203, Mansarover Garden, New Delhi-110015 have changed my name to Karishma Mangla permanently. 0040498284-7

I, Sawanrathore S/O Dharm Singh R/O-A-171, Gali No-10, Laxmi-Vihar, Mohan Garden, Uttam Nagar, N.Delhi-110059. Changed My Name To Sawan Kumar 0040498297-9

I, SHELENDER KUMAR, S/o Late H. F. Luke, R/o Plot No. 222, F-1, Niti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad-201014 have changed my name to SHELENDER KUMAR LUKE for all future purposes and shall hereafter be known by new nameSHELENDER KUMAR LUKE. 0040498254-1

I, Lata Ravi, W/O Mr. G.R. Ravi, R/O-125, South-Park Apartments, Kalkaji, New Delhi-110019. Declare That Before My Marriage I Was Known By The Name OfLatha. L.R.Both The Names Lata Ravi And Latha L.R. Pertains To One And The Same Person i.e. Me. I Shall Henceforth be called and known by the name of Lata Ravi for all purposes. 0040498284-10

व्यक्तिगत

I, Sanjay Kumar S/o Mr. Satish Chand R/o D-165, Sec-61, Noida, UP-201301. That Kartikeya Kumar and Kartik Sangwan is one and same person belongs to me. 0040498270-1

I, Sanjay Gupta S/O Rajender Kumar Gupta R/O-Ae-79, First Floor, Shalimar Bagh, Delhi-110088. Changed my Name To Sanjay Kumar Gupta. 0040498324-3

I, Sangita W/O Rakesh Kumar R/O C-22, Ashoka Niketan Opp Yamuna Sporta Complex Anand-vihar Delhi-110092. changed my name to Sangita Verma. 0040498298-8

I, Rishi Raj Tanwar S/o,Daya Nand Tanwar R/o WZ-430-G,Naraina Village, N.Delhi-110028,that Rishi Raj Tanwar and Rishi Tanwar both are same person. 0040498298-7

I, Rakesh Kumar S/o Late Lalit Mohan Varshney R/o 2366-A/177, Ganesh Pura,Tri Nagar Delhi-35, changed my name to Rakesh Kumar Varshney Permanently. 0040498284-3

I, Nisha Rani D/O Shri Kaka Ram Goyal R/O CD-206, Pitampura Delhi-110034, have changed my name to Nisha Gupta and Date Of birth 03/08/1968. 0040498298-9

I, Neetu Bala W/O Manish Bansal R/O-Da-609, Sfs Flats, Shalimar Bagh, Delhi-88, changed my name to Neetu Bansal. 0040498321-11

I, Naresh Kumar Goel S/O Rawawater Goel, R/O-A-46, Ram Nagar Road, Omvihar, Uttamnagar, N.Delhi-110059, Changed My Name To Naresh Kumar Goyal. 0040498297-8

I, Nalesh S/o Shri Vidya Sagar Gupta, R/o H.No.187-A, Rishi Nagar, Rani Bagh, Shakurbasti, Delhi-110034, have changed my name to Nalesh Gupta for all future purposes. 0040498232-1

I, Mulukutla Aravinda alias Aravinda Amur, W/o Sriram Amur R/o-374/3, Defence-Officers Enclave, Near-Taj Palace Hotel, SP-Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021,have changed my name to Lakshmi Aravinda Amur. 0040498297-7

I, Mr. Nalesh Gupta S/o Shri Vidya Sagar Gupta, R/o H.No.187-A, Rishi Nagar, Rani Bagh, Shakurbasti, Delhi-110034. In my Daughter's Mishika Gupta Birth Certificate bearing No. MCDOLR04246559 my name wrongly written as Nilesh Gupta. But my actual & correct name is Nalesh Gupta. 0040498234-1

I, Monika Sukhija D/o Sh.Om Prakash Sukhija R/o-A-1/256 DDA-Quraters Keshav-Puram Delhi-110035 have changed the name of my minor son Mridul to Mridul Sukhija for all purposes in future. 0040498324-5

I, Manoj Sharma S/o Jagdish Ray Sharma R/o E-136 B, Om Vihar Extn., Uttam Nagar, Delhi-59 have inform that name of mine has been wrongly written as Manoj Kumar in my service record.The actual name of mine is Manoj Sharma. 0040498296-3

I, Laxmi Narayan S/O, Rati Ram R/o F-58 Laxmi Park Nangloi Delhi-41, have changed my name to Laxmi Narayan saini. 0040498298-6

I, Mamta Thandani W/O Anil Kumar Thadani R/O-8/1c, Pocket-B, Ashok Vihar Phase-3, Delhi-52. Changed My Name To Mamta Thadani. 0040498321-3

I, Madhu Goyal W/O Vijay Goel Resident-C-411, Ground-Floor,Yojana Vihar,Delhi-110092. Have changed my name to Madhu Goel. 0040498321-10

I, Madan Lal S/o Hari Chand R/o-232 2nd-Floor, Jagriti Enclave, Patparganj Delhi-110092, have changed my name to Madan Lal Bhatia for all purposes. 0040498284-9

I, Lalan Kumar S/o Sh. Brahm Prakash R/o WZ-508K/1, Basaidarapur, N.Delhi-110015. Have changed my name to Sanjay Saini permanently. 0040498321-5

I, Km Meenakshi D/O Radhe Shayam Sharma R/O-J-4-97b, First-Floor, Dda-Flats, Kalkaji, Delhi-110019 Have Changed My Name To Meenakshi Sharma. 0040498298-2

I, Jigyasa Thandani D/O Anil Kumar Thadani R/O-8/1c, Pocket-B, Ashok Vihar Phase-3, Delhi-52.Changed My Name To Jigyasa Thadani. 0040498321-1

I, Jaskirat Singh S/o Sh. Rajinder Pal Singh Nandhra, R/o 3, Maulana Azad Society, Lotus Enclave, Parwana Road, Pitampura, New Delhi-110034, have changed my name to Jaskirat Singh Nadhra for all purposes. Both are same person. 0040498283-1

It is for general information that I, SUKHVINDER KAUR, W/o Late S. Dalbir Singh Ahluwalia, residing at WZ-73, Mukhram Park Extn, Tilak Nagar, New Delhi-110018 inform that name of mine has been wrongly written as Sukhvinder Kaur Ahluwalia in my Passport No-H0261122. The actual name of mine is Sukhvinder Kaur, which may be amended accordingly. 0040498286-1

I Hitherto known as Tanya D/o Madan Lal R/o-77-F, LIG Flats, Pocket-A-1,Mayur Vihar Phase-3, Delhi-110096, have changed my name and she shall hereafter be known as Tanya Jain. 0040498284-5

I, Himanshu S/o Yogesh Kumar R/o B-493,First Floor Meera Bagh Paschim Vihar Delhi-110063 changed my name to Himanshu Aggarwal. 0040498297-1

I, Harigobind Kathait S/o Kalamsingh Kathait R/o C-40 Kamalvihar Kamalpur Burari Delhi have changed my name to Harigovind Singh Kathait. 0040498297-3

I, Gurvinder Singh Dhanjal, R/o C-3/110, 2nd Floor, Pocket C-3, Sector 5, Near Rithala Metro Station, Rohini, West Delhi 1100085, have changed my name to Gurvinder Singh for all purposes. 0070659103-1

I, Dinesh Kumar Tyagi s/o Mahindra Singh Tyagi r/o B-2/32, Sec.16, Rohini, Delhi-110089, have changed my son's name to Ananay Tyagi from Anany Tyagi (DOB 25.5.2004) for all future purposes. 0040498277-1

I, Deepak S/O Shri.Phatay Chand R/O Flat.No-34, The-Hub, Stone-Street, Oldbury, West-Midlands, B69-4JT, Birmingham, UK,have changed my name to Deepak Gola. 0040498284-1

I, Baldev Kochar, R/o B-114, Surajmal Vihar, Delhi-110092, have changed my name to Baldev Raj Kochar. 0070659120-1

I, Ankit S/o Vijay Balodi R/o 166, 2nd Floor, Pocket-10, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Ankit Balodi. 0040498297-2

I, Anil Nangia Alias Anil Kumar Nangia Alias A.K.Nangia Alias A.K.Nagia Alias Dr.Anil Nangia S/o Late Sh.Lok Nath Nangia Alias L.N.Nangia R/O:12-C, Pocket-A, VikasPuri Extn.,New Delhi-110018,wish that I will be known as "ANIL NANGIA S/O LATE LOK NATH NANGIA" for all Purposes. 0040498298-10

I, Anil Kumar Thandani S/O Newanand Ram R/O-8/1c, Pocket-B, Ashok-Vihar Phase-3,, Delhi-52.Changed My Name To Anil Kumar Thadani. 0040498321-4

I, Asha Devi W/O Panna Lal R/O-845, Lig Flats, Sec-14, Pkt-2, Phase-II, Dwarka, Delhi-75, Changed My Name To Asha Rani. 0040498298-4

I, Amit Kumar son of Sh. Vinod Kumar resident of House No. C-160, Gali No. 27, Sai Kunj, New Palam Vihar, Phase III, Gurugram, have changed my name FROM AMIT KUMAR to AMIT KUMAR RAJPUT for all future purposes. 0040498272-1

I, Jasdeep Singh Chadha S/o Sh. Paramjit Singh Chadha R/o 53/67, Ramjas Road, Karol Bagh, Delhi-05, have changed my name from Jasdeep Singh to Jasdeep Singh Chadha for all purposes. 0040498280-1

I, ANIL TIWARI S/o Mr.Harishankar Tiwari R/o-B-118-A, 3rd-Floor, Devoli-Road, Duggal-Colony, Khanpur, New Delhi-110062 informs that ANIL TIWARI and ANIL KUMAR TIWARI are one and the same person. 0040498297-5

I hitherto known as Ashok Kumar Agarwal S/O Sh.Nageshwar Prasad Jalan R/O-26/8 First-Floor old-Rajender Nagar New Delhi-110060.have changed my name and shall hereafter be known as Ashok Kumar Jalan. 0040498297-6

I Vishal Kumar Gupta S/o Sh.Rajendra Kumar Gupta, R/o-1401, Mantova-Tower, Mahugun-Moderne, Sec-78, Noida-201301, Uttar-Pradesh have changed my name to Vishhal Gupta for all purposes. 0040498324-1

I Shweta Kakkar D/o Radhey Shyam Kakkar R/o-H.No.703 Sector-17, Faridabad HR, informs that after-marriage to Munik Kumar Sachdeva I would henceforth be known as Shweta Sachdeva. 0040498324-6

I Shalini Vij W/O Harvinder Malhotra R/O 57, Bhai Parmanand Colony Delhi-110009. Have Changed My Name To Kirti Malhotra. 0040498298-3

I Ravi Kumar S/o Sri Jagpal Singh R/o Plot 46T-2 RS Garden, Mahima Sarai Kotgaon, Distt Ghaziabad declare that in my Highschool Marksheet name of my Father written as Jagpal and in other documents written as Jagpal Singh. That Jagpal & Jagpal Singh both names are of one same person. 0060067271-1

I Preeti Kathuria D/o Kishan Chand Kathuria R/o H.no.440, Sector 7-B, Faridabad H.R - 121006 have changed to (D.o.B-29.11.2007)my minor daughter's name Aadhya Arora to Kiye Kathuria for all Purposes 0040498323-4

I Neeta Kumari@ Neeta Kumari Arya W/o Sh.Vishal Kumar Gupta, R/o-1401, Mantova-Tower, Mahugun-Moderne, Sec-78, Noida-201301, Uttar-Pradesh have changed my name to Neeta Kumari Bhadani for all purposes. 0040498324-2

I Hitherto known as Tanmay S/o Madan Lal R/o-77-F, LIG Flats, Pocket-A-1, Mayur-Vihar Phase-3, Delhi-110096, have changed my name and he shall hereafter be known as Tanmay Jain. 0040498284-6

I Hem Lata W/o Kamal Kishore Residence C-179 (FF) Madipur Delhi have changed my name to Kusum. 0040498297-4

I Anjali Kumari W/O Gaurav Kohli R/O WZ-1072,Third Floor,Rani Bagh,Delhi-110034. Have Changed My Name to Anjali Kohli. 0040498298-5

व्यक्तिगत

I, Varindepreet Singh Kamboj S/O Gurbux Singh, R/O S-8, G.F, Janta-Market, Rajouri-Garden, N.Delhi-110027.Changed My Name To Varinderpreet Singh Kamboj. 0040498119-9

खोया+पाया

I, Deepika choudhary D/o Ram Kumar R/o chilla-village mayur vihar ph-1 N.D.have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8150844 c.b.s.e-Delhi. 0040498321-7

I, Rekha W/o Vinod Kumar Lost my Two Original Chain of.Property No-84 Khasra No.1139 Janki-Vihar Prem Nagar Kirari Delhi-86 finder Contact-7982559770. 0040498321-8

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate-cum-marksheet of main secondary-examination for the year-March-2017 and Roll No.8235906 issued by CBSC has been actually lost. Name of the candidate Elizabeth Reji Full Address F-17 Ground floor Street No. 9, Laxmi Nagar, Delhi-110092 CONT-9818313815. 0040498324-10

It is notified for the information thatmy OriginalQualifying Examination-Certificate and Marksheet of Class-10th, year2014, Roll-No.8122178 issued by CBSE has been lost.Kriti Khullar, D-289, Anand-Vihar, Delhi-110092. Founder Pls Contact:9210625625. 0040498324-11

It, is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Examination of Year-2017 and Roll No.8150662 issued by CBSE has been actually lost. Name of the Candidate Priyanshu Gupta R/o-E-85 Ganesh Nagar/Pandav Nagar Complex Delhi-110092.Mob No.9818941254 0040498288-1

I, Bhawna Singh, R/o 3/118, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 has irretrievably lost my class 10th mark sheet, year 1997, from St. John's School, DLW, Varanasi, The Index No. is T/608/040. 0060067260-2

PUBLIC NOTICE

My client SMT. GURPREET KAUR BAJAJ W/O LATE S. GURPREET SINGH BAJAJ R/O FLAT NO 56-B, JD-BLOCK, PITAMPURA, DELHI-110088, has disowned her son MR. IKNEET SINGH BAJAJ alongwith his wife MRS. ARSHPREET KAUR and revoke all relationship from them due to their bad behavior and bad intentions, My client has debarred them from all their rights, claims in any manner from all her moveable and immoveable properties (like cash. jewellery, bank deposit, residential property (JD-56-B, Pitampura, Delhi) and other properties) and in near future they will have no concern with my client in any manner with immediate effect.
Any Persons dealing with them shall be doing so at their own risk and responsibilities.
Sd/-
VINOD WADHWA (ADVOCATE)
En. No. D/769/2005

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that total 409 cover note issued by The Oriental Insurance Co. Ltd through its Development Officer Sh.T.P. Singh, Employee Salary Roll No.226734, Posted at CBO-16,3rd Floor Jeevan Vihar Building Parliament Street New Delhi-110001 have been irretrievable lost/misplaced for which FIR NO.1089494/2019 Dated:28/05/2019 PS Crime Branch has already been registered. Finder(s) may contact to Police and/or undersigned in writing at the address mentioned above. All the persons are hereby intimated the above mentioned lost Cover Note have already been Cancelled by the Oriental Insurance Co. Ltd and Use/Misuse of the above mentioned lost cover note in any manner is punishable with the offence(s) under the provision of relevant laws for the time being in force. It is hereby made clear that the Oriental Insurance Company Limited shall not be liable in any manner what so ever for any use or misuse of the above mentioned lost original covernote. Details of 409 lost/Misplaced Cover Note are following.
FIRE: 250045, 176742, 179496, 176736, 179491, 176728, 179213, 179150, 179397, 179381, 179375, 179374, 179373, 179372, 179371, 179370, 179369, 179368, 179367, 179366, 179365, 179364, 179363, 179362, 179361, 179360, 179359, 179358, 179357, 179356, 179355, 179354, 179353, 179352, 179351, 179288, 176743
ENGINEERING: 325425, 325424, 325423, 325422, 325421, 325420, 325419, 325418, 325417, 325416, 325415, 325414, 325413, 325412, 325411, 325410, 325405, 325403, 325402
MARINE: 304370, 299129, 299324, 280254, 299275, 267223, 280461, 267207, 280458, 252846, 288363, 74160, 280345, 74151, 280336, 86360, 287219, 288449, 287218, 288446, 287215, 288436, 287213, 241036, 299194, 74053, 299191, 74051, 320450, 86254, 320449, 46974, 320448, 46966, 320447, 46965, 320446, 320445, 320444, 320443, 320442, 320441, 320440, 320439, 320438, 320437, 320436, 320435, 320433, 299142, 299141
MISC: 629821, 402548, 402515, 629723, 402547, 402514, 629714, 402546, 402513, 579979, 402545, 402512, 566914, 402544, 402511, 561246, 402543, 402510, 561245, 402542, 402509, 561236, 402541, 402508, 579561, 402540, 402507, 561036, 402539, 402506, 538448, 402538, 402505, 538447, 402537, 402504, 538437, 402536, 402503, 538426, 402535, 402502, 480824, 402534, 402501, 480819, 402533, 402494, 480810, 402532, 402493, 500920, 402531, 402489, 500913, 402530, 402485, 474548, 402529, 375609, 474527, 402528, 325201, 441706, 402527, 248417, 441566, 402526, 248406, 412250, 402525, 196936, 412237, 402524, 196930, 512819, 402523, 196929, 354845, 402522, 196928, 325351, 402521, 196927, 248500, 402520, 196926, 248485, 402519, 248127, 402518, 402550, 402517, 402549, 402516
MOTOR: 223155, 823553, 358472, 307969, 236579, 236939, 236554, 168612, 717829, 358294, 307968, 236578, 236936, 236553, 168607, 717699, 307975, 307967, 236577, 236932, 236552, 83494, 717686, 307974, 307966, 236576, 236791, 236551, 83350, 664460, 307973, 307965, 664116, 236788, 775695, 83349, 664451, 307972, 307964, 664106, 236786, 775685, 83348, 664398, 307971, 307963, 619425, 236776, 775680, 83347, 664397, 307970, 307962, 823688, 236738, 223422, 83346, 664396, 307969, 307961, 823687, 236735, 775896, 83345, 664389, 307968, 307960, 823684, 236734, 83341, 664388, 307967, 307959, 555698, 236733, 83213, 664272, 307966, 307958, 516901, 236732, 83208, 664265, 307965, 307957, 516839, 236640, 984993, 664259, 307964, 307956, 493089, 236632, 984992, 912393, 307963, 307955, 448442, 236628, 984985, 619145, 307962, 307954, 448375, 236572, 984655, 619129, 307961, 307953, 448374, 236571, 984651, 619283, 307960, 307952, 448372, 236570, 903914, 619280, 307959, 307951, 448371, 236569, 895130, 619277, 307958, 307787, 448370, 236568, 844190, 619276, 307957, 307785, 448369, 236567, 844179, 555866, 307956, 236600, 448352, 236566, 912472, 555865, 307955, 236595, 448219, 236565, 912468, 555856, 307954, 236589, 448208, 236564, 912458, 555851, 307953, 236588, 358045, 236563, 223299, 516670, 307952, 236587, 358042, 236562, 223281, 516585, 307951, 236586, 307881, 236561, 223280, 516582, 307975, 236585, 307922, 236560, 223277, 448089, 307974, 236584, 307591, 236559, 912322, 358431, 307973, 236583, 307581, 236558, 823566, 358427, 307972, 236582, 307576, 236557, 823560, 358426, 307971, 236581, 236997, 236556, 823555, 358473, 307970, 236580, 236987, 236555.
SURENDER KUMAR (Advocate)
Enrol, No.D/152/88

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री छुट्टन एवं माया देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह दोनों निवासी ओ-56, ब्लाक-ओ, जे. जे. कालोनी, सावदा, नई दिल्ली-110081 ने अपनी पुत्री प्रियंका को उसके गलत सलूक/दुर्व्यवहार के चलते अपने समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है तथा मेरी पुत्री का हमारी संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हक आदि नहीं रहेगा। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उसके साथ कोई लेनदेन करता है या किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध रखता है तो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी रहेगा। मेरे मुवक्किलों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
MANOJ KUMAR
ADVOCATE
CHAMBER NO. T-1E, TIS HAZARI COURT, NEW DELHI-110054
ENROLL No. D/2896/2017

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिलों (1.) **राज धन** पुत्र स्व. श्री राम फूल, एवं (2.) **श्रीमती प्रमिला** पत्नी श्री राज धन, निवासीगण फ्लैट नं. 115-डी/जी एच-10, सुन्दर अपार्टमेन्ट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087, ने अपनी पुत्रियों (1.) **नम्रता** व (2.) **प्रीति चौधरी** से इनके गलत कृत्यों/दुर्व्यवहार के कारण अपने सभी सम्बंध विच्छेद कर लिये हैं तथा इनको अपनी समस्त चल-अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इनसे कोई भी सम्बंध रखता/बनाता है या कोई लेन-देन करता है या इन पर कोई पुलिस केस/कोर्ट केस होता है तो मेरे मुव्वकिलों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
O.P. SHARMA
Advocate
NOTARY PUBLIC
M Office Nangloi, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my clients Sh. Laxmi Narain S/o Lal Mani & Smt. Krishna Devi W/o Sh. Laxmi Narain both R/o A-53, Nand Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi-59 have severed all their relations & connections with their son Anil Kumar & his wife Indu & their legal heirs & have debarred & disowned them from all their moveable & immoveable properties and they will have no claim in their properties. Anybody dealing with him, shall do so at his own risk & responsibility.
Adv. Rajan Mahajan
305, Authority Building

PUBLIC NOTICE

My client Shri Md. Arub Khan S/o Late Shri Saif Mohammad R/o H.No. 87-A, Near Mohinder Dairy, Vikas Nagar Ext. Phase-3, Uttam Nagar, New Delhi-110059 has severed all type relations with his son Mr. Amin & his wife Mrs. Firdous Parveen and debarred from his immovable and moveable property. My client shall not be responsible for any act deed of Mr. Amin and his wife Mrs. Firdous Parveen. Anybody dealing with them shall do so at his / her own risks and responsibilities.
Raj Kumar Solanki (Advocate)
Ch. No. 649, Dwarka Court, New Delhi-110075

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Shri Subhash S/o Late Shri Ram Phal R/o RZ-C-8, Gali No-4, Dashrath Puri, Delhi Palam Road, New Delhi -45 has disowned & disinherited his son Ashish and his wife Jyoti from his all moveable and immoveable properties and assets as Ashish has married of his own and both are not under the control of my client. My client is having no concern with his son Ashish and his wife Jyoti in any manner whatsoever. If anyone dealing with them will do at his/her own risk, cost and consequences and my client and his other family members shall not be held liable for their any acts or deeds whatsoever.
HARSH SHARMA- ADVOCATE
Ch. No. 288, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt. Kanta S/o Late Sh. Raghu Arora W/o Sh. Dhian Chand & Smt. Renu Arora W/o Sh. Rajpal Arora both R/o C-338, Sarswati Vihar, Pitampura, Delhi-110034, have severed all their relations with their son namely Rajeev Arora & daughter in law namely Ruchi @ Kanika W/o Sh. Rajeev Arora & disowned them from acquiring any rights from their all movable & immovable properties as they are not under control of my clients. If anybody deals with said Rajeev Arora & Ruchi @ Kanika, he / she will do so at his / her own risk, cost & consequences. My clients are / shall not be responsible for any act of said Rajeev Arora & Ruchi @ Kanika.
Ravinder Kumar (Advocate)
Ch. No. 819, Rohini Court, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

My clients Rajender Singh S/o Shri Bhim Singh and his wife Savitri Devi R/o H. No. 405, VPO Auchandi, Delhi-110039, do hereby severe all their relations and debar their son Tokh Ram @ Sunny and his wife Jyoti from all their moveable-immoveable properties due to their disobedience and misbehaviour. My clients shall not be responsible for their acts/ dealings with any person.
Sd/-
SANJEEV KUMAR (ADVOCATE)
Ch. No. 724, Rohini Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed on behalf of my client Sh. Vinod Giri S/o Sh. Rameshwar Giri and & Smt. Savita W/o Sh. Vinod Giri both R/o 525A/2, Village Khera, G.T. Road, Shahdara, M.S. Park, Jhilmil East, Delhi had ceased their relationship & debarred their son namely Mr. Ashish Giri from all their moveable and immovable properties which are self acquired, whatsoever dealing with their son in any manner whatsoever shall be doing at their own costs, risk & consequences.
K.P. Singh (Advocate)
Resi-cum-Office : KG-8/269, Vikaspuri, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **RUBEENA D/o ISLAM KHAN** residing at **H. NO. A-314, Shastri Mohalla, Patpar Ganj, Delhi-110091** declare that name of my father and my mother has been wrongly writeen as **RASHEED MOHD and MASKEENA** in my 10th and 12th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my father and my mother are **ISLAM KHAN and MUSTKEENA** respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, PURAN SINGH S/O HARJAS residing at H. No.-37-A, Sector-4, Pushp Vihar, New Delhi-110017 declare that name of my wife has been wrongly written as SAFEDI in my Service Record. The actual name of my wife is ANITA, which may be amended accordingly.

PUBLIC / LEGAL NOTICE

Be it known to all whom it may concern that my clients (i) Mr. Inod Kumar S/o Mr. Uttri Lal & (ii) Mrs. Savita W/o Mr. Inod Kumar both R/o House No. 135, Balmiki Mohalla, Madan Garhi, New Delhi-110068 have broken down & severe his / her / their all family & social relations & disclaimed, disowned & debarred his / her / their sons (i) Lakhan @ Golu S/o Mr. Inod Kumar & his wife Mrs. Priyanka of Mr. Lakhan @ Golu & (ii) Jatin S/o Inod Kumar from his / her / their all moveable & immovable properties & right of succession, due to his / her / their disobedient behavior & mis-conducts as he / she / they are working beyond the control & intend to grab property of my clients illegally and my clients and other family members are being harassed, humiliated, misbehaved even mentally and physically tortured by him / her / them. In future my clients shall not be responsible for his / her / their any misconduct. If anybody dealing with him / her / them in any manner shall be doing so at own risks, costs consequences and responsibilities.
Ranjan Gupta (Advocate)
Ch. No. 311, Saket Court, Delhi-85

सार्वजनिक सूचना

मै अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी मकान नं. 172/3, गली नं. 3, काली घाट, पुस्तारोड, गांव वजीराबाद, दिल्ली- 110084 सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मैंने श्री वेदपाल सिंह पुत्र श्री चरन सिंह निवासी मकान नं. 3/95, गांव वजीराबाद, दिल्ली से दिनांक 11.04.2019 को उनकी मालिकाना काबिजाना संपत्ति संख्या- 107, गली नं. 3, ख.नं.- 172/1/2, गांव वजीराबाद, दिल्ली- 110084 खरीदी थी। मैं इस संपत्ति पर एकमात्र मालिक हूं। मेरी संपत्ति के रजिस्टर्ड जीपीए, एग्रीमेंट टू सैल, एसपीए, रसीद, विल सभी मूल दस्तावेज दिनांक 15.05.2019 को कहीं खो गये हैं, इन दस्तावेजों का अगर कोई उपयोग करता है तो उसे गैरकानूनी माना जायेगा।
हस्ता./-
नरेश कुमार (अधिवक्ता)
सीट नं. 162, सिविल विंग,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, MUSTKEENA W/O ISLAM KHAN residing at A-314, Shastri Mohalla, Patpar Ganj, Delhi-110091, declare that name of mine and my husband has been wrongly written as MISKINA and RASHID MOHAMMAD in my minor son SANOWAR aged 16 years school record. The actual name of mine and my husband are MUSTKEENA and ISLAM KHAN respectively, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **ANJUM** D/o **ISLAM KHAN** residing at H.NO. A-314, Shastri Mohalla, Patpar Ganj, Delhi- 110091 declare that name of my father and my mother has been wrongly written as **RASHID MOHAMMAD AND MISKINA** in my 10th and 12th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my father and my mother are **ISLAM KHAN** and **MUSTKEENA** respectively which may be amended accordingly.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सुशील शर्मा सुपुत्र पं. दुर्गा प्रसाद शर्मा निवासी WZ-174, मन्दिर वाली गली, शादी पुर वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ने, अपने पुत्र भरत शर्मा हाल-पता नामालूम को उसके दुर्व्यवहार, गलत चाल चलन, दुषचरित्रता, दुर्व्यहार, विपरीत विचार व असामाजिक गतिविधियों में लिप्तता व पूर्णतया अनियंत्रित होने के कारण तत्काल प्रभाव से अपनी समस्त चल अचल संपत्ति व रिश्तों से बेदखल कर दिया है, अब मेरा मुवक्किल सुशील शर्मा, उपरोक्त, भरत शर्मा के किसी भी पुराने या नए लेन देन या गतिविधियों का जिम्मेदार ना होगा।'
प्राचीन गौड, (अधिवक्ता)
चै. नं. 20, वैस्टर्न विंग,
तीस हजारी कोर्ट,
दिल्ली-54

PUBLIC NOTICE

This is informed to all general public that my client Madan Lal S/o Late Sh. Jawahar Singh R/o A-87, Maa Bhagwati Durga mandir & Ashram, Shiv Park, Nangloi, Delhi-110087, Aged about 74 years, have disowned to their family members i.e. (i) Mayank Sheel Chauhan, (Son) (ii) Anurag Sheel Chauhan, (Son) (iii) Pratishtha, (Daughter) (iv) Shakuntala Chauhan (Wife) that the above named person are living separately from my client since last 22 years, my client has disowned to them from all moveable and immoveable properties of my client, due to their misbehavior and disobedient towards my client, my client will have no relation/ connection with them in furture, my client shall not be responsible for their acts, deeds things etc. If in future any person deals with them then my client shall not be responsible for any acts, deeds and things done by them.
Naveen Gaur (Advocate)
120 & 140, Gajanand Block,
Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Smt. Reena Mittal W/o Shri M.C.Mittal R/o Flat No. 51-A, Block C4D G.F.Janakpuri. New Delhi-110058 purchaser of Flat No. 51-A, Floor Ground, Block C4D, Category MIG in the area of Janak Puri, New Delhi-110058, has applied for converstion of the aforesaid flat from lease hold to free hold vide application No.158138 dated 26-02-2019 in DDA. The Original documents i.e. Possession Letter, NOC for Electric and Water connection and Site Possession Slip of the above Flat have been lost. An FIR to this effect has been lodged in Police Station,Janakpuri, New Delhi.
Any Person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents may write/contact with above named person at above address/ Phone No. 9810629897, within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB) H or Director (H) -1, D Block, 3rd Floor, Vikas Sadan INA, New Delhi.
Sd/- B.B.N. DEO, ADVOCATE
SR-II, B Campus.Janakpuri, ND-58

PUBLIC NOTICE

Be it known to the public, to whom it may concerned that my client Smt. Anita Kapoor, W/o Late Sh. Avinash Kapoor, R/o 3611/6, Shyam Bhawan, Faiz Bazar, Darya Ganj, New Delhi-11002, have given of arkhati and disowned her son namely Aman Kapoor, his wife namely Lalita Kapoor@Dolly and their child namely Arnav Kapoor from all her moveable and immovable properties due to their bad habits, misconduct and bad character. The aforesaid son Aman Kapoor, his wife namely Lalita Kapoor@Dolly and their child namely Arnav Kapoor of my client are having no connection of any kind with my clients & other family members in any manner whatsoever. Any person dealing with them in any manner shall be doing so at their own risks and responsibilities, my clients shall not be responsible of any kind whatsoever. Given under my signature on 05/06/2019, under instructions from my clients.
Sd/-
Kavi Ram Kaushik
Adv

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**

अधिकतम–45.5 डि.से. सूर्योदय– 5:23

न्यूनतम– 29.9 डि.से. सूर्यास्त– 19:17

हरदीप पुरी के बयान पर 'आप' का पलटवार, कहा

हमारे पास योजना भी और पैसा भी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दावा किया कि मेट्रो व बसों में दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के लिए दिल्ली सरकार के पास योजना भी है और पैसा भी है। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी पर तंज कसा कि आप बस, मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते रहिए।

सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा कि वे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से कहना चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा कराने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह दावा भी किया कि उनकी सरकार इस योजना को बहुत अच्छे से लागू कर देगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पुरी ने अपने एक बयान में कहा है कि महिलाओं को दिल्ली में मेट्रो और बस में मुफ्त यात्रा कराने के लिए दिल्ली सरकार के पास योजना और पैसा नहीं है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन-चार दिन में हमने इस पर कई बैठकें की हैं। परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग और मेट्रो के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। मैंने और मुख्यमंत्री ने कई बैठकें की हैं। इसको लेकर बहुत प्रभावी योजना निकलकर सामने आ रही है।

महिलाओं को दिल्ली में मेट्रो और बस में मुफ्त यात्रा कराने के लिए दिल्ली सरकार के पास योजना और पैसा नहीं है : पुरी

जनता की तरफ से भी काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक बार इसको अंतिम रूप देने के बाद हम लोगों को बताएंगे।

सिसोदिया ने कहा कि बतौर वित्त मंत्री वे यह भी कहेंगे कि हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है। दिल्ली में ईमानदार सरकार काम कर रही है और जो बजट पहले 30 हजार करोड़ रुपए था, वह अब 60 हजार करोड़ रुपए हो गया है।

इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमने 3 जून को परिवहन आयुक्त को आदेश जारी किए। इसमें लिखा गया है कि डीटीसी, क्लस्टर और डीएमआरसी पूरा प्लान दें। फिर 3 जून को ही परिवहन आयुक्त ने डीएमआरसी को चिट्ठी लिखी है। लगातार आधिकारिक संवाद बना हुआ है, लगातार बैठकें चल रही हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि कोई बैठक नहीं हुई, कोई संवाद नहीं हुआ।

दवा कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (एमपीसीडीए), इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन (आइसीए), हिमालय ड्रग कंपनी (एचडीसी) और इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आइपीएल) के साथ-साथ उनके कुछ पदाधिकारियों व अधिकारियों को भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। आयोग ने अधिनियम की धारा-27 के तहत इन संघों (एसोसिएशन) के कामकाज पर रोक लगाने का निर्देश जारी करने के अलावा कंपनियों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उल्लंघन का मामला

आयोग ने हिमालय ड्रग कंपनी और इंटास फार्मास्युटिकल लिमिटेड के प्रतिस्पर्धारोधी कारकों को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों पर क्रमशः 18,59,58,000 और 55,59,68,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा इन एसोसिएशनों के कुछ पदाधिकारियों की ओर से निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए इन पदाधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। इन कंपनियों के कुछ पदाधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया गया। सीसीआइ ने एमपीसीडीए पर 4,18,404 रुपए और आइसीए पर 39,142 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि, आयोग को कुछ अन्य एसोसिएशनों और दवा कंपनियों की ओर से प्रावधानों का उल्लंघन करने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा आयोग ने एमपीसीडीए को अपने सदस्यों के लिए मध्य प्रदेश में छह माह की अवधि में कम से कम पांच प्रतिस्पर्धा जागरूकता और अनुपालन कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

इसी तरह आयोग ने आइसीए को इंदौर जिले में एक प्रतिस्पर्धा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आयोग ने एचडीसी और आइपीएल को एक प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम शुरू करने और आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। यह कार्रवाई तब की गई जब मेसर्स मध्य प्रदेश केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन की ओर से आयोग के समक्ष एक विशिष्ट सूचना दर्ज कराई गई थी।

नालों की सफाई की रिपोर्ट ईपीसीए को भेजी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

भाजपा के विधायकों ने गुरुवार को एनवायरमेंट पॉलूशन (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) अथॉरिटी (ईपीसीए) को दिल्ली सरकार के नालों से गाद निकालने की निरीक्षण रिपोर्ट सौंपी। विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि बरसात के दौरान दिल्ली की सड़कों व कॉलोनियों को जल भराव और ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ईपीसीए अविलंब आवश्यक कार्रवाई करे। विधायकों की अगुआई विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने की। उनके साथ विधायक ओम प्रकाश शर्मा, कपिल मिश्रा, जगदीश प्रधान, अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत भी थे।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए दो नए केवी मंजूर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' से मिलकर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लिए दो नए केंद्रीय विद्यालय मंजूर करवाए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस मुलाकात में मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी, मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा आदि उनके साथ थे।

कर्मचारियों को रखने वाली एजंसी पर प्राथमिकी के आदेश

जीबी पंत अस्पताल का मामला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को बगैर किसी कारण बताए नौकरी से हटाने के मामले में दिल्ली सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी देने वाली एजंसी पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने अस्पताल प्रशासन से निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने के भी निर्देश दिए हैं।

दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को श्रम विभाग की प्रर्वतन टीम के साथ जीबी पंत अस्पताल का दौरा किया। राय ने बताया कि अनियमितता को देखते हुए अस्पताल में काम करने वाली कंपनी मेसर्स अहलूवालिया फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर्स पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश श्रम विभाग को दिया गया है। यह कंपनी अस्पताल के के लोक निर्माण विभाग के यूनिट में काम करती है। श्रम मंत्री ने बताया कि जीबी पंत अस्पताल में काम करने वाले एजंसी की ओर से नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का आदेश अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं। साथ ही कहा कि संविदा के आधार पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी को निकालने से पहले फाइल उनके विभाग में भेजी जाए।

दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री ने किया जीबी पंत अस्पताल का औचक निरीक्षण। फोटो : आरुष चोपड़ा

वायु की खराब गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में आई कमी : जावड़ेकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

- दिल्ली-एनसीआर में हालात सुधरने को उपलब्धि बताया मंत्री ने

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

इस क्षेत्र में 'खराब' वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 2014 में 300 थी, जो 2018 में घटकर 206 हो गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि स्थिति 'उतनी बुरी नहीं' है, जितना मीडिया पेश कर रहा है। जावड़ेकर ने कहा, 'मीडिया में आने वाली खबरों में हमेशा ऐसी तस्वीर पैदा की जा रही है कि वायु प्रदूषण की वजह से लाखों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन स्थिति उतनी खराब नहीं है। हां, प्रदूषण है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 2016 में 246 थी, 2014 में यह 300 के करीब थी, 2017 में यह 213 पर आ गई जबकि 2018 में यह घटकर 206 पर आ गई।

डीयू : ईसीए श्रेणी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर

सुशील राघव
नई दिल्ली, 6 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक पाठ्यक्रमों में ईसीए (पाठ्येतर गतिविधियां) श्रेणी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की गतिविधियों और प्रदर्शन पर कॉलेज साल भर नजर रखेगा। इसके आधार पर उनके प्रदर्शन की एक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। दरअसल, इस श्रेणी में दाखिला लेने के बाद विद्यार्थी अपने प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय ने इसे लेकर नए दिशानिर्देश तय किए हैं। इसके साथ ही ईसीए श्रेणी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को इस बार शपथ पत्र भी देना होगा।

डीयू के विद्वत परिषद (एसी) के सदस्य और दाखिले के लिए बनी स्थायी समिति सदस्य प्रोफेसर रसाल सिंह ने बताया कि इस श्रेणी की छूट का लाभ लेकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को संबंधित गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करनी होगी। यह श्रेणी अच्छे कॉलेज या अच्छे पाठ्यक्रम में दाखिले का आसान रास्ता नहीं होकर कॉलेज में पाठ्येतर गतिविधियों के प्रोत्साहन और विकास के लिए है। इसलिए इस श्रेणी के लाभार्थी विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रदर्शन पर इस बार साल भर नजर रखी जाएगी। ईसीए श्रेणी से दाखिले के लिए विद्यार्थी किन्हीं तीन श्रेणियों में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। ईसीए श्रेणी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को दाखिला लेते समय ही शपथ पत्र देना होगा कि वह अपने स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान वह कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए प्रदर्शन करेगा। कॉलेज में होते हुए ऐसा नहीं करने पर कॉलेज के पास प्रवेश रद्द करने का अधिकार होगा।

छात्राओं के लिए आयोजित होगा विशेष परामर्श सत्र

डीयू में शनिवार को छात्राओं के लिए विशेष परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा। डीयू के छात्र कल्याण डीन प्रोफेसर राजीव गुप्ता के मुताबिक, 8 जून को आयोजित होने वाले परामर्श सत्र में विशेष रूप से छात्राओं की समस्याओं और शंकाओं का समाधान किया जाएगा। आत्मा राम सनातन धर्म (एआरएसडी) कॉलेज में भी शनिवार को परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार झा ने बताया कि परामर्श सत्र के दौरान डीयू के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

नमाजियों को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार, कार भी बरामद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

जगतपुरी स्थित खुरेजी में नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों को टक्कर मार कर घायल करने वाले चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेज रफ्तार होंडा सिटी कार से लोगों को टक्कर मारने के आरोपी युवक के साथ एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शाहरुख (25) के रूप में हुई। पुलिस ने होंडा सिटी कार आनंद विहार से बरामद की है। यह कार चोरी की थी। चोरी की इस कार के साथ पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद की है। इसके साथ ही इस बाबत एक महिला को भी गिरफ्तार किया है।

डीसीबी बैंक लिमिटेड DCB BANK

7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन नं. (011) 45016060/ 45016055

ई-नीलामी बिक्री सूचना

"परिशिष्ट-IV-ए" [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक के पास गिरवी है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है। नीचे वर्णित बकाए तथा निम्न विवरणों के अनुसार आगे के ब्याज, चार्जेज तथा लागत आदि की वसूली के लिए नीचे वर्णित रूप में निविदा-सह-सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।

सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" शर्त पर की जाएगी। यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयता का भुगतान नहीं करते हैं तो वर्णित तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में ऋण के ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा गारन्टर के लिए यह एक सूचना है।

अवस्थित	ग्राहक का नाम	निर्मित एरिया	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी तिथि	संपत्ति का पता
दिल्ली	करणसिंह	5700 वर्ग फीट	29000000/-	2900000/-	24.6.2019	यूनिट नं. 532, 5वां तल, यूनिवर्सल ट्रेड टावर, सेक्टर-49, सोहना रोड, गुड़गांव, झरसा, हरियाणा-122001
बकाया राशि: 1 जून, 2019 को रु. 30639117.35 (तीन करोड़ छह लाख उन्तालिस हजार एक सौ सत्तरह तथा पैसे पैंतीस मात्र)						
दिल्ली	दुश्यंत कुमार	720 वर्ग फीट	1220000/-	122000/-	24.6.2019	सम्पत्ति सं. 3/210 (एफएफ) गली गंगा राम, छोटा बाजार, शाहदरा, दिल्ली-110032
बकाया राशि: 1 जून, 2019 को रु. 1079064.49 (दस लाख उन्यासी हजार चौसठ एवं पैसे उन्चास मात्र)						
दिल्ली	विनोद कुमार गर्ग	सुपर एरिया 2500	6300000/-	630000/-	26.6.2019	फ्लैट नं. यूजी-।। (यूजीएफ, एसजी इम्प्रेशन प्लस, राज नगर एक्स्टें. एनएच-58, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
बकाया राशि: 1 जून, 2019 को रु. 10074397.82 (एक करोड़ चौहत्तर हजार तीन सौ सत्तानवे एवं पैसे बयासी मात्र						
दिल्ली	जगजीत सिंह महल	1250 वर्ग फीट	8300000/-	830000/-	20.6.2019	डी-146, तीसरा तल, बगडोला, द्वारका, सेक्टर 8, नई दिल्ली
बकाया राशि: 1 जून, 2019 को रु. 4628117.76 (छियालिस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ सत्तरह एवं पैसे छियत्तर मात्र)						
दिल्ली	श्री चन्द	138 वर्ग फीट	11,00,000/-	110000/-	24.6.2019	एमपीएल नं. 4614 से 4616, भू तल, वार्ड नं. XIV मैन रोड, पहारी धीरज, नई दिल्ली-110006
बकाया राशि: 1 जून, 2019 को रु. 3196338.62 (रुपए इक्कतीस लाख छियानवे हजार तीन सौ अड़तीस एवं पैसे बासठ मात्र)						
दिल्ली	गुरप्रीत सिंह	एफएफ: 250 वर्ग फीट एफएफ: 150 वर्ग फीट	33,00,000/-	3,30,000/-	24.6.2019	फ्लैट नं. 875 एवं 876 (एफएफ), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा
बकाया राशि: 1 जून, 2019 को रु. 6636767.39 (रुपए छियासठ लाख छत्तीस हजार सात सौ सड़सठ एवं पैसे उन्तालिस मात्र)						

सभी सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 14.6.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक।
सम्पर्क व्यक्ति: श्री रणवीर विक्रम सिंह (9811199525)
ईएमडी जमा करने की तिथि एवं समय: 21.6.2019 के 5.00 बजे अप. तक ईमेल आईडी ranveersingh1@dcbbank.com पर भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र, केवाईसी, पैन कार्ड तथा ईएमडी के प्रमाण के साथ
इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को लाभभोगी, डीसीबी बैंक, ग्रेटर कैलाश शाखा, नई दिल्ली, खाता का नाम- राऊ कैश फंडिंग खाता नं. 0702955100178, आईएफएससी कोड: DCBL0000070 में एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है आधार" पर आयोजित होगी तथा ऑन लाइन संचालित की जाएगी। यह नीलामी बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मैं 4 क्लोजर (सम्पर्क श्री यू सुब्बाराव, सेल नं. +91-8142000061/66, लैंड लाइन नं. 040-23836405, ई-मेल आईडी: subbarao@bankeauctions.in तथा info@bankauctions.in पर उनके वेब पोर्टल: https://bankauctions.in के माध्यम से आयोजित की जोयगी। ऑन-लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑन-लाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल ई-नीलामी निविदा दस्तावेज https://bankauctions.in पर उपलब्ध है।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में इन सम्पत्तियों पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के अधिकारों, नीलामी की सम्पत्ति के टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दोव/अधिभारों/बकायों के विषय में अपनी स्वयं की पूछताछ एवं स्वतंत्र जांच कर ले। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का गठन करता हुआ नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात तथा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत क्रैडीटर किसी भी थर्ड पार्टी के दावे/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. यदि बोली सफल नहीं होता है तो ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/निलम्बित करने का अधिकार है। यदि प्रस्ताव स्वीकार की जाती है तो क्रेता को नीलामी के दिन ही तत्काल 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी घटाकर) का भुगतान करना होगा तथा यदि क्रेता उसका भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। शेष क्रय मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व किया जायेगा तथा निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जोयगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। अन्य किसी सांविधि देयताओं/करों/स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क/अंतरण शुल्क का वहन क्रेता को अलग से करना होगा।
4. जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने ईएमडी जमा किए हों तथा उन्हें लॉगिन आईडी एवं पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने तथा ई-बोली प्रक्रिया आदि पर पर प्रशिक्षण की जरूरत हो तो वे श्री यू सुब्बाराव, सेल नं. +91-81 42000061/66, लैंडलाइन नं. 040-238360405, ई-मेल आईडी: subbarao@bankauctions.in से सम्पर्क करें तथा सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिये श्री रणवीर विक्रमसिंह, मो.: 9811199525 से संपर्क करें।
5. यह बिक्री वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों तथा शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्न वेबसाईटों पर प्रकाशित हैं:

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जाएगी।

तिथि: 6.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली डीसीबी बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणी के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 17.06.2019

Delhi - Rajouri Garden (Bali Nagar): MAL-1300, 1301, 1494, MHL-69, 73, 81, 104, 105, MSL-37420, 37580, 37641, 37733, 37753, 37793, 37821, 37879, 37893, 37894, 37895, 37898, 37916, MUL-163, 223, 280, 435, 457, 593, 611, 612, 613, 753, 798, 805, 895, 898, 921, 961, 1060, 1093, 1142, 1182, 1201, 1237, 1238, 1239, 1277, 1282, 1292, 1296, 1298, 1325, 1329, 1334, 1355, 1356, 1389, 1374, 1375, 1382, 1385, 1389, 1405, 1407, 1412, 1418, 1423, 1432, 1446, 1448, 1450, 1467, 1469, 1470, 1500, 1507, 1549, 1560, 1570, 1639, 1642, 1654, 1672, 1678, 1693, 1696, 1698, 1699, 1701, 1716, 1717, 1724, 1726, 1732, 1733, 1743, 1748, 1757, 1761, 1764, 1779, 1780, 1784, 1790, 1794, 1804, 1805, 1806. MWS-24, 56, 57, 66, 67, 101, 105, 117, 118, 120, 139, 145, 161, 191, 204, 231, 232, 233, 240, 248, 257, 266, 276, 280, 310, 320, 322, 324, 327, 333. **Mayapuri:** MAL-921, 1094, MHL-93, 98, MHP-13, 15, MOS-121, MSL-43993, 44221, 44224, 44247, 44260, MUL-214, 428, 429, 550, 551, 602, 647, 655, 663, 668, 671, 673, 696, 704, 705, 706, 709, 726, 749, 758, 779, 804, 832, 860, 917, 919, 924, 928, 931, 932, 948, 953, 954, 955, 984, 989, 1004, 1011, 1012, 1025, 1029, 1030, 1031, 1035, 1052, 1066, 1067, 1068, 1070, 1071, 1085, 1122, 1126, 1127, 1151, 1158, 1163, 1173, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1201, 1202, 1213, 1216, 1217, 1219, 1226, 1227, 1238, 1243, 1244, 1246, 1247, 1254, 1259, 1262, 1266, 1277, 1278, 1279, 1282, 1283, 1285, 1287, **Janakpuri:** MHL-49, 51, 52, MHP-4, MOS-43, MSL-32842, 32893, 33015, 33016, 33087, 33141, MUL-34, 79, 202, 223, 225, 274, 284, 340, 379, 383, 461, 462, 463, 466, 482, 510, 541, 553, 574, 587, 594, 601, 603, 618, 629, 657, 666, 683, 684, 692, 701, 702, 704, 708, 709, 714, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 743, 744, 762, 765, 772, 776, 785, 795, **Tilak Nagar:** MAL-990, 1029, 1064, MHL-117, MSL-27513, 27748, 27776, 27884, 27885, 27905, 27919, 27927, MUL-38, 366, 367, 397, 399, 433, 654, 713, 724, 733, 757, 838, 840, 853, 857, 859, 866, 909, 940, 941, 942, 945, 950, 961, 964, 966, 974, 1056, 1073, 1081, 1095, 1129, 1162, 1163, 1165, 1175, 1186, 1197, 1239, 1248, 1273, 1281, 1291, 1296, 1301, 1306, 1310, 1319, 1324, 1326, 1329, 1330, 1339, 1346, 1362, 1367, 1373, 1376, 1383, MWS-3, 5, 9, 45, 61, **Uttam Nagar:** MAL-674, 675, MSL-18023, 18105, 18169, 18303, 18304, 18312, 18362, 18399, 18429, 18430, 18432, 18458, 18469, 18470, 18472, 18550, MUL-55, 183, 184, 322, 500, 524, 550, 551, 569, 583, 614, 621, 631, 640, 641, 651, 667, 689, 715, 719, 720, 741, 760, 783, 801, 812, 815, 823, 833, 848, 851, 860, 862, 865, 927, 932, 934, 942, 943, 949, 950, 953, 969, 976, 980, 986, 987, 992, 993, 994, 1012, 1027, 1040, 1041, 1043, 1044, 1047, 1049, 1051, 1054, 1058, 1063, 1070, 1082, 1101, 1102, 1103, 1105, 1115, 1118, 1123, 1127, 1130, 1136, 1137, 1139, 1141, 1155, 1158, 1161, 1164, 1165, 1173, 1197, 1201, 1204, 1216, 1217, 1218, 1225, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1237, **Jail Road (Janakpuri II):** MAL-1222, 1287, 1336, 1473, MBL-2729, MHL-112, MSL-21177, 22849, 22850, 24397, 24403, 24412, 24520, 24525, 24593, 24595, 24614, 24678, 24691, 24692, MUL-41, 62, 99, 271, 288, 316, 368, 369, 425, 467, 535, 617, 618, 619, 658, 704, 716, 724, 763, 776, 789, 805, 813, 831, 832, 842, 845, 874, 911, 912, 938, 939, 951, 956, 995, 1072, 1129, 1130, 1131, 1170, 1179, 1192, 1197, 1203, 1216, 1242, 1266, 1272, 1299, 1308, 1309, 1321, 1348, 1352, 1366, 1367, 1386, 1390, 1400, 1415, 1416, 1436, 1451, 1487, 1493, 1497, 1499, 1500, 1501, 1505, 1506, 1523, 1534, 1552, 1556, 1559, 1562, 1563, 1567, 1571, 1572, 1577, 1583, 1584, 1585, 1588, 1589, 1593, 1609, 1613, 1617, **Main Najafgarh Road (Tilak Nagar):** MAL-643, MBL-1622, MSL-15577, MUL-89, 161, 287, 363, 382, 400, 404, 410, 429, 430, 476, 541, 548, 568, 574, 580, 586, 620, 657, 672, 691, 733, 747, 748, 749, 750, 768, 778, 779, 790, 797, 801, 805, 818, 824, 826, 833, 839, 841, 846, 847, 848, 855, 858, 865, 896, 899, 918, 922, 924, 927, **Rajouri Garden:** MAL-675, 691, MGL-1597, MSL-9752, 9829, 9850, 9859, 9883, 9947, 9948, MUL-194, 211, 267, 286, 315, 390, 528, 587, 594, 751, 753, 773, 781, 818, 831, 840, 844, 856, 857, 871, 905, 919, 932, 966, 975, 1000, 1002, 1017, 1019, 1031, 1103, 1129, 1143, 1144, 1148, 1152, 1168, 1170, 1178, 1180, 1181, 1185, 1190, 1206, 1245, 1271, 1273, 1276, 1282, 1293, 1294, 1300, 1314, 1331, 1336, 1338, 1352, 1354, 1355, 1364, 1372, 1373, 1375, 1383, 1385, 1387, 1388, 1389, 1395, 1398, 1399, 1400, 1401, 1412, 1417, 1418, 1419, 1436. **Vashisht Park Janakpuri:** MAL-472, 650, MSL-10082, 10354, 10371, 10398, 10450, 10456, 10465, 10487, 10554. MUL-52, 79, 115, 194, 393, 426, 681, 691, 723, 725, 754, 767, 788, 794, 795, 805, 834, 851, 861, 873, 880, 950, 956, 994, 1003, 1020, 1094, 1109, 1113, 1178, 1186, 1194, 1195, 1215, 1224, 1239, 1274, 1286, 1318, 1320, 1326, 1330, 1335, 1350, 1359, 1367, **Kirti Nagar:** MSL-9852, 10158, 10159, 10161, 10354, 10391, 10403, 10418, MUL-128, 134, 405, 511, 527, 530, 575, 593, 643, 666, 699, 768, 779, 786, 788, 800, 813, 847, 848, 849, 876, 877, 881, 882, 883, 885, 901, 910, 916, 931, 932, 970, 976, 983, 996, 1014, 1025. **Milap Nagar:** MAL-1320, 1595, 1858, MBL-4102, MHP-9, MSL-23137, 23153, 23210, 23217, 23240, 23244, 23299, 23300, 23304, 23351, 23353, 23375, 23395, 23481, 23491, 23554, 23555, 23616, 23633, MUL-23, 234, 343, 369, 427, 448, 467, 533, 545, 596, 642, 672, 765, 774, 775, 781, 877, 915, 921, 1032, 1033, 1209, 1254, 1264, 1290, 1300, 1308, 1325, 1330, 1340, 1344, 1410, 1411, 1442, 1452, 1469, 1472, 1499, 1516, 1537, 1544, 1547, 1551, 1556, 1566, 1600, 1610, 1631, 1648, 1655, 1667, 1688, 1716, 1726, 1753, 1780, 1781, 1794, 1804, 1808, 1857, 1858, 1870, 1872, 1876, 1877, 1879, 1883, 1889, 1896, 1919, 1927, 1929, 1931, 1945, 1947, 1950, 1958, 1961, 1963, 1965. MWS-14, 22, 23, 44, 46, 51, 52, 66, 110, 112, 134, 140, 144, 152, 176, 178, 183, 190, 232, 238, 241, 253, 259, 260, 271, 303, 326, 328, 329, 330, 337, 353, 369, 370, 373, 378, 403, 409, 412, 417, 421, 426, 434, 444, 445, 454, 471, 472, 478, 514, 523, 527, 535, 536, 546, 561. **Mahavir Nagar:** MAL-704, MUL-58, 59, 60, 62, 345, 442, 599, 608, 628, 629, 630, 699, 708, 709, 724, 754, 755, 788, 796, 803, 861, 874, 910, 916, 945, 959, 968, 989, 992, 996, 997, 1010, 1015, **Tagore Garden:** MSL-14521, 14774, 14828, 14852, 14895, MTL-7360, MUL-3, 4, 5, 88, 109, 213, 361, 394, 582, 635, 751, 758, 772, 809, 862, 887, 898, 923, 924, 951, 969, 971, 984, 989, 993, 1020, 1021, 1023, 1132, 1133, 1134, 1140, 1141, 1146, 1157, 1158, 1159, 1225, 1308, 1326, 1352, 1358, 1360, 1362, 1393, 1397, 1441, 1450, 1550,

विभाजन से जुड़ा 'भारत'

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

भारत

रेटिंग- ★★★½

निर्देशक- अली अब्बास जफर

कलाकार- सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ, सोनाली कुलकर्णी, दिशा पटनी, तब्बू, सुनील ग्रोवर

फिल्म 'भारत' पर बात करने के पहले जान लेना जरूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म 'ओड टू माई फादर' का हिंदी रूपांतर है, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है। 'भारत' के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। 'भारत' उस शख्स की कहानी है जो 1947 में अपने परिवार से बिछड़ गया और

जिसका लक्ष्य अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना है। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा?

यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि 'भारत' सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है- रोमांस है, हंसी और मजाक है यानी कॉमेडी का भरपूर डोज है, बहुत अच्छे गाने हैं, एक्शन है। और हां, जैसा कि सलमान खान की फिल्मों में होता है सलमान ही सलमान हैं। कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम भरे खेल दिखाते, दुकानदारी करते, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए। फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं। लेकिन बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त। बेशक, 'भारत' एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान खान की फिल्म 'रेस-3' दशर्कों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे। लेकिन 'भारत' उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खासा रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि हैं। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के जमाने के लड़के- लड़कियों में आजादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसला है- लिव- इन रिलेशनशिप का यानी शादी के बिना लड़के- लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद (कैटरीना कैफ) के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन हालात बदलते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। और हां कैटरीना कैफ (कुमुद) के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है, वह भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है।

दिमाग पढ़ने वाला वैज्ञानिक

एक्स-मैन : डार्क फीनिक्स (हिंदी-3 डी)

रेटिंग- ★★

निर्देशक- सिमन किंबर्ग

कलाकार- सोफी टर्नर, जेम्स मैकवॉय, माइकल फासबैंडेर, जेनिफर लॉरेंस, जेसिका चासटेन

एक्स-मैन शृंखला की ये नई फिल्म वैसे तो स्पेशल इफेक्ट की वजह से ज्यादा आकर्षित करती है लेकिन इसमें एक बड़ा दार्शनिक पहलू भी है। यह कि इंसान को किस तरह का होना चाहिए यानी क्या उसे दूसरे या नियति जैसे बनाना चाहे, उस तरह का या खुद अपनी भावनाओं और विचारों के मुताबिक होना चाहिए? फिल्म म्यूटांट केंद्रित है जो हॉलीवुड की फिल्मों में एक खास तरह की धारा रही है। सोफी टर्नर ने इसमें जीन नाम की एक महिला का किरदार निभाया है जो विशेष शक्ति रखती है और एक अंतरिक्ष अभियान में सूरज के बिल्कुल समीप चली जाती है। फिर उसके भीतर बहुत किस्म के असामान्य बदलाव होने लगते हैं। वो जब गुस्से में आती है आसपास के लोगों के अलावा दूसरी चीजों को भी ध्वस्त कर देती है।

चार्ल्स (जेम्स मैकवॉय) ने बचपन में जीन की काफी मदद की थी। चार्ल्स एक वैज्ञानिक है जो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है और उसमें कुछ फेरबदल भी कर सकता है। इस फेरबदल की वजह से लोगों के या म्यूटांट की आदतें बदल सकती है।

जेम्स का अमेरिकी शासन तंत्र पर भी काफी प्रभाव है और राष्ट्रपति भी उससे कई मसलों पर सलाह मशवरा करते हैं।

लेकिन जब जीन का व्यवहार बदल जाता है तो चार्ल्स भी उसे संभालने में असमर्थ हो जाता है और जीन अनियंत्रित हो जाती है। म्यूटांट को नियंत्रित करनेवाली कुछ ताकतें जीन को अपने साथ लाना चाहती है और चार्ल्स सहित कुछ लोगों को मारना चाहती है। क्या जीन ऐसा करेगी या वो फिर चार्ल्स का साथ देगी?

फिल्म तकनीकी प्रभावों से भरी है। कई एक्शन सीक्वेंस तो लाजबाब है। जैसे आखिरी दृश्य में ट्रेन में जिस तरह के एक्शन हैं वो बेहद चमत्कारिक हैं। लेकिन इस फिल्म का मूल संदेश मानवीय भावनाओं को तरजीह देना है। वैसे ये फिल्म एक्स-मैन शृंखला की आखिरी फिल्म मानी जा रही है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008, फोन: 011-25758124, ई-मेल: iob1997@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियों जिसका इंडियन ओवरसीज के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की यहाँ नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम / गारन्टरों का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक की बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि भुगतान (रु. लाख में)	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	मै. सिद्धि विनायक ज्वैलर्स द्वारा श्रीमती मानसी जैन प्रॉप्राईटर	रु. 43288230/- (17.1.2019 को ब्याज एवं लागतों के साथ)	उसके निदेशक श्री निपुण जैन के माध्यम से मै. वृन्दा डायमंड प्रा.लि. के स्वामित्व में लीज होल्ड आवासीय सम्पत्ति, म्यूनिसिपल नं. 3272, प्रथम एवं द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार के, वार्ड नं. XVI, खसरा नं. 2657/2616, ब्लॉक पी, गली नं. 27 के सामने, बस्ती रेघर, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, क्षेत्रफलः प्रथम तल पर 225 वर्ष फीट तथा द्वितीय तल पर 225 वर्ग फीट।	भौतिक	49.55 लाख	24.6.2019
	1. मै. वृन्दा डायमंड प्राईवेट लिमिटेड		कुछ नहीं		4.96 लाख	21.6.2019
2.	1. मै. रानू एण्टरप्राईजेज प्रा.लि.	रु. 120297583/- (17.1.2019 को ब्याज एवं लागतों के साथ)	डीएलएफ सिटी, फेज-IV, तहसील एवं जिला गुड़गाँव के नाम से विदित कॉलोनी में ग्राम चक्करपुर में स्थित भूमि प्लॉट माप 2.3 एकड़ में निर्मित सुपर मार्ट कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स-1 में ऊपरी भूतल शॉप नं. ए-237, जिसका सुपर एरिया 80.268 वर्ग मी. है, से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। स्वामीः श्रीमती रीतु मिश्रा, पत्नी श्री स्वदेश मिश्रा	सांकेतिक	रु. 155.74 लाख (आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार 1% की दर से टीडीएस शामिल है।)	24.6.2019
	1. श्री शिशिर मोदी 2. श्री सुगन्थन सेल्वरत्नम 3. श्रीमती रीतु मिश्रा 4. श्री स्वदेश मिश्रा 5. मै. अमन इन्ट्राडेक्स प्रा.लि.		कुछ नहीं		रु. 15.58 लाख	21.6.2019
3.	1. मै. सेलपेज कम्युनिकेशन्स 2. मै. सेलपेज कम्युनिकेशन्स प्रा.लि. 3. मै. आर सी एन्टरप्राईजेज 4. मै. एपेक्स इन्फोकॉम 5. राजेश छाबड़ा एवं अनूजा छाबड़ा	1. मै. सेलपेज कम्युनिकेशन्स 31.12.2013 को रु. 130733107.10 1. मै. सेलपेज कम्युनिकेशन्स प्रा.लि. 31.3.2014 को रु. 1,31,99,351.47	लॉट 1: श्री राजेश छाबड़ा तथा श्रीमती अनूजा छाबड़ा के नाम में आवासीय कॉलोनी निर्वाणा कॉलोनी, साउथ सिटी- ।।, गुड़गांव में एस्पैस-299, ब्लॉक आर एवं टी में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति के साथ उसके नीचे की भूमि, माप 300 वर्ग मी. तथा निर्मित एरिया 4091 वर्ग फीट (380.06 वर्ग मी.)	भौतिक	लॉट 1: रु. 402.02 लाख लॉट 2: रु. 42.90 लाख (लॉट 1 के लिये आरक्षित मूल्य आईटी अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार % की दर से टीडीएस शामिल है।)	24.6.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के स्वतः विस्तार के साथ
	1. श्री राजेश छाबड़ा 2. श्रीमती अनूजा छाबड़ा 3. श्री महेन्द्र कुमार छाबड़ा	3. मै. आर सी एन्टरप्राईजेज 31.3.2014 को रु. 1,60,62,113.77 4. मै. एपेक्स इन्फोकॉम 31.3.2014 को रु. 75,28,744.10 5. राजेश छाबड़ा एवं अनूजा छाबड़ा 31.3.2014 को रु. 65,18,500.91	लॉट 2: श्रीमती अनूजा छाबड़ा तथा श्री राजेश छाबड़ा के नाम में प्लॉट नं. 6, सेक्टर पीआई 2 एलिस्टोनिया इस्टेट, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर में स्थित यूनीटेक हॉरीजन का लीजहोल्ड आवासीय फ्लैट नं. 1103 (11वां तल), ब्लॉक नं. 09 (सम्पत्तियां बैंक के भौतिक कब्जे में हैं।)		लॉट 1: रु. 40.21 लाख लॉट 2: रु. 4.29 लाख	21.6.2019 (5.00 बजे अप. तक)
4.	मै. राजेश जैम्स एंड ज्वैल्स प्रा.लि.	12.2.2016 को रु. 86,10,14,786/- तथा आगे का ब्याज एवं लागत	लॉट 1: सम्पत्ति सं. 2521, गली नं. 7, वार्ड नं. XVI, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में छत के अधिकार के बिना लीज होल्ड सम्पूर्ण 1ला तल, 531 वर्ग फीट सुपर एरिया, प्लॉट एरिया 59 वर्ग यार्ड्स। लॉट 2: सम्पत्ति सं. 2521, गली नं. 7, वार्ड नं. XVI, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में छत के अधिकार के बिना लीज होल्ड सम्पूर्ण भू तल, कवर्ड एरिया 422 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 59 वर्ग यार्ड्स। लॉट 3: फ्रीहोल्ड सम्पूर्ण भू तल (बिना छत के अधिकार के) सम्पत्ति सं. 2519-20, (सम्पत्ति सं. 2521 के समीप), गली नं. 7, वार्ड नं. XVI, बेडनपुरा, करोल बाग, कवर्ड एरिया 195.75 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 83 वर्ग यार्ड्स। लॉट 4: सम्पत्ति सं. 2521, गली नं. 7, वार्ड नं. XVI, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में छत के अधिकार के बिना लीज होल्ड सम्पूर्ण दूसरा तल, 531 वर्ग फीट, सुपर एरिया, प्लॉट एरिया 59 वर्ग यार्ड्स। लॉट 5: लीज होल्ड फ्रान्ट साइड पोर्शन, 2रा तल, सम्पत्ति सं. XVI/ 2533-40, गली नं. 6 एवं 7 का यूनिट, अजमल खान रोड, बेडनपुरा, करोल बाग, 1125 वर्ग फीट सुपर एरिया (प्लॉट की सीमा के भीतर), कवर्ड एरिया 1341 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग यार्ड्स। लॉट 6: लीज होल्ड फ्रान्ट साइड पोर्शन, सम्पत्ति सं. XVI/ 2533-40, का यूनिट बी, गली नं. 6 एवं 7, अजमल खान रोड, बेडनपुरा, करोल बाग, 825 वर्ग फीट सुपर एरिया (प्लॉट की सीमा के भीतर), कवर्ड एरिया 1036 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग यार्ड्स। लॉट 7: लीज होल्ड दूसरे तल का बैक साइड पोर्शन, सम्पत्ति सं. XVI/ 2533-40, का यूनिट सी, गली नं. 6 एवं 7, अजमल खान रोड, बेडनपुरा, करोल बाग, 2001 वर्ग फीट सुपर एरिया (प्लॉट की सीमा के भीतर), कवर्ड एरिया 2172 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग यार्ड्स। लॉट 8: लीज होल्ड निर्मित दुकान (दूसरे तल पर, गली नं. 9 की ओर, सम्पत्ति सं. 2486 से जुड़ा), सम्पत्ति सं. 2485, वार्ड XVI, गली नं. 8, बेडनपुरा, करोल बाग, 267 वर्ग फीट कवर्ड एरिया। लॉट नं. 9: प्रथम तल के पीछे के भाग में लीज होल्ड आधा भाग, सम्पत्ति सं. 2533-40 (नया), वार्ड XVI, गली नं. 6 एवं 7, अजमल खान रोड, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, सुपर एरिया 1877 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग यार्ड्स। सभी सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है। लॉट नं. 2 एवं 3 की सम्पत्ति की बिक्री एक साथ की जायेगी।	भौतिक	लॉट 1: रु. 107.08 लाख लॉट 2: रु. 171.72 लाख लॉट 3: रु. 72.73 लाख लॉट 4: रु. 113.13 लाख लॉट 5: रु. 262.63 लाख लॉट 6: रु. 191.92 लाख लॉट 7: रु. 353.54 लाख लॉट 8: रु. 40 लाख लॉट 9: रु. 666 लाख लॉट 1 से 7 एवं 9 के लिए आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार 1% की दर से टीडीएस शामिल है।	24.6.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के स्वतः विस्तार के साथ
	1. श्री राजेश लूथरा, जी-168, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63 2. श्रीमती प्रवीण लूथरा जी-168, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63		कुछ नहीं		लॉट 1: रु. 10.71 लाख लॉट 2: रु. 17.18 लाख लॉट 3: रु. 7.28 लाख लॉट 4: रु. 11.32 लाख लॉट 5: रु. 26.27 लाख लॉट 6: रु. 19.20 लाख लॉट 7: रु. 35.36 लाख लॉट 8: रु. 4.00 लाख लॉट 9: रु. 66.60 लाख	21.6.2019 के 5 बजे अप. तक।
5.	मै. राठी टीएमटी सरिया प्रा.लि. सी-235, सावित्री नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 17 साथ हीः सी-220, 2रा तल, सावित्री नगर, नई दिल्ली-17	रु. 24.4.2017 को रु. 63,28,16,251 तथा आगे का ब्याज एवं लागत	डीएलएफ कुतब एन्क्लेव कॉम्प्लैक्स (अब, डीएलएफ सिटी के नाम से विदित) फेज-1, ग्राम चक्करपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित डीएलएफ कुतब प्लाजा के नाम से विदित कॉमर्सियल बिल्डिंग में फ्री-होल्ड शॉप नं. डी-5, भू तल पर स्थित, माप 42.86 वर्ग मी. (सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)	भौतिक	रु. 196.97 लाख (आरक्षित मूल्य में 1% की दर से आईटी अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार टीडीएस शामिल है।)	24.6.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के विस्तार के साथ
	1. श्री अरुण कुमार राठी, पुत्र श्री गोवर्धन दास राठी, 24, साधना एन्क्लेव,मालवीय नगर के निकट, नी दिल्ली-17 2. श्रीवत्स राठी पुत्र श्री अरुण कुमार राठी, 24, साधना एन्क्लेव,मालवीय नगर के निकट, नी दिल्ली-17 3. श्री क्षितिज गंगवाल, पुत्र श्री भूपेन्द्र गंगवाल, ए-12, राव तुला राम मार्ग, वेस्टएंड कालोनी, नई दिल्ली-21 4. मै. एलर्ट पोर्टफोलिओ प्रा.लि., ए-246, 1ला तल, अम्बेदकर नगर, पार्ट-II, एमबी रोड, जेजे कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली-62 5. मै. एलॉट पोर्टफोलिओ सर्विसेस प्रा.लि. 47, गली नं. 12/3, सिन्धु फार्म, मीठापुर रोड बदरपुर, नई दिल्ली-44		कुछ नहीं			21.6.2019 के 5.00 बजे अप. तक।
6.	मै. अंशिका ज्वैलर्स, श्री पंकज मलिक (प्रॉप्राईटर), 161, हरध्यान सिंह रोड, गफ्फार मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 साथ हीः एफ-40, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015	रु. 128421261.00, 23.2.2015 को तथा आगे का ब्याज एवं लागत	भूतल, प्रथम तल तथा दूसरे तल से शामिल उस पर सुपर स्ट्रक्चर के साथ फ्री होल्ड भूमि माप 396.67 वर्ग यार्ड्स, नं. एफ 40, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 का सभी भाग तथा हिस्सा जिसमें भूतल, प्रथम तल श्रीमती रंजना मलिक तथा द्वितीय तल श्री आनंद सरूप, पुत्र श्री राजा राम मलिक के स्वामित्व में है। (यह सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)	भौतिक	रु. 1040.30 लाख (रुपए दस करोड चालीस लाख तथा तीस हजार मात्र) आरक्षित मूल्य में 1% की दर से आईटी अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार टीडीएस शामिल है।	28.6.2019 (11 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.तक)
	1. श्रीमती रंजना मलिक, पत्नी श्री आनंद सरूप मलिक एफ-40, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 2. श्री आनंद सरूप मलिक एफ-40, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 साथ हीः 13/17, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-05		कुछ नहीं			27.6.2019 (5.00 बजे अप. तक)

* जहाँ कहीं भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194(IA) के अंतर्गत 1% की दर से कर शामिल है।
* बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.iob.in [https://www.iob.in/Tender Details.aspx? Tendertype=E_Auction में दी गई लिंक देखें।
* उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों के लिये प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के अंतर्गत इसे एक सूचना मानी जाये।

संपत्ति के निरीक्षण/ ई-नीलामी से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एआरएम शाखा, रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008 से कार्यावधि के दौरान संपर्क करें अथवा श्री संजय किशोर (एजीएम), फोन नं. 011-25758124; मो.: 08210330957 अथवा श्री मुकेश चन्द (सीएम): 09855187468 अथवा श्री अमनदीप सिंह (एएम) मो.: 9643330180 अथवा श्री भुवनेश्वर, मो. नं. 9650075893 अथवा श्री महेन्द्र सेहरा, मो. नं. 9718664261, बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर, पता-फ्लैट नं. 102, अमूर्था अपार्टमेन्ट्स, प्लॉट 20, मोतीनगर, हैदराबाद-500018, हेल्प लाइन नं. 040-23836405, ईमेलः info@bankauctions.in से संपर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली **तिथिः 6.6.2019** **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक**

वेल्डिंग दुकान पर विस्फोट, एक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी में वेल्डिंग करने वाले दुकान पर ट्रक के डीजल टैंक में विस्फोट हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई और तीन लोग जुलस गए। हादसा तब हुआ जब वेल्डिंग वेल्डिंग के दौरान ट्रक के डीजल टैंक में ब्लास्ट हो गया। इसी ब्लास्ट में वहां मौजूद तीन लोग जख्मी हो गए। घायलों में से एक की मौत हो गई जबकि एक की हालज गंभीर बनी हुई है। अचानक हुए इस ब्लास्ट के बाद कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी मच गई।

पुलिस के मुताबिक, मरने वाले की पहचान किशोर चंद के रूप में हुई है। वे दक्षिणपुरी के रहने वाले थे। घायलों में नुरैन खान, निजामुद्दीन और वाकिल उर्फ बाबा शामिल हैं।

मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

आदर्श रामलीला कमेटी फेज-2 की ओर से सनातन भवन अशोक विहार फेज-2 में सीबीएससी से 12वीं में पास हुए सभी मेधावी बच्चों का अभिनंदन किया गया। सभी 61 बच्चों को 100-100 ग्राम के चांदी के मेडल व प्रमाण पत्र सम्मान स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के मुख्य संरक्षक व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष व मुख्य अतिथि मांगेराम गर्ग ने कहा कि इन सभी बच्चों ने अशोक विहार का नाम रोशन किया है। यह एक मिसाल है देश के सभी बच्चों के लिए। आज हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं।

इस कार्यक्रम में उत्तरी दिल्ली निगम के मेयर सरदार अवतार सिंह, समिति के प्रधान अशोक गर्ग, संचालक अनिल यादव, भाजपा नेता सतीश गर्ग, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश गोयनका, प्रधान अशोक गर्ग, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार और क्षेत्र के सभी गुणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यशाला, कमलादेवी ब्लॉक, सभागार 2 और 3, मैक्समूलर मार्ग सुबह 10 बजे से।

इंडिया हैबिटाट सेंटर : विज्ञान और तकनीक पर चर्चा, हैबिटाट वर्ल्ड, लोदी रोड, शाम सात बजे।

प्रदर्शनी

प्रगति मैदान : विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदर्शनी, हॉल नंबर सात, सुबह 11 बजे से, सात जून तक।

विविध

इंडिया हैबिटाट सेंटर : संगीत, हैबिटाट वर्ल्ड, लोदी रोड, शाम सात बजे।

अपराध शाखा को तीनों महिला चिकित्सकों से पूछताछ की इजाजत

मुंबई/नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने पायल तड़वी केस में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार तीन महिला डॉक्टरों को अपराध शाखा की हिरासत में देने से इनकार कर दिया। बहरहाल, न्यायालय ने अपराध शाखा को उनसे चार दिनों तक पूछताछ की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे के एकल पीठ ने कहा कि अपराध शाखा तीनों आरोपियों को दिन के वक्त पूछताछ के लिए बायकला जेल से ले जा सकती है।

> एनसीएसटी का पांच सदस्यीय दल महाराष्ट्र सरकार और बीवाईएल अधिकारियों से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंचा

हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों को गुरुवार दोपहर दो बजे से शाम छह बजे जबकि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक के लिए जेल, जहां उन्हें रखा गया है, से पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। अपराध शाखा ने इस हफ्ते की शुरुआत में हाई कोर्ट का रुख कर तीनों आरोपी डॉक्टरों –हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल– की हिरासत मांगी थी।

स्थानीय बीवाईएल अस्पताल से जुड़ी तीनों आरोपी डॉक्टरों को पिछले हफ्ते अपनी कनिष्ठ सहकर्मी डॉ. पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक विशेष अदालत ने पिछले शुक्रवार को तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इस बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) का पांच सदस्यीय दल शीर्ष सरकारी अधिकारियों और बीवाईएल नायर अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से मिलने के लिए नई दिल्ली से मुंबई पहुंचा। एक अधिकारी ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय की अगुआई वाली यह टीम महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, सचिव (स्वास्थ्य) और मुंबई के पुलिस आयुक्त समेत प्रशासन एवं पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ आठ जून को बैठक करेगी। आयोग इस मामले के सिलसिले में नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रबंध निदेशक टीएन टोपीवाला और बीवाईएल नायर अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी मिलेगा। एनसीएसटी के अधिकारी के अनुसार यह दल पहले ही मुंबई पहुंच गया है और अध्यक्ष गुरुवार को पहुंचेंगे।

गुजरात में स्कूलों और कॉलेजों के लिए नवरात्रि की छुट्टियां रद्द

अमदाबाद, 6 जून (भाषा)।

गुजरात सरकार ने स्व-वित्तपोषित स्कूलों के विरोध के बाद राजकीय और संबद्ध स्कूलों और कॉलेजों के लिए घोषित आठ दिवसीय नवरात्रि अवकाश गुरुवार को रद्द कर दिया। भाजपा सरकार ने पहली बार पिछले साल नवरात्रि पर छुट्टियों की घोषणा की थी। इस साल भी राज्य सरकार ने 30 सितंबर से सात अक्तूबर के बीच आठ दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी।

कई स्कूलों के प्रबंधन ने छुट्टियों का विरोध किया था। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में गुजरात बोर्ड के स्कूलों और कॉलेजों के लिए पहले घोषित छुट्टियों को रद्द करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चूड़ासमा ने गांधीनगर में कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद और विभिन्न तबकों से मिले ज्ञापनों के मद्देनजर नवरात्रि की छुट्टियां नहीं देने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बैठक की अध्यक्षता की।

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गुरुवार की समीक्षा के मुख्य विषय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) और मंत्रालय की नवीन डिजिटल पहलें रहीं।

मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतर माध्यम है किंतु इन संस्थानों की साख बहुत अच्छी नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे खुली ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से समपार फाटक सं0 355 पर यूनीपोल लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा सूचना संख्या : C/16/ADV/UNIPOLE/LC355/19	आरक्षित मूल्य (पाँच वर्षों के लिए)	बयाना राशि
कार्य का नाम: इज्जतनगर मण्डल के अन्तर्गत समपार फाटक सं0 355 पर यूनीपोल लगाकर	₹4,47,261/-	₹9,000/-
	निविदा फार्म का मूल्य : ₹1180.00	

5 वर्षों के लिए वाणिज्य विज्ञापन के सोल राइट देने हेतु ई-निविदा।

1. इज्जतनगर मण्डल के अन्तर्गत समपार फाटक सं0 355 पर यूनीपोल लगाकर 5 वर्षों के लिए वाणिज्य विज्ञापन के सोल राइट देने हेतु खुली ई-निविदा www.ireps.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की गई है।
2. ई-निविदा में www.ireps.gov.in पर प्रकाशित होने की तिथि से 03.07.2019 तक समय 15.00 बजे तक ही भाग ले सकते है।
3. ई-निविदा खुलने की तिथि व समय 03.07.2019 को 15.30 तक।
4. ई-निविदा से सम्बन्धित निविदा फार्म, निविदा सूचना, पात्रता, नियम एवं शर्तों का विस्तृत विवरण www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है।
5. ई-निविदा से सम्बन्धित बयाना राशि एवं निविदा फार्म की कीमत का भुगतान आनलाइन पेमेन्ट गेटवे से ही होगा।

नोटः- सभी संभावी निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि इस निविदा से सम्बन्धित किसी भी शुद्धि पत्र हेतु वे नियमित रूप से वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें।

मुजाधि/वाणिज्य-43 मंडल रेल प्रबन्धक (410)/इज्जतनगर

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं0 08794445955 पर एस.एम.एस करें।

"गाड़ियों की छत्त व पायदान पर कदापि यात्रा न करें"

पूर्वोत्तर रेलवे खुली ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से इज्जतनगर मण्डल के कल्याणपुर स्टेशन के सरकुलेटिंग एरिया के सोल एडवरटाइजमेंट राइट्स के तहत तीन वर्षों के लिए वाणिज्य विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा सूचना सं. C/16/STATION/KAP/19	आरक्षित मूल्य (3 वर्षों के लिए)	बयाना राशि	निविदा फार्म का मूल्य
कार्य का नाम – इज्जतनगर मंडल के कल्याणपुर स्टेशन के सरकुलेटिंग एरिया के सोल एडवरटाइजमेंट राइट्स के तहत तीन वर्षों के लिए वाणिज्य विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-निविदा।	रु. 11,91,600/-	रु. 24,000/-	रु. 2,360/-

1. इज्जतनगर मंडल के अंतर्गत कल्याणपुर स्टेशन के सरकुलेटिंग एरिया के सोल एडवरटाइजमेंट राइट्स के तहत तीन वर्षों के लिए वाणिज्य विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु खुली ई-निविदा www.ireps.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की गई है। 2. ई-निविदा में www.ireps.gov.in पर प्रकाशित होने की तिथि से 27.06.2019 तक समय 15.00 बजे तक ही भाग ले सकते है। 3. ई-निविदा खुलने की तिथि व समय : 27.06.2019 को 15.30 बजे तक। 4. ई-निविदा से सम्बन्धित निविदा फार्म, निविदा सूचना, पात्रता, नियम एवं शर्तों का विस्तृत विवरण www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है। 5. ई-निविदा से सम्बन्धित बयाना राशि एवं निविदा फार्म की कीमत का भुगतान पर आनलाइन पेमेण्ट गेटवे से ही होगा।

नोट : सभी संभावी निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि इस निविदा से सम्बन्धित किसी भी शुद्धि पत्र हेतु, वे नियमित रूप से वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें।

मुजाधि/वाणिज्य-44 मंडल रेल प्रबन्धक (वा.), इज्जतनगर

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. [illegible] पर एस.एम.एस करें

रेलवे परिसर सावधानीपूर्वक पार करें

कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए सामान्य पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष क्षेत्रीय क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा
(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (a) के मामले में
और
मिथुन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 1327/19, गली नंबर, सिविल लाइन गोल रोहतक हरियाणा – 124001 में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख सोमवार, 28 मई, 2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संबंध ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निबंधक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर सी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुदृढ़ कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

1327/19, गली नंबर, सिविल लाइन गोल रोहतक हरियाणा – 124001

बोर्ड की आज्ञानुसार
वास्ते मिथुन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
प्रवीन [illegible]
(निदेशक)
डीआईएन : 00282736

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 6 जून, 2019

SBI

पेमेन्ट्स व स्पेशल प्रोजेक्ट्स विभाग, कारपोरेट सेन्टर, स्टेट बैंक भवन, 12 वीं मंजिल, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई - 400 021.

आरएफपी के निरस्तीकरण की सूचना

अपरिहार्य एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, बैंक ने कार्ड्स के प्राप्य, प्रक्रिया और वैयक्तिकरण हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन, संदर्भ क्र. एनबी/पीएस/एसएन/आरएफपी/2018-19/001 दिनांक 29.05.2018 से संबंधित आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय किया है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 07/06/2019

हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(सीएफवीटी-सोर्सिंग)

Brahmaputra Infrastructure Limited

Regd. Office: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi- 110037, Tel. No. : 91-11-42290200 (50 Lines)
Fax: 91-11-41687880, 26787068 Email: cs@brahmaputragroup.com
Web: www.brahmaputragroup.com, CIN: L55204DL1998 PLC095933

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 under SEBI Listing Regulations 2015 (LODR), Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, the 12th day of June, 2019 at 04.00 P.M.** at the Registered Office of the company inter-alia, to consider, and approve the audited financial results of the company for the financial year ended 31st March, 2019.

For M/s Brahmaputra Infrastructure Limited
Sd/-
Vivek Malhotra
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 04.06.2019

प्रकाशन आईएनसी-26

केंद्रीय निदेशक जिनी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (a) के तहत कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए

और

रणवीर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नं. डी.68ई, दूसरा फ्लोर, ब्लॉ. 299 छतरपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली-110074) के मामले में .....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 13(4) के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन करती है। विशेष अवसर के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के आर्टिकल्स। असाधारण परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग करती है। कंपनी (निगमन) नियम 30, के तहत 08 मई 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष प्रस्ताव में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी की सदस्य बनाने के संबंध में एक आवेदन का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी हलफनामे सहित क्षेत्रीय निदेशक, एमसीए, सी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 14 दिन के भीतर सुदृढ़ करना सकता है अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकता है। साथ ही इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को भी निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए

मकान नं. डी.68ई, दूसरा फ्लोर, ब्लॉ. 299, छतरपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली-110074

उनके द्वारा व उनके लिए
रणवीर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
अवतिंदर सिंह जौहर
निदेशक
डीआईएन: 00014251

दिनांक: 07.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा : आजादपुर, दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (शाखा आजादपुर) के प्रभार वाली हाउसिंग ऋण रु. 8,01,153.70 और कोलैटरल ऋण रु. 8,36,874.31 कुल ऋण राशि रु. 10,08,028.00 दिनांक 31.05.2019 तक** साथ में भविष्य का ब्याज, लागत और आकस्मिक प्रभार इत्यादि शामिल के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख
(1) श्रीमती अर्चना रानी पत्नी श्री अजय कुमार पाण्डेय (2) श्री अजय कुमार पाण्डेय पुत्र आर के पाण्डेय (3) श्री अमर सिंह पुत्र हरदेव सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक सम्पत्ति : डीडीए फ्लैट नं. 810, प्रथम तल, पॉकेट 2 ब्लॉ 1, सैक्टर-द-10, द्वारका, दिल्ली 40 में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – सीढ़ियां / फ्लैट नं. 814, पश्चिम में – खुला स्पेस, पूरब में – रास्ता / प्रवेश, दक्षिण में – खुला स्पेस	04-12-2018 / 01-06-2019

दिनांक 01.06.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

SBI **भारतीय स्टेट बैंक** तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, दिल्ली
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 25410177, 25412077 ई-मेल: sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार **एसबीआई, एस ए आर बी रिटेल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ता **मैसर्स एलाइड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, खाता नं. 01006, खसरा नं. 721– के, ग्राम दुहाई, औद्योगिक क्षेत्र, मेरठ रोड, दुहाई, गाजियाबाद और इसके प्रोपराइटर अर्थात श्री संजीव जैन से दिनांक 31.05.2016 तक प्रतिभूत लेनदार की रु. 71,45,425.00 रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 10.07.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 128.25 लाख और अग्रिम जमा धन राशि रु. 12.85 लाख होगी और जिसे जमा करने कि अंतिम तिथि 08.07.2019 है। निरीक्षण की तिथि : 03.07.2019**

(भूमि खाता नं. 01006, खसरा नं. 721– के, ग्राम दुहाई, परगना जलालाबाद, औद्योगिक क्षेत्र, मेरठ रोड, दुहाई, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री संजीव कुमार जैन पुत्र श्री बिहारी लाल जैन के नाम पर है।

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाईट पर देखें। https://sbi.auctiontiger.net, http://www.sbi.co.in

दिनांक 07.06.2019, स्थान : नई दिल्ली
हस्ता0/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्पोरेशन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक **Corporation Bank**

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगला देवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की 22 वीं वार्षिक महासभा रविवार, **29 जून, 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे** सहकारी भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु - 575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा :

मद संख्या 1

बैंक के **31 मार्च, 2019 के पृथक एवं समेकित** लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के **पृथक एवं समेकित** लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना।

मद सं 2 :

नई इक्विटी शेयरों के निर्गम और/ या बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टीयर –I या टीयर –II पूंजी के निर्गम द्वारा बैंक की पूंजी जुटाना

टिप्पणियाँ

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vii) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने **से कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् सोमवार, 24 जून 2019 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् सोमवार, 24 जून, 2019 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. **संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग**

यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है, तब केवल प्रथम नाम वाला व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

4. **सदस्यों के रजिस्टर की बंदी**

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, शुक्रवार 21 जून, 2019 से शनिवार, 29 जून, 2019 (दोनों दिनों सहित) बाइसवीं वार्षिक महासभा के संबंध में बंद रहेंगी इसके लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक महासभा में वोटिंग हेतु **सोमवार, 24 जून 2019** को कट-ऑफ तिथि मानी जायेगी।

5. यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को 22 वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी के रूप में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अपने पत्र के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग (इंस्टा पोल) द्वारा वोटिंग नहीं किया है वे अपना वोट दे सकेंगे।

6. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने/उनका/उनकी विवेक के अनुसार कर सकते हैं।

7. एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि **24 जून 2019** को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टा पोल के लिए पात्र होगा।

8. रिमोट ई-वोटिंग **26 जून, 2019 (प्रातः 09 बजे)** से शुरू होकर **28 जून 2019 (सायं 5.00 बजे)** को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। सोमवार, **24 जून 2019 (कट-आफ तिथि)** को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक विधि से या वार्षिक महा सभा में वोट देकर कर सकते हैं।

9. अन्य बातों के साथ-साथ उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके को सूचित करने वाली बैंक की 22 वीं वार्षिक महा सभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी जा रही है जिनके ईमेल आईडी बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी के साथ संप्रेषण हेतु पंजीकृत हैं जब तक कि किसी सदस्य द्वारा इसकी कागजी प्रति हेतु अनुरोध न किया जाए। अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाने वाले सदस्यों हेतु अन्य बातों के साथ-साथ उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके को सूचित करने वाली बैंक की 22 वीं वार्षिक महा सभा की सूचना की कागजी प्रति **03.06.2019** को अनुपत माध्यम से प्रेषित की जा रही है। प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पास के साथ सूचना का पूरा पाठ बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर उपलब्ध है।

10. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग हेतु सुविधा संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु सुश्री वरलक्ष्मी, सहायक महा प्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्रा. लि., यूनिट: कार्पोरेशन बैंक, कार्वी सेलेनियम टॉवर- बी, प्लाट सं. 31 व 32, गचीबोवली, नानकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032, फोन-040-67161514 या टूलफ्री सं. 18003454001 (टॉल फ्री), ई-मेल- vlakshmi.p@karvy.com जिम्मेदार हैं।

11. बैंक की 22 वीं वार्षिक महा सभा की सूचना के प्रेषण के बाद, जिन लोगों ने शेयर हासिल किए हैं और बैंक के शेयरधारक बन गए हैं, वे isd@corpbank.co.in पर बैंक को लिखकर या शेयरहोल्डिंग के प्रमाणित प्रमाण के साथ डाक द्वारा भेजकर या रिमोट ई-वोटिंग के बंद होने से पर्याप्त समय पहले vlakshmi.p@karvy.com पर कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को लिखकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

12. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक
ह/-
(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 06.06.2019

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके ना

जनसत्ता

अर्थव्यवस्था की गति

रिजर्व बैंक का रेपो दरों में पच्चीस आधार अंक की कटौती का फैसला सरकार के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों की ही एक कड़ी है। रेपो दरों में कटौती से बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद बनती है। इसलिए माना जा रहा है कि इस फैसले से बाजार में कुछ रौनक लौटेगी। एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए मंत्रियों की दो समितियां गठित की गई हैं। इनमें से एक समिति विकास की रफ्तार और निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरी समिति रोजगार कौशल के विकास संबंधी उपायों पर सुझाव देगी। इसी क्रम में रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की और कर्ज सस्ता करने और बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के मकसद से रेपो दरों में कटौती का फैसला किया। रेपो दर पर ही सारे बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते और अपने कारोबार में वृद्धि करते हैं। चूंकि पिछले कुछ समय से बैंकों का कारोबार लगातार नीचे की तरफ का रुख किए हुए है, इसलिए रेपो दरों में कटौती से उन्हें कुछ बल मिलने की उम्मीद की जाती है।

यों भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है, पर पिछले कुछ समय से देश की विकास दर अपेक्षित लक्ष्य से काफी दूर है। निवेश जुटाना अब भी चुनौती बना हुआ है। बाजार में पैसे का प्रवाह कम होने से उत्पादन में भी गति नहीं आ पा रही। महंगाई पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। इन सबको देखते हुए सरकार ने विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। अर्थव्यवस्था की गति बाजार में मांग और निवेश पर निर्भर करती है। इन दोनों मोर्चों पर पिछले कुछ सालों से शिथिलता नजर आ रही है। मांग तब बढ़ती है, जब लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है। क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए रोजगार बढ़ाने की जरूरत होती है। जब लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है, बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ता है और उत्पादन में गति आती है, तो निवेशक भी आकर्षित होते हैं। बाजार में सुस्ती रहती है तो निवेशक भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते, जैसा कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है। इस तरह अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के मकसद से बनी समिति को स्वाभाविक ही इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। इसी से जुड़ी दूसरी समिति, जो रोजगार संबंधी विषयों पर अपने विचार देगी, उसकी भी जिम्मेदारी अहम होगी क्योंकि रोजगार को लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और नए रोजगार उपलब्ध न करा पाने का असर बाजार पर साफ नजर आ रहा है।

अर्थव्यवस्था कोई एकल इकाई नहीं होती। वह तमाम चीजों से जुड़ी होती है। इसलिए उसे मजबूत बनाने के लिए अनेक दिशाओं में काम करना पड़ता है। नई सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महकमों के मंत्रियों को आर्थिक विषयों और रोजगार संबंधी पहलुओं पर विचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। अकेले रिजर्व बैंक के अपनी दरों में बदलाव करने से न तो बाजार में गति आने की उम्मीद की जा सकती है और न अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौट आने की। अगर ऐसा होता तो फरवरी और अप्रैल में भी उसने दो बार पच्चीस आधार अंक की कटौती की थी, पर बाजार को उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। रोजगार के नए अवसर पैदा करके इस दिशा में अधिक गति हासिल की जा सकती है।

पिघलते ग्लेशियर

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस प्रकृति के बूते मानव सभ्यता ने इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसी को अपनी सुविधाओं के लिए न केवल हाशिये पर छोड़ दिया गया, बल्कि उसके नष्ट होने की भूमिका तैयार करने में भी कोई कमी नहीं की गई। आज हालत यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नित नए असंतुलन की वजह से समूची दुनिया पर कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में प्रदूषण के मसले पर चिंता जताने में सभी देश आगे रहते हैं, लेकिन उस पर काबू पाने के मामले में सबसे बुनियादी उपायों की भी अनदेखी करते हैं। यही वजह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों पर संकट लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की ओर से संयुक्त रूप से हिमालय के बढ़ते प्रदूषण पर किए गए शोध के निष्कर्षों के मुताबिक पश्चिमी देशों और खासकर यूरोपीय देशों में बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव तेजी के साथ हिमालयी देशों पर पड़ रहा है। इस समूचे इलाके में कार्बन की मात्रा में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, उससे ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा पैदा हो गया है।

हालांकि ऐसी आशंका पहली बार नहीं जताई गई है। पर मुश्किल है कि बार-बार के अध्ययनों में पर्यावरण के सामने खड़ी होने वाली चुनौतियों के बारे में स्पष्ट संकेत मिलने के बावजूद दुनिया भर में इस मसले पर कोई ठोस पहलकदमी नहीं हो सकी है। समय-समय पर पर्यावरण संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं और उनमें कार्बन उत्सर्जन कम करने से लेकर हर स्तर पर प्रदूषण पर काबू पाने का संकल्प लिया जाता है। पर आज भी यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ते प्रदूषण की वजह से हिमालयी इलाकों में पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उसके चलते वायुमंडल में कई बदलाव आ रहे हैं तो यह उन सम्मेलनों में जताई गई चिंता के खोखले होने का ही सबूत है। सवाल है कि आखिर किन वजहों से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर देने वाले यूरोपीय देशों में प्रदूषण का स्तर ऐसी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया कि उससे अब हिमालयी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं?

गौरतलब है कि जलवायु में बढ़ता तापमान हिमालयी ग्लेशियर से ढके हिंदूकुश पहाड़ों की चोटी को लगातार गला रहा है। कुछ समय पहले हिंदूकुश हिमालय एसेसमेंट नाम से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक अगर मौजूदा गति बनी रही तो इस सदी के अंत तक हिमालय पर्वत के ग्लेशियरों का करीब दो-तिहाई हिस्सा खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि इतना हिस्सा करीब दो अरब लोगों के पीने के पानी के स्रोत के रूप में काम आ सकता है। इस बड़े संकट से पार पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों में प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, मगर उन पर गंभीरता से अमल नहीं हो पाता। फिलहाल अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिशें एक हद तक कामयाब होती हैं तो भी हिमालयी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा नहीं बचाया जा सकेगा। सिर्फ इतने से यह समझा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में आने वाले इस असंतुलन से कैसे संकट पैदा हो सकते हैं और इसका समूची दुनिया में मानव जीवन पर कितना घातक असर पड़ेगा। अगर समय रहते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस पहल नहीं की गई तो इसका खमियाजा समूची दुनिया को उठाना पड़ सकता है।

कल्पमेधा

मनुष्य जितना छोटा होता है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है।

-वाल्तेयर

उड़ान की चुनौती

सतीश सिंह

एअर इंडिया की माली हालत लंबे समय से खस्ता है। जेट एअरवेज भी जमीन पर आ चुकी है। जेट का भविष्य अनिश्चित है। पूर्व में एअर सहारा, किंग फिशर, ईस्ट-वेस्ट एअरलाइन, स्काईलाइन एनईपीसी, मोदीलुफ्त आदि हवाई सेवा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बंद होने के समय एअर सहारा की बाजार में सत्रह फीसद हिस्सेदारी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या चमक-दमक वाले विमानन क्षेत्र की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जितनी बाहर से दिखती है!

एअर इंडिया संकट का समाधान उसके विनिवेश में तलाशा जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने एअर इंडिया के विनिवेश पर काम शुरू कर दिया है। एअर इंडिया पर फिलहाल तकरीबन सत्ताईस हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। एअर इंडिया को बेचने के लिए निविदा के जरिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। एअर इंडिया में पनच्यानवे फीसद हिस्सेदारी बेचने और पांच फीसद कर्मचारियों के लिए इंप्लाइज स्टॉक आप्शन प्लान (ईएसओपी) के रूप में रखने पर विचार चल रहा है। विनिवेश के समय स्थायी कर्मचारियों को कंपनी में शेयर विकल्प और एक साल नौकरी का आश्वासन देने की योजना है। पिछली बार सरकार ने कंपनी में चौबीस फीसद हिस्सेदारी अपने पास रखने की योजना बनाई थी, जिसके कारण किसी भी खरीदार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। खरीदार के आगे नहीं आने पर सरकार को बिक्री बंद करनी पड़ी, लेकिन एअर इंडिया के भारी कर्ज की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक अलग कंपनी बनाकर एअर इंडिया के साढ़े सत्ताईस हजार करोड़ रुपए के कर्ज को कम किया था। लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। एअर इंडिया के कर्ज में और कमी लाने की जरूरत है, ताकि दूसरी कंपनियां इसे खरीदने में दिलचस्पी लें।

इसके पहले भी पिछले साल मई में सरकार एअर इंडिया में अपनी छिहत्तर फीसद हिस्सेदारी बेचना चाह रही थी। लेकिन किसी कंपनी ने बोली नहीं लगाई। मार्च 2018 तक एअर इंडिया अड़तालीस हजार करोड़ रुपए कर्ज के बोझ से दबी थी। एअर इंडिया को बेचने के लिए अर्न्स्ट एंड यंग (ईएंडवाई) को सलाहकार नियुक्त किया गया है। विनिवेश प्रक्रिया के तहत एअर इंडिया के अलावा इसकी सस्ती विमानन सेवा इकाई एअर इंडिया एक्सप्रेस और एअर इंडिया एसएटीएस एअरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की भी बिक्री की जाएगी। एसएटीएस एअरपोर्ट सर्विसेज एअर इंडिया और सिंगापुर की एसएटीएस लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। एअर इंडिया को बेचने के लिए सलाहकार कंपनी- ईवाई की नियुक्ति की गई है। इस कंपनी के अनुसार एअर इंडिया के नहीं बिकने के कई बड़े कारण हैं, जैसे- सरकार द्वारा सौ फीसद हिस्सेदारी नहीं बेचना, एक साल तक कर्मचारियों को कंपनी के साथ बनाए रखने का प्रावधान, तीन साल तक विमानन कंपनी का परिचालन बिना किसी दखल के करने पर जोर और कंपनी के विस्तार के लिए इच्छुक नहीं होना आदि। जाहिर है, खरीदार आसान शर्तें चाहेंगे।

अप्रैल, 2012 में घोषित बेलआउट पैकेज के तहत एअर इंडिया को सरकार अब तक छब्बीस हजार करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी दे चुकी है। एअर इंडिया में नए सिरे से पूंजी डालना इसलिए जरूरी है कि कर्जदाता कंसोर्टियम के तीन बैंकों ने इसे 'लाइन ऑफ क्रेडिट' देने से मना कर दिया है। 'लाइन ऑफ क्रेडिट' बैंक और कर्जदार के बीच का ऐसा समझौता होता है, जिसके तहत कर्जदार कभी भी तय सीमा के मुताबिक उधारी ले सकता है।

एअर इंडिया की माली हालत लंबे समय से खस्ता है। जेट एअरवेज भी जमीन पर आ चुकी है। जेट का भविष्य अनिश्चित है। पूर्व में एअर सहारा, किंग फिशर, ईस्ट-वेस्ट एअरलाइन, स्काईलाइन एनईपीसी, मोदीलुफ्त आदि हवाई सेवा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बंद होने के समय एअर सहारा की बाजार में सत्रह फीसद हिस्सेदारी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या चमक-दमक वाले विमानन क्षेत्र की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जितनी बाहर से दिखती है?

एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइंस के विलय के वक्त यह कंपनी सौ करोड़ रुपए के लाभ में थी। लेकिन अनियमितता, कुप्रबंधन और अंदरूनी गड़बड़ियों के कारण एअर इंडिया खस्ताहाल स्थिति में आ गई। अदालत में दायर एक जनहित याचिका के मुताबिक वर्ष 2004 से वर्ष 2008 के दौरान विदेशी विनिर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सड़सठ हजार करोड़ रुपए में एक सौ ग्यारह विमान खरीदे गए, करोड़ों-अरबों रुपए खर्च करके विमानों को पट्टे पर लिया गया और निजी विमानन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फायदे वाले हवाई मार्गों पर एअर इंडिया की उड़ानों को जानबूझ कर बंद किया गया। इन गड़बड़ियों की पुष्टि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी अपनी रिपोर्ट में की है।

एअर इंडिया की स्थापना टाटा संस लिमिटेड की एक इकाई के रूप में हुई थी। सन 1946 तक इसका संचालन टाटा एअरलाइंस कर रही थी, जो बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो गई। एक समय विमानन कंपनियों में एअर इंडिया की हैसियत महाराजा की थी। एअर इंडिया बेड़े में हर तरह के विमान थे। के-787 ड्रीमलाइनर को सितंबर, 2012 में एअर इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया था। दो सौ छप्पन सीटों वाला ड्रीमलाइनर दस से तेरह घंटे बिना किसी परेशानी के उड़ान भर सकता है। सीटों की डिजाइनिंग और ईंधन क्षमता के मामले में यह बोइंग 777-200 एलआर से बेहतर है। एअर इंडिया ड्रीमलाइनर की बेहतर क्षमता का उपयोग करके एअर इंडिया ज्यादा लाभ कमा सकती है। बड़े विमानों में एअर इंडिया के पास 777-200 एलआर के आठ, 777-300 ईआर के बारह और बी 747-400 के तीन विमान हैं। छोटे विमानों में एअर इंडिया के पास ए-320 के बारह, ए-319 के उन्नीस और ए 321 के बीस विमान हैं। इसके अलावा कंपनी ने उन्नीस छोटे व बड़े विमानों को लीज पर ले रखा है।

विमानों के बुद्धिमतापूर्ण इस्तेमाल से राजस्व में इजाफा किया जा सकता है। जैसे, जिस मार्ग पर यात्रियों का आवागमन अधिक है, वहां विमानों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। वैसे विमानों का ज्यादा उपयोग किया जा सकता है, जिनमें कम ईंधन की खपत होती है। आज भी एअर इंडिया में विमानों का इस्तेमाल तार्किक तरीके से नहीं किया जा रहा है। लंबी दूरी वाले विमानों का उपयोग मध्यम तथा छोटी दूरी वाले मार्गों में उड़ानों के लिए हो रहा है। बोइंग 777-200 एलआर लंबी दूरी तय करने वाला विमान है। यह लगातार सोलह घंटे तक उड़ान भर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मध्यम दूरी वाले स्थानों के लिए ही हो रहा है।

इससे विमानों में ईंधन की ज्यादा खपत हो रही है। फ्रैंकफर्ट, पेरिस, हांगकांग, शंघाई जैसे शहरों, जहां पहुंचने में दस घंटे लगते हैं, की उड़ान में अगर ड्रीमलाइनर का प्रयोग किया जाता है तो यात्रा की लागत प्रति किलोमीटर पच्चीस फीसद तक कम हो सकती है। यात्री किराए में कमी करना भी एक अच्छा विकल्प है। निजी विमानन कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के कारण इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एअर आदि ने कमाई में एअर इंडिया से बढ़त हासिल की। विदेशी विमानन कंपनियों में लुफ्तहंसा समूह, ब्रिटिश एअरवेज, केएलएम इत्यादि से भी एअर इंडिया को कड़ी चुनौती मिल रही है। एअर इंडिया को घाटे से उबारने की कोशिशें तो की गईं, लेकिन ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाईं।

भले ही एअर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही हो, लेकिन यह तय है कि कुशल प्रबंधन से एअर इंडिया को मुनाफे में लाया जा सकता है। कुशल नेतृत्व एवं संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से पूर्व में यह कंपनी लाभ में आई भी थी। भारतीय रेल, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि भी पूर्व में ऐसा करिश्मा कर चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक कंपनियां आज मुनाफे में चल रही हैं। बीमा और सरकारी तेल कंपनियां भी मुनाफे में हैं। देखा जाए तो लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनियों की एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में एअर इंडिया को लाभ में लाना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी बदहाली के लिए मूल रूप से कुप्रबंधन जिम्मेदार है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करके इसे फिर से मुनाफे में लाया जा सकता है।

शब्दों का सौंदर्य

मोनिका अग्रवाल

दुनिया मेरे आगे

कितना मुश्किल है शब्दों के बारे में दो शब्द कहना! खासकर उन शब्दों के बारे में जो हमारे अपने ही होते हैं। जिन शब्दों के साथ हम जागते हैं, बढ़ते हैं, खेलते हैं और सोते हैं। ये शब्द सबको संबोधित करते हैं, संप्रेषित करते हैं। लेकिन जब खुद की बात चलती है तो उस नन्ही गुड़िया की तरह भाग कर झरोखे के पीछे जा छिपते हैं जो यों तो चमकती-चमकती सारे घर को गुंजायमान किए रहती है, लेकिन किसी के सामने उसकी बात होने लगे तो मारे शर्म के ठहर नहीं पाती। शब्द हमारे अस्तित्व का अंग हैं। निःशब्द से शब्द की ओर बढ़ते हुए पहला शब्द जो कंठ से निकलता है, वह शायद '...म्म' है जो समय के साथ मां के रूप में विराट अस्तित्व धारण कर लेता है।

शब्द चाहते हैं पूरी तन्मयता और पूरा आकर्षण। आकार मात्र से महत्त्व नहीं है शब्दों का। कई बार आकार बदलने से भी अर्थ नहीं बदलता। कभी शशि कहे या शशांक, रहेगा चंद्रमा ही और कई बार आकार वही रहे तो भी अर्थ बदल जाता है। जैसे 'प्रकार' कहीं 'भेद' के अर्थ में आता है तो कहीं 'रीति' के अर्थ में। कहीं यह 'सदृश्यता' दर्शाता है, तो कहीं 'विशेषता' बताता है।

हर रोज प्रयोग किए जाने वाले बहुत से शब्द हम बस बोल देते हैं। हम शायद उनके अर्थ से वाकिफ नहीं होते या उसे गहराई के साथ अनुभूत नहीं करते और एक औपचारिकता मात्र निभाते चले जाते हैं। जैसे गांव हो या शहर, एक शब्द अत्यधिक प्रचलित है- 'सॉरी'। बड़े से लेकर बच्चे तक इस शब्द का प्रयोग बेधड़क और धड़ल्ले से करते हैं। पर कम ही लोग ऐसे हैं जो 'सॉरी' कहने के साथ अपनी गलती महसूस कर शर्मिंदा होने का भाव भी प्रदर्शित कर पाते हों। भाव प्रदर्शित करना तो दूर, अधिकतर मामलों में तो शर्मिंदगी महसूस भी नहीं की जाती। सवाल है कि फिर औपचारिकता के लिए सॉरी बोलने का क्या मतलब! शायद इसलिए कि एक मजबूरी का काम निपट जाए!

शब्द मन या बुद्धि से निकलते हैं! यानी दिल और दिमाग की जैसी अवस्था, वैसा ही शब्द का रूप! किसका है दोष? शायद हमारी सोच का! असल में बिखरे हुए मन से बिखरे हुए ही शब्द निकल पाते हैं। फिर जब मन सधेगा, तब वे शब्द सार्थक हो जाते हैं! हर कोई इन शब्दों के खेल से वाकिफ है। सरकारें और उनकी संस्थाएं, हमारे समाज के नेता और अभिनेता शब्दों का खेल जानते हैं। सारी व्यवस्था शब्दों के आधार पर ही तो चल रही है!

वक्त के साथ कितना कुछ बदल जाता है। कई बार आदतन कुछ शब्द पक कर जिद्दी हो जाते हैं या फिर आधुनिक रंग का जामा पहन लेते हैं। ऐसे में उन्हें बदलने के लिए आत्मबल और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है! अब आप ही देखिए कि समय के साथ-साथ पाठशाला की जगह स्कूल ने ले ली और गुरुकुल की जगह हॉस्टल या छात्रावास ने। किसी को बुलाने के लिए आवाज देने का विकल्प अब पिछड़ा माना जाने लगा और उसकी जगह 'बेल' बजने लगी और स्कूल की शिक्षिकाएं 'मैडम' से घट कर 'मैम' रह गईं। इस तरह न जाने कितने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले शब्दों की जगहें बदलीं और पुराने शब्दों के प्रयोग खत्म हो गए।

ये सारी बातें दर्शाती हैं कि हमारी मानसिकता में कितना बदलाव आ गया है। किस प्रकार हम अपने चारों ओर खिड़कियां खोल कर नई हवा के स्वागत के लिए खुद को तैयार किए बैठे हैं। नए बदलाव, नए दौर, विकास के नए मोर्चे पर कुछ नया करने के लिए नई राह बना रहे हैं। शायद यह शब्दों की ही कला है कि हम इनके सहारे किसी के दोस्त बन जाते हैं और किसी के दुश्मन। ऐसा भी अक्सर होता है कि कुछ शब्दों की वजह से माहौल बोझिल हो जाता है तो कभी खुशनुमा। क्यों हम अक्सर कहते हैं- 'कितना जिंदादिल इंसान है?' क्या हम ऐसे व्यक्ति का दिल देखते हैं? नहीं! हम अक्सर उस व्यक्ति के बोले गए शब्दों की रौ में बह जाते हैं। उसके साथ बातें करना हमें अच्छा लगता है जो रोते को हंसा दे, मुस्कुराते को खिलखिला दे। पत्थर में भी फूल खिला दे, यह शब्दों की ही कला है।

शब्द हमारी शक्ति है। हम उमड़ती भावनाओं के उफान में शब्दों को तोल नहीं पाते। बोल देते हैं जो मन में आता है। बना बनाया काम एक झटके में बिगड़ जाता है। बचपन की दोस्ती बदल जाती है दुश्मनी में। बुजुर्गों ने कहा है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर अप्रिय सत्य कभी न बोलो। जिसने इस रहस्य को पा लिया, समझिए संसार में कोई उसका बैरी नहीं हो सकता। एक शब्द से 'क्षय', एक शब्द से 'जय', कितनी शक्ति है शब्दों में!

खुलती गांठें

महागठबंधन राजनीतिक दृष्टि से अखिलेश यादव की एक बहुत बड़ी भूल थी। दो विपरीत विचारधाराओं की पार्टियां लंबे समय तक साथ नहीं रह सकतीं यह स्वयंसिद्ध है। यदि देखा जाए तो इस पूरे आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दो नेता रहे जिन्होंने अपने आधार पर ध्यान न देकर भद्द पिटवा ली लिहाजा, इसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। उनमें एक अखिलेश यादव और दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं। बाकी सबको अपने-अपने हिस्से का कुछ न कुछ जरूर मिला। किसी को एक, किसी को दो या किसी को शून्य मिला तो भी उसे पता था कि हम इतने भर के ही थे! लेकिन इन दोनों नेताओं ने तो अपनी करनी से अपने हिस्से का भी गंवा दिया।

मृतप्राय हो चुकी बहुजन समाज पार्टी को कंधा देकर जीवित करने वाली अखिलेश यादव की पार्टी अब स्वयं मरणासन्न अवस्था में आ गई है। बसपा के वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हुए इसमें कोई दो राय नहीं हैं नहीं तो सीटों की संख्या में इजाफा देखने को अवश्य मिलता। इसके उलट यह आरोप भी अखिलेश के सिर मढ़ दिया गया कि सपा के वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं हो पाए। शून्य सीटों वाली बसपा दहाई अंकों में पहुंचने के बाद यह कह रही है कि वोट नहीं मिला! अखिलेश यादव ने महागठबंधन को बचाने और कुशलता से उसे चलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इन चुनावों में कई अवसरों पर उन्होंने समझौता किया चाहे वह पार्टी को मिली सीटों की संख्या हो या सामाजिक संदेश देने के लिए मायावती का सम्मान हो। लेकिन फिर भी मायावती की नजरों में चूक अखिलेश की तरफ से ही रही। यह तो तय था कि महागठबंधन से कोई खुश नहीं था लेकिन फिर भी विचारधारा को तिलांजलि देकर दोनों पार्टियां साथ आईं जरूर लेकिन ज्यादा दिन तक साथ रह नहीं पाईं।

बिहार में पहले से ही एक स्थापित उदाहरण होने के बावजूद पार्टियों ने उससे कुछ नहीं सीखा सो अब भुगत रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा को यह कहने का मौका भी मिल गया कि महागठबंधन दरअसल ठगबंधन है। इसका फायदा कम बल्कि नुकसान ज्यादा हुआ। आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। उपचुनाव से पहले ही दोनों पार्टियों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। पिछले चुनाव में पारिवारिक कलह और अबकी यह गठबंधन अखिलेश यादव के लिए दोनों ही अच्छे नहीं रहे। सपा, बसपा, रालोद, राजद या उनके जैसी अन्य पार्टियों को चुनाव के लिए चले आ रहे अपने पुराने तरीके बदलने की आवश्यकता है।

● *सचित्र मिश्र, अकबरपुर, अंबेडकर नगर*

नए सिरे से

राजग सरकार इस बार अधिक मजबूती से सत्ता में आई है और उसने अनुच्छेद 370 खत्म करने का वादा किया है। इस अनुच्छेद को खत्म करने अथवा उसकी खामियां दूर करने के उपायों पर काम करते हुए सरकार को यह भी देखना होगा कि कश्मीर के वर्चस्व को कैसे खत्म किया जाए? जम्मू-कश्मीर की समस्या को केवल घाटी की समस्या के तौर पर देखे जाने के अपने दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसलिए जम्मू और लद्दाख की अनदेखी ही होती है। एक समस्या यह भी है कि कश्मीर की हर छोटी-बड़ी घटना को सदैव गंभीर चुनौती के तौर पर देखा जाता है। इसके चलते वहां अलगाववाद ने एक धंधे का रूप ले लिया है। जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन की तैयारियों के पीछे का सच जो भी हो, उपद्रवग्रस्त घाटी को पटरी पर लाने के लिए हरसंभव कदम उठाने का समय आ गया है।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

कब्जे का हक!

मुल्क बड़ा हो या छोटा विदेशों की सड़कें जाने हमें क्यों लुभातीं हैं! हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है मगर क्या हम तरक्की के राजमार्गों के लिए वाकई तैयार हैं? दुनिया के मुकाबले पिछड़ने की वजह हमारी सोच और शिक्षा तो नहीं! जिस मुल्क में आजादी के सत्तर साल बाद भी शौचालय के इस्तेमाल पर ज्ञान की घुट्टी पिलाई जाए, राजमार्गों की कीमत समझने में वर्षों लग जाएं, उसमें ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

आज भी कई मुख्य मार्गों पर लोग चौपाल से लेकर खलिहान तक बनाए बैठे हैं। रास्ते किनारे आने वाले गैराज, टायरों में हवा भरने वाली मशीनें, खोमचे-ठेलों ने पैदल-पथ को फर्ज से बेखबर कारोबारी इस्तेमाल में ले रखा है। बाकी कसर छोटी गाड़ियों की जगह-जगह पार्किंग पूरी कर देती है। कब्जों का हक में तब्दील होना सियासत की पहली सीढ़ी बन जाता है। लिहाजा, वक्त रहते सड़कों को सिमटने से न रोका गया तो सुधार की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। देश बदल रहा है तो क्या हम नहीं बदल सकते?

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बैंकों से धोखाधड़ी

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे देश में बैंकों से धोखाधड़ी पर लगाम नहीं लग पा रही है। आरबीआई ने सूचनाधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 71542.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 6801 मामलों की सूचना दी है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि धोखाधड़ी वाली राशि में 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 11 वित्तीय वर्षों में 2.05 लाख करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के कुल 53334 मामले दर्ज किए गए। तमाम सतर्कता और कड़े बैंकिंग नियम-कानूनों के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले सामने आना समूची बैंकिंग प्रणाली पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है।

गौरतलब है कि धोखाधड़ी के बारे में प्राप्त जानकारी को लेकर बैंकों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराना आवश्यक होता है लेकिन कार्रवाई के बारे में किसी तरह की सूचना उपलब्ध नहीं है। बैंक धोखाधड़ी के कई बड़े मामलों में भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़े मामले भी शामिल हैं। आरबीआई ने फर्जीवाड़े का विश्लेषण कर सबसे ज्यादा प्रभावित तेरह क्षेत्रों की पहचान की है। सीबीआई ने कई बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ फर्जीवाड़े में शामिल होने का मामला दर्ज किया है लेकिन इन मामलों में क्या कार्रवाई हो रही है इस बाबत किसी तरह की सूचना नहीं मिल पाई है। आखिर बैंकों के साथ फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर सख्त कदम कब उठाए जाएंगे?

● *अमन सिंह, प्रेमनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश*

नई फिल्म

- सिन
- झलकी

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
भारत	41.5 करोड़
गॉडजिला 2	17.25 करोड़
दे दे प्यार दे	88.25 करोड़
मोदी	20 करोड़

6 जून तक की कमाई

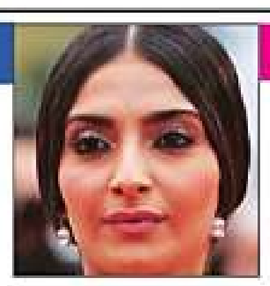

जन्मदिन

एकता कपूर	7 जून
डिम्पल कपाड़िया	8 जून
सोनम कपूर	9 जून
अमीषा पटेल	9 जून

नृत्य कोई भी हो, कसौटी तो शास्त्रीय ही होती है : माधुरी

आरती सक्सेना

आमने सामने

कलर्स चैनल पर एक बार फिर डांस रिएल्टी शो का सबसे लोकप्रिय नृत्य शो 'डांस दीवाने'2 आ रहा है। यह 15 जून से शनिवार-रविवार रात 9 बजे से प्रसारित होगा। इस शो की खासियत यह है कि इस बार भी धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित नेने अपने दो साथी जजों तुषार कालिया और फिल्म निर्देशक शशांक के साथ जज बनेंगी। माधुरी इस शो को लेकर कितनी उत्साहित हैं? डांस दीवाने के मंच पर इस बार क्या नया होने वाला है? साथ ही माधुरी अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी को लेकर क्या कहती हैं? जानते हैं माधुरी की जुबानी...

सवाल : डांस दीवाने2 के बारे में क्या कहेंगी?

● मैं इस शो को लेकर हमेशा रोमांचित रहती हूं। मुझे इस शो में जज बनने में काफी आनंद महसूस होता है। इस बार जजों की तिकड़ी धमाल मचाने के लिए तैयार है। 15 जून से शुरू होने वाले शो में प्रतियोगी बहुत तगड़े हैं और प्रतिस्पर्धा का उच्चतम स्तर देखने को मिलेगा।

सवाल : कुछ बदलाव या नया देखने को मिलेगा?

● शो के फारमेट मे खास बदलाव नहीं होगा। इस बार के प्रतियोगी पहले से ज्यादा धमाल वाले और प्रतिभासंपन्न हैं। एक छोटा लड़का है नागराज। वह कमाल का नर्तक है। दर्शकों को हिप हॉप, टेलीवुड स्टाइल डांस भी देखने को मिलेगा।

सवाल : डांस दीवाने2 में तीन पीढ़ियां हैं। किस पीढ़ी को मंच पर लाने मे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है?

● पिछली बार हमें तीसरी पीढ़ी को चुनने में दिक्कत आई थी। इसकी वजह थी कम प्रतिस्पर्धियों का आना। इस बार तीसरी पीढ़ी में ढेरों प्रतियोगी हिस्सा लेने के लिए आए और सब एक से बढ़कर एक हैं। इसलिए इस बार दफा कोई परेशानी पेश नहीं आई।

सवाल : आज का नृत्य पहले के मुकाबले काफी अलग हैं। पहले लोग चेहरे के हाव-भाव पर निर्भर होते थे और आज शरीर के मूवमेंट पर। इस फर्क पर आपकी राय?

● आजकल यूटयूब और सोशल मीडिया की बदौलत कई देशों की नृत्य पद्धतियां देखने को मिल रही हैं। आज की पीढ़ी इसे शीघ्रता से अपना रही है। आजकल इसी का असर है। फिर भी कोई नृत्य हो, उसका आधार क्लासिकल ही होता है। अगर आप कथक जानते हैं तो आप चेहरे के हाव भाव सही ढंग से दे पाएंगे। लिहाजा हम क्लासिकल डांस को ही प्राथमिकता देते हैं भले ही कोई भी पद्धति क्यों न हो।

सवाल : आप अभिनय से ज्यादा प्यार है या नृत्य से?

● यह तो ऐसा ही पूछना हुआ... कि मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यार है या सांसों से। मेरे लिए दोनों ही खास हैं। इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है जैसे के मै हमेशा कहती हूं कि नृत्य अगर मेरा पैशन है तो अभिनय मेरा पहला प्यार है।

सवाल : आपके पति और बच्चों की निगाह में नृत्य के क्या मायने हैं? क्या दोनों को नृत्य या अभिनय में दिलचस्पी है?

● पतिदेव को नृत्य में अच्छी खासी दिलचस्पी है। वे बहुत अच्छा नृत्य करते हैं लेकिन सबके सामने प्रदर्शन करने से थोड़ा शर्माते हैं। मेरा बड़ा बेटा दसवीं में है और छोटा आठवीं मं। बड़े बेटे को नृत्य और अभिनय मे थोड़ी दिलचस्पी है। छोटे बेटे को पापा की तरह विज्ञान और इंजीनियरिंग में ज्यादा दिलचस्पी है। वैसे दोनों ही बेटे संगीत में खूब दिलचस्पी रखते हैं। एक बेटा प्यानो बजाना सीख रहा है तो दूसरा बेटा तबला।

सवाल : पिछले दिनों आप फिल्मों में भी सक्रिय रही हैं। आपकी दो फिल्में कलंक और टोटल धमाल रिलीज हुईं। क्या आगे कोई फिल्म आने वाली है?

● फिलहाल तो मेरा ध्यान डांस दीवाने शो में निर्णायक की भूमिका की तरफ है। पिछले दिनों मैंने दो फिल्मो में काम कर लिया है। आगे अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो मैं जरूर उस फिल्म में काम करना चाहूंगी।

आगे अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो मैं जरूर उस फिल्म में काम करना चाहूंगी।

सवाल : आप पर जल्द ही बायोपिक बनने जा रही हैं?

● नहीं... यह अफवाह है। मैं किसी बायोपिक में काम नही कर रही हूं। बायोपिक में फिलहाल दिलचस्पी नहीं है।

खबर कोना

मैं भविष्य में राजनीति में प्रवेश करना चाहूंगी : प्रियंका चोपड़ा

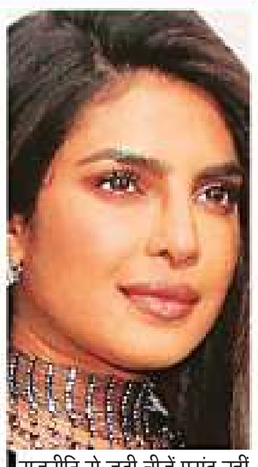

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। कई सुपरहिट फिल्मों दे चुंकी प्रियंका लंबे समय से स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला अधिकारों जैसे सामाजिक मुद्दों का सक्रियता से प्रचार करती रही हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि वे भविष्य में राजनीति में प्रवेश करना चाहेंगी। उनकी अपने गायक पति निक जोनास के लिए राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं हैं और वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगी। चोपड़ा ने द संडे टाइम्स से कहा, 'मैं भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि निक राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें। मैं राजनीति से जुड़ी चीजें पसंद नहीं करती लेकिन मैं जानती हूं कि हम दोनों वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं। कभी ना मत कहो।' अभिनेत्री-प्रोड्यूसर ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक झुकाव व्यक्त करने से बचने की कोशिश की है क्योंकि उन्हें मानवीय कार्यो को करना अच्छा लगता है। चोपड़ा ने कहा कि जोनास अच्छे नेता साबित होंगे। उन्होंने कहा, ''वे नारीवादी शब्द का इस्तेमाल करने से डरते नहीं हैं और मुझे यह पसंद है।' दंपति ने गत दिसंबर में शादी की थी।

फर्स्ट लुक पोस्टर की आलोचना पर अचरज : तापसी

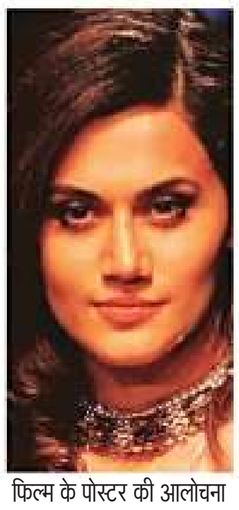

फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू का कहना है कि उन्हें 'सांड की आंख' के पहले लुक पोस्टर की आलोचना पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें और उनकी सह कलाकार भूमि पेडनेकर को उन किरदारों में ढलने के लिए काफी समय लगा, जिसमें उन्हें अपनी उम्र से दोगुनी उम्र की महिला की भूमिका में दिखना था। फिल्म में दुनिया के सबसे उम्रदराज शार्पशूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर की कहानी को दिखाया गया है और इसमें मुख्य भूमिका में तापसी और भूमि हैं। दो युवा अभिनेत्रियों को 60 वर्षीय महिला के किरदार को निभाने और शॉर्पशूटरों की उम्र के करीब नहीं दिखने को लेकर फिल्म के पोस्टर की आलोचना हो रही है। इस मामले में तापसी ने कहा, 'मैं बहुत हैरान हूं और हंसी आ रही है कि, किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया जब मैंने 30 साल की उम्र में एक कॉलेज की लड़की का किरदार निभाया था। कोई भी सवाल नहीं करता है जब ज्यादा उम्र वाले अभिनेता कॉलेज छात्रों का किरदार निभाते हैं।

नेटफ्लिक्स की फिल्म 'सीरियस मैन' में नजर आएंगे नवाजुद्दीन

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म 'सीरियस मैन' में नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी मनु जोसफ की इसी नाम से लिखी गई किताब पर आधारित है। सिद्दीकी दूसरी बार नेटफ्लिक्स पर दिखेंगे। इससे पहले वह वेब सीरिज 'सैक्रेड गेम्स' में नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा करेंगे। इसे बॉम्बे फेबल्स और सिनेरास एंटरनेटमेंट की प्रस्तुति है। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि झोपड़पट्टी में रहनेवाला एक व्यक्ति दुनिया को अपने 10 वर्षीय बेटे को जीनियस बता कर ठगता है। बाद में उसे समझ में आता है कि इस खेल का पीड़ित उसका बेटा ही है। सिद्दीकी ने कहा, 'मैं नेटफ्लिक्स के 'सीरियस मैन' का हिस्सा होकर और सुधीर मिश्रा जैसे व्यक्ति के साथ काम करके भी खुश हूं। नेटफ्लिक्स पर मैं 'सैक्रेड गेम्स' के बाद दूसरी बार नजर आऊंगा।

रोहित ने किया 'सूर्यवंशी' पर बारीकी से काम : कैटरीना कैफ

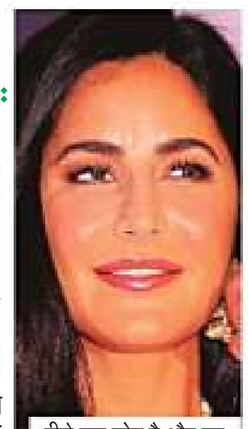

फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ का कहना है कि उनकी आगामी फिल्म 'सूर्यवंशी' के निर्देशक रोहित शेट्टी ने फिल्म की कहानी पर बारीकी से काम किया है। कैटरीना को रोहित की पुलिस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म में अक्षय कुमार के साथ प्रमुख महिला किरदार के रूप में रखा गया है। कैटरीना ने कहा, 'अक्षय के साथ काम करना बहुत अच्छी बात है। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूं। रोहित इसको लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि इस फिल्म से उन्हें क्या चाहिए। इस फिल्म के पीछे एक सोच है और यह सावधानीपूर्वक और सोच समझकर किया गया है।' 'सूर्यवंशी' में, रोहित ने अपने दो अन्य लोकप्रिय पुलिस चरित्रों - 'सिंघम' (अजय देवगन) और 'सिम्बा' (रणवीर सिंह) की विशेष उपस्थिति की योजना बनाई है।

सेल्फी हो जाए

दो सितारों का मिलन

अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम (बाएं) और हिंदी फिल्म अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा गुरुवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में।

युवाओं को पारंगत करने के लिए कलाकारों का समागम

शशिप्रभा तिवारी

इन दिनों स्पिक मैके का अंतरराष्ट्रीय समागम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा है। इस समागम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एम जगदीश कुमार, स्पिक मैके संस्थापक डॉ किरण सेठ, समागम की अध्यक्ष ऊषा रविचंदर ने किया। इस अवसर पर हुए समारोह में सत्रीय नृत्य गुरु घनाकांत बोरा मुक्तियार ने पेश किया। साथ ही, विदुषी ए कन्याकुमारी ने वायलिन वादन पेश किया।

नृत्योत्सव

समय की पाबंदी के कारण गुरु घनाकांत बोरा ने अपनी प्रस्तुति का आरंभ शंकर देव रचित कीर्तन घोष की एक रचना से किया। इसमें विष्णु के दस अवतारों का वर्णन था। गुरु घनाकांत ने हस्तकों, अभिनय और भंगिमाओं के जरिए कृष्ण के वासुदेव, देवकीनंदन, गोपाल, कुमार, गोविंद रूपों को दर्शाया। प्रस्तुति काफी सुगठित और मनोरम थी।

सत्रीय नृत्य के बारे में गुरु धनाकांत बोरा ने बताया कि सत्र में प्रशिक्षण के दौरान गुरु कड़े अनुशासन में शिष्यों को रखते हैं। वहां सुबह चार बजे से ही प्रार्थना, खोल वादन और नृत्य सिखाना शुरू हो जाता है। सत्रीय नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं है, यह संपूर्ण जीवन शैली है और इसमें चौसठ कलाओं के अंश समाहित हैं। यह धर्म और भक्ति का मार्ग है। नृत्य में धर्म के मार्ग पर चल कर हम भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपने इष्ट के प्रति जब हम पूर्ण समर्पित होते हैं तभी हमारे नृत्य में भावना यानी पवित्रता एवं चमक पैदा होती है।

गुरु घनाकांत बोरा के इन्हीं भावों को शिष्या अन्वेषा मोहंता ने भी पेश किया। अन्वेषा ने सत्रीय के नाट्य व अभिनय पक्ष को अपनी प्रस्तुति में उभारा। उन्होंने मथुरा विजय नृत्य रचना पेश की। यह राग गौरी और कई तालों में निबद्ध थी। इसमें नृत्यांगना अन्वेषा ने कृष्ण के जीवन से जुड़े कई प्रसंग-कुब्जा, असुर मल के साथ युद्ध, गोवर्धन लीला व कंस वध को चित्रित किया।

स्पिक मैके के संस्थापक डॉ किरण सेठ ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य आज के युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक, परंपरा और उसके मूल से परिचित कराना है। ताकि, युवा अपनी संस्कृति के गरिमापूर्ण सौंदर्य और समृद्ध कलाओं की वैभवशाली महिमा को सिर्फ जाने ही नहीं, बल्कि उसे आत्मसात भी करे। यह सच है कि आज के युवा कलाकारों में वह चिंतन-मनन और साधना नहीं है, जो शास्त्रीय संगीत के लिए जरूरी है। पुरानी पीढ़ी के लोगों में यह गुण था।

सातवां समागम आठ जून तक चलेगा। इस दौरान कई नृत्य गुरु जैसे-सरोजा वैद्यनाथन, जयराम व वनश्री राव, घनाकांत बोरा, भारती शिवाजी, रागिनी चंद्रशेखर, कविता द्विवेदी, रानी खानम, गीतांजलि लाल व मुन्ना शुक्ल ने शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न शैलियों के तकनीकी पक्ष से छात्र-छात्राओं को परिचित करा रहे हैं। देश भर के विभिन्न स्कूल-कॉलेज के करीब 1500 विद्यार्थी इस सांस्कृतिक पहल के साक्षी बन रहे हैं।

जीवन (24 अक्तूबर 1915 -10 जून 1987)

मुंबई ने फैलाई कश्मीर के केसर की सुगंध

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

मुकेश हीरो बनने आए, गायक बन गए। राज खोसला गायक बनने आए, निर्देशक बन गए। जावेद अख्तर निर्देशक बनने आए, लेखक बन गए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप खुद को किस हुनर में तुर्रम खां समझते हैं। वह तो अपनी जरूरत के मुताबिक आपके अंदर की छुपी प्रतिभा को बाहर निकाल लेती है। जैसे 1935 में फोटोग्राफी का हुनर सीखने आए एक युवा कश्मीरी पंडित से मुंबइया फिल्म जगत ने खूब 'नारायण नारायण' कहलवाया और इतना खूंखार खलनायक बना दिया कि नामीगिरामी सुपर स्टारों को आंखें दिखा सके।

बात 1933-34 की होगी। श्रीनगर के युवा कश्मीरी पंडित ओंकार ने तय किया कि वे मुंबई जाकर फोटोग्राफी सीखेंगे और फिर ठाठ से श्रीनगर में फोटो स्टूडियो खोलेंगे। मुंबई में उनके बड़े भाई थे। हालांकि भाई तो ओंकार के खूब सारे थे। 22 भाई एक बहन। तो गरमियों की छुट्टियों में ओंकार मुंबई पहुंचे। बड़े भाई, जो मशहूर लेखक गीतकार डीएन मधोक के असिस्टेंट थे, ने मधोक से कहा कि छोटा भाई फोटोग्राफी सीखना चाहता है। मदद करें। मधोक ने तो मदद नहीं की मगर ओंकार को मोहन स्टूडियो में काम मिल गया। वहां रिफ्लेक्टर पर चमकीला कागज लगाने वाले की जरूरत थी। शूटिंग के दौरान लाइटमैन इस रिफ्लेक्टर पर रोशनी डालता था, जो परावर्तित होकर कैमरे के सामने खड़े कलाकारों के चेहरे पर डाली जाती थी। ओंकार रिफ्लेक्टर बॉय बनकर कलाकारों के चेहरे रोशन करने लगे।

एक दिन ओंकार अपने रिफ्लेक्टर बॉय मित्र द्वारका द्विवेचा (जो बाद में 'शोले' के कैमरामैन बने) के साथ रिफ्लेक्टर पर कागज लगाकर उसके धूप में सूखने रख कर इंतजार कर रहे थे कि मोहन स्टूडियो के मालिक मोहन सिन्हा ने उन्हें देखा। वे नई फिल्म 'फैशनेबुल इंडिया' के कलाकारों का चुनाव कर रहे थे। जो लोग आए थे, मोहन सिन्हा को उनमें से कोई फिट नहीं लगा था। सिन्हा ने ओंकार से कहा, 'कैमरे के सामने तुम भी कुछ बोल कर दिखाओ।' ओंकार ने नाटकों के संवाद बोले फिर नौटंकियों के चौबोले सुनाने शुरू किए। सुनने वाले अवाक थे और ओंकार की आवाज के उतार-चढ़ाव में डूबे थे। ओंकार ने बोलना बंद किया तो सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों की तंद्रा टूटी और वे वाह वाह करने लगे। मोहन सिन्हा ने आखिर ओंकार को इस फिल्म के लिए चुन लिया। इस तरह फोटोग्राफी सीखने आए ओंकार फोटोग्राफी भूल एक्टिंग करने लगे। कुछ फिल्मों में हीरो भी बने। मगर बात नहीं बनी।

1947 में ओंकार ने 'भक्त ध्रुव' नामक फिल्म में नारद की भूमिका निभाई। फिल्म में उनकी भूमिका और 'नारायण नारायण' का उद्घोष ऐसे छाया कि फिल्म जगत ने ओंकार को नारद की भूमिका में कैद कर दिया और उन्हें दर्जनों फिल्मों में नारद की भूमिका निभानी पड़ी। मगर हुनर सीखने निकले ओंकार 12 साल में इतने हुनरमंद बन गए थे कि दो अलग अंदाजों को साथ-साथ निभा सकें। एक ओर पौराणिक फिल्मों में ओंकार नारद बन रहे थे, दूसरी ओर 1948 की 'मेला' में खलनायक महकू की भूमिका से उन्होंने धूम मचा दी। फिल्म के गाने 'धरती को आकाश पुकारे...' और 'गाए जा गीत मिलने के...' खूब चले। फिल्म के साथ ओंकार भी चल निकले और फिर तो उन्होंने देव आनंद, दिलीप कुमार, राज कपूर से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपर स्टारों को बरखुरदार कहते हुए आंखें दिखाईं। कश्मीरी ओंकार केसर की तरह पचास साल तक मुंबइया सिनेमा में महके। अपने अंदाज से उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया। इन्हीं ओंकार को हिंदी सिनेमाप्रेमी जीवन के नाम से जानते हैं। बाद में जीवन के बेटे किरण कुमार ने भी हिंदी-गुजराती फिल्मों में काम किया। सिनेमाप्रेमियों ने सिर आंखों पर बिठाया और वे गुजराती फिल्मों के सुपर स्टार बने।

तेलंगाना : कांग्रेस ने लगाया विधायकों को खरीदने का आरोप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

● पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जनादेश की खरीद-फरोख्त को जनता माफ नहीं करेगी

तेलंगाना में पार्टी के एक दर्जन विधायकों के सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) में शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल ने विधायकों को सत्ता और पैसे के दम पर खरीदा है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि जनादेश की इस खरीद-फरोख्त को समूचा देश देख रहा है, जनता देख रही है और वक्त आने पर वह इसका माकूल जवाब देगी। पार्टी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में की कांग्रेस इकाइयों में सामने आ रही अनुशासनहीनता को लेकर भी सफाई दी और कहा कि पार्टी का अपना एक लोकतांत्रिक ढांचा है और इसके तहत संबंधित पदाधिकारी जरूरी कदम उठा रहे हैं।

कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आपके पास सत्ता आ जाए, पैसा आ जाए, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मनमर्जी चलाने लग जाएं। लोकतंत्र में ऐसी बातों की कोई जगह नहीं है। तेलंगाना में एक दर्जन पार्टी विधायकों के टीआरएस में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि इन विधायकों की खरीद-फरोख्त हुई है जो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि ये विधायक कांग्रेस के टिकट पर टीआरएस के खिलाफ चुनाव जीत कर आए। उधर, इसी मुद्दे पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) को आड़े हाथ लिया और उन पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया।

राजस्थान में एक कांग्रेस विधायक द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद किए जाने को लेकर पूछने पर खेड़ा ने कहा कि वहां के प्रभारी महासचिव ने इस संबंध में जरूरी कदम उठाए हैं और संबंधित विधायक से उनके बयान को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसी प्रकार पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार के चर्चित मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार किए जाने को लेकर कहा कि सूबे की महासचिव इस मामले को देख रही हैं और जो संबंध में जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, वे उठाएंगी।

खेड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। सवा सौ साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है। इसने धूप-छांव सब देखे हैं। सत्ता देखी है तो विपक्ष में भी रही है। जाहिर तौर पर उसको मालूम है कि कब और कैसा कदम उठाना है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से पार्टी की आंतरिक कलह सामने आ रही है। महाराष्ट्र से तेलंगाना तक पार्टी विधायक, दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। कई स्थानों पर स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ भी आवाज बुलंद की जा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक-गहलोत व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तलवारें खिंची हैं तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ व ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच छत्तीस का आंकड़ा है। इसी प्रकार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर व नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी का आलम है।

प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी से मुलाकात की

कोलकाता, 6 जून (भाषा)।

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे निकट भविष्य में उनके साथ काम कर सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ तृणमूल सांसद और बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ किशोर ने दो घंटे तक चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि बनर्जी की इच्छा हो, तो किशोर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

बनर्जी और किशोर के बीच बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से तृणमूल सुप्रीमो को कड़ी चुनौती मिल रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की थी, जो राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से सिर्फ चार कम है। शानदार प्रदर्शन से उत्साहित, भगवा पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनका अगला लक्ष्य 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। गुरुवार की बैठक से संकेत मिलता है कि बनर्जी बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चुनावी रणनीतिकार की सेवा ले सकती हैं।

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सैनी बोले, अकबर चरित्रहीन था

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 6 जून।

राजस्थान में गुरुवार को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर एक बार फिर अकबर और प्रताप को लेकर विवाद उठ गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा कि मुगल शासक अकबर कभी महान नहीं हो सकता है। अकबर चरित्रहीन था और उसने मीना बाजार लगाया था जहां सारे काम महिलाएं करती थीं। अकबर भेष बदल कर मीना बाजार में जाता था। महाराणा प्रताप महान थे और इसलिए अकबर और प्रताप की तुलना हो ही नहीं सकती है।

प्रदेश में महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा दफ्तर में भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में ही प्रदेश अध्यक्ष सैनी ने अकबर और महाराणा प्रताप को लेकर अपने विचार रखें। इस दौरान उन्होंने अकबर के कामकाज की तीखी आलोचना करते हुए उसे महान मानने से साफ इनकार कर दिया। सैनी ने कहा कि महान वो होता है जो धर्म, संस्कृति और सम्मान के लिए संघर्ष करता है। उन्होंने कहा कि हम जब महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने किसी की जमीन हथियाने के लिए कोई काम नहीं किया। प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया था और जो देश को गुलाम बनाने आए थे। इसलिए महाराणा प्रताप महान हैं।

सैनी ने तीखे शब्दों में कहा कि अकबर तो कभी महान हो ही नहीं सकता। अकबर एक आक्रांता था। उसने हिंदुओं पर काफी अत्याचार किए। महाराणा प्रताप के सामने अकबर को महान बनाना इतिहास से खिलवाड़ और मजाक है। यह युवा पीढ़ी को कभी भी प्रेरणा नहीं दे सकता है। महाराणा प्रताप ने सभी सुख सुविधाएं त्याग कर जंगल-जंगल भटक कर सेना इकट्ठी कर अकबर से संघर्ष किया। अकबर अपने पूरे जीवनकाल में प्रताप को कभी हरा नहीं सका। इतिहास में महाराणा प्रताप जैसा उदाहरण कोई नहीं मिलता है। राज्यपाल कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर सीपी जोशी समेत तमाम नेताओं ने इस मौके पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कहीं। प्रदेश में प्रताप जयंती पर राज्य सरकार की तरफ से अवकाश भी रखा गया।

एसएससी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में एक, और गाजियाबाद में तीन जगह हाल में हुई छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रश्नपत्र लीक मामले के कथित मुख्य षड्यंत्रकारी अक्षय कुमार मलिक को दो अन्य आरोपियों संदीप माथुर और धर्मेंद्र के साथ हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि सीबीआइ ने प्रश्नपत्र लीक के संबंध में 'सिफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड' के दस कर्मचारियों सहित 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि 21 फरवरी 2018 को आयोजित हुई सीजीएल परीक्षा 2017 के दूसरे चरण का प्रश्नपत्र और इसकी उत्तर कुंजी कथित रूप से लीक हो गई थी और परीक्षा शुरू होने से पहले इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों को इस तरह से तैयार किया गया था कि परीक्षार्थियों को एक खास तरीके से प्रश्न मिलें।

शिवसेना ने लोकसभा में उप सभापति का पद मांगा

मुंबई, 6 जून (भाषा)।

भाजपा की अगुवाई वाले राजग में शामिल शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि उसने लोकसभा में उप सभापति का पद मांगा है।

पार्टी के नेता तथा राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने बताया कि यह मांग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तक पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा, 'पार्टी ने उप सभापति का पद मांगा है और हमने अपनी मांग भाजपा तक पहुंचा दी है।' राउत ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और सारे सांसद संसद के अगले सत्र के शुरू होने से पहले अगले सप्ताह अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराना है।

गौरतलब है कि ठाकरे नवंबर 2018 में अयोध्या गए थे और इसका स्पष्ट उद्देश्य राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्र की मोदी नीत सरकार पर दबाव बनाना था। शिव सेना और भाजपा के संबंध लोकसभा चुनाव से पहले तक काफी तनावपूर्ण थे। काफी मान मनौव्वल के बाद दोनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था।

दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा : जयशंकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यहां कहा कि भारत के अधिकतर लोग मानते हैं कि पिछले पांच साल में दुनिया भर में देश का कद बढ़ा है और राजग सरकार को लगातार दूसरी बार मिली जीत में इसकी भूमिका अहम रही। जयशंकर ने यहां एक संगोष्ठी में कहा, 'विश्व में नया संतुलन' बन रहा है और चीन और भारत का उभार इसका 'ज्वलंत उदाहरण' है।

जयशंकर ने कहा, 'भारत में ज्यादातर लोगों ने यह स्वीकारा है कि पिछले पांच साल में दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा है।' उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत में परिवर्तन की संभावना को जीवित रखा है और संभवतः इसे मजबूत ही किया है। वर्ष 2015-2018 तक विदेश सचिव के तौर पर सेवाएं दे चुके जयशंकर ने कहा कि सरकार भीतर की तुलना में बाहर से अलग दिखती है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। विदेश मंत्री बनने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन पर विश्वास मत थे और विदेश नीति इसमें एकीकृत थी। जयशंकर 'द ग्रोथ नेट समिट 7.0' को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और अनंत सेंटर ने किया था।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बाहरी अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ा है और भारतीय विदेश नीति के लिए जरूरी है कि वह विदेशी बाजारों तक भारतीय कंपनियों की बेहतर पहुंच हासिल करने में उनकी मदद करे। उन्होंने कहा कि वह विदेशों में भारतीयों की मदद करने के लिए अपनी पूर्ववर्ती सुषमा स्वराज के सोशल मीडिया अभियान को जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि परेशानी में फंसे भारतीयों पर 'अत्यधिक जोर' दिया जाएगा और अब वे सरकार के उन तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। इसने विदेश मंत्रालय की छवि बदल दी है। विदेश मंत्री ने सरकारी विभागों के बीच अधिक एकीकरण की भी अपील की ताकि भारतीय कंपनियां, खास तौर पर विदेशी बाजारों में जिन आर्थिक मुद्दों का सामना करती है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।

भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध का विशेष उल्लेख करते हुए जयशंकर ने कहा कि प्राथमिकता दक्षेस की बजाए क्षेत्रीय समूह बिम्सटेक पर ध्यान देने की होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और वैश्वीकरण दबाव में है, खास कर बाजार तक पहुंच और श्रम की गति के संदर्भ में। दूसरा है, राष्ट्रवाद का उभार जिसकी पुष्टि देश में चुनाव के दौरान हुई। तीसरी बात यह है कि वैश्विक पुनःसंतुलन हो रहा है, खास तौर पर चीन के उभार के बाद। जयशंकर ने कहा कि हम क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में नजदीकी ला सकते हैं। अगर हम आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं तो भारतीय विदेश नीति पर इसके बाहरी पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।

खाते से ऑनलाइन पैसा भेजने पर अब शुल्क नहीं

पेज 1 का बाकी

क्षेत्र को लेकर निवेशकों की चिंताएं जारी रहने के बीच गुरुवार को सूचकांक 554 अंक टूटकर बंद हुआ। बैंक, ऊर्जा और पूंजीगत सामान से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव से यह गिरावट आई। एनएसई निफ्टी भी 177.90 अंक टूटकर 11,843.75 अंक पर बंद हुआ।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) नेफ्ट के जरिए धन अंतरण के लिए ग्राहक से एक रुपए से लेकर पांच रुपए तक का शुल्क लेता है। वहीं आरटीजीएस के मामले में यह शुल्क पांच रुपए से 50 रुपए के बीच है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर अपने बयान में आरबीआइ ने कहा कि वह आरटीजीएस और नेफ्ट प्रणाली के जरिए लेन-देन को लेकर बैंकों पर न्यूनतम शुल्क लगाता है और बैंक भी इसके बदले अपने ग्राहकों पर शुल्क लगाते हैं।

बयान के अनुसार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के मकसद से आरबीआइ ने आरटीजीएस और नेफ्ट प्रणालियों के जरिए होने वाले लेन-देन पर शुल्क नहीं लगाने का निर्णय किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा, 'बैंकों को भी इसका लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा। इस बारे में बैंकों को एक सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश जारी किया जाएगा।' इस बीच, आरबीआइ ने एटीएम के उपयोग पर लगाए गए शुल्क की समीक्षा को लेकर समिति गठित करने का निर्णय किया। इसका कारण एटीएम उपयोग करने वालों की संख्या महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है।

आरबीआइ ने कहा, 'हालांकि एटीएम शुल्क और दरों में बदलाव की निरंतर मांग की जा रही है।' इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में इसमें सभी संबद्ध पक्ष होंगे। समिति एटीएम शुल्क और दरों की सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि समिति द्वारा अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर सिफारिशें देने की उम्मीद है।

सेल्फी लेने आए कार्यकर्ता का हाथ झटका खट्टर ने

पेज 1 का बाकी

अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा करके मंच पर चढ़ने वालों को भी रुकवा दिया। इस बीच, काफी शोरगुल के बीच मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो शुरू हुआ लेकिन समारोह स्थल की अव्यवस्थाओं को देखकर वे फिर बिफर गए और उन्होंने मंच पर मौजूद हरियाणा के एक कैबिनेट मंत्री और अपने एक ओएसडी को भी लताड़ लगाई। कार्यक्रम के बाद भी सीएम के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मंच से उतरते समय भी कुछ कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर खट्टर से मुलाकात करनी चाही लेकिन उनके इशारे पर सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को एक तरफ ही रोक दिया।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बदला सिद्धू का विभाग

पेज 1 का बाकी

विभाग को बदलने समेत अन्य पांच मंत्रियों के भी विभाग बदलने की मंजूरी प्रदान करें। इनमें शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, स्थानीय निकाय, पशु पालन और स्वास्थ्य महकमे शामिल हैं।

कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए नवजोत

पेज 1 का बाकी

बात हो या ज्योफ बॉयकाट के साथ विश्वस्तरीय कमेंट्री की बात, टीवी कार्यक्रम की बात हो या 1300 प्रेरक वार्ताओं का मामला हो।' उन्होंने कहा कि पंजाब में पार्टी की जीत में शहरी इलाकों ने अहम भूमिका निभाई। मेरे विभाग पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधा जा रहा है। मैंने हमेशा उन्हें बड़े भाई की तरह सम्मान दिया है। मैं हमेशा उनकी बात सुनता हूं। लेकिन इससे दुख पहुंचता है। सामूहिक जिम्मेदारी कहां गई? मुझे बुलाकर वे वो सब कह सकते थे, जो वे कहना चाहते थे।

सिद्धू ने कहा कि वे अपने नाम, विश्वसनीयता और प्रदर्शन का जमकर बचाव करेंगे। उन्होंने कहा कि हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं कैबिनेट की बैठक में क्यों नहीं गया। जब आप कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूं और यह पढ़ाया जाता है कि नियम यह है कि हम साथ चलेंगे और साथ डूबेंगे। सिद्धू ने पिछली कैबिनेट बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि उन बैठकों में उनकी कुर्सी भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिर्फ तीन इंच दूर हो लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उनसे काफी दूर हूं और उन्हें (सिंह) मुझ पर भरोसा नहीं है।

कैबिनेट समितियों में शाह का वर्चस्व

पेज 1 का बाकी

कमेटी में भी नहीं हैं। 2014 की सरकार में बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी में जगह मिली थी। इस बार बतौर गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ गृह मंत्रालय की भूमिका तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे हर तरह की कमेटियों में लिए गए फैसलों में शामिल रहेंगे। शाह सभी आठ कमेटियों में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सात कमेटियों में, रेल मंत्री पीयूष गोयल पांच और भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चार-चार कमेटियों में शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय और आवास कमेटी को छोड़कर अन्य सभी में बतौर अध्यक्ष हैं।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। आवास को लेकर गठित कमेटी में शाह, गडकरी, सीतारमण व पीयूष गोयल हैं। आर्थिक मामलों की कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, शाह, गडकरी, सीतारमण, तोमर, गोयल, केंद्रीय विधि एवं आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, विदेश मंत्री एस जयशंकर व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। संसदीय मामलों की कमेटी में शाह, सीतारमण, तोमर, प्रसाद, खाद्य एवं जन आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी को शामिल किया गया है। राजनीतिक मामलों की कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा शाह, गडकरी, सीतारमण, पासवान, तोमर, प्रसाद, बादल, गोयल, जोशी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन एवं भारी उद्योग मंत्री अरविंद गणपत सावंत को जगह मिली है। सुरक्षा मामलों की कमेटी में मोदी, सिंह, शाह, सीतारमण एवं जयशंकर हैं।

इनके अलावा दो नई कैबिनेट कमेटियों में निवेश व वृद्धि में मोदी, शाह, गडकरी, सीतारमण, गोयल हैं। वहीं रोजगार व कौशल विकास पर कमेटी में मोदी, शाह, सीतारमण, तोमर, गोयल, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार व हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। गडकरी, हरसिमरत और महिला-बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन इरानी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

महंगा हो जाएगा वाहन बीमा का प्रीमियम

पेज 1 का बाकी

से ऊपर की कारों के लिए तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम बढ़ाया नहीं गया है। इसे 7,890 रुपए पर बरकरार रखा है। दोपहिया वाहनों के मामले में 75 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिए तीसरा पक्ष प्रीमियम 12.88 फीसद बढ़कर 482 रुपए हो गया। इसी प्रकार 75 से 150 सीसी के दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपए किया गया है।

150-350 सीसी क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। इस श्रेणी के दोपहिया वाहनों का प्रीमियम 985 रुपए से 21.11 फीसद बढ़कर 1,193 रुपए हो जाएगा। सुपर बाइक (355 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहन) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इरडा ने माल ढोने वाले निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए भी तीसरे पक्ष बीमा प्रीमियम में वृद्धि की है।

ई-रिक्शा के मामले में दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि स्कूल बसों के मामले में तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में वृद्धि की गई है। दीर्घकालिक एकल प्रीमियम दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कारों के मामले में दीर्घकालिक प्रीमियम की अवधि तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए यह अवधि पांच साल है।

छुट्टी पर आए जवान की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की

श्रीनगर, 6 जून (भाषा)।

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में ईद की छुट्टी पर घर आए प्रादेशिक सेना के एक जवान की संदिग्ध आतंकवादियों ने गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अज्ञात बंदूकधारी गुरुवार शाम अनंतनाग जिले के सदुरा गांव में मंजूर अहमद बेग के घर आए और उन्हें गोली मार दी।

तेलंगाना में कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस में शामिल हुए

पेज 1 का बाकी

कहा गया कि 12 विधायकों को सदन में टीआरएस विधायक दल के सदस्यों के साथ सीटें आबंटित की गई हैं। स्पीकर के फैसले के बाद विधानसभा में कांग्रेस का मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा छिन जाएगा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ छह विधायक रह गए हैं।

हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआइएमआइएम के सात विधायक हैं जबकि भाजपा के पास सिर्फ एक विधायक है। तेलुगु देशम पार्टी के दो विधायक थे, लेकिन उनका एक विधायक भी टीआरएस में शामिल हो चुका है। स्पीकर का फैसला ऐसे वक्त आया जब कांग्रेस ने टीआरएस पर अपने विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया और शुक्रवार को अदालत का रुख करने का एलान किया। स्पीकर के फैसले की निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इसे चुनौती देने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख करेगी। कांग्रेस को तेलंगाना में यह झटका ऐसे समय में लगा है जब लोकसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार मिली करारी हार के बाद कई राज्यों में वह बैकफुट पर है।

इससे पहले, दिन में कांग्रेस के 12 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में एक प्रतिवेदन दिया जब तंदूर से कांग्रेस विधायक रोहित रेड्डी पार्टी का साथ छोड़ने वाले 12वें विधायक बन गए।

मोदी-इमरान के बीच द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं

पेज 1 का बाकी

मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'बिस्केक में एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच बैठक का कोई कार्यक्रम नहीं है।'

पाकिस्तान के विदेश सचिव के भारत दौरे पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत दौरा था और उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई। पाकिस्तानी विदेश सचिव सोहेल महमूद ने बुधवार को दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी थी। उन्होंने खुद अपने दौरे को निजी यात्रा बताया था।

करतारपुर गलियारा : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने करतार गलियारे को लेकर कहा कि भारत इसके निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'हमने इस परियोजना से जुड़ी एक कमेटी में पाकिस्तान द्वारा विवादित तत्वों की नियुक्ति की खबरों पर उससे स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा पिछली बैठक में हमने पाकिस्तान से कुछ अहम प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण मांगा था। हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं।' पाकिस्तान ने गलियारे का काम देखने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें कई खालिस्तानी अलगाववादियों को भी शामिल किया है।

भारत ने उन नामों पर आपत्ति जताई है। ईरान तेल : रवीश कुमार ने ईरान के साथ तेल आयात पर कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा वह व्यावसायिक, ऊर्जा सुरक्षा और हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगा।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार से मालदीव और श्रीलंका दौरे पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ और नौ जून को मालदीव और श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, सत्ता में दोबारा आने के बाद मोदी पहली बार मालदीव की द्विपक्षीय यात्रा करेंगे। आठ को वह मालदीव जाएंगे और वहां संसद को भी संबोधित करेंगे। मोदी नौ जून को श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि 2011 के बाद प्रधानमंत्री स्तर की यह पहली मालदीव यात्रा होगी और इस दौरान दोनों ही पक्षों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के शपथग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी। भारत और मालदीव के संबंधों में उस समय गिरावट आ गई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने पिछले साल पांच फरवरी को अपने देश में आपातकाल लगा दिया था। हालांकि सोलिह के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य रूप से बहाल हो गए। गोखले ने बताया कि मोदी नौ जून को श्रीलंका की यात्रा करेंगे। मोदी एकजुटता के स्पष्ट संदेश के साथ श्रीलंका जा रहे हैं। मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष नेताओं सहित कई अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे।

कार्यक्रम में शमिल होने के लिए प्रज्ञा ठाकुर ने ली अस्पताल से छुट्टी

पेज 1 का बाकी

था। आवदेन में प्रज्ञा ने कहा था कि उन्हें संसद की औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। अदालत ने इस पर कहा कि मामले में इस स्तर पर अदालत में उसकी उपस्थिति आवश्यक है। अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रज्ञा के पास एक दिन शेष है।

मालेगांव मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामले पर सुनवाई कर रही अदालत ने इस साल मई में, सभी को सप्ताह में कम से कम एक बार अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि ठोस कारण बताए जाने पर ही पेश होने से छूट दी जाएगी।

जमीनी अभियान से लाए जाएंगे पर्वतारोहियों के शव

देहरादून, 6 जून (भाषा)।

उत्तराखंड में नंदादेवी पूर्वी चोटी को फतह करने के दौरान हिमस्खलन का शिकार विदेशी पर्वतारोहियों सहित अभियान दल के अन्य सदस्यों के शवों को निकालने में भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों के खराब मौसम के कारण विफल रहने के बाद अब उन्हें लाने के लिए जमीनी अभियान शुरू किया जाएगा।

बाइक बोट कंपनी का निदेशक दस हजार करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तार

नोएडा, 6 जून (भाषा)।

नोएडा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर देश के करीब तीन लाख लोगों से दस हजार करोड़ से ज्यादा की ठगी करने के मामले में फरार चल रहे बाइक बोट कंपनी के एक निदेशक को गिरफ्तार कर लिया। इस कंपनी का मुख्य कर्ताधर्ता संजय भाटी सहित 50 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। इस घोटाले में यह पहली गिरफ्तारी है। मामले की जांच कर रहे प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार व उनकी टीम ने गुरुवार को मेरठ से इस कंपनी के निदेशक विजयपाल कसाना को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक (अपराध) अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (बाइक बोट) के नाम से संजय भाटी व उसके अन्य साथियों ने एक बाइक टैक्सी चलाने की कंपनी शुरू की। इन लोगों ने करीब दो सौ फीसद मुनाफा कमाने का लालच देकर प्रति बाइक के नाम पर 62,100 रुपए निवेश करवाया व उसके एवज में इन लोगों ने उन्हें 9,765 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से बारह महीने तक देने का वादा किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से करीब तीन लाख निवेशकों ने इस कंपनी में पैसे लगाए। जब कंपनी के मालिक संजय भाटी, सचिन भाटी, पवन भाटी, आदेश भाटी, राजेश भारद्वाज, करण पाल, दीप्ति बहल, विजयपाल कसाना आदि ने निवेशकों से करीब दस हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए तो वे उन्हें धोखा देकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इस ठग कंपनी में इक्यावन लोग शामिल हैं।

मप्र सरकार किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेगी : कमलनाथ

भोपाल, 6 जून (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदसौर पुलिस गोलीकांड की दूसरी बरसी पर गुरुवार को कहा कि किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे सरकार वापस लेगी। इस गोलीकांड में छह आंदोलनकारी किसानों की मौत हो गई थी।

कमलनाथ ने ट्वीट किया, 'आज मंदसौर गोलीकांड की दूसरी बरसी है। इस बर्बर गोलीकांड में मारे गए सभी छह किसानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि। हमारी सरकार इस कांड के दोषियों को सजा दिलाने, पीड़ितों को न्याय दिलवाने और बेगुनाह किसानों पर दर्ज झूठे मुक़दमे वापस लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है।' उधर, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले छह माह से मामले वापस लेने की बात कह रही है लेकिन वास्तव में कुछ कर नहीं रही है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा, 'कमलनाथ, बोनस, बिजली, पानी की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मंदसौर घटना को न भुनाएं। छह महीने से जो सरकार मुकदमे वापस करने की बातें ही करती रही, उसके कुशासन के कारण मध्यप्रदेश में फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए।'

Form INC- 26

[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Central Government Regional Director, Northern Region
B-2, Wing, 2nd Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan
(earlier Paryavaran Bhawan),
CGO Complex, New Delhi- 110003, India
In the matter of the sub-section (4) of Section 13of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
And
AMBEY FABRIC CREATIONS PRIVATE LIMITED
CIN:U17100DL2006PTC151531
Having its registered office at M-18, GREATER KAILASH-II, NEW DELHI- 110048, INDIA
..... Applicant

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 3rd Day of May, 2019 to enable the Company to change its registered office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form, or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections support by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director, Northern Regionat the address B-2, Wing, 2nd Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan (earlier ParyavaranBhawan), CGO Complex, New Delhi- 110003, India, within fourteen days from the date of this notice with a copy of the application to the Company at its registered office at the address mentioned below:

M-18, GREATER KAILASH-II, NEW DELHI- 110048, INDIA

For and on behalf of the applicant
Ambey Fabric Creations Private Limited
Sd/-
Vinod Garg
Director
DIN: 02310447
Add: P-34, Sector-12, Noida- 201301, Uttar Pradesh, India
Date: 28-05-2019
Place: New Delhi

सार्वजनिक सूचना

लोगिटिया सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN: U72300DL2013PTC248899
पंजी. कार्या.: एच.नं. 119 एफ, एफ ब्लॉक, क्यू एक्टें., वाणी विहार, गीता एन्क्लेव, उत्तम नगर, भाटिया कालेज के निकट, नई दिल्ली-110059
ई-मेल आईडी: cshuchi2000@gmail.com

आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
लोगिटिया सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजी. कार्या.: एच.नं. 119 एफ, एफ ब्लॉक, क्यू एक्टें., वाणी विहार, गीता एन्क्लेव, उत्तम नगर, भाटिया कालेज के निकट, नई दिल्ली-110059 में है, के मामले में
- आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से मुम्बई में कम्पनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र के भीतर ''महाराष्ट्र राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 1 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते: बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
लोगिटिया सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
शुचि चुलेट (निदेशक)
DIN: 07809707
तिथि: 5.6.2019
स्थान: नई दिल्ली

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DELHI (1st FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI 110001)

Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993

OA No. 606/2018
ICICI Bank Ltd. .....Applicant
VERSUS
M/s. AJANTA ROADLINES (REGD.) & ORS. .....Defendants

To
D-1 M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) C-25, Sector-11, DLF Faridabad, 121006, Haryana.
Also at: M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) Plot No. 80, Sector-58, Transport Nagar, Sahibabad-201 005 (U.P.) Ghaziabad.
D-2 Sh. Deepak Sharma S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner, M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) C-25, Sector-11, DLF Faridabad, 121006, Haryana.
Also at: Sh. Deepak Sharma S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) H.No. 25 Sh. Sector-11, 11 (DLF), Tehsil Ballabgarh, Faridabad-121 003
Also at: Sh. Deepak Sharma S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) H.No. 27/8/1-A, Faridabad - 121005.
Also at: Sh. Deepak Sharma S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) Plot No. 80, Sector-58, Transport Nagar, Sahibabad-201 005 (U.P.) Ghaziabad.
D-3 Sh. Om Prakash Sharma S/o. Sh. S.P. Sharma, Partner, M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) C-25, Sector-11, DLF Faridabad, 121006, Haryana.
Also at: Sh. Om Prakash Sharma S/o. Sh. S.P. Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) H.No. 25 Sh. Sector-11, 11 (DLF), Tehsil Ballabgarh, Faridabad-121 003
Also at: Sh. Om Prakash Sharma S/o. Sh. S.P. Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) H.No. 27/8/1-A, Faridabad - 121005.
D-4 Sh. Om Prakash S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner, M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) C-25, Sector-11, DLF Faridabad, 121006, Haryana.
Also at: Sh. Om Prakash S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) Plot No. 80, Sector-58, Transport Nagar, Sahibabad-201 005 (U.P.) Ghaziabad.
Also at: Sh. Om Prakash S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) H.No. 25 Sh. Sector-11, 11 (DLF), Tehsil Ballabgarh, Faridabad-121 003
Also at: Sh. Om Prakash S/o. Sh. Om Prakash Sharma, Partner M/s Ajanta Roadlines (Regd.) (Fleet Owners & Transport Contractors) H.No. 27/8/1-A, Faridabad - 121005.

Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been stated to the satisfaction of the Tribunal that it is not practicable to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given to you/defendant, directing you to make application in the Tribunal within 30 days of receipt of this notice.

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 29th day of April, 2019.

By Order of the Tribunal
Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

आईएनसी-26

क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के तहत कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए
और
रनवीर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
[कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान सं. डी-5ए/2, दूधला फार्म, खा. सं. 286, खानपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली-110062] के मामले में
...आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) के अधीनवर्तीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन करती है। विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के आर्टिकल। अनुसार परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग करती है। कंपनी (निगमन) नियम 30 के तहत 08.मई.2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण साधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए** कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में एक आवेदन का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के साथ हलफनामा द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, एमसीए, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति पंजीकृत कार्यालय को भी निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए:
मकान सं. डी-5ए/2, दूधला फार्म, खा. सं. 286, खानपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली-110062

उनके द्वारा व उनके लिए
रनवीर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
अवतेजिंदर सिंह जौहर
निदेशक
डीआईएन: 00804251
दिनांक: 07.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

कंपनी (निगमन) नियम,2014 के नियम 30 के अनुसरण में
केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम 2013, कम्पनी अधिनियम की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (क) के मामले में तथा
एबी कॉन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय रेगुस रेजीडेंसी 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, कम्पनी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110017 के मामले में
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है की कम्पनी द्वारा 1 मई 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को इसका पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में स्थानान्तरित करने हेतु सक्षम बनाने के सम्बंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबंधनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन पुष्टि लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित संस्था ज्ञापन में प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने हित के स्वरूप तथा याचिका के विरोध के आपत्ति के आधार, यदि कोई, की सूचना एम सीए-21 पोर्टल [www.mca.gov.in] पर या अथवा एक शपथ पत्र, मूल रूप में, द्वारा समर्थन सत्यापित करते हुए क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी2 विंग, द्वितीय तल पर्यावरण भवन, सीजी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर प्रेषित करे अथवा पंजीकृत डाक से भेजे, जिसकी एक प्रति आवेदक को नीचे दिए गये पते पर इसके पंजीकृत कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।

पंजीकृत कार्यालय : रेगुस रेजीडेंसी 1, डि. डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, कम्पनी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110017

कृते ऐबी डिवे रेकी कॉन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(अंकुश रंजन)
निदेशक
(डीइन-00201880)
तिथि: 03.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

शुद्धिपत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन केन्द्र सरकार को आवेदन करने के संबंध में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए आवेदी, यदि कोई हो, के अवलोकन के लिए आम जनता की सूचना हेतु इस समाचार पत्र में दिनांक 4 जून, 2019 को जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित करने में, आईएनसी-26 पंजीकृत कार्यालय स्थानान्तरित करने के विज्ञापन का संदर्भ दें।

पहले पैराग्राफ में 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' के स्थान पर 'उत्तर प्रदेश राज्य' पढ़ा जाएगा और 'उत्तर प्रदेश राज्य' के स्थान पर 'उत्तराखण्ड राज्य' पढ़ा जाएगा।

उपरोक्त संशोधित सूचना दिनांक 4 जून, 2019 में वर्णित अन्य सभी जानकारी यथावत रहेगी और उपरोक्त सूचना को सुविधा के साथ पढ़ा जाए।

कृते रिलीज बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
हस्ता./-
नीरज जैन
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00370275
तिथि: 06.06.2019
स्थान: कुरुक्षेत्र

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवा प्रशासन विभाग कक्ष, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
ई-मेल : gadcell@pnb.co.in दूरभाष :-011-23716066; 23765476

निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक प्र. का., 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 में निम्नलिखित कार्यों के लिए पात्र बोलीदाताओं से सीलबंद बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है :-

1) **पंप, सेनेटरी और बढ़ईगीरी प्रतिष्ठानों के संचालन एवम रखरखाव का वार्षिक अनुबंध।**
अनुमानित लागत: रु 16 लाख ईएमडी: रु. 32,000/-
2) **स्टाफ कैंटीन में खानपान की सेवाओं का अनुबंध।**
अनुमानित लागत: रु 21.93 लाख ईएमडी: रु 44,000/-
3) **प्रधान कार्यालय की विशेष सफाई एवम रखरखाव के संचालन का वार्षिक अनुबंध। अनुमानित लागत: रु 41.03 लाख ईएमडी: रु 82,000/-**

इच्छुक निविदाकर्ता विस्तृत निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in पर जा सकते हैं। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 26/06/2019 को 15:00 बजे तक है।

उपर्युक्त कार्यों के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in पर ही जारी किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate persons) Regulations 2016)
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	INKA FOODS PVT. LTD.
2.	Date of incorporation of corporate debtor	21/11/1995
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC, HIMACHAL PRADESH
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U01121HP1995PTC017301
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	ROPAR ROAD, NALAGARH, DISTT. SOLAN, HIMACHAL PRADESH -177320
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	05.04.2019 (by Hon'ble NCLT, Chandigarh) Delhi Bench in CP No.(IB)-396/Chd/HP/2018
7.	Date of invitation of expression of interest	07/06/19
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the code is available at:	Details can be sought by emailing at email:- irpinkafoods@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	http://www.ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php (official website of IBBI) other details can be sought by emailing at email- irpinkafoods@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	28/06/19
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	02/07/19
12.	Last date for submission of objections to provisional list	07/07/19
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	08/07/19
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	08/07/19
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Eligible Resolution applicant may communicate with Resolution Professional at the address mentioned against serial No. 21 for obtain RFRP, Evaluation Matrix, Information Memorandum and further information
16.	Last date for submission of resolution plans	18/08/19
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic form to the email ID or by Speed Post or Registered Post of by hand at address given at S. No. 21
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	On or before 20/09/2019
19.	Name and registration number of a resolution professional	ASHOK KUMAR GUPTA IBBI/IPA-003/IP-N00010/2016-17/10072
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	LD-46, Pitampura,Delhi-110034 cmaashokgupt@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	304, D.R. Chambers, 12/56, DB Gupta Road, Opp PP Jewellers, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email: irpinkafoods@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	other details can be sought by emailing at irpinkafoods@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	07/06/19

Date : 07.06.2019
Place : New Delhi
Sd/-
ASHOK KUMAR GUPTA
IBBI/IPA-003/IP-N00010/2016-17/10072

SBI
प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-II डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614.

शुद्धिपत्र

प्रोक्युरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सपोर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऐप्लीकेशन पर्फॉर्मेंस मॉनिटरिंग सल्यूशन के लिए जारी आरएफपी न SBI/GITC/PE-II/2019/2020/606 दिनांक 20/05/2019 देखें. शुद्धिपत्र की जानकारी हमारी वेबसाइट https://bank.sbi पर 'प्रोक्युरमेंट न्यूज' के अंतर्गत उपलब्ध है.

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 07.06.2019
हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(आईटी-पीई-II)

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

एनएफएल/सीएमओ/आईपी/अमो.ट्रां./01/2019 दिनांक: 07.06.2019

एनएफएल, विजयपुर से आरएफसीएल, रामागुण्डम तक 2500 एमटी अमोनिया के परिवहन हेतु बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। विवरण के लिए कृपया वेबसाइट www.nationalfertilizers.com और tenderwizard.com देखें।

ई-निविदा एनएफएल-954 की बोली जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून, 2019 (1530 बजे आईएसटी) है। शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि होगा तो, केवल एनएफएल की वेबसाइट पर दिया जाएगा।

महाप्रबन्धक (विपणन)

ब्रिज एंड रूफ कं0 (इंडिया) लि0
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
''कांकरिया सेंटर'', (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता - 71

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ई-निआसू)

''हल्दिया डॉक कामप्लेक्स प्रोजेक्ट साइट, हल्दिया, पश्चिम बंगाल-721604 हेतु सिविल कार्य'' से संबंधित निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति व सुपुर्दगी हेतु दो भाग प्रणाली में ऑनलाइन ''आइटम दर'' बोली/ प्रस्ताव आमंत्रित है।

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	परिमाण	निआसू सं0 व निर्गमन की तिथि	प्रस्ताव दाखिले की अंतिम तिथि
अ	संबंधित आईएस कोड के अनुसार मशीन निर्मित प्रीकास्ट एम50 ग्रेड; कंक्रीट पेवर ब्लॉक साइज : 200 एमएम (एल) x 100 एमएम (डब्ल्यू) x 100 एमएम (टी)	18,50,000 नग	मैट(पी)/ सिविल/ 51164/ प्रेस/ कंक्रीट पेवर ब्लॉक्स/ 01 दिनांक : 07.06.2019	21.06.2019 को अप. 4.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाताओं को https://eprocure.gov.in/eprocure/app में लॉगिंग के जरिए सरकारी ई-प्रापण प्रणाली में सूचीबद्ध व पंजीकृत होना होगा व निविदा दस्तावेज डाउनलोड करना होगा। इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सीपीपी पोर्टल : https://eprocure.gov.in तथा कंपनी की वेबसाइट : http:www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्योजित अधिकार) उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
अवंथा रियल्टी लिमिटेड (सीआईएन: U70102DL1981PLC198595)
जिसका पंजीकृत कार्यालय 124, आपर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 स्थित है, आवेदक, के मामले में

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 18 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

सुश्री तापसी महाजन
कंपनी सचिव
अवंथा रियल्टी लिमिटेड
124, आपर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
ईमेल आईडी: sect.art@avanthaholdings.com

कृते एवं हेतु अवंथा रियल्टी लिमिटेड
हस्ता./-
तापसी महाजन
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: A25074
दिनांक: 06.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

नोट: जो भी लागू होने योग्य नहीं है उसे काट दें।

कम्पनी सूचना
क्षेत्रीय निदेशक उत्तर क्षेत्र, नई दिल्ली

के समक्ष, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कम्पनीज इनकारपोरेशन नियम 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में मामला नोवेक्स लक्जरी एडवेंचर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय डी-1/31, प्रथम मंजिल पालम विस्तार (रामफल चौक के पास), सेक्टर-7 द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत के मामले में।
.....याचिकाकर्ता

एतद् द्वारा आमजन को सूचना दी जाती है कि कम्पनी(नोवेक्स लक्जरी एडवेंचर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अनुपालन में इसके पंजीकृत कार्यालय को NCT Delhi से "राजस्थान राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिये इसके पर्सन सीख नियम में बदलीकरण हेतु कंपनी की असाधारण सभा सोमवार, 29 अप्रैल, 2019 में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी प्रमाणिकता हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक याचिका दर्ज कराना प्रस्तावित है। कोई व्यक्ति जिसके हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलीकरण द्वारा प्रभावित होते हैं, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के अंदर फूल स्केप से एक शपथ पत्र द्वारा अपने हित की प्रकृति एवं विरोध के आधारों का उल्लेख करते हुए निम्नांकित पते:

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र,
बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन,
CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है अथवा प्रस्तुत कर सकता है। जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके निम्न उल्लेखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जाए।

पंजीकृत कार्यालय: डी-1/31, प्रथम मंजिल पालम विस्तार (रामफल चौक के पास), सेक्टर-7 द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत

आवेदनकर्ता की ओर से
नोवेक्स लक्जरी एडवेंचर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
ह./-
(रविंद्र अग्रवाल)
निदेशक
Din No. 00577542
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 06.06.2019

सार्वजनिक सूचना
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) (ए) के मामले में
तथा
सोसल स्टोरीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 30/28, एमएफ, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, भारत में है
..... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 7 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत

adani

Ports and Logistics

ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED

Registered Office: Adani House, Near Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad 380 009, Gujarat, India. CIN: L63090GJ1998PLC034182, Tel: +91 79 2656 5555.
Website: www.adaniports.com, E-mail: investor.apsezl@adani.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT

FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED FOR BUY-BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This public announcement ("**Public Announcement**") is being made in relation to the buy-back of equity shares each having a face value of ₹ 2 each (the "**Equity Shares**") by Adani Ports and Special Economic Zone Limited (the "**Company**") from the shareholders/beneficial owners of the Company (the "**Equity Shareholders**") through a tender offer pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (the "**Buy-Back Regulations**")(for the time being in force, including any statutory modifications and amendments from time to time and contains the disclosures as specified in Schedule II of the Buy-Back Regulations.

OFFER TO BUY-BACK UP TO 3,92,00,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES AT A PRICE OF ₹500 PER EQUITY SHARE ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH TENDER OFFER.

1. **DETAILS OF THE BUY-BACK OFFER AND THE OFFER PRICE**

1.1. The Board of Directors of the Company (the "**Board**") at its meeting held on June 4, 2019 approved the proposal for the buy-back of up to 3,92,00,000 Equity Shares aggregating up to 1.89% of the fully paid-up Equity Share capital of the Company at a price of ₹ 500 (Rupees Five Hundred Only) per Equity Share payable in cash for an amount aggregating up to ₹ 19,600,000,000 (Rupee One Thousand Nine Hundred and Sixty Crores Only)(the "**Maximum Buy-back Size**") (which does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buy-back, like the filing fee, advisory fee, brokerage, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, taxes and other incidental and related expenses, being the "**Transaction Costs**"), being up to 9.94% of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company as per the latest audited standalone financial statements for the financial year ended March 31, 2019 ("**Board Approval**") from the eligible Equity Shareholders, on a proportionate basis, through a tender offer (the "**Buy-back**") in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "**Companies Act**"), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 to the extent applicable, and in compliance with the Buy-Back Regulations. The Buy-back is subject to receipt of any approvals of statutory, regulatory or governmental authorities, as may be required, under applicable laws, including the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and the stock exchanges on which the Equity Shares are listed, namely the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**"), the BSE Limited ("**BSE**", together with NSE, the "**Stock Exchanges**").

1.2. The Buy-back shall be undertaken on a proportionate basis from the Equity Shareholders as of June 21, 2019, (the "**Record Date**", and such Equity Shareholders, the "**Eligible Shareholders**") through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buy-Back Regulations. Additionally, the Buy-back shall be, subject to applicable laws, facilitated by tendering of Equity Shares by such Shareholders and settlement of the same, through the stock exchange mechanism as specified by SEBI in the circular bearing number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular bearing number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 (the "**SEBI Circulars**").

2. The price at which the Company proposes to undertake the Buy-back, being ₹ 500 per Equity Share (the "**Buy-back Price**") has been arrived at after considering various factors, such as the average closing prices of the Equity Shares on NSE and BSE, where the Equity Shares are listed and traded, the net-worth of the Company, the price earnings ratio and the impact of the Buy-back on the earnings per Equity Share. The Buy-back Price represents (i) a premium of 32.78% and 32.73% over the average closing prices of the Equity Shares on NSE and BSE, respectively, during the three months preceding May 30, 2019 (the date of the intimation to the Stock Exchanges regarding the meeting of the Board of Directors of the Company for the Board Approval); and (ii) 27.26% and 27.30% over the average closing prices of the Equity Shares on NSE and BSE, respectively, for two weeks preceding the date of the intimation to the Stock Exchanges regarding the meeting of the Board of Directors of the Company for the Board Approval.

3. In accordance with the provisions of the Companies Act, the Buy-back Size represents 9.94% and 8.44%, of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves (including securities premium) as per the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019, respectively, and is within the statutory limit of 10% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) as per the latest audited standalone financial statements of the Company.

4. A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at www.adaniports.com, on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the website of BSE at www.bseindia.com and on the website of NSE at www.nseindia.com.

5. **NECESSITY/RATIONALE FOR BUY-BACK**

The Buy-back is being undertaken by the Company, after considering all relevant factors, including but not limited to the strategic and operational cash requirements in the medium term, the present debt to equity ratio of the Company and the increase in accumulated free reserves. After considering these factors, the Board considered it appropriate to allocate a sum not exceeding ₹19,600,000,000 (excluding Transaction Costs) for distributing to the Eligible Shareholders as on the Record Date, through the Buy-back.

Additionally, the Company's management strives to increase Shareholders' value and the Buy-back would result in, amongst other things:

(i) improving returns to shareholders;
(ii) providing the Equity Shareholders an option to participate and receive cash payment in lieu of the Equity Shares to be accepted under the Buy-back;
(iii) enhancing overall shareholder value;
(iv) achieving optimum capital structure;
(v) enhance the effects of short-term market volatility; and
(vi) enhancing shareholders' confidence

6. **MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUY-BACK**

The maximum amount required under the Buy-back shall aggregate up to ₹19,600,000,000 being up to 9.94% of the aggregate of fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company for the financial year ended March 31, 2019.

7. **MAXIMUM PRICE FOR BUY-BACK OF THE EQUITY SHARES**

The Equity Shares are proposed to be bought back for a price of ₹500 (Rupees Five Hundred Only) per Equity Share.

8. **DETAILS OF SHAREHOLDING OF PROMOTERS AND PERSONS IN CONTROL AND THEIR INTENTION TO PARTICIPATE IN THE BUY-BACK**

8.1 The aggregate shareholding of the promoters, promoter group and of persons who are in control of the Company as on the date of the Board Approval, being June 4, 2019, is as follows:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares	% of Shareholding
1.	Adani Properties Private Limited	Nil	Nil
2.	Adani Tradeline LLP (formerly, known as Parsa Kente Rail Infra LLP)	14,05,12,153	6.78
3.	Afro Asia Trade & Investments Limited	9,14,37,969	4.42
4.	Emerging Market Investment DMCC	8,55,76,284	4.13
5.	Gautam S. Adani	1	Negligible
6.	Gautambhai Shantilal Adani & Pritiben Gautambhai Adani (on behalf of Gautam S. Adani Family Trust) **("Gautam S. Adani Family Trust")**	Nil	Nil
7.	Rajesh S. Adani	1	Negligible
8.	Rajeshbhai Shantilal Adani & Shilin Rajeshbhai Adani (on behalf of Rajesh S. Adani Family Trust) **("Rajesh S. Adani Family Trust")**	30,000	Negligible
9.	Gautambhai Shantilal Adani & Rajeshbhai Shantilal Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) **("S. B. Adani Family Trust")**	81,27,65,189	39.25
10.	Universal Trade and Investments Limited	8,08,61,339	3.90
11.	Worldwide Emerging Market Holding Limited	90,46,818	3.82
	Total	**1,29,02,29,754**	**62.30**

8.2 The aggregate shareholding of the directors of the companies, the trustees of the trusts or the designated partners of the limited liability partnerships forming a part of the promoters, promoter group and persons in control of our Company, in our Company as on the date of the Board Approval, being June 4, 2019, is as follows:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares	% of Shareholding
1.	Gautam S. Adani	1	Negligible
2.	Rajesh S. Adani	1	Negligible
3.	Pranav Adani	15,000	Negligible
4.	Bhavik Bharatkumar Shah	57,255	Negligible

8.3 The aggregate shareholding of the directors and key managerial personnel of the Company as on the date of the Board Approval, being June 4, 2019, is as follows:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares	% of Shareholding
1.	Gautam S. Adani	1	Negligible
2.	Rajesh S. Adani	1	Negligible
3.	Dr. Malay Mahadevia	Nil	Nil
4.	Karan Adani	Nil	Nil
5.	G. K. Pillai	Nil	Nil
6.	Prof. G Raghuram	Nil	Nil
7.	Rachika Haribhakti	Nil	Nil
8.	Sanjay Lalbhai	Nil	Nil
9.	Mukesh Kumar, IAS	Nil	Nil
10.	Nirupama Rao	Nil	Nil
11.	Deepak Maheshwari	Nil	Nil
12.	Kamlesh Bhagia	108	Negligible
	Total	**110**	**Negligible**

8.4 The aggregate number of specified securities, including the Equity Shares purchased or sold by persons and entities mentioned in paragraphs 8.1, 8.2 and 8.3 from a period of six months preceding the date of Board Approval, being June 4, 2019 is as follows:

Name	Aggregate No. of Equity Shares Purchased or Sold	Nature of Transaction	Maximum Price (₹)	Date of Maximum Price	Minimum Price (₹)	Date of Minimum Price
Deepak Maheshwari	10,000	Sale	378.75	March 29, 2019	378.70	March 29, 2019

8.5 Except as provided in paragraph 8 above, the Promoters, promoter group and the persons in control of the Company (and their directors of such companies or the trustees of the trusts, as the case may be) and the Directors and the Key Managerial Personnel of the Company have not been involved in any transactions involving the Equity Shares for the last six months prior to the date of the Board Approval.

8.6 In terms of the Buy-Back Regulations, the Promoters, promoter group and persons in control have the option to participate in the Buy-back. The Promoters, promoter group and persons in control have expressed their intention to participate in the Buy-back through their individual letters, each dated June 4, 2019 and tender up to an aggregate maximum of upto 3,92,00,000 Equity Shares.

The maximum number of shares that the promoters, promoter group and persons in control of the Company Group may tender are given in the table below:

S. No.	Name	No. of Equity Shares held	Maximum number of Equity Shares intended to tender
1.	Adani Tradeline LLP	14,05,12,153	49,10,000
2.	Afro Asia Trade & Investments Limited	9,14,37,969	16,00,000
3.	Emerging Market Investment DMCC	8,55,76,284	15,00,000
4.	S. B. Adani Family Trust	81,27,65,189	2,83,75,000
5.	Universal Trade & Investments Limited	8,08,61,339	14,15,000
6.	Worldwide Emerging Market Holding Limited	7,90,46,818	14,00,000

Details of the date and price of acquisition of the Equity Shares that the Promoters and persons in control intend to tender are provided below:

(i) **Adani Tradeline LLP**

Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Cost of Acquisition per Equity Share / Transaction Value (in ₹)	Mode of Acquisition	Acquisition value (in ₹)	Cumulative No. of Equity Shares
March 29, 2017 to March 31, 2017	14,05,12,153	19.90	Inter-se transfer of equity shares	28,10,24,306	14,05,12,153

(ii) **Afro Asia Trade & Investments Limited**

Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Cost of Acquisition per Equity Share / Transaction Value (in ₹)	Mode of Acquisition	Acquisition value (in ₹)	Cumulative No. of Equity Shares
October 13, 2016	50,000	259.16	Market Purchase	1,29,58,068	50,000
November 15, 2016	5,00,000	267.21	Market Purchase	13,36,03,917	5,50,000
November 16, 2016	6,93,052	266.27	Market Purchase	18,45,41,350	12,43,052
November 17, 2016	7,00,000	265.36	Market Purchase	18,57,55,400	19,43,052
November 18, 2016	10,00,000	263.30	Market Purchase	26,33,04,300	29,43,052
November 21, 2016	5,27,687	255.32	Market Purchase	13,47,29,658	34,70,739
November 22, 2016	4,00,000	260.84	Market Purchase	10,43,35,987	38,70,739
November 23, 2016	10,00,000	263.40	Market Purchase	26,34,02,212	48,70,739
November 24, 2016	14,00,000	259.47	Market Purchase	36,32,64,988	62,70,739
November 25, 2016	2,00,000	264.88	Market Purchase	5,29,75,111	64,70,739
November 28, 2016	6,75,000	268.63	Market Purchase	18,13,25,143	71,45,739
November 29, 2016	7,00,000	275.63	Market Purchase	19,29,37,529	78,45,739
November 30, 2016	8,25,000	279.91	Market Purchase	23,09,27,271	86,70,739
December 1, 2016	5,00,000	275.77	Market Purchase	13,78,83,054	91,70,739
December 2, 2016	9,25,000	270.53	Market Purchase	25,02,38,340	1,00,95,739
December 5, 2016	3,50,000	268.97	Market Purchase	9,41,37,782	1,04,45,739
December 6, 2016	4,50,000	272.82	Market Purchase	12,27,67,313	1,08,95,739
December 7, 2016	5,00,000	277.54	Market Purchase	13,87,70,167	1,13,95,739
December 8, 2016	8,25,000	287.71	Market Purchase	23,73,84,241	1,22,20,739
December 9, 2016	5,00,000	287.56	Market Purchase	14,37,82,229	1,27,20,739
December 12, 2016	5,00,000	282.04	Market Purchase	14,10,22,464	1,32,20,739
December 13, 2016	4,50,000	284.88	Market Purchase	12,81,96,129	1,36,70,739
December 14, 2016	10,00,000	284.35	Market Purchase	28,43,54,365	1,46,70,739
December 15, 2016	10,00,000	287.02	Market Purchase	28,70,15,725	1,56,70,739
December 16, 2016	10,00,000	281.72	Market Purchase	28,17,20,587	1,66,70,739
December 19, 2016	10,00,000	277.16	Market Purchase	27,71,63,909	1,76,70,739
December 20, 2016	2,00,000	273.62	Market Purchase	5,47,23,461	1,78,70,739
December 21, 2016	8,00,000	274.52	Market Purchase	21,96,15,771	1,86,70,739
December 22, 2016	5,00,000	269.00	Market Purchase	13,45,00,164	1,91,70,739
December 26, 2016	6,00,000	259.75	Market Purchase	15,58,51,359	1,97,70,739
December 27, 2016	3,75,000	263.67	Market Purchase	9,88,77,707	2,01,45,739
December 28, 2016	3,50,000	269.41	Market Purchase	9,42,92,100	2,04,95,739
December 29, 2016	4,50,000	264.69	Market Purchase	11,91,10,312	2,09,45,739
December 30, 2016	4,50,000	268.58	Market Purchase	12,08,58,878	2,13,95,739
January 2, 2017	6,00,000	269.06	Market Purchase	16,14,38,190	2,19,95,739
January 3, 2017	6,50,000	276.04	Market Purchase	17,94,26,591	2,26,45,739
January 4, 2017	12,50,000	275.56	Market Purchase	34,44,55,594	2,38,95,739
January 5, 2017	10,00,000	285.32	Market Purchase	28,53,17,505	2,48,95,739
January 6, 2017	15,00,000	289.67	Market Purchase	43,48,11,603	2,63,95,739
January 9, 2017	15,00,000	287.11	Market Purchase	43,06,65,473	2,78,95,739
January 10, 2017	10,00,000	291.45	Market Purchase	29,14,48,816	2,88,95,739
January 12, 2017	10,00,000	295.18	Market Purchase	29,51,80,491	2,98,95,739
January 16, 2017	6,00,000	300.58	Market Purchase	18,03,48,230	3,04,95,739
March 31, 2017	4,35,98,317	Nil	Gift	NIL	7,40,94,056
April 12, 2017	3,50,000	330.09	Market Purchase	11,55,32,493	7,44,44,056
April 13, 2017	5,00,000	321.47	Market Purchase	16,07,36,540	7,49,44,056
April 17, 2017	4,00,000	322.00	Market Purchase	12,87,98,414	7,53,44,056
April 24, 2017	5,00,000	332.17	Market Purchase	16,60,85,499	7,58,44,056
April 25, 2017	5,00,000	331.18	Market Purchase	16,55,91,185	7,63,44,056
April 26, 2017	3,00,000	327.59	Market Purchase	9,82,78,031	7,66,44,056
May 2, 2017	3,50,000	330.94	Market Purchase	11,58,27,579	7,69,94,056
May 4, 2017	5,00,000	337.11	Market Purchase	16,85,55,965	7,74,94,056
May 5, 2017	3,50,000	342.20	Market Purchase	11,97,69,637	7,78,44,056
May 9, 2017	8,00,000	346.67	Market Purchase	27,73,34,096	7,86,44,056
May 10, 2017	3,00,000	352.67	Market Purchase	10,58,01,819	7,89,44,056
May 11, 2017	3,00,000	357.03	Market Purchase	10,71,08,004	7,92,44,056
May 12, 2017	7,50,000	357.10	Market Purchase	26,78,22,912	7,99,94,056
May 29, 2017	5,00,000	331.59	Market Purchase	16,57,94,715	8,04,94,056
May 30, 2017	6,50,000	337.79	Market Purchase	21,95,61,849	8,11,44,056
May 31, 2017	1,00,000	339.76	Market Purchase	3,39,75,893	8,12,44,056
June 6, 2017	5,00,000	362.27	Market Purchase	18,11,34,443	8,17,44,056
June 7, 2017	7,00,000	360.93	Market Purchase	25,26,53,366	8,24,44,056
June 8, 2017	5,00,000	357.16	Market Purchase	17,85,82,149	8,29,44,056
June 9, 2017	3,00,000	357.39	Market Purchase	10,72,16,610	8,32,44,056
June 12, 2017	5,00,000	356.78	Market Purchase	17,83,90,474	8,37,44,056
June 13, 2017	4,25,000	360.54	Market Purchase	15,32,30,124	8,41,69,056
June 14, 2017	3,00,000	358.86	Market Purchase	10,76,58,057	8,44,69,056
June 15, 2017	2,00,000	362.63	Market Purchase	7,25,26,638	8,46,69,056
June 16, 2017	4,38,913	360.70	Market Purchase	15,83,16,851	8,51,07,969
June 19, 2017	7,00,000	371.90	Market Purchase	26,03,27,759	8,58,07,969
June 20, 2017	7,00,000	375.79	Market Purchase	26,30,55,853	8,65,07,969
June 22, 2017	4,00,000	371.89	Market Purchase	14,87,56,779	8,69,07,969
June 23, 2017	3,00,000	365.23	Market Purchase	10,95,69,690	8,72,07,969
June 28, 2017	4,00,000	366.48	Market Purchase	14,65,93,198	8,76,07,969
June 29, 2017	4,50,000	364.93	Market Purchase	16,42,16,664	8,80,57,969
July 4, 2017	7,00,000	374.16	Market Purchase	26,19,08,945	8,87,57,969
July 6, 2017	4,50,000	374.77	Market Purchase	16,86,47,950	8,92,07,969
July 26, 2017	3,80,000	393.39	Market Purchase	14,94,88,847	8,95,87,969
October 24, 2017	5,00,000	407.79	Market Purchase	20,38,97,261	9,00,87,969
October 25, 2017	7,50,000	410.32	Market Purchase	30,77,39,636	9,08,37,969
October 26, 2017	1,00,000	414.15	Market Purchase	4,14,15,499	9,09,37,969
October 27, 2017	5,00,000	431.90	Market Purchase	21,59,48,910	9,14,37,969

(iii) **Emerging Market Investment DMCC**

Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Cost of Acquisition per Equity Share / Transaction Value (in ₹)	Mode of Acquisition	Acquisition value (in ₹)	Cumulative No. of Equity Shares
July 5, 2017	1,50,000	373.60	Market Purchase	5,60,39,487	1,50,000
July 7, 2017	7,00,000	374.27	Market Purchase	26,19,91,653	8,50,000
July 11, 2017	8,00,000	373.85	Market Purchase	29,90,77,628	16,50,000
July 12, 2017	7,50,000	374.38	Market Purchase	28,07,85,139	24,00,000
July 13, 2017	12,00,000	375.74	Market Purchase	45,08,91,427	36,00,000
July 14, 2017	6,00,000	376.73	Market Purchase	22,60,40,525	42,00,000
July 17, 2017	8,00,000	382.59	Market Purchase	30,60,74,036	50,00,000
July 18, 2017	10,00,000	383.12	Market Purchase	38,31,22,491	60,00,000
July 19, 2017	8,00,000	382.30	Market Purchase	30,58,43,920	68,00,000
July 20, 2017	10,00,000	381.11	Market Purchase	38,11,12,305	78,00,000
July 21, 2017	8,00,000	381.13	Market Purchase	30,49,02,709	86,00,000
July 24, 2017	13,00,000	387.32	Market Purchase	50,35,18,584	99,00,000
July 25, 2017	11,00,000	390.09	Market Purchase	42,91,01,634	1,10,00,000
July 26, 2017	8,50,000	392.37	Market Purchase	33,35,18,228	1,18,50,000
July 27, 2017	8,25,000	394.03	Market Purchase	32,50,73,396	1,26,75,000
August 17, 2017	8,00,000	395.23	Market Purchase	31,61,81,861	1,34,75,000
August 18, 2017	7,00,000	395.91	Market Purchase	27,71,35,161	1,41,75,000
August 21, 2017	6,50,000	383.10	Market Purchase	24,90,14,066	1,48,25,000
August 22, 2017	8,00,000	376.30	Market Purchase	30,10,38,652	1,56,25,000
August 23, 2017	10,00,000	383.09	Market Purchase	38,30,94,128	1,66,25,000
August 24, 2017	8,50,000	381.29	Market Purchase	32,40,94,079	1,74,75,000
August 28, 2017	7,50,000	388.39	Market Purchase	29,12,95,534	1,82,25,000
August 29, 2017	8,00,000	383.25	Market Purchase	30,65,97,084	1,90,25,000
August 30, 2017	5,00,000	388.94	Market Purchase	19,44,67,962	1,95,25,000
September 4, 2017	5,00,000	385.37	Market Purchase	19,26,84,013	2,00,25,000
September 5, 2017	2,00,000	389.88	Market Purchase	7,79,32,870	2,02,25,000
September 6, 2017	4,00,000	387.63	Market Purchase	15,50,52,340	2,06,25,000
September 7, 2017	6,00,000	388.95	Market Purchase	23,33,68,061	2,12,25,000
September 8, 2017	7,50,000	386.15	Market Purchase	28,96,15,686	2,19,75,000
September 11, 2017	8,00,000	388.29	Market Purchase	31,06,30,016	2,27,75,000
September 12, 2017	7,50,000	387.81	Market Purchase	29,08,53,924	2,35,25,000
September 14, 2017	7,50,000	396.30	Market Purchase	29,72,23,267	2,42,75,000
September 15, 2017	7,00,000	407.44	Market Purchase	28,52,07,850	2,49,75,000
September 18, 2017	5,00,000	405.75	Market Purchase	20,28,76,803	2,54,75,000
September 20, 2017	7,50,000	409.96	Market Purchase	30,74,72,598	2,62,25,000
September 21, 2017	5,00,000	411.64	Market Purchase	20,58,22,391	2,67,25,000
September 25, 2017	5,00,000	389.50	Market Purchase	19,47,47,793	2,72,25,000
September 26, 2017	5,00,000	392.45	Market Purchase	19,62,26,018	2,77,25,000
September 27, 2017	8,00,000	376.95	Market Purchase	30,15,57,261	2,85,25,000
September 28, 2017	8,00,000	373.20	Market Purchase	29,85,58,388	2,93,25,000
October 3, 2017	5,00,000	383.58	Market Purchase	19,17,88,009	2,98,25,000
October 4, 2017	8,00,000	387.08	Market Purchase	30,96,67,685	3,06,25,000
October 5, 2017	9,00,000	387.63	Market Purchase	34,88,70,242	3,15,25,000
October 6, 2017	9,50,000	390.87	Market Purchase	37,13,30,757	3,24,75,000
October 9, 2017	4,00,000	390.32	Market Purchase	15,61,27,799	3,28,75,000
October 10, 2017	8,00,000	396.14	Market Purchase	31,68,13,802	3,36,75,000
October 11, 2017	10,00,000	400.16	Market Purchase	40,01,62,540	3,46,75,000
October 12, 2017	8,50,000	401.93	Market Purchase	34,16,41,271	3,55,25,000
October 13, 2017	6,50,000	406.28	Market Purchase	26,40,80,543	3,61,75,000
October 16, 2017	3,00,000	407.97	Market Purchase	12,23,91,421	3,64,75,000
October 18, 2017	5,00,000	407.23	Market Purchase	20,36,16,484	3,69,75,000
October 23, 2017	5,00,000	407.61	Market Purchase	20,38,04,470	3,74,75,000
November 16, 2017	20,50,000	399.43	Market Purchase	81,88,30,228	3,95,25,000
November 17, 2017	25,00,000	400.88	Market Purchase	1,00,22,01,741	4,20,25,000
November 20, 2017	10,00,000	401.89	Market Purchase	40,18,92,471	4,30,25,000
November 21, 2017	15,00,000	404.06	Market Purchase	60,60,88,767	4,45,25,000
November 22, 2017	15,00,000	411.63	Market Purchase	61,74,43,846	4,60,25,000
November 23, 2017	18,00,000	407.70	Market Purchase	73,38,59,884	4,78,25,000
November 24, 2017	3,00,000	405.83	Market Purchase	12,17,48,261	4,81,25,000
November 27, 2017	10,50,000	399.88	Market Purchase	41,98,77,296	4,91,75,000
November 28, 2017	26,50,000	400.05	Market Purchase	1,06,01,25,743	5,18,25,000
November 29, 2017	20,00,000	403.71	Market Purchase	80,74,21,849	5,38,25,000
November 30, 2017	11,00,000	400.82	Market Purchase	44,09,06,769	5,49,25,000
December 4, 2017	5,00,000	388.31	Market Purchase	19,41,54,659	5,54,25,000
December 5, 2017	15,00,000	388.34	Market Purchase	58,25,12,305	5,69,25,000
December 6, 2017	15,50,000	387.11	Market Purchase	60,00,22,043	5,84,75,000
December 7, 2017	20,00,000	390.04	Market Purchase	78,00,74,789	6,04,75,000
December 8, 2017	15,00,000	395.11	Market Purchase	59,26,71,384	6,19,75,000
December 11, 2017	12,01,284	390.90	Market Purchase	46,95,82,649	6,31,76,284
December 12, 2017	15,00,000	401.88	Market Purchase	60,28,15,009	6,46,76,284
December 13, 2017	17,00,000	398.51	Market Purchase	67,74,66,915	6,63,76,284
December 14, 2017	12,00,000	392.59	Market Purchase	47,11,06,096	6,75,76,284
December 15, 2017	10,00,000	403.65	Market Purchase	40,36,50,012	6,85,76,284
December 18, 2017	15,00,000	412.03	Market Purchase	61,80,38,839	7,00,76,284
December 19, 2017	8,00,000	405.90	Market Purchase	32,47,19,341	7,08,76,284
December 20, 2017	17,50,000	403.86	Market Purchase	70,67,52,515	7,26,26,284
December 21, 2017	12,00,000	405.36	Market Purchase	48,64,25,620	7,38,26,284
December 26, 2017	12,00,000	404.57	Market Purchase	48,54,79,796	7,50,26,284
December 27, 2017	18,00,000	405.45	Market Purchase	72,98,18,884	7,68,26,284
December 28, 2017	17,00,000	401.07	Market Purchase	68,18,15,296	7,85,26,284
December 29, 2017	12,50,000	403.96	Market Purchase	50,49,54,161	7,97,76,284
January 1, 2018	9,50,000	403.73	Market Purchase	38,35,41,521	8,07,26,284
January 22, 2018	17,50,000	438.32	Market Purchase	76,70,59,708	8,24,76,284
January 23, 2018	12,00,000	438.36	Market Purchase	52,72,28,757	8,36,76,284
January 24, 2018	10,00,000	436.41	Market Purchase	43,64,07,096	8,46,76,284
January 25, 2018	7,50,000	443.83	Market Purchase	33,28,70,570	8,54,26,284
February 2, 2018	1,50,000	422.50	Market Purchase	6,34,34,980	8,55,76,284

(iv) **S. B. Adani Family Trust**

Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Cost of Acquisition per Equity Share / Transaction Value (In ₹)	Mode of Acquisition	Acquisition value (in ₹)	Cumulative No. of Equity Shares
June 6, 2015	16,98,63,676	0.09	Demerger of Port Undertaking of Adani Enterprises Ltd.	33,97,27,352	16,98,63,676
June 6, 2015	19,08,74,483	0.00		38,17,48,966	36,07,38,159
June 6, 2015	51,65,79,668	0.75		1,03,31,59,336	87,73,17,807

(v) **Universal Trade & Investments Limited**

Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Cost of Acquisition per Equity Share / Transaction Value (in ₹)	Mode of Acquisition	Acquisition value (in ₹)	Cumulative No. of Equity Shares
August 17 2016	50,000	273.36	Market Purchase	1,36,68,219	50,000
August 19, 2016	5,50,000	273.68	Market Purchase	15,05,22,352	6,00,000
August 23, 2016	18,00,000	273.04	Market Purchase	49,14,67,102	24,00,000
August 24, 2016	2,91,352	270.76	Market Purchase	7,88,86,413	26,91,352
August 25, 2016	3,50,000	262.88	Market Purchase	9,20,06,596	30,41,352
August 26, 2016	5,00,000	258.13	Market Purchase	12,90,66,507	35,41,352
August 29, 2016	11,00,000	258.66	Market Purchase	28,45,24,191	46,41,352
August 31, 2016	12,10,000	264.76	Market Purchase	32,03,55,766	58,51,352
September 1, 2016	12,00,000	260.44	Market Purchase	31,25,31,077	70,51,352
September 2, 2016	2,00,000	267.76	Market Purchase	5,35,52,176	72,51,352
September 6, 2016	11,00,000	271.07	Market Purchase	29,81,81,367	83,51,352
September 7, 2016	12,00,000	271.02	Market Purchase	32,52,23,321	95,51,352
September 8, 2016	6,00,000	274.83	Market Purchase	16,48,98,518	1,01,51,352
September 9, 2016	5,00,000	274.12	Market Purchase	13,70,60,000	1,06,51,352
September 12, 2016	7,00,000	261.30	Market Purchase	18,29,11,622	1,13,51,352
September 14, 2016	9,50,000	264.13	Market Purchase	25,08,24,686	1,23,01,352
September 15, 2016	8,50,000	267.31	Market Purchase	22,72,15,539	1,31,51,352
September 16, 2016	5,00,000	272.72	Market Purchase	13,63,60,214	1,36,51,352
September 19, 2016	3,58,285	275.38	Market Purchase	9,86,57,215	1,40,09,637
September 20, 2016	4,00,000	272.82	Market Purchase	10,91,29,372	1,44,09,637
September 21, 2016	9,00,000	273.55	Market Purchase	24,61,94,595	1,53,09,637
September 22, 2016	3,53,700	276.02	Market Purchase	9,76,29,918	1,56,63,337
September 23, 2016	2,24,684	276.08	Market Purchase	6,20,30,127	1,58,88,021
September 26, 2016	2,50,000	272

...continued from previous page.

May 30, 2016	7,00,000	189.49	Market Purchase	13,26,40,610	28,00,000
June 2, 2016	8,00,000	204.15	Market Purchase	16,33,23,686	36,00,000
June 3, 2016	5,50,000	204.27	Market Purchase	11,23,47,273	41,50,000
June 7, 2016	7,50,000	206.75	Market Purchase	15,50,59,546	49,00,000
June 16, 2016	7,00,000	206.25	Market Purchase	14,43,71,620	56,00,000
June 17, 2016	5,00,000	208.67	Market Purchase	10,43,34,150	61,00,000
June 30, 2016	11,00,000	206.04	Market Purchase	22,66,39,631	72,00,000
July 5, 2016	12,00,000	215.60	Market Purchase	25,87,20,865	84,00,000
July 11, 2016	9,00,000	215.59	Market Purchase	19,40,31,113	93,00,000
July 12, 2016	10,00,000	219.24	Market Purchase	21,92,44,861	1,03,00,000
July 13, 2016	9,00,000	219.16	Market Purchase	19,72,45,684	1,12,00,000
July 14, 2016	6,00,000	219.35	Market Purchase	13,16,10,957	1,18,00,000
July 15, 2016	7,00,000	222.03	Market Purchase	15,54,18,920	1,25,00,000
July 18, 2016	6,00,000	221.23	Market Purchase	13,27,37,857	1,31,00,000
July 19, 2016	9,00,000	220.14	Market Purchase	19,81,24,314	1,40,00,000
July 20, 2016	10,00,000	221.43	Market Purchase	22,14,32,165	1,50,00,000
July 21, 2016	9,00,000	224.51	Market Purchase	20,20,59,017	1,59,00,000
July 22, 2016	8,00,000	225.75	Market Purchase	18,06,02,726	1,67,00,000
July 25, 2016	7,00,000	226.88	Market Purchase	15,88,14,378	1,74,00,000
July 26, 2016	7,00,000	227.95	Market Purchase	15,95,67,563	1,81,00,000
July 27, 2016	7,00,000	227.96	Market Purchase	15,95,75,070	1,88,00,000
July 28, 2016	8,00,000	229.93	Market Purchase	18,39,42,965	1,96,00,000
August 12, 2016	35,00,000	256.59	Market Purchase	89,80,51,238	2,31,00,000
August 16, 2016	40,00,000	270.91	Market Purchase	1,08,36,31,760	2,71,00,000
August 17, 2016	45,00,000	271.74	Market Purchase	1,22,28,34,693	3,16,00,000
August 18, 2016	35,00,000	275.98	Market Purchase	96,59,35,914	3,51,00,000
August 22, 2016	1,00,000	271.52	Market Purchase	2,71,52,370	3,52,00,000
August 23, 2016	2,00,000	271.93	Market Purchase	5,43,86,123	3,54,00,000
August 25, 2016	35,000	267.13	Market Purchase	93,49,525	3,54,35,000
August 31, 2016	13,500	263.87	Market Purchase	35,62,211	3,54,48,500
March 31, 2017	4,35,98,318	Nil	Gift	Nil	7,90,46,818

9. **CONFIRMATION FROM THE COMPANY IN TERMS OF THE COMPANIES ACT AND THE BUY-BACK REGULATIONS**

9.1 The Company will purchase the Equity Shares out of (i) its free reserves; or (ii) the securities premium account; or (iii) the proceeds of the issue of any shares or other specified securities, except that it will not be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of Equity Shares, in accordance with the Companies Act and the Buy-back Regulations.

9.2 All the Equity Shares of the Company are fully paid-up.

9.3 As required under the Companies Act and the Buy-back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are partly paid-up, Equity Shares with call-in-arrears, locked-in or non-transferable Equity Shares in the Buy-back till the time they become fully-paid, or till the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferable. The Company will not buy-back its Equity Shares pursuant to the Buy-back through any negotiated deals (whether on or off Stock Exchanges), spot transactions or any other private arrangements.

9.4 The promoters or their associates shall not deal in Equity Shares or other specified securities of the Company in the Stock Exchange or off-market, including inter-se transfer of shares among the promoters during the period from the date of passing of the resolution of the Board of Directors, being June 4, 2019, till the closing of the Buy-back.

9.5 There is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 as on the date of this Public Announcement.

9.6 In accordance with the Companies Act, the Equity Shares bought back by the Company will be extinguished, and will not be held for re-issue at a later date.

9.7 As per the provisions of the Buy-back Regulations and the Companies Act, the Company shall not make any issue of Equity Shares including by way of bonus or convert any outstanding employee stock options till the expiry of the Buy-back period under the Buy-back Regulations. Further, except as provided in the Buy-back Regulations and the Companies Act, other than in discharge of subsisting obligations, the Company will not raise further capital issue fresh Equity Shares for a period of one year from the expiry of the Buy-Back period.

9.8 The Company shall not withdraw the Buy-Back offer after the Draft Letter of Offer has been filed with the Securities and Exchange Board of India.

9.9 A sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back shall be transferred to the capital redemption reserve account and details of such transfer shall be disclosed in the balance sheet.

9.10 The Company is not undertaking the Buy-back so as to delist the Equity Shares from the Stock Exchange.

9.11 The Company shall not make any offer of buy-back within a period of one year reckoned from the date of expiry of the Buy-back period of the preceding offer of buy-back.

9.12 The Company has adequate resources to fund the Buy-Back and will not be required to obtain any sort of financial arrangement or facility for the purpose of the Buy-Back.

9.13 Our debt-equity ratio on a standalone basis and a consolidated basis post completion of Buy-Back will not be greater than twice the aggregate of the paid-up share capital and free reserves.

9.14 The Company confirms that its subscribed, issued and paid up equity capital of the Company is listed and no Equity Shares are pending listing.

10. **AUDITOR'S REPORT**

Report addressed to the Board of Directors by the Company's Auditors on the permissible capital payment:

The text of the report dated June 4, 2019 received from Deloitte Haskins & Sells LLP, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

Quote

REF: GJS/APSEZ/2019-20/01

To,
Board of Directors,
Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Adani House,
Nr. Mithakhali Six Roads,
Navrangpura,
Ahmedabad – 380 009

Dear Sir/ Madam,

Re: Statutory Auditor's Report in respect of proposed buyback of equity shares by Adani Ports and Special Economic Zone Limited (the "Company") in terms of Clause (xi) of Schedule I of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("the Buyback Regulations")

1. This Report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated June 1, 2019.

2. The Board of Directors of the Company have approved a proposal for buyback of Equity Shares by the Company at its Meeting held on June 4, 2019, in pursuance of the provisions of Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013, as amended (the "**Act**") and the Buyback Regulations.

3. We have been requested by the Management of the Company to provide a report on the accompanying "Statement of Permissible Capital Payment as at March 31, 2019" ("Annexure A") (hereinafter referred to as the "Statement"). This Statement has been prepared by the Management, which we have initialled for the purposes of identification only.

Management's Responsibility

4. The preparation of the Statement in compliance with Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations and compliance with the Buyback Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

In the absence of any definition of or guideline for "Insolvent" in the Buyback Regulations, the Company has considered a situation for not being able to continue as going concern (as mentioned in Standard on Auditing 570 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India) for a period of one year from June 4, 2019 as "Insolvent".

Auditor's Responsibility:

5. Pursuant to the requirements of the Buyback Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance that:

i. we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the annual audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019;

ii. the amount of permissible capital payment as stated in Annexure A, has been properly determined considering the annual audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019 in accordance with Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations; and

iii. the Board of Directors of the Company, in their Meeting held on June 4, 2019 have formed the opinion as specified in Clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent (as defined in management responsibility above) within a period of one year from the aforesaid date with regard to the proposed buyback are declared.

6. The annual standalone and consolidated financial statements referred to in paragraph 5 above, have been audited by us, on which we have issued an unmodified audit opinion in our report dated May 27, 2019. We conducted our audit of the annual standalone and consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.

7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note") and Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as applicable for the purpose of this certificate. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements. Further our examination did not extend to any other parts and aspects of a legal or proprietary nature in the aforesaid Buyback.

Opinion

9. Based on inquiries conducted and our examination as above, we report that:

i. We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its annual audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2019, which have been approved by the Board of Directors of the Company on May 27, 2019.

ii. The amount of permissible capital payment towards the proposed buy back of equity shares as computed in the Statement attached herewith, as Annexure A, in our view has been properly determined in accordance with Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations.

iii. The Board of Directors of the Company, at their meeting held on June 4, 2019 have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent (as defined in management responsibility above) within a period of one year from the date of passing the Board Resolution dated June 4, 2019.

Restriction on use

10. This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company (i) in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company as mentioned in paragraph 2 above, (ii) to enable the Board of Directors of the Company to include in the public announcement and other documents pertaining to buyback to be filed with (a) the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges, and any other regulatory authority as per applicable law and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (iii) can be shared with the Merchant Bankers in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company for onward submission to relevant authorities in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Act and the Buyback Regulations, and may not be suitable for any other purpose. This report should not be used for any other purpose without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Deloitte Haskins & Sells LLP
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 117366W/W-100018)

Gaurav J Shah
Partner
(Membership No. 35701)
(UDIN:19035701AAAABQ8238)

Place: Ahmedabad

Date: 4th June, 2019

Annexure A - Statement of Permissible Capital Payment

Computation of amount of permissible capital payment towards buyback of equity shares in accordance with Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 ("**the Act**") and Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended, based on annual audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2019.

(₹ In crores)

Particulars		Standalone	Consolidated
Paid up Equity Share Capital As on March 31, 2019 (2,07,09,51,761 fully paid up Equity Shares of ₹ 2 each)	(A)	414.19	414.19
Free Reserves as on March 31, 2019			
Securities Premium		2,535.70	2,561.72
General Reserve		2,575.87	2,575.87
Retained Earnings		14,193.80	17,689.58
Total Free Reserves	(B)	19,305.37	22,817.17
Total	C= (A+B)	19,719.56	23,231.36
Maximum amount permissible towards buy-back of equity shares in accordance with Section 68(2)(b) of the Companies Act,2013 i.e. 10 % of Paid up equity capital and free reserves	C*10%	1,971.96	2,323.14
Maximum amount permissible for buy-back under the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations, i.e. 10% of the total paid up capital and free reserves	C * 10%	1,971.96	2,323.14

Note: The amount of paid up equity share capital and free reserves as at March 31, 2019 have been extracted from the annual audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2019.

For **Adani Ports and Special Economic Zone Limited**

(Azad Soman)
Vice President (Finance & Accounts)

Date – June 04, 2019

Unquote

11. **RECORD DATE AND SHAREHOLDER'S ENTITLEMENT**

11.1 On the basis of the shareholding on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Equity Shareholder, including Small Shareholders, to tender their Equity Shares in the Buy-back. This entitlement for each shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective shareholder on the Record Date and the ratio of the Buy-back applicable in the category to which such Equity Shareholder belongs. The number of Equity Shares purchased by the Company from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered by such Equity Shareholder. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.

11.2 The Equity Shares proposed to be bought back by the Company shall be divided into two categories; (a) reserved category for Small Shareholders and (b) the general category for all other shareholders, and the entitlement of a shareholder shall be calculated accordingly. In terms of the Buy-Back Regulations, a "small shareholder" is a shareholder of the Company who holds Equity Shares or other specified securities, whose market value, on the basis of closing price of the Equity Shares or other specified securities, on a recognised stock exchange in which the highest trading volume in respect of such Equity Shares on the Record Date, is not more than ₹2,00,000 (Rupees Two Lakhs only). For the purposes of classification of a shareholder, as a "small shareholder", multiple demat accounts having the same permanent account number, in case of securities held in the demat form are to be clubbed together.

11.3 In accordance with Regulation 6 of the Buy-Back Regulations, 15% of the number of Equity Shares, which the Company proposes to buy-back or number of Equity Shares entitled as per the shareholding of the Small Shareholders, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders in this Buy-back.

11.4 In order to ensure that the same Eligible Shareholders with multiple demat accounts/folios do not receive higher entitlement under the Small Shareholder category, the Equity Shares held by such Eligible Shareholder with a common Permanent Account Number ("**PAN**") shall be clubbed together for determining the category (Small Shareholder or General) and entitlement under the Buy-back. In case of joint shareholding, the Equity Shares held in cases where the sequence of PANs of the joint shareholders is identical shall be clubbed together. In case of physical shareholders, where the sequence of PANs is identical, the Company will club together the equity shares held in such cases. Similarly, in case of physical shareholders where PAN is not available, the Company will check the sequence of names of the joint holders and club together the equity shares held in such cases where the sequence of name of joint shareholders is identical.

11.5 The shareholding of institutional investors like mutual funds, insurance companies, foreign portfolio investors etc. with common PAN shall not be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes/ sub-accounts and have different demat account nomenclature based on information prepared by the Registrar as per the shareholder records received from the depositories.

11.6 Further, the Equity Shares held under the category of 'clearing members' or 'corporate body margin account' or 'corporate body-broker' as per the beneficial position data as on the Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.

11.7 Eligible Shareholders may tender a part of their entitlement. An Eligible Shareholder also has the option of tendering additional Equity Shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Eligible Shareholder, if any. If the Buy-back entitlement for any Equity Shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of entitlement to tender Equity Shares in the Buy-back.

11.8 After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in other category.

11.9 The maximum tender under the Buy-back by any Eligible Shareholders cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholders as on the Record Date.

11.10 The Equity Shares tendered as per the entitlement by the Eligible Shareholder as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in the Buy-back Regulations. Eligible Shareholders will receive a Letter of Offer (containing detailed instructions for participation in the Buy-back and the relevant time table) along with a Tender Offer Form indicating the entitlement of the equity shareholder for participating in the Buy-back, to be sent in due course to the Eligible Shareholders.

12. **PROCESS AND METHODOLOGY FOR THE BUY-BACK**

12.1 The Buy-back shall be available to all Shareholders holding Equity Shares in the dematerialized form as on the Record Date. The Buy-back shall be undertaken on a proportionate basis through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buy-Back Regulations. Additionally, the Buy-back shall, subject to applicable laws, be facilitated by tendering of Equity Shares by the Shareholders and settlement of the same, through the stock exchange mechanism as specified in the SEBI Circulars.

12.2 The Company has appointed JM Financial Services Limited, as the registered broker to the Company (the "**Company Broker**") to facilitate the process of tendering of Equity Shares through the stock exchange mechanism for the Buy-back as described in paragraph 12.4 below. The details of the Company Broker are as follows:

JM Financial Services Limited
5th Floor, Cnergy
Appasaheb Marathe Marg
Prabhadevi, Mumbai 400 025
India
Tel: +91 22 6704 3000; +91 22 3024 3953
Fax: +91 22 4505 7222
Contact Person: Sanjay Bhatia
Email: sanjay.bhatia@jmfl.com;
Website: www.jmfinancialservices.in
SEBI Registration Number: INZ000195834
Corporate Identification Number: U67120MH1998LC115415

12.3 The Company will request both Stock Exchanges to provide a separate acquisition window ("**Acquisition Window**") to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback. BSE Limited has been appointed as the designated stock exchange to provide a separate acquisition window to facilitate placing of sell orders by Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Buy-back.

12.4 At the beginning of the tendering period, the order for buying up to 3,92,00,000 Equity Shares shall be placed by the Company through the Company Broker. During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed by the Shareholders through their respective stock brokers (each, a "**Shareholder Broker**") during normal trading hours of the secondary market. In the tendering process, the Company Broker may also process the orders received from the Shareholders.

12.5 **Procedure to be followed by Shareholders:**

12.5.1 All Shareholders holding the Equity Shares in the physical form shall note that in accordance with the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from April 1, 2019, any transfer of Equity Shares shall not be processed unless such Equity Shares are held in the dematerialized form with a depository. Accordingly, the Company will not be able to accept Equity Shares tendered in physical form in the Buy-back. Therefore, the Equity Shareholders who are holding the Equity Shares in the physical form are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized before tendering their equity shares in the Buy-back.

12.5.2 In case any person who has submitted the Equity Shares held by them in the physical form for dematerialisation should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialised is completed before such eligible Shareholders tender their Equity Shares in the Buy-back, so that they can participate in the Buy-back.

12.5.3 All Shareholders who desire to tender Equity Shares (held by them in dematerialised form) in the Buy-back would have to do so through their respective Shareholder Broker by indicating to such Shareholder Broker, the details of the Equity Shares they intend to tender under the Buy-back.

12.5.4 Each Shareholder Broker would be required to place an order/bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buy-back using the Acquisition Window of the Stock Exchanges. Before placing the bid, the Eligible Shareholder would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of the Indian Clearing Corporation Limited or the National Securities Clearing Corporation (the "**Clearing Corporation**"), by using the early pay in mechanism as prescribed by the Stock Exchanges or the Clearing Corporation prior to placing the order/bid by the Shareholder Broker.

12.5.5 The details of the Special Account shall be provided in the issue opening circular that will be issued by the Stock Exchanges or the Clearing Corporation.

12.5.6 For custodian participant orders, for dematerialised Equity Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of the order by the custodian participant. The custodian participant shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian participant confirmation and the revised order shall be sent to the custodian participant again for confirmation.

12.5.7 The reporting requirements for non-resident shareholders under Reserve Bank of India, Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Shareholders and/or the Shareholder Broker through which the Eligible Shareholders places the bids.

12.5.8 Upon placing the bid, the Shareholder Broker shall provide a Transaction Registration Slip ("**TRS**") generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder. The TRS will contain the details of the order submitted like bid ID number, application number, DP ID, client ID, number of Equity Shares tendered, etc.

12.5.9 Modification or cancellation of orders will be allowed only during the tendering period of the Buy-back.

12.5.10 The cumulative quantity of Equity Shares tendered under the Buyback shall be made available on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

13. **METHOD OF SETTLEMENT**

Upon finalization of the basis of acceptance as per the Buy-Back Regulations:

13.1 The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

13.2 The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buy-back to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule. For demat Equity Shares accepted under the Buy-back, the Clearing Corporation will make direct funds payout to respective Eligible Shareholders. If Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by RBI/ the concerned bank, due to any reason, such funds will be transferred to the concerned Shareholder Brokers' settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form.

13.3 The Equity Shares bought back in the dematerialised form would be transferred directly to the escrow account of the Company (the "**Demat Escrow Account**") provided it is indicated by the Company Broker or it will be transferred by the Company Broker to the Demat Escrow Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of the Stock Exchanges.

13.4 In case of certain client types viz. Non-Resident Shareholders (where there may be specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Shareholder Broker's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder account. For this purpose, the client type details would be collected from the Depositories, whereas amount payable to the Eligible Shareholder pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by the Stock Exchanges and the Clearing Corporation from time to time.

13.5 Eligible Shareholder will have to ensure that they keep their depository participant ("**DP**") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non/partial acceptance of shares under the Buyback. Excess Equity Shares or unaccepted Equity Shares, in dematerialised form, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be transferred by the Clearing Corporation directly to the respective Eligible Shareholder's DP account. If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Shareholder Broker's depository pool account for onward transfer to such Eligible Shareholder.

13.6 Each Shareholder Broker will issue contract note for the Equity Shares accepted under the Buy-back. The Company Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buy-back.

13.7 Shareholders who intend to participate in the Buy-back should consult their respective Shareholder Broker for payment to them of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the respective Shareholder Broker upon the Shareholders for tendering Equity Shares in the Buy-back. The Buy-back consideration received by the Shareholders, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, charges and expenses (including brokerage) and the Company and the Manager to the Buy-back accept no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Shareholders tendering their Equity Shares in the Buy-back.

13.8 The Equity Shares lying to the credit of the Demat Escrow Account will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buy-Back Regulations.

14. We confirm that there are no defaults subsisting in repayment of deposits, redemption of debentures or preference shares or repayment of term loans to any financial institutions or banks.

15. The Board has made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and are of the opinion:

(i) that immediately following the date of the Board Approval, there will be no grounds on which the Company could be found to be unable to pay its debts;

(ii) as regards its prospects for the year immediately following that date that, having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in their view be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Approval; and

(iii) that in forming the opinions as set out in paragraphs 10(i) and 10(ii) for the above purposes, the Board shall take into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (including prospective and contingent liabilities).

16. **COMPLIANCE OFFICER**

Kamlesh Bhagia
Company Secretary and Compliance Officer
Adani House
Near Mithakhali Six Roads
Navrangpura
Ahmedabad 380 009
Gujarat, India
Tel.: +91 91 79 2656 5555
E-mail: kamlesh.bhagia@adani.com

Shareholders may contact the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, during office hours, being 10:00 A.M. to 5:00 P.M. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays.

17. **REGISTRAR TO THE BUY-BACK AND INVESTOR SERVICE CENTRE**

In case of any queries, the Shareholders may also contact the RTA during working hours, being 10:00 A.M. to 5:00 P.M. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays at the following address:

LINK Intime

Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra 400 083
Tel: +91 22 4918 6300
Fax: +91 22 4918 6195
Contact Person: Sumeet Deshpande
Email: adaniports.buyback@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
SEBI Registration Number: INR000004058
Corporate Identity Number: U67190MH1999PTC118368

18. **MANAGER TO THE BUY-BACK**

JM FINANCIAL

JM Financial Limited
7th Floor, Cnergy
Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025
Tel: +91 22 6630 3030
Fax: +91 22 6630 3330
Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
E-mail: adaniports.buyback@jmfl.com
Website: www.jmfl.com
SEBI Registration Number: INM000010361
Corporate Identity Number: U67120MH1986PLC038784

19. **DIRECTORS RESPONSIBILITY**

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buy-Back Regulations, the Board accepts full and final responsibility for the information contained in this Public Announcement.

For and on behalf of the Board of Directors of **Adani Ports and Special Economic Zone Limited**

Gautam S. Adani	**Karan Adani**	**Kamlesh Bhagia**
Chairman and Managing Director	Chief Executive Officer and Whole - Time Director	Company Secretary and Compliance Officer

Place: Ahmedabad
Date: June 6, 2019

Adfactors 123

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

MACK TRADING COMPANY LIMITED

(CIN: L51900MH1980PLC022532)
Registered Office: 5-C, Sindhu House, Nanabhai Lane, Flora Fountain, Fort, Mumbai - 400 001
Tel.: +91 22 2204 7404; Email: info@macktradingcompany.com; Website: www.macktradingcompany.com; Contact Person: Mr. Vikas Pavankumar, Director

This Public Announcement (the "Public Announcement") is being issued by Mrs. Rita Pavankumar (the "Acquirer") to the Public Shareholders of Mack Trading Company Limited (the "Company") in respect of the proposed acquisition of the entire Public Shareholding of the Company i.e. 1,54,450 (One Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred and Fifty Only) equity shares of face value ₹ 10/- each representing 45.03% of the total paid-up equity share capital of the Company and consequent voluntary delisting of the equity shares of the Company from the BSE Limited (the "BSE") pursuant to Regulation 10 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended, ("SEBI Delisting Regulations") and in accordance with the terms and conditions set out below ("Delisting Offer").

1. BACKGROUND OF THE DELISTING OFFER

1.1. **History of the Company:**

The Company was incorporated as "Mack Trading Company Limited" on April 18, 1980 under the Companies Act, 1956 and obtained the certificate of commencement of business on April 24, 1980 from the Registrar of Companies, Maharashtra at Bombay. The registered office of the Company is situated at 5-C, Sindhu House, Nanabhai Lane, Flora Fountain, Fort, Mumbai - 400 001. The equity shares of the Company are listed on BSE with effect from July 11, 1980.

1.2. **Capital Structure of the Company:**

The capital structure of the Company as on the date of this Public Announcement is as under:

Particulars	Amount (in ₹ lakhs)
Authorised Capital	
25,00,000 Equity shares of ₹ 10/- each	**250.00**
Issue, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital	
3,43,000 Equity shares of ₹ 10/- each	**34.30**

1.3. As on the date of this Public Announcement, the Promoter and Promoter Group of the Company collectively holds 1,88,550 (One Lakh Eighty Eight Thousand Five Hundred Fifty only) equity shares of face value ₹ 10/- each representing 54.97% of the total paid-up equity share capital of the Company.

1.4. The Acquirer is making this Offer to acquire 1,54,450 (One Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred and Fifty Only) equity shares (the "Offer Shares") representing 45.03% of the total paid-up equity share capital of the Company from the Public Shareholders (i.e. shareholders other than the Acquirer, Promoters and Promoter Group) in compliance with Chapter IV of the SEBI Delisting Regulations. If the Delisting Offer is successful in accordance with the terms set out in Clause 9 of this Public Announcement, the Acquirer will apply to delist the equity shares from the BSE pursuant to and in accordance with the SEBI Delisting Regulations and on the terms set out in the Public Announcement, Letter of Offer and any other delisting offer documents. Consequent to such actions, the equity shares of the Company shall be delisted from the BSE.

1.5. The Acquirer vide her letter dated February 19, 2019 (the "**Acquirer Letter**") conveyed her intention to make a voluntary delisting offer to acquire the Offer Shares by herself and delist the equity shares of the Company from BSE in accordance with the SEBI Delisting Regulations and requested the Board of Directors to approve the Delisting Offer and to seek the requisite approval from the shareholders through postal ballot and e-voting in accordance with the SEBI Delisting Regulations.

1.6. The Acquirer has submitted a certificate from M/s. Jhaveri Shah & Co., Chartered Accountants dated February 21, 2019 calculating the Floor Price, computed in accordance with Regulation 15(2) of the SEBI Delisting Regulations read with Regulation 8 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011, for the Delisting Offer to be ₹ 73.76 (Rupees Seventy Three and Paise Seventy Six only) per Equity Share (the "Floor Price").

1.7. The Board of Directors, at its meeting held on February 22, 2019, took on record the Acquirer Letter and appointed KJMC Corporate Advisors (India) Limited as the Merchant Banker for carrying out due diligence as required in terms of Regulations 8(1A) (ii) and 8(1D) of the SEBI Delisting Regulations and notified the BSE on February 22, 2019.

1.8. The Board of Directors, in their meeting held on March 15, 2019, inter alia passed/approved the following:

(i) Taken on record the Due Diligence Report dated March 12, 2019 submitted by KJMC Corporate Advisors (India) Limited in terms of Regulation 8(1D) & 8(1E) of the SEBI Delisting Regulations

(ii) After consideration of the various factors and advantages of delisting and also considering the Due Diligence Report, the Board has granted their approval under Regulation 8(1)(a) of the SEBI Delisting Regulations and recommended the proposal to voluntarily delist the equity shares of the Company from the BSE for approval of the shareholders of the Company through postal ballot. The Board of Directors have also certified that (a) The Company is in compliance with the applicable provisions of the securities laws except non-compliance with Regulation 6 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Clause 47 (a) of the Listing Agreement, as applicable till November 30, 2015 with respect to appointment of qualified Company Secretary as a Compliance Officer prior to October 3, 2018 except for the period between January 23, 2015 to July 31, 2015; (b) The Promoter and Promoter Group and their related entities are in compliance with the sub-regulation (5) of Regulation 4 of the SEBI Delisting Regulations; and (c) The proposed delisting is in the interest of the shareholders;

(iii) Taken on record the certificate dated February 21, 2019 issued by M/s Jhaveri Shah & Co., Chartered Accountants, certifying that in terms of the Regulation 15(2) of the SEBI Delisting Regulations read with Regulation 8 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011, the Floor Price shall be ₹ 73.76 (Rupees Seventy Three and Paise Seventy Six only) per Equity Share; and

(iv) Approved the notice of postal ballot to seek approval of the shareholders of the Company in accordance with Regulation 8(1)(b) of the SEBI Delisting Regulations and in accordance with the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable laws.

The Company notified the outcome of the aforesaid Board meeting to the Bombay Stock Exchange on March 15, 2019.

1.9. The Company had dispatched the notice of postal ballot to the shareholders of the Company for seeking their approval through postal ballot and e-voting.

1.10. The shareholders of the Company approved the Delisting Offer by way of passing a special resolution in accordance with the SEBI Delisting Regulations, based on the results of the postal ballot which were declared on April 25, 2019 and notified to the Bombay Stock Exchange on April 25, 2019. As part of the said resolution, the votes cast by the Public Shareholders in favour of the Delisting Offer are 1,51,955 (One lakh fifty one thousand nine hundred and fifty five only) votes which is more than two times the number of votes cast by the Public Shareholders against it i.e. 11 (eleven only) votes.

1.11. The Company has been granted in-principle approval for delisting of the equity shares of the Company from BSE Limited vide their letter no. LO\Delisting\CS\IP\99\2019-20 dated June 06, 2019 in accordance with Regulation 8(3) of the SEBI Delisting Regulations.

1.12. The Public Announcement, in accordance with Regulation 10 (1) of the SEBI Delisting Regulations, is being published on June 7, 2019 in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Financial Express	English	All editions
Jansatta	Hindi	All editions
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai edition

1.13. The Delisting Offer is subject to the acceptance of the Discovered Price, calculated in accordance with the SEBI Delisting Regulations, by the Acquirer. The Acquirer may also, at her discretion, propose a price higher than the Discovered Price or a price which is lower than the Discovered Price but not less than the book value of the Company as certified by the Merchant Banker, in terms of regulation 16(1A) of the SEBI Delisting Regulations ("**Counter Offer Price**") for the purposes of the Delisting Offer. Any Discovered Price that is accepted by the Acquirer for the Delisting Offer or a higher price that is offered for the Delisting Offer at her discretion or a Counter Offer Price that results in shareholding of the Promoter and Promoter Group reaching 90% of the total Equity Shares outstanding pursuant to acceptance of the Counter Offer Price by Public Shareholders, shall hereinafter be referred to as the Exit Price.

1.14. The Acquirer reserve the right to withdraw the Delisting Offer in certain cases as set out in Clause 17 of the Public Announcement.

1.15. Neither the Acquirer nor any other entity belonging to the Promoter and Promoter Group of the Company shall sell equity shares of the Company till the completion of the Delisting Process.

2. NECESSITY AND OBJECTIVES OF THE DELISTING OFFER

2.1. The objective of the Acquirer in making the Delisting Offer is inter-alia to:

(a) obtain full ownership of the Company, which will in turn provide enhanced operational flexibility to support the Company's operations;

(b) save compliance costs and reduction in dedicating management time to comply with the requirements associated with the continued listings, which can be refocused on the Company's operations; and

(c) provide an exit opportunity to the Public Shareholders of the Company.

2.2. In view of the above, the Acquirer believes that the Delisting Offer can provide the Public Shareholders an opportunity to exit from the Company at a price discovered in accordance with the SEBI Delisting Regulations. The Discovered Price will be determined in accordance with the reverse book building process as set out in the SEBI Delisting Regulations and will be subject to acceptance by the Acquirer.

3. INFORMATION ABOUT MRS. RITA PAVANKUMAR (ACQUIRER)

3.1. The Acquirer, Mrs. Rita Pavankumar, aged 55, residing at Bhagirathi, 49-B, Nehru Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057, is one of the promoters of the Company. She holds a degree of Bachelor of Commerce from University of Mumbai. She is Non-executive Director of the Company since December 1998.

3.2. As on the date of this Public Announcement, the Acquirer is holding 33,250 equity shares of ₹ 10/- each representing 9.69% of the total paid-up equity share capital of the Company.

3.3. The Promoter and Promoter Group including Acquirer holds 1,88,550 equity shares in the Company as on the date of this Public Announcement, details of which are as under:

Name of the Promoter/ Promoter Group	No. of Equity Shares held	% of Paid-up Equity Share Capital of the Company
Rita Pavankumar	33,250	9.69%
Sanwarmal Pavankumar (HUF)	1,540	0.45%
Vikas Pavankumar	140	0.04%
Resham Resha Private Limited	71,500	20.85%
SM Shati Seva Private Limited	82,120	23.94%
Total	**1,88,550**	**54.97%**

3.4. No individual/entity belonging to the Promoter or promoter group has sold any equity shares of the Company during the six months preceding the date of the board meeting March 15, 2019 wherein the Delisting Offer was approved. Further, all the members/ entities belong to the Promoter or promoter group of the Company have undertaken not to sell the equity shares of the Company until the earlier of (i) completion of the Delisting Offer in accordance with the SEBI Delisting Regulations; or (ii) failure of the Delisting Offer in accordance with the SEBI Delisting Regulations.

3.5. The Acquirer, Promoter and Promoter Group have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act.

3.6. The Acquirer hereby invites all the Public Shareholders of the Company to bid in accordance with the reverse book building process and on the terms and subject to the conditions set out herein, all of their Offer Shares.

3.7. The Acquirer has, as detailed in Clause 15 of this Public Announcement made available all the requisite funds necessary to fulfill the obligations of the Acquirer under the Delisting Offer.

4. BACKGROUND OF THE COMPANY

4.1. The Company was incorporated as "Mack Trading Company Limited" on April 18, 1980 under the Companies Act, 1956 and obtained the certificate of Commencement of Business on April 24, 1980 from the Registrar of Companies, Maharashtra at Bombay. The registered office of the Company is situated at 5-C, Sindhu House, Nanabhai Lane, Flora Fountain, Fort, Mumbai - 400 001. The Company came out with an initial public offer in 1980 and its equity shares were listed on BSE with effect from July 11, 1980. The CIN of the Company is L51900MH1980PLC022532.

4.2. The Company carries on the business of investments and trading.

4.3. As on the date of the Public Announcement, the Company has no outstanding preference shares, partly paid-up equity shares, convertible instruments, stock options or any other instruments that may result in the issuance of equity shares by the Company. Further, as on date, none of the equity shares held by the Public Shareholders are subject to any lock-in requirements.

4.4. Brief audited financial statements of the Company on consolidated basis, based on Indian Accounting Standards ("Ind AS"), for the financial year ended on March 31, 2019 and March 31, 2018 along with audited financial results based on Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) for the financial year ended on March 31, 2017 are as under:

(₹ in lakhs except EPS)

Particulars	For the year ended on March 31, 2019	For the year ended on March 31, 2018	For the year ended on March 31, 2017
Paid-up equity share capital	34.30	34.30	34.30
Reserves and Surplus / Other Equity	1,589.88	1,587.79	926.23
Minority Interest / Non Controlling Interest	322.31	262.03	140.22
Non-Current Liabilities	202.36	91.74	307.56
Current Liabilities	4.36	214.21	11.82
Non-Current Assets	2,096.10	1,735.10	1,355.25
Current Assets	57.10	454.97	64.88
Total Revenue	120.33	1,295.11	115.11
Total Expenses	87.19	289.99	71.38
Profit / (Loss) Before Tax	33.14	1,005.12	43.73
Net Profit / (Loss) for the year (After Adjustment of minority Interest)	(289.17)	671.80	32.06
Other Comprehensive Income (Net of Tax) - Gain / (Loss) on fair value of equity / MF instrument	1,074.12	1,287.58	Not Applicable
Total Comprehensive Income	784.95	1,959.39	Not Applicable
EPS (Basic and Diluted)(Rs.)	228.85	571.25	8.06

Source: Company filings with BSE

4.5. The capital structure of the company as on the date of this Public Announcement is as under:

Particulars	Amount (in ₹ lakhs)
Authorised Capital	
25,00,000 Equity shares of ₹ 10/- each	**250.00**
Issue, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital	
3,43,000 Equity shares of ₹ 10/- each	**34.30**

4.6. The shareholding pattern of the Company as on March 31, 2019 is given below:

Category of shareholder	No. of shares held	Percentage of holding (in %)
Promoters Shareholding		
Indian	1,88,550	54.97
Foreign	-	-
Sub-Total (A)	**1,88,550**	**54.97**
Public shareholding		
Institutions		
Financial Institutions / Banks	-	-
Alternate Investment Funds	-	-
Foreign Portfolio Investor	-	-
Foreign Institutional Investor	-	-
Non-Institutions		
Individuals	78,494	22.88
Clearing Members	1	0.00
Bodies Corporate	75,905	22.10
Trusts	150	0.04
Sub-Total (B)	**1,54,450**	**45.03**
Grand Total (A) + (B)	**3,43,000**	**100.00**

4.7. The pre-listing shareholding pattern and likely post-delisting shareholding pattern of the Company, assuming that all Offer Shares with the Public Shareholders are acquired pursuant to the Delisting Offer, will be as follows:

Category	Before Delisting Offer		After Delisting Offer	
	Number of Equity Shares	% of shareholding	Number of Equity Shares	% of shareholding
Acquirer (along with other Promoters/Promoter Group)	1,88,550	54.97	3,43,000	100.00
Public Shareholding	1,54,450	45.03	-	-
Total	**3,43,000**	**100.00**	**3,43,000**	**100.00**

5. STOCK MARKET DATA

5.1. The high, low and the average market prices of equity shares traded in the preceding three Financial Years immediately preceding the Public Announcement are given below:

Period	High (in ₹)	Low (in ₹)	Average Price (₹)
FY 2019 (April 1, 2018 to March 31, 2019)	76.10	73.15	74.25
FY 2018 (April 1, 2017 to March 31, 2018)	74.65	74.65	74.65
FY 2017 (April 1, 2016 to March 31, 2017)	Nil	Nil	Nil

5.2. The monthly high, low and volume of equity shares traded on BSE for the six calendar months immediately preceding the month in which the Public Announcement is made are given below:

Period	High (in ₹)	Low (in ₹)	Volume (No. of Equity Shares)
May 2019	71.70	71.70	50
April 2019	Nil	Nil	Nil
March 2019	73.15	73.15	10,305
February 2019	74.60	73.15	173
January 2019	Nil	Nil	Nil
December 2018	Nil	Nil	Nil

Source: www.bseindia.com

Note: For the purpose of aforesaid tables:

- Average Price is the average of the daily closing prices during the period.
- High price is the maximum of the daily high prices and Low price is the minimum of the daily low prices of the equity shares of our Company for the year, or the month, as the case may be.
- Volume is the Monthly trading volume in number of equity shares for the period.

6. STOCK EXCHANGE FROM WHICH THE EQUITY SHARES ARE SOUGHT TO BE DELISTED AND STOCK MARKET INFORMATION

6.1. The Acquirer seeks to delist the equity shares of the Company from BSE. The Company has received the in-principle approval for de-listing from BSE vide their letter no. LO\Delisting\CS\IP\99\2019-20 dated June 06, 2019.

7. DETERMINATION OF THE FLOOR PRICE

7.1. The Acquirer propose to acquire the equity shares of the Company from the Public Shareholders pursuant to a reverse book building process established in terms of Schedule II of the SEBI Delisting Regulations.

7.2. The equity shares of the Company are currently listed and traded on BSE. The Security Code and Security ID of the Company are "501471" and "MACK" respectively and are placed under "XT" Group.

7.3. The annualized trading turnover based on the trading volume of the equity shares on the BSE during the period from February 1, 2018 to January 31, 2019 (i.e. twelve calendar months prior to February 19, 2019, the date on which the Company has informed BSE about the intent received from Acquirer for the proposed delisting of the Company) is as under:

Particulars	BSE
Number of shares traded	61,406
Weighted average number of shares outstanding during the aforesaid period	3,43,000
Annualized Trading Volume (in percentage)	17.90%

7.4. The equity shares of Mack Trading Company Limited are frequently traded on BSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

As required under Regulation 15(2) of the SEBI Delisting Regulations, the floor price of the Delisting Offer is required to be determined in terms of Regulation 8 of the Takeover Regulations, as may be applicable. The reference date for computing the floor price would be the date on which the recognized stock exchanges were notified of the board meeting in which the delisting proposal would be considered, i.e. February 19, 2019 ("**Reference Date**").

7.5. In terms of Regulation 8 of the SEBI Takeover Regulations, the floor price shall be higher of the following:

Particulars	Amount (in ₹)
The highest negotiated price per equity share of the Target for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a Public Announcement of an Open Offer	Nil
The volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the Acquirer or by any person acting in concert with her, during the 52 (fifty-two) weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Nil
The highest price paid or payable for any acquisition by whether by the Acquirer or by any person acting in concert with her during the 26 (twenty-six) weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Nil
The volume-weighted average market price of equity shares for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding the date of the Public Announcement as traded on stock exchange where the maximum volume of trading in the equity shares of the Target are recorded during such period i.e. BSE.	73.76

Based on the above, the Acquirer proposes to offer the Floor Price of ₹ 73.76 (Rupees Seventy Three and Paise Seventy Six only)

7.6. The Acquirer had on February 21, 2019, sent a letter to the Company, providing the details of the aforementioned Floor Price along with a certificate provided by M/s Jhaveri Shah & Co., Chartered Accountants, certifying the floor price for the Delisting Offer to be ₹ 73.76 (Rupees Seventy Three and Paise Seventy Six only) computed in accordance with the SEBI Delisting Regulations. The Floor Price was disclosed to the Bombay Stock Exchange as part of the outcome of the meeting of the Board of Directors held on March 15, 2019.

8. DETERMINATION OF DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE

8.1. The Acquirer proposes to acquire the Offer Shares from the Public Shareholders pursuant to a reverse book-building process through an acquisition window facility, i.e. separate acquisition window in the form of a web based bidding platform provided by the BSE, in accordance with the Stock Exchange Mechanism (the "Acquisition Window Facility" or "Offer To Buy"/"OTB"), conducted in accordance with the terms of the SEBI Delisting Regulations.

8.2. All Public Shareholders can tender their Offer Shares during the Bid Period as set out in Clause 11 of the Public Announcement.

8.3. The Discovered Price payable by the Acquirer for the Offer shares will be the price at which the shareholding of the Promoters and Promoter Group reaches 90% of the outstanding paid-up equity share capital pursuant to a reverse-book building process through Acquisition Window Facility conducted in the manner specified in Schedule II of the SEBI Delisting Regulations which shall not be lower than the Floor Price.

The Acquirer is under no obligation to accept the Discovered Price. The Acquirer may at her discretion:

(i) Accept the Discovered Price or

(ii) Offer a Price higher than the Discovered Price or

(ii) Offer a Counter Offer Price

The Exit Price shall be:

(i) The Discovered Price, if accepted by the Acquirer or

(ii) A Price higher than the Discovered Price if offered by the Acquirer at her discretion or

(iii) A Counter Offer Price offered by the Acquirer at her discretion which, pursuant to acceptance or rejection by the Public Shareholders, results in the shareholding of the Promoters and Promoter Group reaching 90% of the outstanding paid-up equity share capital.

8.4. The Acquirer may at her sole discretion acquire the Offer Shares subject to the conditions mentioned in Clause 9 of this Public Announcement at the Exit Price.

8.5. The Acquirer shall announce the Discovered Price and the decision to accept or reject the Discovered Price, the Counter Offer Price and/or the Exit Price as applicable, in the same newspapers in which the Public Announcement is published, in accordance with the timetable set out in Clause 16 of this Public Announcement.

8.6. Once the Acquirer announces the Exit Price, the Acquirer will acquire, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement and the Letter of Offer of the Delisting Offer, all the Offer Shares validly tendered at a price not exceeding the Exit Price, for a cash consideration equal to the Exit Price for each such Offer Share validly tendered. The Acquirer will not accept Offer Shares offered at a price that exceeds the Exit Price.

8.7. If the Acquirer does not accept the Discovered Price in terms of Regulation 16 of the SEBI Delisting Regulations or the Delisting Offer fails in terms of Regulation 17 of the SEBI Delisting Regulation:

(a) the Acquirer will have no right or obligation to acquire the Offer Shares tendered in the Delisting Offer;

(b) the Acquirer, through the Manager to the Offer, will within 5 working days of closure of the Bid Period announce such rejection of the Discovered Price or failure of the Delisting Offer, through announcement in all newspapers where the Public Announcement has been published;

(c) No final application for delisting shall be made before the BSE;

(d) The lien on the equity shares tendered in the Delisting Offer will be released and such equity shares shall be returned to the respective Public Shareholders from their relevant Seller Broker demat account within 10 (ten) working days from the closure of the Bid Period in accordance with Regulation 19(2)(a) of the SEBI Delisting Regulations;

(e) The Escrow Account opened under Regulation 11 of the SEBI Delisting Regulations shall be closed;

9. MINIMUM ACCEPTANCE AND SUCCESS CONDITIONS TO THE DELISTING OFFER

The acquisition of equity shares by the Acquirer pursuant to the Delisting Offer and the successful delisting of the Company pursuant to the Delisting Offer are conditional upon:

9.1. The Acquirer deciding in her sole and absolute discretion to accept the Discovered Price or offer an Exit Price higher than the Discovered Price or offering a Counter Offer Price which, pursuant to acceptance and/or rejection by Public Shareholders, results in the shareholding of the Promoter and Promoter Group reaching 90% of the outstanding paid-up equity share capital. It may be noted that notwithstanding anything contained in the Public Announcement or the Letter of Offer, the Acquirer reserves the right to accept or reject the Discovered Price if the same is higher than the Floor Price;

9.2. A minimum number of 1,20,150 (35.03%) Offer Shares being tendered at or below the Exit Price, prior to the closure of bidding period i.e. on the Bid Closing Date so as to cause the cumulative number of equity shares held by the Acquirer together with the Promoter and Promoter Group (as on date of the Public Announcement taken together with the Equity Shares acquired through the Acquisition Window Facility) to be equal to or in excess of 3,08,700 equity shares constituting 90% of the outstanding paid-up equity share capital ("Minimum Acceptance Condition");

9.3. A minimum number of 10 (Ten) shareholders (25% of number of Public Shareholders holding equity shares in dematerialized mode as on March 15, 2019, being the date of the meeting in which the proposal for Delisting was approved by the Board of Directors, shall participate in the reverse book building process, in accordance with Regulation 17(1)(b) of the SEBI Delisting Regulations, provided that if the Acquirer along with Manager to the Offer demonstrates to the BSE that they have delivered the Letter of Offer of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of delivery or through email as a text or as an attachment to email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "Letter of Offer Delivery Requirement"), then the mandatory participation of aforementioned number of Public Shareholders is not applicable;

9.4. If the acquirer or the manager to the offer is unable to deliver the letter of offer to certain shareholders by modes other than speed post or registered post of India Post, then the delivery of the letters of offer to them will be made by speed post or registered post through India Post. In that case, a detailed account regarding the status of delivery of letter of offer (whether delivered or not) provided from India Post would be considered as deemed compliance with the Regulation 17 (1) (b) of the SEBI Delisting Regulations.

Contd...

9.5. The Acquirer obtaining requisite statutory approvals, if any, required for the delisting as stated in Clause 17 of this Public Announcement and meeting the conditions set out in Regulation 17 of the SEBI Delisting Regulations; and

9.6. There being no amendments to the SEBI Delisting Regulations or other applicable laws or regulations or conditions imposed by any regulatory/statutory authority/body or order from a court or competent authority which would in the sole opinion of the Acquirer, prejudice the Acquirer from proceeding with the Delisting Offer. Provided that, withdrawal of the Delisting Offer on this count shall be subject to the receipt of regulatory approvals, if any, as may be required for the same.

10. ACQUISITION WINDOW FACILITY OR OFFER TO BUY (OTB)

10.1. SEBI, vide its circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 ("SEBI Circulars") has provided a framework for acquisitions pursuant to a delisting offer to be made through the stock exchanges ("Stock Exchange Mechanism"). As prescribed under the SEBI Circulars, the facility for such acquisitions shall be in the form of a separate window provided by a designated stock exchange having nationwide trading terminals. The Circulars further provide that the Stock Exchanges and Depositories shall take necessary steps and put in place necessary infrastructure and systems for implementation of the Stock Exchange Mechanism and ensure compliance with the requirements of the Circular.

10.2. As such, the Acquirer has opted to avail the Stock Exchange Mechanism and Acquisition Window Facility or OTB provided by the BSE, in compliance with the SEBI Circulars. BSE is the designated stock exchange for the purpose of the Stock Exchange Mechanism.

10.3. The cumulative quantity tendered shall be displayed on website of the BSE at specific intervals during Bid Period.

10.4. The Acquirer has appointed the Buyer Broker to undertake the acquisitions made pursuant to this Delisting Offer.

11. DATES OF OPENING AND CLOSING OF BID PERIOD

11.1. All the Public Shareholders holding equity shares in demat/electronic form are eligible to participate in the reverse book building process (**"RBBP"**) by tendering, the whole or part of the equity shares held by them through the Acquisition Window Facility at or above the Floor Price. The Bid Period shall commence on opening of trading hours on the Bid Opening Date, i.e. June 14, 2019 and close on the end of trading hours on the Bid Closing Date, i.e. June 20, 2019. Any change to the Bid Period will be notified by way of a corrigendum in the newspapers where the Public Announcement is published.

11.2. The Public Shareholders should note that the Bids are required to be uploaded in the Acquisition Window Facility or OTB on or before the Bid Closing Date for being eligible for participation in the Delisting Offer. Bids not uploaded in the Acquisition Window Facility or OTB will not be considered for delisting purposes and will be rejected.

11.3. The Public Shareholders should submit their Bids through stock brokers registered with stock exchanges only. Thus, Public Shareholders should not send bids to Company/Acquirer/Manager to the Offer/Registrar to the Offer.

11.4. Bids received after close of trading hours on the Bid Closing Date may not be considered for the purpose of determining the Discovered Price payable for the equity shares by the Acquirer pursuant to the reverse book building process.

11.5. The Letter of Offer inviting the Public Shareholders (along with necessary forms and detailed instructions) to tender their equity shares by way of submission of "Bids" will be dispatched as indicated in Clause 16 of this Public Announcement.

12. PROCEDURE FOR TENDERING AND SETTLEMENT THROUGH STOCK EXCHANGE MECHANISM

12.1. The Letter of Offer (along with necessary forms and instructions) inviting the Public Shareholders to tender their equity shares to the Acquirer will be dispatched to the Public Shareholders by the Acquirer whose names appear on the register of members of the Company and to the owner of the Equity Shares whose names appear as beneficiaries on the records of the respective depositories at the close of business hours on the Specified Date.

12.2. For further details on the schedule of activities, please refer to Clause 16 of the Public Announcement.

12.3. In the event of an accidental omission to dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Public Shareholder, such Public Shareholders may obtain a copy of the Letter of Offer by writing to the Registrar to the Offer at their address - 21, Shakil Niwas, Opp. Satya Saibaba Temple, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, clearly marking the envelope "Mack Trading Company Limited - Delisting Offer". Alternatively, the Public Shareholders may obtain copies of the Letter of Offer from the website of the BSE at www.bseindia.com, or from the website of the Manager to the Offer, at www.kjmc.com or from the website of the Registrar to the Offer, at www.unisec.in respectively.

12.4. The Delisting Offer is open to all Public Shareholders of the Company holding equity shares only in dematerialized form.

12.5. During the Bid Period, Bids will be placed through the Acquisition Window Facility by the Public Shareholders through their respective Seller Broker during normal trading hours of the secondary market. The Seller Brokers can enter orders for equity shares only in dematerialized form.

12.6. **Procedure to be followed by Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form**

- Public Shareholders who desire to tender their equity shares in the electronic form under the Delisting Offer would have to do so through their respective Seller Broker by indicating to their broker the details of equity shares they intend to tender under the Delisting Offer. The Public Shareholders should not send Bids to the Company or Acquirer or Manager to the Offer or to the Registrar to the Offer.
- The Seller Broker would be required to transfer the number of equity shares by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation of India Ltd. (**"Clearing Corporation"**) for the transfer of the equity shares to the Special Account of the Clearing Corporation before placing the bids/orders and the same shall be validated at the time of order entry.
- The details of the Special Account of Clearing Corporation/Settlement Number shall be informed in the issue opening circular/notice that will be issued by the BSE/Clearing Corporation before the bid opening date.
- For Custodian Participant orders for equity shares in dematerialized form, early pay-in is mandatory prior to confirmation of the relevant order by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the Bid Period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed Custodian Participant orders, any order modification shall be deemed to revoke the custodian confirmation relating to such order and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.
- Upon placing the bid, the Seller Broker shall provide a Transaction Registration Slip ("TRS") generated by the exchange bidding system to the Public Shareholder. TRS will contain the details of order submitted like Bid ID No., DP ID, Client ID, number of equity shares tendered and price at which the Bid was placed etc.
- The Clearing Corporation will hold the equity shares tendered under the Offer in trust until the Acquirer completes her obligations under the Delisting Offer in accordance with the SEBI Delisting Regulations.
- The Public Shareholders who have tendered their equity shares in the Delisting Offer can hand deliver Tender Form duly signed (by all Public Shareholders in case shares are in joint names) in same order in which they hold the equity shares, along with the TRS generated by the exchange bidding system at the Office of Registrar to the Delisting Offer. TRS will be generated by the respective Seller Broker. Public Shareholders who cannot hand deliver the Tender Form and other documents at the Office of Registrar to the Delisting Offer, may send the same by registered post/speed post/courier, at their own risk, superscribing the envelope as **"Mack Trading Company Limited - Delisting Offer"**, to the Registrar to the Delisting Offer.
- Public Shareholders shall also provide all relevant documents, which are necessary to ensure transferability of the equity shares in respect of the Tender Form to be sent. Such documents may include (but not be limited to):
  - a) Duly attested power of attorney, if any person other than the Public Shareholder has signed the Tender Form;
  - b) Duly attested death certificate and succession certificate/legal heirship certificate, in case any Public Shareholder has expired; and
  - c) In case of companies, the necessary certified corporate authorizations (including board and/or general meeting resolutions).
- In case of non-receipt of the completed Tender Form and other documents, but receipt of equity shares in the special account of the clearing corporation and a valid bid in the exchange bidding system, the Delisting Offer shall be deemed to have been accepted, for demat Public Shareholders.
- The Public Shareholders will have to ensure that they keep the DP Account active and unblocked to receive credit in case of return of equity shares due to rejection or due to failure of Delisting Offer. Further, Public Shareholders will have to ensure that they keep the saving account attached with the DP account active and updated to receive credit remittance due to acceptance of tendered shares.
- **In case of non-receipt of the Letter of Offer/Bid Form, the Public Shareholder may participate in the Delisting Offer by downloading the Tender Form from the website of the BSE, at www.bseindia.com or from the website of the Manager to the Offer, at www.kjmc.com or from the website of the Registrar to the Offer, at www.unisec.in or by providing their application in writing on plain paper, signed by all Public Shareholders (in case of joint holding), stating name and address of Shareholder(s), number of equity shares held as on the Record Date, Client ID number, DP Name/ID, beneficiary account number and number of equity shares tendered under the Delisting Offer.**
- Please note that submission of Bid Form and TRS is not mandatorily required in case of equity shares held in dematerialized form.

12.7. **Procedure to be followed by Public Shareholders holding equity shares in physical form**

As per the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from December 5, 2018, transfers of securities were not to be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Further, as per the press release dated December 3, 2018 read with press release dated March 27, 2019 issued by SEBI, with effect from April 1, 2019, the request for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository. Accordingly, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Delisting Offer unless such Equity Shares are in dematerialized form.

ACCORDINGLY, ALL ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES AND HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED.

12.8. In the event Seller Broker(s) are not registered with the Designated Stock Exchange or if the Public Shareholders do not have any stock broker then that Public Shareholders can approach any stock broker registered with the BSE and can make a bid by using quick unique client code (UCC) facility through that stock broker registered with the BSE after submitting the details as may be required by the stock broker to be in compliance with the applicable SEBI regulations. In case Public Shareholder is not able to bid using quick UCC facility through any other stock broker registered with the Stock Exchanges, then the Public Shareholder may approach Acquirer's Broker viz. KJMC Capital Market Services Limited, to bid by using quick UCC facility.

12.9. Public Shareholders, who have tendered their Offer Shares by submitting Bids pursuant to the terms of the Public Announcement and the Letter of Offer, may withdraw or revise their Bids upwards not later than 1 (one) day before the Bid Closing Date. Downward revision of Bids shall not be permitted. Any such request for revision or withdrawal of the Bids should be made by the Public Shareholder through their respective Seller Broker, through whom the original Bid was placed, not later than 1 (one) day before the Bid Closing Date. Any such request for revision or withdrawal of Bids received after normal trading hours of the secondary market 1 (one) day before the Bid Closing Date will not be accepted. Any such request for withdrawal or upward revision should not be made to the Company or Acquirer or Registrar to the Offer or Manager to the Offer.

12.10 It shall be the responsibility of the Public Shareholders tendering in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (*including corporate, statutory and regulatory approvals*) prior to tendering their equity shares in the Acquisition Window Facility. The Acquirer shall assume that the eligible Public Shareholders have submitted their Bids only after obtaining applicable approvals, if any. The Acquirer reserves the right to reject Bids submitted for shares which are without a copy of the required approvals.

12.11 The Offer Shares to be acquired under the Delisting Offer are to be acquired free from all liens, charges, and encumbrances and together with all rights attached thereto. Offer Shares that are subject to any lien, charge or encumbrances are liable to be rejected.

12.12 Public Shareholders holding Offer Shares under multiple folios are eligible to participate in the Delisting Offer.

12.13 The Public Shareholders should further note that they should have a trading account with Seller Broker as the Bids can be entered only through their respective Seller Broker. The Seller Broker would issue contract note and pay the consideration to the respective Public Shareholder whose equity shares are accepted under the Delisting Offer.

The cumulative quantity of the equity shares tendered shall be made available on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the Bid Period.

13. METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the Basis of Acceptance as per the SEBI Delisting Regulations:

13.1. The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

13.2. The Acquirer shall pay the consideration payable towards purchase of the Offer Shares to the Buyer Broker who in turn will transfer the funds to the Clearing Corporation, on or before the pay-in date for settlement as per the secondary market mechanism. For the Offer Shares acquired, the Public Shareholders will receive the consideration in their bank account attached to the depository account from the Clearing Corporation. If bank account details of any Public Shareholder are not available or if the fund transfer instruction is rejected by the RBI or relevant bank, due to any reasons, then the amount payable to the relevant Public Shareholder will be transferred to the concerned Seller Brokers for onward transfer to such Public Shareholder.

13.3. In case of certain client types viz. non-resident Indians, non-resident clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out will be given to their respective Seller Broker's settlement accounts for releasing the same to their respective Public Shareholder's account onward. For this purpose, the client type details will be collected from the depositories whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by the Designated Stock Exchange and the Clearing Corporation from time to time.

13.4. The Offer Shares acquired would either be transferred directly to the account of the Acquirer provided it is indicated by the Buyer Broker or it will be transferred by the Buyer Broker to the account of the Acquirer on receipt of the Offer Shares pursuant to the clearing and settlement mechanism of the Designated Stock Exchange.

13.5. In case of rejected Offer Shares, if any, tendered by the Public Shareholders, the same would be transferred by the Clearing Corporation directly to the respective Public Shareholder's DP account, as part of the exchange payout process If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Seller Broker's depository pool account for onward transfer to the Public Shareholder. The Seller Broker/custodian participants would return these unaccepted Offer Shares to their respective clients (i.e. the relevant Public Shareholder(s)) on whose behalf the Bids have been placed.

13.6. The Seller Broker would issue a contract note and pay the consideration to the respective Public Shareholder whose Offer Shares are accepted under the Delisting Offer. The Buyer Broker would also issue a contract note to the Acquirer for the Offer Shares accepted under the Delisting Offer.

13.7. Public Shareholders who intend to participate in the Delisting Offer should consult their respective Seller Broker for payment of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Broker upon the Public Shareholders for tendering their Offer Shares in the Delisting Offer (secondary market transaction). The consideration received by the Public Shareholders from their respective Seller Member, in respect of accepted equity shares, could be net of such costs, charges and expenses (including brokerage) and the Acquirer, the Company, the Buyer Broker, the Registrar to the Offer and the Manager to the Offer accept no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred by the Public Shareholders.

14. PERIOD FOR WHICH THE DELISTING OFFER SHALL BE VALID

The Public Shareholders may submit their Bids to the Seller Broker during the Bid Period. Additionally, once the equity shares have been delisted from the BSE, the Residual Public Shareholders may offer their Offer Shares for sale to the Acquirer at the Exit Price for a period of one year following the date of the Delisting of the equity shares from the BSE, i.e. Exit Window. A separate offer letter in this regard, explaining the procedure for tendering the shares, will be sent to these Residual Public Shareholders.

15. DETAILS OF THE ESCROW ACCOUNT

15.1. The estimated consideration payable under the SEBI Delisting Regulations, being the Floor Price of ₹ 73.76 (Rupees Seventy Three and Paise Seventy Six only) per Equity Share multiplied by the number of Offer Shares, i.e., 1,54,450 (One Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred and Fifty Only) Offer Shares, is ₹ 1,13,92,232 (Rupees One Crore Thirteen Lakhs Ninety Two Thousand Two Hundred and Thirty Two Only) (**"Escrow Amount"**).

15.2. In accordance with Regulations 11(1) and 11(3) of the SEBI Delisting Regulations, the Acquirer, the Escrow Bank – IndusInd Bank Ltd., a scheduled commercial bank and a banker to an issue registered with SEBI and the Manager to the Offer have entered into an escrow agreement dated May 3, 2019 pursuant to which the Acquirer has in the Escrow Account deposited an amount representing 100% of the Escrow Amount marking lien in favor of the Manager to the Offer by way of deposit of cash of ₹ 1,13,92,232 (Rupees One Crore Thirteen Lakhs Ninety Two Thousand Two Hundred and Thirty Two only) on June 4, 2019. The Escrow Amount has been deposited by the Acquirer in the manner set out below:

(Amount in ₹)

Mode of funding	Amount
Cash Escrow	1,13,92,232
Bank Guarantee	-
Total	**1,13,92,232**

15.3. On determination of the Exit Price and making of the Public Announcement under Regulation 18 of the SEBI Delisting Regulations, the Acquirer shall ensure compliance with Regulation 11(2) of the SEBI Delisting Regulations.

15.4. In the event that the Acquirer accepts the Discovered Price and offers the Exit Price, the Acquirer shall increase the amount lying to the credit of the Escrow Account to the extent necessary to pay Public Shareholders whose shares are validly accepted, the consideration at the Exit Price. In such a case, the Acquirer shall also ensure that the lien marked remains valid on the additional amount until the expiry of the Exit Window.

15.5. Further, the Escrow Bank will open the Special Account ("Special Account") on the instructions of the Acquirer and the Manager to the Offer, which shall be used for payment to the Public Shareholders who have validly tendered Offer Shares in the Delisting Offer. The Manager to the Offer shall instruct the Escrow Bank to transfer the total consideration amount to the Special Account.

15.6. Where the Delisting Offer fails:

i. The equity share deposited or pledged by a shareholder shall be returned or released to him within ten working days from the end of the bidding period.

ii. No final application shall be made to the BSE for delisting of the shares; and

iii. The Escrow Account opened shall be closed.

16. PROPOSED SCHEDULE OF ACTIVITIES FOR THE DELISTING OFFER

The proposed Schedule of Activities for the Delisting Offer is as follows:

Activity	Date	Day
Resolution for approval of the Delisting Proposal passed by the board of directors the Company	March 15, 2019	Friday
Specified Date for determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer shall be sent*	June 7, 2019	Friday
Date of publication of Public Announcement	June 7, 2019	Friday
Last date of dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders as on Specified Date	June 10, 2019	Monday
Bid Opening Date (bid starts at trading hours)	June 14, 2019	Friday
Last date for revision (upwards) or withdrawal of Bids	June 19, 2019	Wednesday
Bid Closing Date (bid closes at end of trading hours)	June 20, 2019	Thursday
Last date of announcement of the Discovered Price/ Exit Price and the Acquirer's Acceptance/ Non-acceptance of the Discovered Price/Exit Price	June 27, 2019	Thursday
Last date for payment of consideration to Public Shareholders#	July 4, 2019	Thursday
Last date for return of the equity shares to the Public Shareholders in case of Bids not being accepted / failure of the Delisting Offer	July 4, 2019	Thursday

* The Specified Date is only for the purpose of determining the name of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer will be sent. However, all owners (registered or unregistered) holding equity shares of the Company in demat/electronic form are eligible to participate in the Delisting Offer any time before and on the Bid Closing Date.

Subject to the acceptance of the Discovered Price or Exit Price.

Note:

1. Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates.
2. All dates are subject to change and depend on obtaining the requisite statutory and regulatory approvals, as may be applicable. Changes to the proposed timetable, if any, will be notified to the Public Shareholders by way of corrigendum in all the newspaper in which the Public Announcement has appeared.

17. STATUTORY APPROVALS

17.1. The Public Shareholders of the Company have accorded their consent by way of special resolution passed through postal ballot, results which were declared on April 25, 2019 in respect of delisting of equity shares from the BSE, in accordance with the SEBI Delisting Regulations. As part of the said resolution, the votes cast by the Public Shareholders in favour of the Delisting Offer are 1,51,955 (One lakh fifty one thousand nine hundred and fifty five only) votes which is more than two times the number of votes cast by the Public Shareholders against it i.e. 11 (eleven only) votes.

17.2. The BSE have given their in-principle approval for delisting of the equity shares vide their letter no. LO\Delisting\CS\IP\99\2019-20 dated June 06, 2019 in accordance with Regulation 8(3) of the SEBI Delisting Regulations.

17.3. If the shareholders who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FIIs) had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the equity shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the equity shares, to tender the equity shares held by them in this Delisting Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserve the right to reject such equity shares tendered in the Offer. Further, by agreeing to participate in the Delisting Offer the non-resident and NRI shareholders are deemed to have given the Company/Acquirer, as the case may be, the authority to make, sign, execute, deliver, acknowledge and perform all applications to file regulatory reportings, if required, including FC-TRS in the SMF form, if necessary and undertake to provide assistance to the Company/Acquirer for such regulatory reporting, if required by the Company/Acquirer.

17.4. To the best of the Acquirer's knowledge, as of the date of this Public Announcement, there is no other statutory or regulatory approval(s) pending to implement the Delisting Offer. If any statutory or regulatory approvals become applicable subsequently, the acquisition of Offer Shares by the Acquirer and the Delisting Offer will be subject to receipt of such statutory or regulatory approval(s). In the event that the receipt of the statutory/regulatory approvals are delayed, changes to the proposed timetable, if any, shall be intimated to BSE, and hence made available for the benefit of Shareholders.

17.5. It shall be the responsibility of the Public Shareholders tendering Offer Shares in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (including corporate, statutory or regulatory approvals), if any, prior to tendering the Offer Shares held by them in the Delisting Offer, and the Acquirer shall take no responsibility for the same. The Public Shareholders should attach a copy of any such approval to the Bid Form, wherever applicable. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such equity shares tendered in the Delisting Offer.

17.6. The Acquirer reserves the right not to proceed with or withdraw the Delisting Offer in the event the conditions mentioned in Clause 9 of this Public Announcement are not fulfilled and if the approvals indicated above are not obtained or conditions which the Acquirer considers in her sole discretion to be onerous are imposed in respect of such approvals.

18. CERTIFICATION BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Company hereby certifies that:

(a) There has been no material deviation in the utilisation of proceeds from issue of securities made during the last five years immediately preceding the date of Public Announcement, from the stated object of the issue

(b) all material information which is required to be disclosed under the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 as continuous listing requirements under the relevant Equity Listing Agreement entered into between the Company and the Bombay Stock Exchange, have been disclosed to the Bombay Stock Exchange, as applicable;

(c) the Company is in compliance with the applicable provisions of securities laws except non-compliance with Regulation 6 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Clause 47 (a) of the Listing Agreement, as applicable till November 30, 2015 with respect to appointment of qualified Company Secretary as a Compliance Officer prior to October 3, 2018 except for the period between January 23, 2015 to July 31, 2015;

(d) the Acquirer or Promoter or promoter group or their related entities have not carried out any transaction during the aforesaid period to facilitate the success of the delisting offer which is not in compliance with the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4 of SEBI Delisting Regulations;

(e) the Delisting Offer and the consequent delisting of the equity shares from the BSE is in the interest of the shareholders.

19. COMPLIANCE OFFICER OF THE COMPANY

The details of the Compliance Officer of the Company are as under:

Name: Ms. Pooja Garg
Designation: Company Secretary
Address: 5C, Sindhu House, Nanabhai Lane, Flora Fountain, Fort, Mumbai-400 001
E-mail: info@macktradingcompany.com
Tel. No.: +91 22 2204 7404

In case the Public Shareholders have any queries concerning the non-receipt of credit or payment for Offer Shares or on delisting processes and procedure, they may address the same to Registrar to the Offer or Manager to the Offer.

20. STOCK BROKER OF THE ACQUIRER

The Acquirer has appointed KJMC Capital Market Services Limited, having their registered office at 168, 16th Floor, Atlanta, Nariman Point, Mumbai 400 021, as the Stock Broker of the Acquirer ("Buyer Broker"), Tel. No. +91 22 4094 5500; Fax: +91 22 2285 2892; Email: deal@kjmc.com; Contact Person: Mr. Aftab Kagalwalla.

21. DISCLAIMER CLAUSE

(a) It is to be distinctly understood that the permission to be given by BSE to use their network and software of the Online OTB platform should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory and other requirements by the Company, Manager to the Offer, etc., are cleared or approved by BSE; nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does BSE have any financial responsibility or liability nor does BSE take responsibility in any way for the financial or other soundness of the Company, its promoters or its management.

(b) It is also to be distinctly understood that the approval given by BSE should not in any way be deemed or construed to mean that the Public Announcement and the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the announcements, nor does BSE warrant that the securities will be delisted.

(c) Every person who desires to avail of the exit opportunity may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against BSE or against the Investor Protection Fund set up by BSE whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such offer and tender of securities through book- building process whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

22. GENERAL DISCLAIMER

Every person who desires to avail of the Delisting Offer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Acquirer, the Manager to the Offer or the Company or the Registrar to the Offer or the Buyer Broker whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such Offer and tender of equity shares through reverse book building process through Acquisition Window Facility or otherwise whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever. Public Shareholders will be able to download the Public Announcement from website of Manager to the Offer i.e. www.kjmc.com

For further details please refer to the Letter of Offer, the Bid Form and the Bid Revision/Withdrawal Form which will be sent to the Public Shareholders who are shareholders of the Company as on the Specified Date.

This Public Announcement is expected to be available on the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Registrar to the Offer, at www.unisec.in. Public Shareholders will also be able to download the Letter of Offer, the Bid Form and the Bid Revision/Withdrawal Form from the websites of the BSE, the Manager to the Offer and the Registrar to the Offer.

MANAGER TO THE DELISTING OFFER	REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER
KJMC ADVICE MATTERS **KJMC CORPORATE ADVISORS (INDIA) LIMITED** **SEBI Regn No.:** INM000002509 162, 16th Floor, Atlanta, Nariman Point, Mumbai 400021 **Telephone:** +91 22 4094 5500; **Fax:** +91 22 2285 2892 **Email:** mack.delisting@kjmc.com **Website:** www.kjmc.com **Contact Person:** Mr. Kaushal Patwa/ Mr. Ghanshyam Kapadia	UCS **UNIVERSAL CAPITAL SECURITIES PVT. LTD.** (Formerly known as Mondkar Computers Pvt Ltd.) **SEBI Regn. No.:** INR000004082 21, Shakil Niwas, Opp. Satya Saibaba Temple, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093. **Tel. No.:** +91 22 2820 7203; **Fax No.:** +91 22 2820 7207 **E-mail:** info@unisec.in **Website:** www.unisec.in **Contact Person:** Mr. Devanand Dalvi

For and Behalf of the Acquirer

Place : Mumbai
Date : June 6, 2019

Sd/-
[Rita Pavankumar]

PRESSMAN

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 3(1) AND 4 READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("SEBI (SAST) REGULATIONS") TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF

INTERNATIONAL PAPER APPM LIMITED

Registered Office: East Godavari District, Rajahmundry - 533 105, Andhra Pradesh, India.
Tel: +91 883 2471831; Fax: +91 883 2461764; Website: www.ipappm.com; E-mail: prabhakar.cherukumudi@ipaper.com/ashok.yeramaneni@ipaper.com
CIN: L21010AP1964PLC001008

Open offer for acquisition of up to 99,42,510 (Ninety Nine Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Ten only) fully paid-up equity shares of face value of INR 10 (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), representing 25% (Twenty Five Percent only) of the Voting Share Capital (as defined below) of International Paper APPM Limited ("Target Company"), from the Public Shareholders (as defined below) of the Target Company by West Coast Paper Mills Limited ("Acquirer"), pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (the "SEBI (SAST) Regulations") ("Offer" or "Open Offer"). No other person is acting in concert with the Acquirer for the purpose of this Open Offer.

This detailed public statement ("**DPS**") is being issued by ICICI Securities Limited, the manager to the Offer ("**Manager**" or "**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer, in compliance with regulations 13(4), 14(3), 15(2) and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations and pursuant to the public announcement dated May 29, 2019 ("**PA**") filed with the BSE Limited ("**BSE**"), the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and the Target Company at its registered office through letters dated May 29, 2019, in compliance with Regulations 14(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

For the purpose of this DPS, the following terms shall have the meaning assigned to them below:

"Identified Date" means the date falling on the 10th (tenth) Working Day (as defined below) prior to the commencement of the tendering period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the Letter of Offer shall be sent.

"Offer Period" has the meaning ascribed to it under the SEBI (SAST) Regulations;

"Public Shareholders" shall mean all the shareholders of the Target Company who are eligible to tender their shares in the Open Offer, other than the Promoters (namely, International Paper Investments (Luxembourg) S.A.R.L. and IP International Holdings Inc.), who are parties to the Agreement (as defined hereinafter) and persons acting or deemed to be acting in concert with the Promoters in terms of Regulation 7(6) of the SEBI (SAST) Regulations and other promoters and members of the promoter group of the Target Company.

"Promoters" or **"Sellers"** shall mean the promoters of the Target Company, namely, International Paper Investments (Luxembourg) S.A.R.L. and IP International Holdings Inc..

"Tendering Period" has the meaning ascribed to it under the SEBI (SAST) Regulations;

"Voting Share Capital" shall mean the issued and paid-up equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis, as on the 10th Working Day from the closure of the Tendering Period (as defined hereinafter) of the Offer.

"Working Day" means the working day of the Securities and Exchange Board of India.

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

1. Information about Acquirer

1.1. Acquirer

1.1.1. The Acquirer is a public limited company which was incorporated in India under the Companies Act, 1913 on March 25, 1955. Pursuant to a special resolution passed by the shareholders of the Acquirer on August 31, 2016 and a fresh certificate of incorporation dated September 22, 2016 issued by the Registrar of Companies, Bangalore, the name of the Acquirer has undergone a change from "The West Coast Paper Mills Limited" to "West Coast Paper Mills Limited".

1.1.2. The registered office of the Acquirer is situated at Post Box Number 5, Bangur Nagar, Dandeli - 581 325, District - Uttar Kannada, Karnataka. The Corporate Identity Number (CIN) of the Acquirer is L02101KA1955PLC001936.

1.1.3. The equity shares of the Acquirer are presently listed on BSE (Scrip Code: 500444) and on NSE (Scrip Code: WSTCSTPAPR). The ISIN of the equity shares of the Acquirer is INE976A01021.

1.1.4. The Acquirer is *inter alia* engaged in the business of manufacturing of paper and paper board and optical fibre cable.

1.1.5. As on the date of this DPS, the authorised share capital of the Acquirer comprises 15,00,00,000 (Fifteen Crores only) equity shares of INR 2 (Indian Rupees Two only) each aggregating to INR 30,00,00,000 (Indian Rupees Thirty Crore only) and 65,00,000 (Sixty Five Lakh only) cumulative redeemable non-convertible preference shares of INR 100 (Indian Rupees Hundred only) each aggregating to INR 65,00,00,000 (Indian Rupees Sixty Five Crores only). The issued, subscribed and fully paid-up equity share capital of the Acquirer is INR 13,20,97,816 (Indian Rupees Thirteen Crore Twenty Lakhs Ninety Seven Thousand Eight Hundred and Sixteen only) comprising 6,60,48,908 (Six Crore Sixty Lakhs Forty Eight Thousand Nine Hundred and Eight only) equity shares of INR 2 (Indian Rupees Two only) each. As on the date of this DPS, there are no outstanding convertible instruments (warrants/fully convertible debentures/ partly convertible debentures/convertible preference shares) issued by the Acquirer.

1.1.6. The persons in control or promoter group of the Acquirer and their respective shareholding as of March 31, 2019 is given below:

Sr No	Name of Shareholder	Number of equity shares	% Holding
1	Veer Enterprises Limited	10,629,054	16.09%
2	Shree Satyanarayan Investments Company Limited	10,362,973	15.69%
3	Shree Kumar Bangur	2,729,179	4.13%
4	Orbit Udyog Private Limited	2,409,855	3.65%
5	Shashi Bangur	2,220,915	3.36%
6	Saumya Trade and Fiscal Services Private Limited	2,106,309	3.19%
7	The Diamond Company Limited	1,983,197	3.00%
8	Saurabh Bangur	1,621,228	2.45%
9	Virendraa Bangur	1,090,273	1.65%
10	Gold Mohore Investment Company Limited	647,545	0.98%
11	Rangnath Shree Kumar (HUF)	613,063	0.93%
12	Kilkotagiri and Thirumbadi Plantations Limited	464,200	0.70%
13	Shree Kumar Virendra Kumar (HUF)	155,000	0.23%
14	Bharti Bangur	122,300	0.19%
15	Mothola Company Limited	77,700	0.12%
16	Aaryan Bangur	62,300	0.09%
17	Ankit Bangur	62,300	0.09%
18	Shrivatsa Bangur	62,300	0.09%
19	The Indra Company Limited	25,750	0.04%
20	Amit - Villa Investments Limited	11,500	0.02%
21	Union Company Limited	4,450	0.01%
	Grand Total	**37,461,391**	**56.72%**

1.1.7. The Acquirer's key financial information based on its audited consolidated financial statements for the financial years ended March 31, 2019 and March 31, 2018 and the audited standalone financial statements for the financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 is as below:

(INR in lakhs except earnings per share)

Sr. No.	Particulars	Financial Year ended March 31, 2019 (Audited - consolidated)	Financial Year ended March 31, 2019 (Audited - standalone)	Financial Year ended March 31, 2018 (Audited - consolidated)	Financial Year ended March 31, 2018 (Audited - standalone)	Financial Year ended March 31, 2017 (Audited - standalone)
1.	Total Revenue	199,888.34	199,976.36	175,214.90	1,75,221.29	1,87,906.43
2.	Net Income/ Profit After Tax (from continuing operations)	29,600.49	29,605.57	22,315.38	22,322.61	12,850.18
3.	Earnings Per Share (in INR)	44.82	44.82	33.79	33.80	19.46
4.	Net worth/ shareholders' funds	1,10,339.51	1,10,351.81	83,893.50	83,900.71	63,915.02

(Source: The financial information set forth above has been extracted from the Acquirer's, annual results/annual reports for the financial years ended March 31, 2019, March 31,2018 and March 31, 2017, as available on www.bseindia.com and www.nseindia.com)

1.1.8. The Acquirer does not hold any shares in the Target Company as on the date of this DPS. The Acquirer is neither a promoter nor a part of the promoter group of the Target Company. Further, none of the directors or key managerial employees of the Acquirer hold any ownership or interest or relationship or shares in the Target Company.

1.1.9. Pursuant to the Underlying Transaction (as defined hereinafter), the Acquirer has agreed to acquire Equity Shares of the Target Company from the Promoters, at a price of INR 275.00 per Equity Share, in the range of a minimum of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) Equity Shares representing 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital aggregating to INR 557,77,48,000 (Indian Rupees Five Hundred and Fifty Seven Crore Seventy Seven Lakhs and Forty Eight Thousand only) and up to a maximum of 2,38,62,023 (Two Crore Thirty Eight Lakhs Sixty Two Thousand and Twenty Three) Equity Shares representing 60% (Sixty Percent) of the Voting Share Capital aggregating to INR 656,20,56,325 (Indian Rupees Six Hundred and Fifty Six Crore Twenty Lakhs Fifty Six Thousand Three Hundred and Twenty Five only), after the completion of the Open Offer, in the following manner:

(i) where the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer represent 5% or more of the Voting Share Capital, the Acquirer will acquire such number of Equity Shares held by the Promoters which will represent a minimum of 51% (or up to a maximum of 55% at the sole discretion of the Acquirer) of the Voting Share Capital; or

(ii) where the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer represent less than 5% of the Voting Share Capital, the Acquirer will acquire such number of Equity Shares held by the Promoters which will, including the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer, result in a post transaction shareholding of the Acquirer of a minimum of 56% (or up to a maximum of 60% at the sole discretion of the Acquirer) of the Voting Share Capital.

Pursuant to the Open Offer and the transactions contemplated in the SPA, the Acquirer will become a promoter of the Target Company. For further details in this regard, please refer to clause 2.1 of paragraph I (Acquirer, Sellers, Target Company and Offer) below.

1.1.10. The Acquirer is part of the S. K. Bangur Group.

1.1.11. The Acquirer is not a 'wilful defaulter' in terms of Regulation 2(1)(ze) of the SEBI (SAST) Regulations and has not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended or under any other regulations made under the SEBI Act, 1992, as amended.

2. Details of the Sellers in the Target Company

2.1. The details of the selling shareholders (the "**Sellers**"), who have entered into the SPA (as defined hereinafter) with the Acquirer and Target Company (as detailed below in paragraph II (Background to the Offer) of this DPS), are as stated hereunder:

Name	Part of Promoter Group (Yes/ No)	Details of shares/voting rights held by the selling shareholders			
		Pre transaction*		Post transaction**	
		Number of Equity Shares	% of Voting Share Capital	Number of Equity Shares	% of Voting Share Capital
International Paper Investments (Luxembourg) S.A.R.L.	Yes	2,18,56,033	54.96	May range between a minimum of 59,65,506 and up to a maximum of 95,44,809	May range between a minimum of 15.00 % and up to a maximum of 24.00 %
IP International Holdings Inc.	Yes	79,71,496	20.04	Nil	Nil
Total		**2,98,27,529**	**75.00**	**May range between a minimum of 59,65,506 and up to a maximum of 95,44,809**	**May range between a minimum of 15.00 % and up to a maximum of 24.00 %**

**Pre-transaction shareholding percentages are calculated after considering the total number of issued and outstanding Equity Shares of the Target Company as on the date of the PA.*

*** Post-transaction shareholding percentages are calculated based on the SPA, subject to the conditions therein and on the assumption that the entire equity shareholding of IP International Holdings Inc. in the Target Company would be acquired by the Acquirer initially and the balance equity shares of the Target Company would be acquired by the Acquirer from International Paper Investments (Luxembourg) S.A.R.L.*

Pursuant to the Open Offer and the transactions contemplated in the SPA, the Acquirer shall become the promoter of the Target Company. Further, if the aggregate shareholding of the Sellers reduces below 10% of the Voting Share Capital of the Target Company, the Acquirer and the Target Company will immediately take all necessary steps for de-classifying the Sellers as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**SEBI Listing Regulations**"). The de-classification of the Sellers as the promoters of the Target Company is subject to the approval of the shareholders of the Target Company in the general meeting in terms of Regulation 31A(5) of the SEBI Listing Regulations and conditions prescribed therein. Notwithstanding the shareholding of the Sellers in the Target Company post closing of the Underlying Transaction, the management, operations and affairs of the Target Company shall be conducted by the Acquirer, and not the Sellers.

2.2. The Sellers are part of the International Paper Group.

2.3. The Sellers are not 'wilful defaulters' in terms of Regulation 2(1)(ze) of the SEBI (SAST) Regulations and as mentioned above have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of SEBI Act, 1992, as amended or under any other regulation made under the SEBI Act, 1992, as amended.

3. Details of the Target Company

3.1. The Target Company is a public limited company which was incorporated on June 29, 1964 in India under the Companies Act, 1956. The name of the Target Company has not undergone any change in the last 3 years.

3.2. The registered office of the Target Company is situated at East Godavari District, Rajahmundry – 533105, Andhra Pradesh, India. The Corporate Identity Number (CIN) of the Target Company is L21010AP1964PLC001008.

3.3. The Equity Shares are presently listed on BSE (Scrip Code: 502330) and on NSE (Scrip Code: IPAPPM). The ISIN of the Equity Shares of the Target Company is INE435A01028.

3.4. The Equity Shares are frequently traded on BSE and NSE within the meaning of the explanation provided to Regulation 2(1) (j) of the SEBI (SAST) Regulations.

3.5. The Target Company is *inter alia* engaged in the business of manufacturing and sale of pulp, paper and paper boards.

3.6. As on the date of this DPS, the authorised share capital of the Target Company is INR 45,00,00,000 (Indian Rupees forty five crores only) comprising 4,00,00,000 equity shares of INR 10 (Indian Rupees ten only) each and 5,00,000 redeemable cumulative preference shares of INR 100 (Indian Rupees one hundred only) each. The issued, subscribed and fully paid-up equity share capital of the Target Company is INR 39,77,00,390 (Indian Rupees thirty nine crores seventy seven lakhs three hundred and ninety only) comprising of 3,97,70,039 Equity Shares of INR 10 (Indian Rupees ten only) each. As on the date of this DPS, there are no outstanding convertible instruments (warrants/fully convertible debentures/partly convertible debentures) issued by the Target Company.

3.6.1. The Target Company's key financial information based on its audited standalone financial statements for the financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 is as below:

(INR in lakhs except earnings per share)

Sr. No.	Particulars	Financial Year ended March 31, 2019 (Audited - standalone)	Financial Year ended March 31, 2018 (Audited - standalone)	Financial Year ended March 31, 2017 (Audited - standalone)
1.	Total Revenue	144,192.16	128,509.62	123,689.98
2.	Net Income/Profit After Tax	20,007.66	8,306.71	3,239.56
3.	Earnings Per Share (in INR)	50.31	20.89	8.15
4.	Net worth/shareholders' funds	76,380.61	56,400.53	47,794.84

(Source: The financial information set forth above has been extracted from the Target Company's, annual results/annual reports for the financial year ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017, as available on www.bseindia.com and www.nseindia.com)

4. Details of the Offer

4.1. The Offer is being made by the Acquirer to the Public Shareholders in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to acquire up to 99,42,510 (Ninety Nine Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Ten only) fully paid up Equity Shares of face value of INR 10 (Indian Rupees Ten only ("**Offer Shares**")) each at a price of INR 450.63 (Indian Rupees Four Hundred Fifty and Sixty Three Paisa only), representing 25% (Twenty Five Percent only) of the Voting Share Capital of the Target Company ("**Offer Size**") accompanied with change of control of the Target Company, subject to the terms and conditions contained in the public announcement dated May 29, 2019 ("**PA**"), this detailed public statement dated June 6, 2019 ("**DPS**"), and the letter of offer ("**Letter of Offer**"), which is proposed to be sent to all the Public Shareholders in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

4.2. This Offer is made under SEBI (SAST) Regulations to all the Public Shareholders of the Target Company, in terms of the Regulation 7(6) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.3. The Offer is being made at a price of INR 450.63 (Indian Rupees Four Hundred Fifty and Sixty Three Paisa only) per Equity Share ("**Offer Price**") and will be paid in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.4. The payment of consideration shall be made to all the shareholders, who have tendered their shares in acceptance of the Offer within ten Working Days of the expiry of the Tendering Period. Credit for consideration will be paid to the shareholders who have tendered shares in the Offer by crossed account payee cheques/pay order/demand drafts/electronic transfer. It is desirable that shareholders provide bank details in the Form of Acceptance cum Acknowledgement, so that the same can be incorporated in the cheques/demand draft/pay order.

4.5. As on the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer, no other statutory approvals are required by the Acquirer to acquire the Equity Shares that are validly tendered pursuant to this Offer or to complete this Offer other than as indicated in clause 1.2 of paragraph VI (Statutory and Other Approvals) of this DPS. However, in case of any statutory or other approval being required by the Acquirer at a later date before the closure of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such further approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals.

4.6. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.7. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations.

4.8. As on the date of this DPS, there are no partly paid-up Equity Shares, outstanding convertible securities, depository receipts, warrants or instruments, issued by the Target Company, convertible into Equity Shares.

4.9. The Acquirer will have the right not to proceed with this Offer in accordance with Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations in the event the statutory approvals as disclosed in Part VI (Statutory and Other Approvals) of this DPS are refused. In case of either of such events, this Offer shall stand withdrawn. In the event of such withdrawal, a public announcement will be made, within two Working Days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE, NSE and to the Target Company at its registered office.

4.10. The Public Shareholders of the Target Company who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure that the Equity Shares are clear from all liens, charges and encumbrances and will be acquired by the Acquirer, in accordance with the terms and conditions set forth in this DPS and the terms and conditions which will be set out in the Letter of Offer, the relevant provisions of the SEBI (SAST) Regulations, and applicable law. The Acquirer, shall acquire the Equity Shares of the Public Shareholders of the Target Company who validly tender their Equity Shares in this Offer, together with all rights attached thereto, including all rights to dividends, bonuses and rights offers declared thereof.

4.11. The Acquirer or its directors have neither acquired nor been allotted any Equity Shares during the 52 weeks period prior to the date of the PA.

4.12. The Manager does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of this DPS. The Manager further declares and undertake not to deal on its own account in the Equity Shares of the Target Company during the Offer Period.

4.13. This DPS is being published in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Financial Express	English	All
Jansatta	Hindi	All
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai
Prajasakti	Telugu	Rajahmundry

4.14. In terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, other than as stated in this DPS, as at the date of this DPS, the Acquirer does not have any intention to dispose or otherwise encumber any material assets of the Target Company for the succeeding 2 (two) years from the date of closure of this Offer, except (i) in the ordinary course of business (including for the disposal of assets and creating encumbrances in accordance with business or financing requirements); or (ii) with the prior approval of the shareholders; or (iii) to the extent required for the purpose of restructuring and/or rationalization of assets, investments, liabilities or business of the Target Company and in compliance with all the applicable laws; or (iv) for alienation of assets of the Target Company that are determined by the board of directors of the Target Company as being surplus and/ or non-core, or on account of any approval of or conditions specified by any regulatory or statutory authorities, Indian or foreign, or for the purpose of compliance with any law that is binding on or applicable to the operations of the Target Company. It will be the responsibility of the board of directors of the Target Company to make appropriate decisions in these matters in accordance with the requirements of the business of the Target Company. Such approvals and decisions will be governed by the provisions of the relevant regulations or any other applicable laws and legislation at the relevant time.

4.15. The Acquirer reserves the right to streamline/restructure, pledge/encumber its holding in the Target Company and/or the operations, assets, liabilities and/or businesses of the Target Company and/or its subsidiary, if any through arrangements, reconstructions, restructurings, mergers (including but not limited to merger), demergers, sale of assets or undertakings and/or re-negotiation or termination of existing contractual/operating arrangements, at a later date in accordance with applicable laws. Such decisions will be taken in accordance with procedures set out under applicable law, pursuant to business requirements and in line with opportunities or changes in economic circumstances, from time to time.

4.16. After the acquisition of the Offer Shares (assuming full acceptance of the Offer) and pursuant to the SPA along with the conditions stipulated therein, the public shareholding in the Target Company may fall below the minimum level required for continued listing under Regulation 38 of the SEBI Listing Regulations and Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**"). In the event the public shareholding in the Target Company falls below 25% of the fully paid-up equity share capital pursuant to this Offer, the Acquirer shall bring down the non-public shareholding in the Target Company to the level specified within the time prescribed in the SCRR, the SEBI (SAST) Regulations and as per applicable law.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1.1. The Offer is a mandatory offer pursuant to Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the execution of a share purchase agreement on May 29, 2019 by and between the Acquirer, the Sellers, who are the promoters of the Target Company, and the Target Company, for the Underlying Transaction (as detailed below) which has triggered this Offer:

Details of Underlying Transaction						
Type of Transaction (direct/ indirect)	Mode of Transaction (Agreement/ Allotment/ market purchase)	Shares/Voting rights acquired/proposed to be acquired		Total Conside-ration for shares/ Voting Rights (VR) acquired through the Underlying Transaction	Mode of payment (Cash/ securities)	Regulation which has triggered
		Number	% vis a vis total equity/ voting capital			
Direct Acquisition	Share purchase agreement dated May 29, 2019 ("**Agreement**" or "**SPA**") entered into amongst the Acquirer, the Promoters and the Target Company to acquire a minimum of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) Equity Shares representing 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital and up to a maximum of 2,38,62,023 (Two Crore Thirty Eight Lakhs Sixty Two Thousand and Twenty Three) Equity Shares representing 60% (Sixty Percent) of the Voting Share Capital depending upon the Equity Shares validly tendered and accepted in the Open Offer*	The acquisition is proposed to be in the range of a minimum of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) Equity Shares and up to a maximum of 2,38,62,023 (Two Crore Thirty Eight Lakhs Sixty Two Thousand and Twenty Three) Equity Shares depending upon the Equity Shares validly tendered and accepted in the Open Offer*	The acquisition is proposed to be in the range of a minimum of 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital and up to a maximum of 60% (Sixty Percent) of the Voting Share Capital depending upon the Equity Shares validly tendered and accepted in the Open Offer*	Depending on the acquisition size under the SPA, total consideration payable will be for a minimum of INR 557,77,48,000 (Indian Rupees Five Hundred and Fifty Seven Crore Seventy Seven Lakhs and Forty Eight Thousand only) and up to a maximum of INR 656,20,56,325 (Indian Rupees Six Hundred and Fifty Six Crore Twenty Lakhs Fifty Six Thousand Three Hundred and Twenty Five only)*	Cash	Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations

**Pursuant to the SPA and subject to the conditions therein, the Acquirer has agreed to acquire from the Promoters such number of Equity Shares of the Target Company which will represent a minimum of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) representing 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital and upto a maximum of 2,38,62,023 (Two Crore Thirty Eight Lakhs Sixty Two Thousand and Twenty Three) representing 60% (Sixty Percent) of the Voting Share Capital in the following manner:*

(i) where the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer represent 5% or more of the Voting Share Capital, the Acquirer will acquire such number of Equity Shares held by the Promoters which will represent a minimum of 51% (or up to a maximum of 55% at the sole discretion of the Acquirer) of the Voting Share Capital; or

Contd....

(ii) *where the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer represent less than 5% of the Voting Share Capital, the Acquirer will acquire such number of Equity Shares held by the Promoters which will, including the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer, result in a post transaction shareholding of the Acquirer of a minimum of 56% (or up to a maximum of 60% at the sole discretion of the Acquirer) of the Voting Share Capital.*

1.2. Pursuant to the SPA, the Acquirer is making an Offer in terms of Regulation 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations to acquire up to 99,42,510 (Ninety Nine Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Ten only) Equity Shares of INR 10 (Indian Rupees Ten only) each, representing 25% (Twenty Five Percent only) of the Voting Share Capital of the Target Company (**"Offer Size"**) at a price of INR 450.63 (Indian Rupees Four Hundred Fifty and Sixty Three Paisa only) per Equity Share (**"Offer Price"**), payable in cash, subject to the terms and conditions set out in the SPA, PA, this DPS and the Letter of Offer that will be sent to the Public Shareholders of the Target Company.

1.3. Salient features of the SPA are set out below:

- **Conditions Precedent:** The completion of the transaction under the SPA is subject to completion of the 'Conditions Precedent' which include the 'Acquirer's Conditions Precedent' and the Sellers' Conditions Precedent' (collectively, **"SPA Conditions"**):

  Sellers' Conditions Precedent:

  (a) The warranties provided by the Sellers being true and accurate as on May 29, 2019 and remaining true and correct as on the Closing Date (as defined below); and

  (b) The Sellers having performed and complied in all material respects with all agreements, obligations and conditions contained in the SPA that are required to be performed or complied with by them on or before the Closing Date.

  Acquirer's Condition Precedent:

  (a) The Acquirer having received the approval of the Competition Commission of India as required under the Competition Act, 2002 (the **"CCI Approval"**) for the purposes of consummation of the Underlying Transaction and the associated Open Offer;

  (b) The warranties provided by the Acquirer being true and correct as on May 29, 2019 and remaining true and correct as on the Closing Date; and

  (c) The Acquirer having performed and complied in all material respects with all agreements, obligations and conditions contained in the SPA that are required to be performed or complied with by them on or before Closing Date.

- **Board:** At the closing date, i.e. 2nd (second) business day following completion of the Open Offer or such other date as may be mutually decided by the parties to the SPA (**"Closing Date"**), the Sellers shall cause its directors to resign from the board of directors of the Target Company and any committee of the board of directors of the Target Company, with effect from the Closing Date.

- **De-classification of existing promoters of the Target Company:** The Target Company and the Acquirer have agreed that if the aggregate shareholding of the Sellers reduces below 10% of the Voting Share Capital of the Target Company, the Acquirer and the Target Company will immediately take all necessary steps for de-classifying the Sellers as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A(5) of the SEBI Listing Regulations. The de-classification of the Sellers as the promoters of the Target Company is subject to the approval of the shareholders of the Target Company in the general meeting in terms of Regulation 31A(5) of the SEBI Listing Regulations and conditions prescribed therein. Notwithstanding the shareholding of the Sellers in the Target Company post closing of the Underlying Transaction, the management, operations and affairs of the Target Company shall be conducted by the Acquirer, and not the Sellers.

- **Brand:** The Target Company shall cease to use the trademark "International Paper" on all packaging and products manufactured by the Target Company, after the expiry of 3 (three) months from the Closing Date. Provided that, the Target Company shall be entitled to sell products branded with the trademark "International Paper" within the territorial limits of India and for the purpose of exports outside of India, till the expiry of 3 (three) months from the Closing Date, which products form part of the inventory of the Target Company and/or are in production as on the Closing Date.

- **Non-compete and Non-solicit restrictions:** Each of the Sellers are subject to certain non-compete and non-solicit restrictions as set out in SPA. No separate consideration is payable for the same.

- **Indemnities and Warranties:** Each of the Sellers have given indemnities and warranties to the Acquirer as set out in SPA.

- **Termination:** The SPA will terminate in any of the following circumstances:

  (a) upon mutual written agreement of the Acquirer and the Sellers; or

  (b) in the event the closing of the Underlying Transaction i.e. completion of the sale and purchase of the Equity Shares of the Target Company in accordance with the SPA has not occurred on or before the long stop date i.e. November 15, 2019 or any other date as may be mutually agreed between the parties to the SPA (**"Long Stop Date"**); or

  (c) if the SPA Conditions are not satisfied by the Long Stop Date.

1.4. The Offer Price is payable in cash, in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations.

1.5. This Offer is for acquisition of 25% (Twenty Five Percent only) of Voting Share Capital of the Target Company. After the completion of this Offer and pursuant to transfer of Equity Shares so acquired under SPA in the Underlying Transaction, the Acquirer shall hold the majority of the Equity Shares by virtue of which it shall be in a position to exercise effective management and control over the Target Company.

1.6. Pursuant to the Open Offer and the transactions contemplated in the SPA, the Acquirer will acquire control over the Target Company and will be classified as a promoter of the Target Company. Additionally, the Acquirer also will make changes in the board of directors of the Target Company in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, the Companies Act, 2013, as amended and other applicable law.

1.7. The business of the Acquirer and the Target Company are in the same line. This will give synergies to both the Acquirer and the Target Company by optimum utilisation of resources. The Acquirer may change the name, object clause of memorandum of association and board structure of the Target Company in line with applicable laws. In case, the Acquirer intends to build new business it shall be subject to the compliance of applicable laws.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1.1. The Acquirer does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of this DPS. The current and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Acquirer	
	Number of Equity Shares	% of Voting Share Capital
Shareholding as on the PA date	Nil	Nil
Shares acquired between the PA date and this DPS date	Nil	Nil
Shares to be acquired in the Offer (assuming full acceptance)	99,42,510 (Ninety Nine Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Ten only)	25.00%
Post Offer shareholding (assuming no Equity Shares are tendered in the Open Offer, as on 10th Working Day after closing of Tendering Period)*	A minimum of 2,22,71,222 (Two Crore Twenty Two Lakhs Seventy One Thousand Two Hundred and Twenty Two) Equity Shares and up to a maximum of 2,38,62,023 (Two Crore Thirty Eight Lakhs Sixty Two Thousand and Twenty Three) Equity Shares*	A minimum of 56% (Fifty Six Percent) of the Voting Share Capital and up to a maximum of 60% (Sixty Percent) of the Voting Share Capital*
Post Offer shareholding (assuming full (Two Crore Two Lakhs acceptance in the Open Offer, on diluted basis, as on 10th Working Day after closing of Tendering Period)*	A minimum of 3,02,25,230 Twenty Five Thousand Two Hundred and Thirty) Equity Shares and up to a maximum of 3,18,16,031 (Three Crore Eighteen Lakhs Sixteen Thousand Thirty One) Equity Shares*	A minimum of 76.00% (Seventy Six Percent) of the Voting Share Capital and up to a maximum of 80.00% (Eighty Percent) of the Voting Share Capital*

**Pursuant to the SPA and subject to the conditions therein, the Acquirer has agreed to acquire from the Promoters such number of Equity Shares of the Target Company which will represent a minimum of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) representing 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital and up to a maximum of 2,38,62,023 (Two Crore Thirty Eight Lakhs Sixty Two Thousand and Twenty Three) representing 60% (Sixty Percent) of the Voting Share Capital in the following manner:*

(i) where the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer represent 5% or more of the Voting Share Capital, the Acquirer will acquire such number of Equity Shares held by the Promoters which will represent a minimum of 51% (or up to a maximum of 55% at the sole discretion of the Acquirer) of the Voting Share Capital; or

(ii) where the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer represent less than 5% of the Voting Share Capital, the Acquirer will acquire such number of Equity Shares held by the Promoters which will, including the Equity Shares to be acquired by the Acquirer in the Open Offer, result in a post transaction shareholding of the Acquirer of a minimum of 56% (or up to a maximum of 60% at the sole discretion of the Acquirer) of the Voting Share Capital.

IV. OFFER PRICE

1.1. The Equity Shares are listed and traded on the BSE and the NSE.

1.2. The Equity Shares are frequently traded on the BSE and the NSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

1.3. The trading turnover of the Equity Shares traded on the BSE and the NSE for a period of 12 (twelve) calendar months preceding the calendar month in which the PA was made (from i.e. from May 01, 2018 to April 30, 2019, both days included), is set forth below:

Stock Exchange	No. of Equity Shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA (A)	Total number of listed Equity Shares of the Target Company during this period (B)	Trading turnover (as a percentage of total listed Equity Shares) (A/B)
BSE	40,57,272	3,97,70,039	10.20%
NSE	2,59,75,208	3,97,70,039	65.31%

Based on the above table, the Equity Shares of the Target Company are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

1.4. The Offer Price of INR 450.63 (Indian Rupees Four Hundred Fifty and Sixty Three Paisa only) per Equity Share is determined in terms of Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following parameters:

S. No.	Particulars	INR per Equity Share
1.	Highest negotiated price per Equity Share for any acquisition in terms of the SPA attracting the obligation to make the PA	275.00
2.	The volume-weighted average price paid or payable for acquisitions by the Acquirer or by any person acting in concert with it, during 52 weeks immediately preceding the date of PA	Not Applicable
3.	The highest price paid or payable for acquisitions by the Acquirer or by any person acting in concert with it, during 26 weeks immediately preceding the date of PA	Not Applicable
4.	The volume-weighted average market price per equity share for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the PA as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the Equity Share are recorded during such period, i.e. NSE	450.63
5.	Where the shares are not frequently traded, the price determined by Acquirer and the Manager taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	Not Applicable
6.	The per share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations, if applicable.	Not Applicable*

Source: Certificate dated May 29, 2019 issued by Batliboi & Purohit, Chartered Accountants (Firm Registration Number: 101048W)

**Not applicable since this is not an indirect acquisition.*

1.5. In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirer and Manager, the Offer Price of INR 450.63 (Indian Rupees Four Hundred Fifty and Sixty Three Paisa only) per Equity Share is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations.

1.6. There have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations (*Source: Based on the filings available on the websites of BSE and NSE*). The Offer Price may be revised in the event of any corporate actions like bonus, rights, split etc. where the record date for effecting such corporate actions falls within 3 (Three) Working Days prior to the commencement of Tendering Period of the Offer.

1.7. As on date of this DPS, there is no revision in Offer Price or Offer Size. If there is any revision in the Offer Price on account of future purchases or competing offers, such revision will be done at any time prior to the commencement of the last one Working Day before the commencement of the tendering period of this Offer in accordance with Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall make corresponding increases to the escrow amounts in accordance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations and the Acquirer shall (i) make a public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (ii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, BSE, NSE and the Target Company at its registered office of such revision.

1.8. If the Acquirer acquires or agrees to acquire any Equity Shares or voting rights in the Target Company during the Offer Period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, the Offer Price shall stand revised to the highest price paid or payable for any such acquisition in terms of Regulation 8(8) of SEBI (SAST) Regulations. However, no such acquisition would be made by the Acquirer after 3 (Three) Working Days prior to the commencement of the tendering period of this Offer and until the expiry of the tendering period of this Offer.

1.9. If the Acquirer acquires Equity Shares of the Target Company during the period of twenty six weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all the Public Shareholders whose shares have been accepted in the Offer within 60 (Sixty Days) from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company whether by way of bulk deals, block deals or in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1.1. The total consideration for the Offer, assuming full acceptance of the Offer i.e. for the acquisition of up to 99,42,510 (Ninety Nine Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Ten only) Equity Shares at the Offer Price of INR 450.63 (Indian Rupees Four Hundred Fifty and Sixty Three Paisa only) per Equity Share, is INR 448,03,93,281.30 (Indian Rupees Four Hundred and Forty Eight Crore Three Lakhs Ninety Three Thousand Two Hundred Eighty One and Thirty Paisa only) (**"Maximum Consideration"**).

1.2. In terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has adequate financial resources and has made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full.

1.3. The Acquirer has confirmed that it has adequate financial resources to meet the obligations under the Offer. The Acquirer, the Manager and ICICI Bank Limited, a banking corporation incorporated under the laws of India, acting through its branch office at Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai (**"Escrow Bank"**), have entered into an escrow agreement dated May 29, 2019 for the purpose of the Offer (**"Escrow Agreement"**). Pursuant to the Escrow Agreement and in compliance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations the Acquirer has opened an escrow account named "WCPML-IPAPPML-OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT" (the **"Open Offer Escrow Account"**) bearing account number 000405119526. The Acquirer has on May 31, 2019 made a cash deposit of a sum of INR 112,00,98,321 (Indian Rupees One Hundred and Twelve Crore Ninety Eight Thousand Three Hundred and Twenty One only) in the Offer Escrow Account (**"Cash Escrow"**) which is an equivalent to 25% (Twenty Five percentage) of the value of the Maximum Consideration. The cash deposit has been confirmed vide a confirmation letter dated May 31, 2019 issued by the Escrow Bank. The Manager is duly authorised by the Acquirer to realise the value of the Escrow Account and operate the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

1.4. The Acquirer confirms that the funds lying in the Escrow Account will be utilized exclusively for the purposes of this Offer. Further, the Acquirer has solely authorized the Manager to the Offer to operate and realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

1.5. Batliboi & Purohit, Chartered Accountants (Firm Registration Number: 101048W) having office at National Insurance Building, 204, Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Mumbai - 400 001, vide certificate dated May 29, 2019, has certified that the Acquirer has adequate and firm financial resources through verifiable means available for fulfilling the obligations under this Offer.

1.6. Based on the above and the certificate provided by Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, the Manager is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfil its obligations in relation to this Offer through verifiable means in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

1.7. In case of an upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Acquirer shall deposit the appropriate additional amount into the Escrow Account to ensure compliance with the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1.1. Unless expressly waived in writing by the Acquirer, the completion of the Offer and the acquisition under the SPA is conditional upon the SPA Conditions including the CCI Approval as mentioned in clause 1.3 of paragraph II (Background to the Offer) above.

1.2. As on the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer, other than the approval required at clause 1.1 of paragraph VI (Statutory and Other Approvals) as mentioned above, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of the Offer, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s) and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals. In the event the statutory approvals set out in this paragraph (the grant or satisfaction of which are considered to be outside the reasonable control of the Acquirer) are not granted or satisfied, the Acquirer shall have the right to withdraw this Offer in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

1.3. All Public Shareholders, including non-residents holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the Reserve Bank of India, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Offer Shares.

1.4. In case of delay in receipt of any statutory approval to be obtained by the Acquirer, SEBI may, if satisfied that such delay in receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any wilful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approval, and subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest in accordance with regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, permit the Acquirer to delay the commencement of the Tendering Period for the Offer pending receipt of such statutory approval(s) or grant an extension of time to the Acquirer to make the payment of the consideration to the Public Shareholders whose Offer Shares have been accepted in the Offer. Where any statutory extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Offer.

1.5. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that the CCI Approval or any other approvals which may become applicable prior to completion of the Offer are not received, the Acquirer shall have the right to withdraw the Offer. Other than the CCI Approval, the completion of this Offer and the acquisition under the SPA is conditional upon the SPA Conditions. In the event the SPA Conditions are not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the SPA may be rescinded, and the Offer may be withdrawn, subject to applicable law. In the event of withdrawal of this Offer, a public announcement will be made within 2 Working Days of such withdrawal, in accordance with the provisions of Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

1.6. Non-Resident Indians (NRI), Overseas Corporate Bodies (OCB) or any other non-resident holders of Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them pursuant to this Offer (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India (RBI)) and submit such approvals, along with the other documents required in terms of the Letter of Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, and Foreign Portfolio Investors (FPIs)) had required any approvals (including from the RBI or any other regulatory authority) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit the previous approvals that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them pursuant to this Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves its right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.

1.7. The Acquirer shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 (Ten) Working Days from the date of closure of the Tendering Period to those Public Shareholders whose share certificates and/or other documents are found valid and in order and are accepted for acquisition.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Activity	Schedule (Day and Date)*
Public Announcement	Wednesday, May 29, 2019
Detailed Public Statement	Thursday, June 6, 2019
Filing of draft offer document with SEBI	Thursday, June 13, 2019
Last date for public announcement(s) for competing offer	Thursday, June 27, 2019
Date of receipt of the comments on Draft Letter of Offer from SEBI	Thursday, July 4, 2019
Identified Date*	Monday, July 8, 2019
Date by which Letter of Offer will be dispatched to the Shareholders	Monday, July 15, 2019
Upward revision in Offer	Thursday, July 18, 2019
Comments on the Offer by a Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company	Thursday, July 18, 2019
Issue of advertisement announcing the schedule of activities for Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, BSE, NSE and Target Company	Friday, July 19, 2019
Offer Opening Date	Monday, July 22, 2019
Offer Closing Date	Friday, August 2, 2019
Last date of communicating of rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/ return of unaccepted shares	Tuesday, August 20, 2019
Filing of report to SEBI by Manager	Tueday, August 27, 2019

** Identified Date is the 10th Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the Letter of Offer shall be sent. The Identified Date is only for the purpose of determining the shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be dispatched.*

This schedule is tentative and is subject to change for any reason, including, but not limited to, delays in receipt of approvals or comments from regulatory authorities, if so required.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1.1. All the Public Shareholders, holding the shares in dematerialized form, registered or unregistered are eligible to participate in this Offer at any time during the Tendering Period for this Offer. Please refer to clause 1.10 of paragraph VIII below (Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of Letter of Offer) for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.

1.2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e. the date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

1.3. The Offer will be implemented by the Acquirer through a stock exchange mechanism made available by the stock exchanges in the form of separate window (**"Acquisition Window"**) as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended by SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016.

1.4. BSE shall be the designated stock exchange (**"Designated Stock Exchange"**) for the purpose of tendering Equity Shares in the Offer.

1.5. The Acquirer has appointed ICICI Securities Limited (**"Buying Broker"**) as its broker for the Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered in the Offer shall be made.

1.6. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: ICICI Securities Limited

Address: ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400020, Maharashtra, India

Tel No: +91 22 2288 2460

Fax: +91 22 2282 6580

Contact Person: Allwyn Cardoza

1.7. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stock brokers (**"Selling Brokers"**) within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.

1.8. Such Equity Shares would be transferred to the respective Selling Brokers' pool account prior to placing the bid.

1.9. The Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized Equity Shares.

1.10. Procedure to be followed by the Public Shareholders holding equity shares in physical form:

- As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI Listing Regulations and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 1, 2019.
- Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialised. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialised.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER

X. OTHER INFORMATION

1.1. The Acquirer and its respective directors accept full responsibility for the information contained in the PA and this DPS (other than such information as has been obtained from public sources) and shall be responsible for the fulfilment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer. In relation to the information pertaining to the Sellers and Target Company, the Acquirer has relied on the information provided by the Sellers and publicly available sources and have not independently verified the accuracy of such information.

1.2. This DPS and the PA shall also be available on SEBI's website (http://www.sebi.gov.in).

1.3. The Acquirer has appointed ICICI Securities Limited as the Manager to the Offer.

1.4. The Acquirer has appointed Link Intime India Private Limited as the Registrar to the Offer.

1.5. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.

1.6. In this DPS, all references to "₹" or "INR" are references to Indian Rupees.

1.7. Details of the Manager to the Offer and Registrar to the Offer are set out below:

MANAGER TO THE OPEN OFFER	REGISTRAR TO THE OPEN OFFER
ICICI Securities	LINK Intime
ICICI SECURITIES LIMITED ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400020, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2288 2460 **Fax:** +91 22 2282 6580 **Website:** www.icicisecurities.com **Email ID:** ipappm.openoffer@icicisecurities.com **Contact Person:** Arjun A Mehrotra/Rupesh Khant **SEBI Registration No.:** INM000011179	**LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** C-101, 1st Floor, 247 Park Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4918 6200 **Facsimile:** +91 22 4918 6195 **Website:** www.linkintime.co.in **Email:** internationalpaper.offer@linkintime.co.in **Contact Person:** Sumeet Deshpande **SEBI Registration No.:** INR000004058

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT IS ISSUED BY THE MANAGER TO THE OPEN OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

Signed for and on behalf of West Coast Paper Mills Limited
Sd/-
Shree Kumar Bangur
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date: June 5, 2019

PRESSMAN

तीन करोड़ की ठगी में एलआइसी के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली, 6 जून। केंद्रीय जांच एजंसी सीबीआइ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के दो अफसरों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तीन करोड़ रुपये से अधिक के दावों की ठगी के आरोप में मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने जीवन बीमा पालिसी के 190 मामलों में घोटाला करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाकर पॉलिसीधारक की मौत का दावा किया और पालिसी में नामांकित व्यक्तियों (नॉमिनी) के स्थान पर अपने परिचितों के बैंक खाता नंबर डाल दिए थे। अधिकारियों ने कहा कि जीवित पॉलिसी धारकों को इसका पता भी नहीं चला कि उनकी पॉलिसी का भुगतान हो चुका है। (**भाषा**)

रिजर्व बैंक ने रेपो दर चौथाई फीसद घटाई

आवास, वाहन और अन्य कर्ज की मासिक किस्तें कम होने की उम्मीद

मुंबई, 6 जून (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को नीतिगत दर में चौथाई फीसद की कमी की। इससे मकान, वाहन और अन्य कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआइ) कम होने की उम्मीद है। इस साल यह तीसरा मौका है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में कटौती की है और इससे यह नौ साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और नेफ्ट (एनईएफटी) के जरिए धन अंतरण पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है और बैंकों से इसका लाभ ग्राहकों को देने को कहा है।

नरम पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शीर्ष बैंक ने आने वाले समय में नीतिगत दर में और कटौती के भी संकेत दिया। इस समय आर्थिक वृद्धि दर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के बाद के न्यूनतम स्तर पर है। रिजर्व बैंक की रेपो दर ताजा कटौती के बाद 5.75 फीसद हो गई है। इससे रिवर्स रेपो दर 5.50 फीसद पर आ गई है। यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक इस कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को देंगे जिससे मकान, वाहन और अन्य कर्ज की मासिक किस्तें कम होंगी। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सभी छह सदस्यों ने आम राय से रेपो में कटौती का फैसला किया। साथ ही मौद्रिक नीति रुख तटस्थ से नरम कर दिया। समिति में गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर डा. विरल वी आचार्य, कार्यकारी निदेशक डा. माइकल देवब्रत पात्रा के अलावा अन्य सदस्य डा. चेतन घाटे, डा. पामी दुआ, डा. रविंद्र एच ढोलकिया हैं।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसका मतलब है कि ब्याज दर में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बैंक दरों में मौजूदा कटौती और इससे पहले फरवरी और अप्रैल में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को देने में तेजी लाए। आरबीआइ फरवरी से लेकर अब तक कुल मिलाकर अपनी नीतिगत दर प्रधान उधारी दर में 0.75 फीसद की कटौती कर चुका है। केंद्रीय बैंक ने 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर के अप्रैल अनुमान को 7.2 फीसद से घटाकर 7.0 फीसद कर दिया है। देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 की चौथी तिमाही में 5.8 फीसद रही जो पांच साल का न्यूनतम स्तर है।

सस्ते कर्ज का लाभ और तेजी से ग्राहकों को दे सकते हैं बैंक : दास

मुंबई, 6 जून (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत ब्याज दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के मोर्चे पर बैंकों की स्थिति की गुरुवार को सराहना करते दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नीतिगत दर (रेपो) में कमी का लाभ ग्राहकों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा और अधिक तेजी से देना चाहिए। इससे पहले दास इस मामले में बैंकों की मद्धिम चाल पर नाराजगी जताते रहे हैं।

इससे पहले दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर को 0.25 फीसद घटाकर 5.75 फीसद कर दिया है। लगातार तीन बार में केंद्रीय बैंक नीतिगत दर में 0.75 फीसद की कटौती कर चुका है। दास ने यहां मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्व में यह देखने में आया है कि नीतिगत दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचने में चार से छह महीने लगते हैं। लेकिन इस बार लाभ तेजी से स्थानांतरित होना चाहिए। बैंकों ने इससे पिछली दो मौद्रिक समीक्षाओं में ब्याज दर में 0.50 फीसद कटौती में से 0.21 फीसद का लाभ उपभोक्ताओं को दिया है। यह भारांकित औसत ऋण दर कटौती पर आधारित है। इसी दौरान पुराने कर्ज की लागत 0.04 फीसद बढ़ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर उपभोक्ताओं को नीतिगत कटौती का अधिक ऊंचा और अधिक तेजी से लाभ मिलेगा। गवर्नर ने कहा कि इसका प्रभाव उपभोक्ता और दोपहिया ऋण में मिल पाएगा।

सूचकांक ने 554 अंक का गोता लगाया

मुंबई, 6 जून (भाषा)।

शेयर बाजारों में गुरुवार को जोरदार गिरावट आई और बीएसई सूचकांक 554 अंक टूटकर बंद हुआ। बैंक, ऊर्जा और पूंजीगत सामान से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव से यह गिरावट आई। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर रेपो में 0.25 फीसद की कटौती की लेकिन एनबीएफसी क्षेत्र को लेकर निवेशकों की चिंता दूर करने में विफल रहा जिसका असर बाजार पर पड़ा।

तीस शेयरों वाला सूचकांक 553.82 अंक अर्थात 1.38 फीसद लुढ़ककर 39,529.72 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 177.90 अंक यानी 1.48 फीसद टूटकर 11,843.75 अंक पर बंद हुआ। केंद्रीय बैंक ने इस साल लगातार तीसरी बार रेपो दर में 0.25 फीसद की कमी की है। इस कटौती के बाद रेपो दर 5.75 फीसद पर आ गया जो नौ साल का न्यूनतम स्तर है। साथ ही मौद्रिक नीति रुख को 'तटस्थ' से 'नरम' कर दिया। हालांकि रिजर्व बैंक ने घरेलू गतिविधियों में नरमी और वैश्विक व्यापार बढ़ने से आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर सात फीसद कर दिया।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक की एनबीएफसी क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। हालांकि व्यापारियों ने कहा कि बाजार नकदी बढ़ाने और देश के समस्याग्रस्त एनबीएफसी क्षेत्र में भरोसे के संकट के समाधान की प्रतीक्षा कर रहा था। सूचकांक में शामिल जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, उसमें इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एसबीआइ, एलएंडटी, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, वेदांता, टाटा मोटर्स और आरआइएल शामिल हैं। इनमें 6.97 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एचयूएल, हीरो मोटो कार्प, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस में 1.92 फीसद तक की तेजी आई।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टाक ब्रोकर्स में निवेश सेवा मामलों के शोध प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा- नीतिगत दर में कटौती का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण अब आइएल एंड एफएफएस, डीएचएफएसल जैसे मुद्दों और उसका अन्य वित्तीय संस्थानों पर पड़ने वाले प्रभाव की आशंका की वजह से ध्यान नीतिगत दर की जगह नई उभरती अल्पकालीन नकदी की की तंग स्थिति की ओर गया है।

शेयर बाजार में गिरावट से लगी 2.22 लाख करोड़ की चपत

नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)।

शेयर बाजारों में इस साल एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों की बाजार हैसियत को 2.22 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। रिजर्व बैंक के नीतिगत दर में कटौती करने लेकिन एनबीएफसी क्षेत्र को लेकर चिंता दूर करने में विफल रहने से यह गिरावट दर्ज की गई।तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 553.82 अंक अर्थात 1.38 फीसद टूटकर 39,529.72 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट के बाद बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,22,304.65 करोड़ रुपए घटकर 1,53,19,126.66 करोड़ रुपए हो गया।

चीन से व्यापार 100 अरब डॉलर के पार चला जाएगा : भारतीय राजदूत

बेजिंग, 6 जून (भाषा)।

चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस साल 100 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। कोच्चि की एक कंपनी सिनथाइट इंडस्ट्रीज के चीन में तीसरी विनिर्माण इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में मिश्री के साथ चीन सरकार के स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

मिश्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले साल वुहान में हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता बड़ी उपलब्धि थी और इसने हमारे रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद से दोनों शीर्ष नेता अलग-अलग शिखर वार्ताओं से इतर चार बार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक जुड़ाव द्विपक्षीय संबंधों के साथ द्विपक्षीय व्यापार का एक प्रमुख घटक है। द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल के 95 अरब डॉलर से बढ़कर इस साल 100 अरब डॉलर पर पहुंचने के लिए तैयार है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
शाखा कार्यालय: पटपड़गंज रोड, दिल्ली

शुद्धि पत्र

कृपया 05.06.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना (सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत) के विज्ञापन का संदर्भ लें। कब्जा सूचना में कर्जदार/गारंटर का नाम गलत प्रकाशित हुआ है। कृपया सही कर्जदार/गारंटर का नाम इस प्रकार पढ़ें: "कर्जदार: हसन टेक्सटाइल्स पुष्प बहुंग प्रा.लि. निदेशक-मोहम्मद हसन एवं मोहम्मद जमाल, गारंटर: मीनु फातमा"। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

नई दिल्ली वृहत कॉर्पोरेट शाखा
10 वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, होटल इंपीरियल, के सामने जनपथ, नई दिल्ली –11000

सार्वजनिक सूचना

1. श्री प्रेम सिंघी 2. श्री पदम सिंघी

मेसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड ने 09.02.2009, 20.06 को नई दिल्ली मिड कॉरपोरेट शाखा/नई दिल्ली बृहद कॉरपोरेट शाखा से टर्म लोन– I, टर्म लोन– II, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, टर्म लोन लिया है। 20.06.2012, 30.12.2013 और 22.07.2014 क्रमशः और चुकौती में चूक गए हैं

1. गारंटर का नामः श्री प्रेम सिंघी पुत्र श्री चिमन लाल सिंघी, नौकरीः व्यवसाय
2. गारंटर का नामः श्री पदम सिंघी पुत्र श्री चिमन लाल सिंघी, नौकरीः व्यवसाय
निवासः हाउस नंबर 4 ए, स्ट्रीट सी –1, सैनिक फार्म, दिल्ली –110062
कार्यालय का पताः टॉवर –1, 5 वीं मंजिल, एनबीसीसी प्लाजा, सेक्टर–वी, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली –110017
ऋण खाता संख्याः 604165410000067, 605965410000100, 605965610000014 और 605965410000158
मूलधन राशिः रु. 105.87 करोड़ (स्वीकृत सीमा)
31.03.2019 को बकाया राशि रु. 111.84 करोड़ + आगे ब्याज 30.09.2015 से

दिनांकः 07.06.2019, स्थानः नई दिल्ली — बैंक ऑफ इंडिया

नई दिल्ली वृहत कॉर्पोरेट शाखा
10 वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, होटल इंपीरियल, के सामने जनपथ, नई दिल्ली –11000

सार्वजनिक सूचना

1. श्री राकेश कुमार शर्मा 2. श्री विनय कुमार शर्मा

मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड ने 26.07.2008,19.02.2010 और 25.05.2011 को नई दिल्ली मिड कॉर्पोरेट ब्रांच/नई दिल्ली बृहद ब्रांच से वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन का लाभ उठाया है और भुगतान में चूक की है।

1. गारंटर का नामः 1. श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र सत्य देव शर्मा, नौकरीः व्यवसाय
निवासः 4512, सेक्टर–बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली।
2. गारंटर का नामः 2. श्री विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, नौकरीः व्यवसाय
निवासः 69/2 महल पीर, तहसील– रकार, जिला– कांगड़ा (एचपी) 176001
कार्यालय का पताः 1107, विक्रांत टॉवर, 4 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली –110008
ऋण खाता संख्याः 604130110000045, 604165410000087 और 605965410000074
मूलधन राशिः रु. 236.16 करोड़ (स्वीकृत सीमा)
31.03.2019 को बकाया राशि रु। 102.44 करोड़ + आगे ब्याज 31.03.2014

दिनांक: 07.06.2019, स्थान: नई दिल्ली — बैंक ऑफ इंडिया

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका सं. 87/66/एनडी/2019

के मामले में :
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के साथ पठित राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (कम्पनी की शेयर पूंजी कम करने हेतु प्रक्रिया) नियमावली, 2016
तथा
के मामले में
टरनरी रिस्क कंसल्टेंसी ऐण्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन सं. यू74110डीएल2002पीटीसी339255), (पैन : एएएचसीएस5209बी), कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, सुचेता भवन, 11–ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, राउज एवेन्यू लेन, नई दिल्ली–110002, भारत में स्थित है। — याचिकादाता कम्पनी

याचिका की सूचना

उपरोक्त नाम याचिकादाता कम्पनी की कुल निर्गत, अंशदानकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी में से कुल 26 प्रतिशत (भारतीय रूपए 10 प्रत्येक के 1,30,000 इक्विटी शेयर, कुल योग भारतीय रूपए 13,00,000) को निरस्त एवं समाप्त करने द्वारा याचिकादाता कम्पनी की निर्गत, अंशदानकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी भारतीय रूपए 50,00,000 (भारतीय रूपए 10 प्रत्येक के 5,00,000 इक्विटी शेयर) से घटाकर भारतीय रूपए 37,00,000 (भारतीय रूपए 10 प्रत्येक के 3,70,000 इक्विटी शेयर) करने की पुष्टि हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अधीन एक याचिका सी.पी. सं. 87/66/एनडी/2019 अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष 14 मई, 2019 को प्रस्तुत की गई थी और 22 मई, 2019 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गई थी। उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ के समक्ष 02 सितम्बर, 2019 को की जानी नियत है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, वह अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, अधोहस्ताक्षरी को इस प्रकार भेज सकता है, कि याचिकादाता कम्पनी के अधिवक्ता को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को याचिका की प्रति उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांकित : 07–06–2019 (अनिरूद्ध दास)
शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऐण्ड कम्पनी
याचिकादाता कम्पनियों हेतु अधिवक्ता
अमरचंद टावर्स, 216, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,
फेज–III, नई दिल्ली–110020
मोबाइल : 98100–98320, ई–मेल : anirudh.das@amsshardul.com

शुद्धि पत्र विक्रय सूचना
(मूल रूप से 4 जून, 2019 को प्रकाशित)
जे.बी. स्ट्रिप्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 1बी1, ईपिप डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ईपिप मॉल, किन्नर मॉल, सेक्टर–10, द्वारका, दिल्ली
परिसमापक : देवश्रीष नंदा
परिसमापक का पता : एस–7, मनीष प्लाजा, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–110092
ई–मेल आईडी : liquidatorjstrips@gmail.com; dhanda.cma@gmail.com | सम्पर्क नं. : (0120) 4333860
मोबाइल नं. : +91-9711813239 (श्री रवि धंधा) तथा/अथवा सुश्री आराधना सिंह : 8802052845
ई–नीलामी
ऋण वसूली तथा दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसम्पत्तियों का विक्रय
ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 20 जून 2019 को 12:00 बजे अपराह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक (अनंत 5 मिनट के अवधि विस्तार सहित)
आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2019 के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ–कोर्ट–II, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा निर्गत परिसमापन समाधि का भाग निर्गत करते हुए जे.बी. स्ट्रिप्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का विक्रय। विक्रय अधिकारी द्वारा ई–नीलामी कम्पनी सिफारिस इन्फोसिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माध्यम से संचालित : https://www.eauctions.co.in पर संचालन की जाएगी।

परिसम्पत्ति	बोली	आरक्षित मूल्य	जमाराशि की राशि
भूमि तथा भवन [illegible]	बोली–1	₹. 8,01,43,283	₹. 80,14,328
संयंत्र तथा मशीनरी [illegible]	बोली–2	₹. 1,77,49,672	₹. 17,74,672
भूमि तथा भवन एवं संयंत्र तथा मशीनरी का सम्मिलन (बोली–1 तथा बोली–2 दोनों को मिलाकर)	बोली–3	₹. 9,79,92,954	₹. 97,89,200

नोट : जो संभावित क्रेता क्रम सं. 3 में लिखित निर्धारित बोली का भुगतान करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। मूल स्थानांतर की शर्तें इस शुद्धिपत्र को जोड़कर अधिसूचित होंगी।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं :
1. ई–नीलामी 'जहाँ है जैसे है', 'जो है वहाँ है' और 'जो भी है वहाँ है आधार' पर संचालित तथा अनुमोदित मेसर्स प्रकाश मैसर्स लिमिटेड इन्फोसिल इंडि. के माध्यम से किया जायेगा।
2. विक्रय सूचना समूचे ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के साथ पढ़ा जायेगा जिसमें परिसम्पत्तियों का विवरण, अभिसंधान ई–नीलामी प्रक्रिया प्रपत्र, घोषणा एवं वचन–पत्र, ई–नीलामी विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें सहित तीनों और मेसर्स प्रकाश https://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध हैं। सम्पर्क : श्री रविंदर धनधरा 7874108227 ई–मेल आईडी : admin@eauctions.co.in.
3. इच्छुक संभावित क्रेता अपने संबंधित जमा करने के पूर्व सम्पत्ति के स्थानीय, स्थानीय करदाता कर, बिजली तथा पानी के प्रभार, रखरखाव प्रभार, यदि कोई हो, से सम्बद्ध जानकारी अपनी स्वतंत्र पूछताछ के माध्यम से अपने लिये स्वयं कर लें और सदा को सन्तुष्ट कर लें। संभावित सम्पत्तियों का निरीक्षण सम्पत्ति सलाहकार द्वारा पहले की गयी बोली के 48घं. 9711813239 तथा/अथवा सुश्री आराधना सिंह : 8802052845 पर सम्पर्क करके समय निर्धारित करके किया जा सकता है।
4. इच्छुक संभावितों को जमा धरोहर राशि (जमा रा.) या तो एफडीआर/आरटीजीएस के माध्यम से "जे.बी. स्ट्रिप्स लिमिटेड इन लिक्विडेशन", खाता सं. 37511203013, फाइनेंस एंड बैंक, सुप्रीम एन्क्लेव मैनेजमेंट शाखा, दिल्ली मॉल, जनक सहारा पश्चिम, दिल्ली में निर्धारित, जमाकर्ता, नई दिल्ली–110059 आईएफएससी कोड : SBIN0004909 के माध्यम से अथवा जमा की बजाय किसी अनुसूचित बैंक से डाफ्ट डीडी जे.बी.स्ट्रिप्स लिमिटेड इन लिक्विडेशन के नाम से जमा करनी होगी।
5. इच्छुक संभावितों को आवेदन की सत्यापित प्रति (i) पहचान का प्रमाण, (ii) पासपोर्ट का प्रमाण, (iii) पैन कार्ड, (iv) वैध ई–मेल आईडी, (v) मोबाइल का मोबाइल नम्बर, (vi) सम्पर्क–पत्र एवं घोषणा–पत्र (vii) संशोधित आवेदन प्रपत्र, (viii) संभावितों की घोषणा (ix) परिसमापक की सन्तुष्टि हेतु विवरणिका के साथ के प्रपत्र सहित निम्नवत दस्तावेज के रूप में एक पत्र जमा तथा ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र हेतु प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इन परिसम्पत्तियों के अवलोकन प्रस्ताव ई–नीलामी संचिका उपलब्ध के लिए की जा सकते हैं।
ये दस्तावेज 18 जून, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न तक या इससे पूर्व निम्नलिखित पते पर परिसमापक के कार्यालय पर भौतिक रूप से अथवा ई–मेल द्वारा पहुँच जाने चाहिए।
6. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र संभावितों के पास पंजीकृत https://www.eauctions.co.in पर परिसमापक द्वारा विधिवत किया जायेगा। ई–नीलामी सेवा प्रदाता पात्र संभावितों को ई–मेल के माध्यम से पूरा आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेंगे।
7. ई–नीलामी में भाग लेने वाले पात्र संभावितों को वचन के रूप में जमा आरक्षित मूल्य पर बोली करनी होगी और बोली 1 हेतु अंकित रूप से न्यूनतम रु. 50 लाख, बोली 2 हेतु 5 लाख तथा बोली–3 हेतु रु. 10 लाख अथवा इस राशि के गुणकों में बोली की वृद्धि करनी होगी।
8. यदि ई–नीलामी के बन्द होने के समय अंतिम 5 मिनट में बोली प्रस्तुत की जाती है तो बन्द होने का समय बढ़ा दी जायेगी (अवधि विस्तार के साथ 5 मिनट के लिए बढ़ जायेगा)। जो संभावित ई–नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं) उसे करेंगे उसे सफल संभावित घोषित किया जायेगा और इस प्रकार से ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक सफल निर्णय किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन की शर्त पर होगा।
9. सफल संभावितों की जमा रा. विक्रय विज्ञापनों के अंश के रूप में रख ली जायेगी और असफल संभावितों की जमा रा. बिना ब्याज लौटा दी जायेगी। जमा रा. पर कोई ब्याज नहीं देय होगा। परिसमापक सफल संभावितों को एक अंतरण–पत्र (एमओयू) निर्गत करेगा और सफल संभावितों को पत्र दाखिल (सफल बोली राशि – जमा रा.) परिसमापक के हस्ताक्षरों के निर्धारण के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सफल संभावितों द्वारा एमओयू में उल्लिखित समय–सीमा के भीतर सेल राशि जमा करने में असफल रहने पर सफल संभावितों द्वारा जमा की गयी समूची राशि (जमा रा. और कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जायेगी।
10. सफल संभावितों को ई–नीलामी के लिए प्रयुक्त सेवाओं के परिशोधन में प्रयोज्य सेवा शुल्क/कमीशन प्रभार, शुल्क आदि तथा समस्त विविध/गैर–विविध शुल्क, कर, ड्यूटी, अंशदान प्रभार, शुल्क आदि का वहन करना होगा।
11. समूची विक्रय विचार के भुगतान के उपरान्त केवल सफल संभावितों के नाम से विक्रय प्रमाणपत्र/समझौता–पत्र जारी किया जायेगा और किसी अन्य नाम से नहीं जारी किया जायेगा।
12. परिसमापक को कोई भी सभी संभावितों स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी स्थगित करने/रिशेड्यूल करने/निरस्त करने या ई–नीलामी में कोई सम्पत्ति या उसका भाग आवंटित करने का पूर्ण अधिकार है।
13. विक्रय अभिसंधान तथा विनियमितता संहिता, 2016 के आवश्यकतानुसार उपरोक्त सहित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

नोट: सभी शर्तों परिसमापन कोर्ट स्थानों में विक्रय पर हैं — देवश्रीष नंदा, परिसमापक, जे.बी. स्ट्रिप्स लिमिटेड, आईबीबीआई रजि. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316, एस–7, मनीष प्लाजा, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–110092, ई–मेल आईडी : liquidatorjstrips@gmail.com, dhanda.cma@gmail.com
दिनांक : 6 जून, 2019, स्थान : नई दिल्ली

(This is only an advertisement for information purpose and not a Prospectus announcement.)

SUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITED

Our Company was originally incorporated under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated July 23, 2008 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Later in the year 2016, the name of the company was changed from "Sudarshan Specialty Chemsolve Private Limited" to "Sudarshan Pharma Industries Private Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on November 25, 2016 and vide certificate of incorporation dated December 17, 2016 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Thereafter, Our Company was converted in to a public company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on December 12, 2016 and consequently name was changed to "Sudarshan Pharma Industries Limited" (SPIL) vide fresh certificate of incorporation dated January 15, 2017 issued by Registrar of Companies, Mumbai. For details pertaining to the changes of name of our company and change in the registered office, please refer to the chapter titled *'History and Certain Corporate Matters'* beginning on page no. 151 of this Prospectus.

Corporate Identification Number: U51496MH2008PLC184997
Registered Office: 301, 3rd Floor, Aura Biplex, Above Kalyan Jewellers, S V Road, Borivali (West), Mumbai – 400 092, Maharashtra, India;
Tel. No.: +91 22 242221111 | **Email:** compliance@sudarshanpharma.com/ compliance.spil@gmail.com | **Website:** www.sudarshanpharma.com;
Contact Person: Mr. Anubhav Jain, Company Secretary & Compliance Officer

PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. HEMAL V. MEHTA & MR. SACHIN V. MEHTA

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 34,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE ₹ 75 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 65 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 2580.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 75 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 132.00LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 32,64,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 75.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 2448.00 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.49 % AND 25.13 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 1,600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE "SECTION X- ISSUE RELATED INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 245 OF THE PROSPECTUS.

LISTING: The Equity Shares of our Company offered through this Prospectus are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("**NSE EMERGE**"), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principal approval letter dated April 05, 2019 from National Stock Exchange of India Limited for using its name in the Offer document for listing of our shares on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited. For the purpose of this Issue, National Stock Exchange of India Limited shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire *"Disclaimer Clause of SEBI"* on page 235 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE Limited ("**NSE**") should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the *"Disclaimer Clause of NSE"* on page 238 of the Prospectus.

IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED 1-2 Bhupen Chambers, Ground Floor, Dalal Street, Mumbai - 400 001 **Tel. No.:** +91 224050 9999 **Fax No.:** N.A **Email:** rushabh@focl.in/ satish@focl.in / mala@focl.in **Investor Grievance Email :** investorcomplaints@focl.in **Website :** www.focl.in **Contact Person:** Mr. Rushabh Shroff/ Mr. Satish Shetty/ Ms. Mala Soneji **SEBI Registration No. :** INM000003671	KARVY FINTECH **KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED** Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Telangana, India **Tel. No.:** +1-800-3454001/ +91 40 6716 2222 **Fax No.:**+91 402343 1551 **Email :** einward.ris@karvy.com **Investor Grievance Email:** spil.ipo@karvy.com **Website :** www.karisma.karvy.com **Contact Person :** M. Murali Krishna **SEBI Registration No. :** INR000000221	**MR. ANUBHAV JAIN** **Registered Office:** 301, 3rd Floor, Aura Biplex, Above Kalyan Jewellers, S V Road, Borivali (West), Mumbai – 400 092, Maharashtra, India; **Tel. No.:** +91 22 242221111; **Email :** compliance@sudarshanpharma.com / compliance.spil@gmail.com; **Website :** www.sudarshanpharma.com Investors may contact our

Bank of India
Relationships beyond banking.

नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय, स्टार हाउस एच -2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001

विलफुल डिफॉल्टर्स, डायरेक्टर्स /गारंटर्स के लिए सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस द्वारा जनता को बड़े पैमाने पर सूचना दी जाती है कि 'बैंक ऑफ इंडिया' ने निम्नलिखित व्यक्तियों को 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद किए गए हैं।

निम्नलिखित व्यक्ति ने **13.01.2010** को **बैंक ऑफ इंडिया, अंसारी रोड शाखा** से कैश क्रेडिट ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

(बलराम सिंह)

उधारकर्ता का नाम : श्री बलराम सिंह पुत्र श्री जय सिंह
निवास : 528, कैलाश पुरी, नई दिल्ली–110045
कार्यालय का पता : 528, कैलाश पुरी, नई दिल्ली–110045
खाते का नाम : **मैसर्स जे. पी. टेक्सटाइल्स**
ऋण खाता संख्या : 603230110000062
मूल राशि : रु. 45.00 लाख
बकाया राशि : रु. 46.76 लाख + संविदागत ब्याज + अन्य शुल्क

निम्नलिखित व्यक्ति ने **बैंक ऑफ इंडिया, अंसारी रोड शाखा** से **08.02.2010** को टर्म लोन लिया है और भुगतान में चूक की है।

(सुनील जैन)

उधारकर्ता का नाम : श्री सुनील जैन पुत्र श्री सुरिंदर मोहन जैन
निवास : 711, अरलियास, डीएलएफ गोल्फ लिंक्स, डीएलएफ फेज–5, गुड़गांव, हरियाणा–122009
कार्यालय का पता : 711, अरलियास, डीएलएफ गोल्फ लिंक्स, डीएलएफ फेज–5, गुड़गांव, हरियाणा–122009
खाते का नाम : **मैसर्स एसजेएम ऑटो एसिलरीज**
ऋण खाता संख्या : 603270410000004
मूल राशि : रु. 45.00 लाख
बकाया राशि : रु. 31.38 लाख + संविदागत ब्याज + अन्य शुल्क

निम्नलिखित व्यक्ति ने **22.09.2010** को **बैंक ऑफ इंडिया, पहाड़गंज शाखा** से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है और भुगतान में चूक की है।

(किरन बत्रा) (रंजना सिंह) (शिल्पी सिंघल)

उधारकर्ता का नाम : (1) श्रीमती किरण बत्रा, (2) श्रीमती रंजना सिंह, (3) श्रीमती शिल्पी सिंघल
निवास : (1) और (2) डी–171, सेक्टर–49, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, (3) ए–131, सेक्टर–55, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
कार्यालय का पता : मैसर्स श्रीनाथ प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, डी–18, सेक्टर –7, नोएडा, उत्तर प्रदेश –201301 अन्य पता : बी–146 लेन नंबर 3 न्यू अशोक नगर दिल्ली –110096
खाते का नाम : **मैसर्स श्रीनाथ प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स**
ऋण खाता संख्या : 600930110000028 और 600970410000004
मूल राशि : रु. 74.25 लाख बकाया राशि : रु. 59.75 लाख + संविदागत ब्याज + अन्य शुल्क

निम्नलिखित व्यक्ति ने **बैंक ऑफ इंडिया, अंसारी रोड शाखा** से **08.02.2010** को टर्म लोन लिया है और भुगतान में चूक की है।

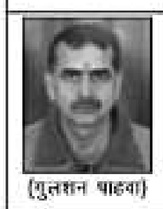
(गुलशन पाहवा)

उधारकर्ता का नाम : श्री गुलशन पाहवा पुत्र श्री हरनाम दास
निवास : 192–ए, मॉडल टाउन, लुधियाना, पंजाब –144003
कार्यालय का पता : 822–3, इंडस्ट्रियल एरिया–बी, लिंक रोड, लुधियाना, पंजाब –144003
खाते का नाम : **मैसर्स पाहवा स्टील्स**
ऋण खाता संख्या : 604030110000008 और 604030110000009
मूल राशि : रु. 49.00 लाख
बकाया राशि : रु. 53.37 लाख + संविदागत ब्याज + अन्य शुल्क

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ–साथ क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपर्युक्त व्यक्तियों को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में सूचित करने के लिए उपयुक्त संचार भेजा है। इसके तहत हम बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए विलफुल डिफॉल्टर्स की तस्वीरें प्रकाशित करते हैं।

दिनांक: 07–06–2019
स्थान: नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India BOI

नई दिल्ली वृहत कॉर्पोरेट शाखा
10 वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, होटल इंपीरियल, के सामने जनपथ, नई दिल्ली –11000

सार्वजनिक सूचना

श्री संजीव नरूला

मैसर्स लिलिपुट किड्स वेयर लि. ने नई दिल्ली से कैश क्रेडिट, क्रॉपोरेट लोन, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, फंड इंटरेस्ट टर्म लोन I, II, III और IV लोन लिया है। बृहत कॉर्पोरेट शाखा क्रमशः 16.09.2010, 31.12.2011, 17.06.2013, 17.06.2013, 17.06. 2013, 17.06.2013, और 17.06.2013 को और भुगतान में चूक हुई।

1. गारंटर का नामः श्री संजीव नरूला पुत्र श्री मदन लाल नरूला,
निवासः E-109, ग्रेटर कैलाश– II, नई दिल्ली –110048, नौकरीः व्यवसाय
कार्यालय का पताः डी –95, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस– I, नई दिल्ली –110020
ऋण खाता संख्याः 605930110000012, 605965410000089, 605965410000126, 605965610000009, 605965610000010, 605965610000011 और 605965610000012
मुलधन राशिः रु. 106.36 (स्वीकृत सीमा)
31.03.2019 को बकाया राशि रु. 105.70 करोड़ + आगे ब्याज 30.09.2013 से

दिनांकः 07.06.2019, स्थानः नई दिल्ली — बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India BOI

नई दिल्ली वृहत कॉर्पोरेट शाखा
10 वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, होटल इंपीरियल, के सामने जनपथ, नई दिल्ली –11000

सार्वजनिक सूचना

श्री वीर करण अवस्थी

मेसर्स बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड .. ने ईपीसी / पीसीएफसी और कैश क्रेडिट का लाभ उठाया है, नई दिल्ली ओवरसीज शाखा / नई दिल्ली बृहद कॉर्पोरेट शाखा से 31.08.2007 को ऋण और 05.17.2012 भुगतान में चूक हुई है

. गारंटर का नामः श्री वीर करण अवस्थी पुत्र श्री विजय कुमार अवस्थी
निवासः सी –1/2, वसंत विहार, नई दिल्ली –110057, नौकरीः व्यवसाय
कार्यालय का पताः 505–506, 5 वीं मंजिल, डीएलएफ साउथ कोर्ट साकेत, नई दिल्ली –110017
ऋण खाता संख्याः 604282610000021, 605930110000020
मूलधन राशिः रु. 185.00 करोड़ (स्वीकृत सीमा)
31.03.2019 को बकाया राशि रु. 52.52 करोड़ + आगे ब्याज 30.09.2014 से

दिनांकः 07.06.2019, स्थानः नई दिल्ली — बैंक ऑफ इंडिया

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग मंडल कार्यालय – मध्य दिल्ली
चतुर्थ तल, कनॉट प्लेस नई दिल्ली –110008, फोन नं. 011–25713518, ई–मेल : cocdelrd@pnb.co.in

आम जनता के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक कर्जदार के विरुद्ध नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर्जदारों / गारंटरों/बंधककर्ताओं (इसके बाद कर्जदारों कहा जायेगा) से राशि की वसूली हेतु मांग सूचना जारी किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों जो कि नीचे दिए कर्जदारों को प्रदत्त ऋण/क्रेडिट सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभूतियों के रूप में धारित है, का कब्जा ले लिया है। जैसा कि, प्रतिभूति परिसम्पत्ति की बिक्री, मांग सूचना के अनुसार कार्जदार से पंजाब नैशनल बैंक को देय सुविक्रेता उत्पन्न + भविष्य का ब्याज, बैंक द्वारा उस पर उठायी गयी लागत एवं प्रभार उसके बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर की वसूली के लिए **सार्वजनिक ई–नीलामी** के माध्यम से की जानी है। सर्वसाधारण को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। **बैंक सुयोग्य सम्पत्ति के लिए बोली करने के लिए स्वतंत्र होगा।**

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदार एवं बैंक शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं उसमें वर्णित बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण – बंधककर्ता के नाम (सम्पत्ति के स्वामी) सहित	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से जमा की जानी है	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय / बोली वृद्धि	प्राधिकृत अधिकारी/मंडल अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नम्बर / बकाया सरकारी देय, यदि कोई हो
1	मैसर्स जे एस डिजाईनर शाखा : एआरएमबी, नई दिल्ली	13.02.2018 रु. 4104.69 लाख	Plant and machineries and various movable items (except EECO Car bearing no. UP16BT4024) lying at 223, Block D, Sector no. 63, Noida	भौतिक	रु. 21.00 लाख / Rs. 2.10 Lacs 10.07.2019	पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी डीआरटी खाता नं. 1522002200000316 (IFSC कोड PUNB0152200)	06.07.2019 अपरा. 03.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक	12.07.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक / रु. 50,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबंधक, 9741615271 मंडल ऑफिसर : श्री रविन्द्रा कुमार, मुख्य प्रबंधक मो. नं.: 8130864663 / झंडा नहीं
2	मैसर्स जे एस डिजाईनर शाखा : एआरएमबी, नई दिल्ली	13.02.2018 रु. 4104.69 लाख	Plant and machineries and various movable items lying at 222, Block D, Sector no. 63, Noida	भौतिक	रु. 58.17 लाख / रु. 5.82 लाख 10.07.2019	पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी डीआरटी खाता नं 1522002200000316 (IFSC कोड PUNB0152200)	06.07.2019 अपरा. 03.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक	12.07.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक / रु. 50,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबंधक, 9741615271 मंडल ऑफिसर : श्री रविन्द्रा कुमार, मुख्य प्रबंधक मो. नं.: 8130864663 / झंडा नहीं

ई–नीलामी बिक्री के संबंधित नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) नीलामी बिक्री "ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल **http://pnbindia.biz** पर होगी। (3) इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वर्णित प्रत्येक सम्पत्तियों के समक्ष अंकित मंडल अधिकारी से संपर्क करके एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से अनिवार्य तौर पर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो कि ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। (4) अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा स्वीकार्य न पाए जाने की स्थिति में सभी बोलियों को निरस्त करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस सम्बंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। (5) नीलामी के अंतिम समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाए जाने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा। (6) बोलीदाता को अपने पैन कार्ड तथा आवासीय पते के प्रमाण की रंगीन की नई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। ऐसी बोलीदाता भी, जोकि व्यक्ति नहीं है, ई–बिडिंग हेतु उपयुक्त यूजरनेट अपलोड करें। (7) सफल बोलीदाता को पहले जमा कराई गई धरोहर राशि सहित बोली राशि की 25% राशि तुरंत जमा करानी होगी। (8) सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर बोली राशि की शेष 75% राशि जमा करानी होगी। (9) बोली राशि की 25% राशि तुरंत तथा निर्धारित अवधि के भीतर शेष 75% राशि जमा कराने में चूक की स्थिति में पहले जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। (10) समस्त वैधानिक देयताएं/अटेंडेन्ट चार्जेज/अन्य देय राशि, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि क्रेता को ही वहन करने होंगे। (11) यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए 30 दिन का नोटिस भी है। और अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स देखें तथा/अथवा उपरोक्त प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकित मंडल अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें : **www.pnbindia.biz ; www.pnbindia.in ; www.eprocure.gov.in**

दिनांक : 08.06.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी : पंजाब नैशनल बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री की उद्घोषणा

आर.सी. नं. 283/2017 — **दिनांक 03.05.2019**

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसूली के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

यूको बैंक बनाम श्री रोहन कुमार एवं अन्य

सीडी नं. 1: श्री रोहन कुमार पुत्र श्री शिवकांत मलिक (कर्जदार), एफ–112, दूसरा तल, उत्सव अपार्टमेंट, डीडीए एमआईजी फ्लैट, सेक्टर–18, रोहिणी, दिल्ली–110085
इसके साथ: मैसर्स श्री कृपाल टिम्बर्स, ए–227, जगदेव सिंह, तिल्लू मार्ग, टिकरी कला, दिल्ली–110041
इसके साथ: प्लॉट नं. 79, प्रथम तल, पॉकेट–10, सेक्टर नं. 20, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
सीडी नं. 2: सुश्री शालू राय पत्नी श्री रोहन कुमार (सह–कर्जदार), एफ–112, दूसरा तल, उत्सव अपार्टमेंट, डीडीए एमआईजी फ्लैट, सेक्टर–18, रोहिणी, दिल्ली–110085
इसके साथ: मैसर्स ए–वन टिम्बर्स ट्रेडिंग कं., ए–227, जगदेव सिंह, तिल्लू मार्ग, टिकरी कला, दिल्ली–110041
इसके साथ: मैसर्स श्री कृपाल टिम्बर्स, ए–227, जगदेव सिंह, तिल्लू मार्ग, टिकरी कला, दिल्ली–110041
इसके साथ: प्लॉट नं. 79, प्रथम तल, पॉकेट–10, सेक्टर नं. 20, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
सीडी नं. 3: श्री हिमांशु मिश्रा पुत्र श्री रामानंद मिश्रा (गारंटर), मकान नं. 55, प्रथम तल, पॉकेट–6, सेक्टर–22, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
इसके साथ: बी–3, सूरज पार्क, बादली इंडस्ट्रियल एरिया के सामने, गेट नं. 3, दिल्ली–110042

चूंकि आप **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली** द्वारा जारी **ओ.ए. नं. 213/2015** में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपकी ओर बकाया राशि **रु.29,78,654/– (उनतीस लाख अठहत्तर हजार छह सौ चौवन रुपए)** और वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार 20.01.2015 से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं लागत, उपार्जित व्यय का भुगतान करने में असफल रहे हैं। और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र के आलोक में नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आगे किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री **05.07..2019 को प्रातः 11:00 बजे ऑक्शनर श्री अनिरुद्ध कुमार, अधिवक्ता, मोबाइल नं. 8800315733 के माध्यम से** सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सम्पत्ति की साइट पर की जाएगी और **ऑक्शनर दस्तावेजों के साथ ईएमडी राशि अप. 2:30 बजे तक स्वीकार करेंगे और बोली अप. 3:00 बजे प्रारंभ होगी। विस्तृत विवरणों के लिए सम्पर्क करें : श्री नेमी चंद, सहायक महाप्रबंधक, सीएच बैंक, मोबाइल नं. 8447776715**

नीचे अनुसूची में वर्णित अनुसार उपरोक्त नामित प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी और कथित सम्पत्ति के साथ संलग्न देयताएं एवं दावें, जिनकी अब तक गणना की गई है और उन्हें प्रत्येक लॉट के अधीन अनुसूची में विनिर्दिशित किया जाएगा।

नीचे अनुसूची में विनिर्दिशित सम्पत्ति के लॉट को बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग की बिक्री पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। बिक्री को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि पुरा लॉट समाप्त हो जाता है, कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की कीमत सहित) की अधिकारी द्वारा वसूली हो जाने का प्रमाण दिया जाता है और अधोहस्ताक्षरी के पास ऐसे प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।

कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी ड्यूटी बिक्री से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और इसके अधीन बनाए गये नियमों और आगे की शर्तों का पालन करते हुए की जाएगी।

नियम व शर्तें:

1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी एवं ईएमडी निम्नानुसार है :

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
(I)	**रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली में स्थित सम्पूर्ण प्रथम तल बिना छत अधिकार, निर्मित सम्पत्ति सं. 79, पॉकेट–10, सैक्टर–20, परिमाप 48 वर्ग मीटर।**	रु.17,00,000/– (सत्रह लाख रुपए)	रु.1,70,000/– (एक लाख सत्तर हजार रुपए)

2. बोली राशि रु. 50,000/– (पचास हजार रुपए मात्र) से बढ़ायी जाएगी। बोलीदाता की ओर बोली राशि या बोली के समय में किसी भी विवाद की स्थिति में को लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा। यदि वहां उपस्थित कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा पहले प्राप्त ईएमडी को विचार हेतु रखा जा सकता है।
3. सबसे ऊंची बोलीदाता को किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जाएगा और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अधोहस्ताक्षरी को यदि लगता है कि प्रस्तुत की गई बोली राशि कम है और यह राशि अनुचित है तो उसके पास ऊंची बोली को निरस्त करने/स्वीकार करने का अधिकार होगा।
4. **ईएमडी राशि वसूली अधिकारी–I, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर के द्वारा नीलामी की तिथि को ऑक्शनर** के पास जमा करनी होगी। बोलीदाता या बोलीदाता की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि को निविदा में भाग लेने के लिए पैन कार्ड, पते का प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाइल नं., और घोषणा पत्र, यदि वह बोलीदाता की ओर से भाग ले रहा है, को जमा करना होगा। बाद के उसे अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उसकी बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव पास किया गया है तो उसकी प्रति या अन्य कोई दस्तावेज जो यह प्रतिनिधित्व/कम्पनी की अटॉर्नी की पुष्टि करता हो और ऐसे जमा की प्राप्ति कोर्ट ऑक्शनर के पास पहुंच जानी चाहिए।
5. सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने के अगले बैंक कार्य दिवस को **अप. 3.00 बजे तक इस अधिकरण में कथित खाते में** ईएमडी के समायोजन के पश्चात अंतिम लगाई गई बोली **की 25 प्रतिशत राशि** जमा करनी होगी।
6. खरीददार को सम्पत्ति की **बिक्री की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15वें दिन को** या उससे पूर्व, ऐसे तिथि को छोड़कर, या यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश **पड़ता है** तो इसके बाद आने वाले पहले दिन उपरोक्त पैरा 4 में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, खरीददार को **रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली** के पक्ष में देय डीडी के रूप में **रु. 1000/– तक 2 प्रतिशत की दर से और रु. 1000/– से अधिक राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पांचहेज शुल्क वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III दिल्ली** के पास जमा करना होगा।
7. **सम्पत्ति का निरीक्षण 28.06.2019 को प्रातः 11:00 बजे से अप. 3:00 बजे के बीच किया जा सकता है।**
8. यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होती है तो जमा की गई राशि, बिक्री के व्यय, जैसा अधोहस्ताक्षरी जैसा उचित समझे को सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा और चूककर्ता खरीददार जमा की गई राशि या सम्पत्ति के संबंध में कोई भी दावा नहीं कर पायेगा। सम्पत्ति को नई बिक्री उद्घोषणा जारी करने के बाद पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा खरीददार अपनी अंतिम बोली राशि और बाद में अनुवर्ती बेची गई कीमत के बीच में कमी या अंतर के लिए भी जिम्मेदार होगा।
9. सम्पत्ति **"जैसा है जहां है एवं जो है जैसा है"** आधार पर बेची जाएगी।
10. इस चरण में अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सम्पत्ति पर बकाया राजस्व/अधिभार या दावों का कोई विवरण नहीं है। तथापि, भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में ईएमडी जमा करने से पूर्व सम्पत्ति पर कोई भी बकाया जैसे बिजली बकाया/पानी/हाउस कर या अन्य कोई अधिभार आदि की जांच कर लें।
11. अधोहस्ताक्षरी किसी या सभी बोली, यदि वह अनुचित समझे तो उसे निरस्त करने या किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं।
12. इस चरण में अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सम्पत्ति पर बकाया राजस्व/अधिभार या दावों का कोई विवरण नहीं है लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा के संबंध में किसी भी त्रुटि, भूलचूक या मिथ्या कथन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आज 03 मई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ जारी (कोर्ट की मोहर)

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: **14.06.2019**

Delhi - Karol Bagh: MAL-1051, 1195, 1352, MBL-3301, MGL-1653, MHP-5, MSL-32778, 32805, 32816, 32825, 32833, 32836, 32855, 32869, 32882, 32922, MUL-180, 256, 313, 341, 461, 549, 550, 618, 668, 698, 810, 823, 827, 849, 866, 871, 876, 877, 883, 893, 910, 924, 960, 962, 976, 980, 991, 1020, 1031, 1039, 1044, 1063, 1082, 1085, 1127, 1141, 1158, 1197, 1201, 1219, 1220, 1226, 1233, 1300, 1301, 1302, 1335, 1352, 1361, 1382, 1385, 1392, 1401, 1403, 1404, 1405, 1425, 1430. **Kamla Nagar:** MAL-1532, 1753, 1874, MBL-3776, MGL-2061, MHL-233, 256, 261, 271, MHP-3, MSL-27708, 27726, 27837, 27838, 27850, 27865, 27907, 27909, MUL-2, 132, 141, 145, 167, 212, 265, 267, 268, 338, 500, 608, 626, 654, 676, 744, 866, 886, 913, 922, 928, 961, 1040, 1096, 1120, 1128, 1131, 1132, 1149, 1154, 1155, 1192, 1215, 1217, 1233, 1265, 1272, 1317, 1356, 1366, 1368, 1383, 1388, 1403, 1404, 1422, 1439, 1446, 1461, 1470, 1479, 1481, 1482, 1483, 1530, 1536, 1538, 1542, 1543, 1555, 1561, 1564, 1566, 1575, 1590, 1605, 1611, 1612, 1627, 1628, 1629, 1637, 1638, 1660, 1693, 1698, 1716, 1721, 1727, 1745, 1748, 1749, 1752, 1765, 1769, 1801, 1807, 1810, 1819, 1832, 1845, 1858, 1882, 1883, 1884, 1895, 1906, 1910, 1914, 1919, 1926. **Karol Bagh Arya Samaj Road:** MAL-661, 668, 700, 836, 918, MGL-837, 1278, MHP-9, MSL-9781, 9830, 9858, 9879, 9884, 9885, MUL-9, 43, 44, 50, 58, 339, 476, 567, 599, 626, 643, 701, 718, 727, 750, 751, 755, 788, 796, 807, 839, 841, 876, 889, 898, 916, 926, 929, 932, 937, 946, 950, 958, 963, 967, 1012, 1033, 1042, 1047, 1079, 1082, 1090, 1101, 1141, 1142, 1150, 1168, 1191, 1198, 1200, 1204, 1222, 1224, 1225, 1226, 1229, 1235, 1241, 1261. **Tri Nagar:** MAL-965, 1102, 1111, 1176, 1177, MLS-166, 170, 181, MSL-16816, 16873, MUL-143, 307, 368, 419, 606, 607, 753, 782, 783, 841, 875, 879, 929, 939, 942, 967, 1031, 1081, 1120, 1152, 1167, 1168, 1186, 1208, 1212, 1229, 1235, 1245, 1273, 1274, 1277, 1338, 1449, 1459, 1505, 1520, 1536, 1548, 1549, 1558, 1559, 1565, 1583, 1591, 1612, 1634, 1646, 1654, 1659, 1662, 1663, 1692, 1709, 1750, 1757, 1759, 1765, 1780, 1792, 1793, 1796, 1807, 1811, 1812, 1824, 1828, 1829, 1830, 1831, 1843, 1849, 1860, MWS-36, 39, 42, 45, 49, 54, 63, 64, 65, 68, 70, 112, 113, 127, 133, 145, 149. **Karol Bagh Rohtak Road:** MAL-501, MHL-142, MSL-8349, 8384, 8408, 8410, 8427, 8502, MUL-16, 188, 259, 272, 274, 303, 357, 380, 382, 412, 426, 471, 482, 504, 517, 526, 539, 553, 557, 565, 570, 579, 586, 606, 609, 619, 621, 626, 635, 642, 686, 687, 689, 690, 696, 723, 733, 735, 742, 744, 750, 753. **Shastri Nagar:** MAL-1143, 1256, 1320, 1435, 1450, 1461, MGL-2101, MSL-16688, 16749, 16776, 16777, 16808, 17051, 17052, 17078, 17083, 17092, 17102, 17135, 17140, 17155, 17175, 17181, 17194, 17195, 17265, 17334, 17368, 17382, 17388. MUL-42, 45, 64, 65, 71, 106, 395, 449, 458, 500, 505, 524, 525, 542, 582, 630, 649, 687, 778, 796, 801, 814, 852, 968, 970, 976, 983, 1002, 1030, 1034, 1044, 1074, 1091, 1117, 1144, 1146, 1176, 1183, 1184, 1194, 1203, 1219, 1226, 1238, 1245, 1297, 1356, 1364, 1373, 1376, 1377, 1397, 1429, 1434, 1468, 1491, 1495, 1497, 1522, 1524, 1526, 1527, 1537, 1564, 1578, 1579, 1582, 1583, 1584, 1592, 1598, 1600, 1601, 1617, 1629, 1633, 1637, 1643, 1652, 1653, 1658, 1664, 1672, 1676, 1679, 1685, 1695, 1696, 1709, 1711, 1714, 1719, 1723, 1738. **Old Rajendra Nagar:** MSL-9784, 9808, 9810, 9832, 9833, 9856, 9873. MUL-18, 28, 49, 75, 316, 344, 380, 417, 449, 452, 472, 473, 476, 494. **Old Subzi Mandi:** MAL-2588, 2603, 2661, 2666, 2705, 2821, 2927, 3026. MBL-6083, MSL-23769, 24035, 24171, 24263, 24298, 24496, 24617, 24625, 24706, 24748, 24940, 24945, 24969, 24998, 25079, 25126, 25133. MUL-108, 111, 137, 248, 337, 338, 423, 523, 689, 748, 867, 903, 1037, 1065, 1151, 1305, 1390, 1508, 1530, 1546, 1553, 1555, 1556, 1592, 1609, 1624, 1663, 1664, 1680, 1711, 1743, 1746, 1763, 1782, 1796, 1809, 1810, 1821, 1824, 1834, 1844, 1847, 1870, 1878, 1893, 1897, 1898, 1962, 1974, 1991, 1994, 1995, 2001, 2026, 2036, 2049, 2084, 2088, 2089, 2105, 2118, 2122, 2187, 2209, 2211, 2237, 2271, 2287, 2294, 2324, 2329, 2355, 2356, 2357, 2367, 2368, 2376, 2403, 2404, 2406, 2417, 2433, 2443, 2445, 2467, 2486, 2513, 2519, 2529, 2532, 2536, 2548, 2569, 2574, 2652, 2653, 2667, 2670, 2674, 2676, 2680, 2694, 2700, 2706, 2716, 2724, 2730, 2765, 2766, 2768, 2769, 2803, 2812, 2851. **Hardhian Singh Road Karol Bagh:** MAL-300. **Dev Nagar Karol Bagh:** MAL-1182, MSL-10153, 10154, 10155, 10156, 10234, 10249, 10259, 10394

रूस स्टार्ट संधि से अलग होने को तैयार : पुतिन

सेंट पीटर्सबर्ग, 6 जून (एएफपी)।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते, जिसे न्यू स्टार्ट संधि कहा जाता है, के नवीनीकरण को लेकर अगर कोई उत्साहित नहीं है तो रूस इससे अलग होने के लिए तैयार है।

पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित आर्थिक मंच के कार्यक्रम में हथियार कटौती की रणनीतिक संधि का उल्लेख करते हुए कहा, 'अगर किसी को यह महसूस नहीं होता कि करार- न्यू स्टार्ट- का विस्तार किया जाए, ठीक है हम तब ऐसा नहीं करेंगे।' पुतिन ने कहा, 'हम यह सैकड़ों बार कह चुके हैं कि हम तैयार हैं (विस्तार करने के लिए)।' उन्होंने दुख जताया कि इस मुद्दे पर वाशिंगटन मास्को के साथ कोई वार्ता आयोजित नहीं कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत को लेकर कोई प्रगति नहीं हो रही है और 2021 में सब समाप्त हो जाएगा। इस संधि पर प्राग में 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में परमाणु हथियारों की संख्या को शीत युद्ध सीमा से नीचे बनाए रखने की बात कही गई थी और इसकी मियाद दो सालों में खत्म हो जाएगी।

> हम यह सैकड़ों बार कह चुके हैं कि हम विस्तार करने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर वाशिंगटन मास्को के साथ कोई वार्ता आयोजित नहीं कर रहा है।

85 मरीजों के हत्यारे को मिली उम्रकैद

ओल्डेनबर्ग, 6 जून (एएफपी)।

उसका काम था मरीजों की तीमारदारी करना...लेकिन तीमारदारी की आड़ में उस वहशी हत्यारे ने अपने 85 मरीजों को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया। जर्मनी में सामने आए इस मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है। मामला इतना खौफनाक था कि अदालत ने पुरुष नर्स को आजीवन करावास की सजा तो सुनाई लेकिन खुद वह सकते में आ गई।

न्यायाधीश सेबेस्टियन बुर्हमैन ने हत्यारे नील्स होगेल द्वारा एक के बाद एक की गई इन हत्याओं को 'समझ से परे' करार दिया है। अदालत ने कहा कि यह अपराध मानवीय कल्पना से परे है। ये साल 2000 से 2005 की बात है। होगेल ने एक-एक कर 85 मरीजों को जहर का इंजेक्शन लगाया। अगर वह पकड़ा नहीं जाता तो उसका यह खूनी खेल ऐसे ही चलता रहता। हत्या के छह अन्य मामलों में होगेल को पहले भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह इस सजा के दस साल काट चुका है।

> **पुरुष नर्स ने मरीजों को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया। अभियोजन पक्ष को साबित करने के लिए 130 से अधिक शवों के अवशेषों को कब्रों से निकालना पड़ा। पुलिस को संदेह है कि नर्स ने 200 से अधिक मरीजों की जान ली होगी।**

अभियोजन पक्ष को यह मामला साबित करने के लिए 130 से अधिक शवों के अवशेषों को कब्रों से निकालना पड़ा। पुलिस को संदेह है कि होगेल ने 200 से अधिक मरीजों की जान ली होगी। लेकिन अदालत यह पक्के तौर पर नहीं कह सकी क्योंकि होगेल की याददाश्त ठीक से काम नहीं कर रही है और ऐसे ही अन्य पीड़ितों के बारे में आशंका है कि उन्हें बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया गया होगा।

होगेल को 2005 में डेलमेनहोर्स्ट में एक मरीज को जहर का इंजेक्शन देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। इस मामले में उसे सात साल की सजा सुनाई गई थी। दूसरा मामला 2014-15 में पीड़ितों के परिजनों के दबाव के तहत शुरू किया गया। उसे पांच अन्य मरीजों की हत्या का दोषी पाया गया और 15 साल की सजा सुनाई गई। बुधवार को सुनवाई के अंतिम दिन, होगेल ने अपने 'जघन्य कृत्यों' के लिए पीड़ित परिजनों से क्षमा मांगी।

पाकिस्तान में ईद पर हुई झड़प में 10 मरे

लाहौर, 6 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईद की नमाज के बाद दो प्रतिद्वंद्वी समूहों ने एक-दूसरे पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इसमें कम से कम 10 व्यक्तियों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। यह घटना मुल्तान जिले की जलालपुर पीरवाला तहसील में बुधवार को हुई।

जियो न्यूज की खबर के मुताबिक एक विवाद के बाद दोनों समूह ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। सूत्रों के मुताबिक एक समूह के लोग ईद की नमाज के बाद जब अपने घर लौट रहे थे तो तभी दूसरे समूह के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुजदार ने घटना पर मुल्तान के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

रक्षा बजट में कटौती से जवाबी कार्रवाई की क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा : बाजवा

इस्लामाबाद, 6 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि एक साल के लिए अपने रक्षा बजट में कटौती करने के सेना के इस कदम का हर किस्म के खतरे से निपटने में उसकी जवाबी कार्रवाई की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वित्तीय संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने खर्चों में कटौती की मुहिम शुरू की है। सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने बुधवार को आश्वत किया कि रक्षा बजट में स्वेच्छा से की गई कटौती का सेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियंत्रण रेखा के पास सैनिकों के साथ ईद मनाने पहुंचे बाजवा ने कहा कि यह एक फौजी के लिए सबसे बेहतर ईद है क्योंकि उन्हें ऐसे त्योहार के मौके पर अपने परिवार से दूर रहकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात होने का गौरव मिला है।

अमेरिका से टैंक और मिसाइलें खरीदेगा ताइवान, चीन नाराज

ताइपे, 6 जून (एपी/एएफपी)।

ताइवान ने गुरूवार को पुष्टि की कि वह एक प्रस्तावित करार के जरिए अमेरिका से अत्याधुनिक टैंक और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य मिसाइलें खरीदना चाह रहा है। ताइवान के इस बयान से नाराज चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान में बताया कि उसने 108 एम1ए2 अब्राम्स युद्धक टैंक, 1500 से अधिक जैवलिन और टीओडब्ल्यू टैंक रोधी मिसाइलें और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 250 स्टिंगर विमान भेदी मिसाइलें खरीदने के लिए औपचारिक तौर पर कहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस अनुरोध पर सामान्य तरीके से काम हो रहा है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने खबर दी है कि अमेरिकी सरकार ने देश की संसद (कांग्रेस) को दो अरब डालर के करार में उपकरणों की बिक्री की अपनी योजना के बारे में अनौपचारिक जानकारी दी है।

> ● ताइवान ने बताया कि उसने 108 एम1ए2 अब्राम्स युद्धक टैंक, 1500 से अधिक जैवलिन और टीओडब्ल्यू टैंक रोधी मिसाइलें और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 250 स्टिंगर विमान भेदी मिसाइलें खरीदने के लिए औपचारिक तौर पर कहा है।

चीन ने कहा कि इस बिक्री पर उसकी गंभीर चिताएं हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने गुरुवार को नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमने अमेरिका को बार-बार जोर देकर कहा है कि वह ताइवान को हथियार बेचने के अपने फैसले की अत्यंत संवेदनशील और नुकसानदेह प्रवृति को पूरी तरह समझे और एक चीन सिद्धांत का पालन करे।' साल 1949 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से ताइवान का शासन अलग संचालित होता रहा है, लेकिन चीन अभी भी इसे अपना क्षेत्र मानता है और इस द्वीपसमूह को अपने नियंत्रण में लेने का इरादा जाहिर करता रहा है, भले ही उसे इसके लिए बल प्रयोग करना पड़े। खबरों में यह भी कहा गया है कि ताइवान ने 66 अतिरिक्त एफ-16 लड़ाकू विमान खरीदने का भी आग्रह भेजा है।

ट्विटर ने थ्येनमन इमोजी की इजाजत नहीं दी, चीनी कार्टूनिस्ट ने निंदा की

हांगकांग, 6 जून। अपने अज्ञात राजनीतिक व्यंग्य के कारण चीन की नाराजगी झेल चुके चीनी कलाकार बदियुकाओ ने गुरुवार को घोषणा की कि वह ट्विटर के विरोध में अभियान छेड़ेंगे। उनका आरोप है कि यह सोशल माइक्रोब्लागिंग सोशल साइट चीन की मदद कर रहा है।

पिछले सप्ताह भी चीन से जुड़ी सामग्री से निपटने को लेकर ट्विटर की निंदा की गई थी। उसने नृशंस थ्येनमन चौक दमन की 30वीं बरसी से महज कुछ दिन पहले चीन की निंदा करने वाले एकाउंटों को भूलवश निलंबित करने को लेकर माफी मांगी थी। बदियुकाओ (33) ने कहा कि उन्होंने इस घटना की बरसी से पहले ट्विटर से संपर्क किया था। (**एएफपी**)

थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री को दो साल जेल की सजा

बैंकाक, 6 जून। थाईलैंड की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की गैरमौजूदगी में उन्हें लाटरी कार्यक्रम के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। उन्होंने एक दशक पहले अपने कार्यकाल के दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्हें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की शाखा ने इस अपराध में सजा सुनाई। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी नीति शुरू करने का दोषी पाया गया जो कानून व आधिकारिक नियमों का उल्लंघन था। थाकसिन को 2006 में सैन्य तख्तापलट के बाद अपदस्थ कर दिया गया था और वह 2008 से थाईलैंड में नहीं हैं। हितों के टकराव के मामले में दोषसिद्धि पर दो साल की सजा से बचने के लिए वह देश से बाहर चले गए थे। उन्हें अप्रैल में तीन साल की सजा सुनाई गई। (**एपी**)

पशुपतिनाथ मंदिर ने पहली बार संपत्ति का किया खुलासा

काठमांडो, 6 जून (भाषा)।

नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर ने पहली बार संपत्ति का खुलासा किया है। मंदिर के पास 9.276 किलोग्राम सोना, 316 किलोग्राम चांदी और 120 करोड़ रुपए की नकदी है। इसका खुलासा मंदिर की संपत्ति का आकलन करने के लिए बनाई गई समिति ने किया है।

पशुपतिनाथ एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से गठित समिति के अनुसार सोने और चांदी की यह संपत्ति 1962 से 2018 के बीच की है। न्यास के कार्यकारी निदेशक रमेश उप्रेति को काठमांडू पोस्ट ने यह कहते हुए उद्धृत किया, 'पहली बार हम पशुपतिनाथ एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट की संपत्ति को सार्वजनिक कर रहे हैं।' यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भगवान पशुपतिनाथ (भगवान शिव) को समर्पित है। मंदिर के पास विभिन्न बैंकों में 120 करोड़ रुपए नकद, 9.276 किलोग्राम सोना, 316.58 किलोग्राम चांदी और 186 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति है। यह मंदिर पांचवीं शताब्दी में बना था।

'महात्मा गांधी ने बहुत पहले समझ लिया था पर्यावरण की समस्या को'

यरूशलम, 6 जून (भाषा)।

इजराइल में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा कि वायु प्रदूषण भारत में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है जबकि इसी देश के महात्मा गांधी ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को उस वक्त समझा था जब यह लोगों के लिए चिंता का इतना बड़ा विषय नहीं था।

कपूर ने बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष मनाने के लिए किबुट्ज नान (कृषि समुदाय) एवं भारत के अन्य समर्थकों के साथ मिल कर पौधे लगाए।

विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की तत्काल जरूरत है क्योंकि एक अध्ययन में दावा किया गया है कि यह राष्ट्रीय आपदा बन गई है जिसके कारण भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के एक लाख बच्चे मारे जा रहे हैं। इस साल पर्यावरण दिवस का विषय भी यही था।

उन्होंने भारत-इजराइल की दोस्ती के नाम एक बागान समर्पित किया और एक पट्टिका का अनावरण किया जिस पर पर्यावरण संरक्षण पर राष्ट्रपिता के विचार लिखे हुए थे, 'धरती, वायु, भूमि एवं जल हमारे पूर्वजों से मिली विरासत नहीं बल्कि हमारे बच्चों से मिला हुआ ऋण है। इसलिए हमें ये तत्त्-व उसी प्रकार उन्-हें सौंपने हैं जैसे वे हमें मिले थे।'

> ● इजराइल में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा, 'वह (गांधी) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को समझते थे और उन्होंने सतत विकास एवं आत्मनिर्भरता की बात की...उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के बारे में बहुत बात की।' उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए यह सोचना होगा कि इन समस्याओं को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।

सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर बापू की शिक्षा पर जोर देते हुए भारतीय राजदूत ने कहा, 'महात्मा गांधी के समय में पर्यावरण चिंता का बड़ा विषय नहीं था। उक्त विचार से उनकी दूरदर्शिता झलकती है।'

कपूर ने कहा, 'वह (गांधी) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को समझते थे और उन्होंने सतत विकास एवं आत्मनिर्भरता की बात की...उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के बारे में बहुत बात की।' उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए यह सोचना होगा कि इन समस्याओं को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।

भारतीय ने पाकिस्तान के बेहद गरीब इलाके में हैंडपंप लगवाए

दुबई, 6 जून (भाषा)।

भारत-पाकिस्तान के बीच पनपे हालिया तनाव से प्रभावित हुए बिना दुबई के भारतीय कारोबारी ने पाकिस्तान के दक्षिण-पूर्व सिंध प्रांत के अत्यंत गरीब इलाके में 62 हैंडपंप लगवाए हैं।

जोगिंदर सिंह सलारिया ने सोशल मीडिया के जरिए थारपरकर जिले की दुर्दशा जानने के बाद स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से वहां 62 हैंडपंप लगवाए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों के लिए अनाज की बोरियां भी भिजवाईं। सलारिया 1993 से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं और परिवहन कारोबार से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक और यूट्यूब जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों के जरिए वह पाकिस्तान में सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, उनसे संपर्क साधा और फिर पूरे कार्य के लिए आर्थिक मदद दी। खलीज टाइम्स ने सलारिया के हवाले से कहा, 'पुलवामा घटना के बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था तब हम इन गरीब गांवों में हैंडपंप लगवा रहे थे।'

इंदौर में डॉक्टर की पत्नी की दिनदहाड़े हत्या

इंदौर, 6 जून (भाषा)।

सनसनीखेज घटनाक्रम में गुरुवार को यहां एक मरीज ने एक निजी क्लीनिक में डॉक्टर की 50 वर्षीय पत्नी की दिनदहाड़े हत्या कर दी और उसके बेटे को घायल कर दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मरीज इलाज से कथित तौर पर असंतुष्ट था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

तुकोगंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि वारदात के आरोपी की पहचान रफीक रशीद (45) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि त्वचा संबंधी रोग का मरीज रफीक मालवा मिल क्षेत्र में डॉ. रामकृष्ण वर्मा के क्लीनिक पहुंचा। उस समय वर्मा शहर से बाहर थे और क्लीनिक में उनकी पत्नी लता (50) मौजूद थीं। वह क्लीनिक चलाने में नर्स के रूप में अपने डॉक्टर पति की मदद करती थीं।

अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर के उपलब्ध नहीं होने के कारण लता ने जब रफीक को बाद में क्लीनिक आने के लिए कहा, तो उसने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि विवाद के दौरान उसने गुस्से में आकर चाकू निकाला और इस धारदार हथियार से डॉक्टर की पत्नी पर हमला कर दिया।

> **असंतुष्ट मरीज पर आरोप**
>
> ● पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। इतना जरूर पता चला है कि अरोपी रफीक डॉ. वर्मा के क्लीनिक में त्वचा संबंधी रोग का इलाज करा रहा था। वह इलाज से कथित तौर पर असंतुष्ट था।

उन्होंने बताया कि लता का बेटा अभिषेक (19) जब अपनी मां की चीखें सुन कर उन्हें बचाने आया, तो रफीक ने युवक पर भी चाकू से वार किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुरी तरह घायल मां-बेटे को एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद लता को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के बाद अभिषेक की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि वारदात का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। इतना जरूर पता चला है कि रफीक डॉक्टर वर्मा के क्लीनिक में अपने त्वचा संबंधी रोग का इलाज करा रहा था। वह इलाज से कथित तौर पर असंतुष्ट था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के साथ मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

पुरी बोले, मसविदा बनाने से पहले घोषणा में यकीन करते हैं केजरीवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा के बारे में कहा कि केजरीवाल किसी भी योजना का मूल मसविदा बनाने से पहले ही उसकी घोषणा करने में यकीन करते हैं। पुरी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई योजना ऐसे लागू नहीं होती है कि पहले घोषणा कर दो और फिर उसका प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने मंत्रालय के संबद्ध अधिकारियों से पूछा कि क्या मेट्रो रेल में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के बारे में दिल्ली सरकार का कोई प्रस्ताव आया है। अधिकारियों से नकारात्मक जवाब मिलने पर पुरी ने कहा कि केजरीवाल पहले भी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही सिर्फ योजनाओं की घोषणा करते रहे हैं।

पुरी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में केजरीवाल के गलत दावों का वह पहले खुलासा कर चुके हैं, मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा के पीछे की सच्चाई का भी अगले दो तीन दिन में वह खुलासा करेंगे। बस में किसी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से पहले पर्याप्त संख्या में बसों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बताना चाहिए कि दिल्ली में डीटीसी को 11 हजार बसों को खरीदने की मंजूरी के बावजूद अब तक कितनी बसें खरीदी गई।

मेट्रो में मुफ्त सुविधा के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने संसद में पहले ही कहा था कि हम छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मेट्रो किराये में रियायत देना चाहते हैं और इसके लिए मेट्रो प्रबंधन को तकनीकी तैयारियां करने को कहा गया था। मेट्रो प्रबंधन इस बारे में तकनीकी तैयारियां कर रहा है और मुझे खुशी है अगर जरूरतमंद महिलाओं को कोई सहूलियत मिले। लेकिन दिल्ली सरकार के 50 हजार करोड़ रुपए के कुल बजट में केजरीवाल, स्वच्छता अभियान और आयुष्मान भारत योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं कर रहे है। वह, दो हजार करोड़ रुपए की सबसिडी (मेट्रो किराए में छूट पर) देना चाहते हैं। यह चर्चा का विषय है।

प्रफुल्ल पटेल ने धनशोधन मामले में ईडी के सामने पेशी की दूसरी तारीख मांगी

मुंबई, 6 जून (भाषा)।

पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री एवं राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने कई करोड़ रुपए के कथित विमानन घोटाले के कारण सरकारी कंपनी एयर इंडिया को हुए नुकसान से संबंधित धन शोधन मामले की जांच में ईडी के सामने पेश होने के लिए गुरुवार को दूसरी तारीख देने का आग्रह किया।

संघीय एजंसी ने एक अदालत में हाल में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कथित विमानन लॉबीस्ट दीपक तलवार को जानने वाले व्यक्ति के रूप में पटेल का भी नाम शामिल है। उन्हें पहले गुरुवार को एजंसी के समक्ष पेश होना था। 2004 से 2011 के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता के नाम का उल्लेख आरोपी के तौर पर नहीं किया गया है।

पटेल ने कहा, 'मेरी पूर्व की प्रतिबद्धताओं के कारण मैंने ईडी से दूसरी तारीख देने का आग्रह किया है।' राज्यसभा के सांसद पटेल का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा। पटेल ने पूर्व में बताया था कि विमानन उद्योग की जटिलताओं को समझने के लिए ईडी का सहयोग करके उन्हें खुशी होगी।

निपाह के छह संदिग्ध मरीजों की जांच के नतीजे निगेटिव आए

कोच्चि/ नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)।

केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने गुरुवार को कहा कि निपाह विषाणु की चपेट में आए छह लोगों के नमूनों के परिणाम निगेटिव आए हैं और इससे संकेत मिलता है कि यह विषाणु फैला नहीं है।

इन छह लोगों में एक नर्सिंग असिस्टेंट और तीन नर्स भी शामिल हैं जो विषाणु से संक्रमित कॉलेज छात्र के इलाज के वक्त मौजूद थे। इन छह लोगों के रक्त परीक्षण के परिणाम केरल के अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं, जो इस अति संक्रामक विषाणु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जिसने पिछले साल राज्य में 17 लोगों की जान ले ली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने नई दिल्ली में कहा कि निपाह संक्रमण की चपेट में आए कॉलेज छात्र की हालत स्थिर है और उसके संपर्क में आए कुल 314 लोगों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।

शैलजा ने कहा कि जिन छह लोगों के जांच परिणाम निगेटिव आए हैं, वे संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आए थे। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'निपाह की जांच निगेटिव आई है। इसका मतलब है कि विषाणु फैला नहीं है। यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है।' उन्होंने कहा कि सातवें व्यक्ति के जांच परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

> **इनमें एक नर्सिंग असिस्टेंट और तीन नर्स भी हैं जो छात्र के इलाज के वक्त मौजूद थे**

इन सबका फिलहाल यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज कलमासेरी में इलाज चल रहा है। इन नमूनों की जांच पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में की गई। सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक बुलेटिन में बताया गया था कि विभिन्न जिलों के कुल 314 लोगों को निगरानी में रखा गया है।

इन 314 में से सात लोगों को अस्पताल के 'आइसोलेशन वार्ड' में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने और 'आइसोलेशन वार्ड' का जायजा लेने के लिए महामारी रोग विशेषज्ञ समेत छह लोगों की टीम को काम पर लगाया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने केरल में जनस्वास्थ्य उपायों का बुधवार को जायजा लेने के बाद कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र ने कई विषयों के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा महामारी की जांच और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों के साथ एक अलग आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने पर चर्चा की। कालीकट, त्रिशूर और कोट्टायम के मेडिकल कॉलेजों में भी आइसोलेशन वार्ड सुनिश्चित करने को कहा गया है।

पासिंग आउट परेड के बाद 382 नए सैन्य अफसर मिलेंगे सेना को

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 6 जून।

भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आठ जून को होने वाली पासिंग आउट परेड में 382 भारतीय और 77 विदेशी कैडेट भाग लेंगे। ये शनिवार को परेड के बाद अपने-अपने देशों की सेनाओं में सैन्य अफसर के रूप में शामिल हो जाएंगे। यह जानकारी अकादमी के जनसंपर्क अधिकारी और लेफ्टिनेंट कर्नल शिवेंद्र सिंह ने दी।

गुरुवार को अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड ड्रिल स्क्वायर में 8 जून को होने वाली परेड का अभ्यास किया गया। अभ्यास परेड की सलामी अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एसके झा ने ली। इस परेड में 382 भारतीय और 77 विदेशी कैडेट ने भाग लिया।

> ● गुरुवार को अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड ड्रिल स्क्वायर में 8 जून को होने वाली परेड का अभ्यास किया गया। अभ्यास परेड की सलामी अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एसके झा ने ली।

अभ्यास परेड को देखने के लिए देहरादून और अन्य शहरों से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, स्थानीय नागरिक और सेना के जवान अपने परिवार और दोस्तों के साथ आए थे। भारतीय सैन्य अकादमी के लेफ्टिनेंट जनरल झा ने कैडेटों को शानदार परेड के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परेड उच्चस्तरीय प्रेरणादायी है जो अकादमी की परंपराओं का पालन करती है और यह हमें गौरवान्वित करती है। साथ ही हमारे भीतर देश भावना जागृत करती है। झा ने कहा कि भारतीय सेना की प्रतिष्ठा उनके कंधों पर मजबूती से टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ यह सम्मान अर्जित किया है और उन्हें चरित्र, क्षमता, प्रतिबद्धता और करुणा के सेना के मूल मूल्यों पर खरा उतरने की जरूरत है।

उपभोक्ता को पूर्व बीमारी के बहाने नहीं टरका सकती बीमा कंपनी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) ने व्यवस्था दी है कि किसी बीमे के दावे को केवल इस पूर्वानुमान के आधार पर नहीं ठुकराया जा सकता कि एक व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित रहा होगा।

उपभोक्ता मामलों के निपटारे के सर्वोच्च निकाय एनसीडीआरसी ने यहां तक कहा कि अगर कोई बीमित आदमी किसी बीमारी से पीड़ित है और उसे इसके बारे में पता नहीं है या उसने इसके लिए कोई दवाई नहीं ली है तो भी बीमा करने वाली कंपनी उसके दावे से इनकार नहीं कर सकती है। आयोग ने यह संज्ञान रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक पुनर्विचार याचिका के निपटारे के दौरान लिया। यह याचिका महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय को बरकरार रखा था। इस फैसले में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बीमारी की वजह से हुई मौत के मामले में बीमा पॉलिसी लेने वाली महिला के पति को एक लाख 12,500 रुपए देने का फैसला दिया गया था। जिला उपभोक्ता अदालत ने मानसिक और शारीरिक यंत्रणा के मुआवजे के तौर पर पांच हजार रुपए और मुकदमे के खर्च के मुआवजे के तौर पर तीन हजार रुपए अलग से देने का भी आदेश दिया था। आयोग ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि बीमित व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है, इसे साबित करने का दायित्व बीमा कंपनी का है। आयोग ने कहा कि डायबिटीज, जीवनशैली की बीमारी है और समस्त बीमे के दावे को केवल इसी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। याची की पत्नी रेखा हल्दार की डायबिटिज कीटोएसीडोसिस की वजह से मौत हो गई थी। उन्होंने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 12 जुलाई 2010 को पॉलिसी ली थी। हालांकि बीमा कंपनी ने उनका दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें पहले से ही बीमारी थी।

हल्दार के पति की याचिका पर महाराष्ट्र के जलगांव की अदालत ने कंपनी को उन्हें 1.12 लाख रुपए देने का आदेश सुनाया था।

चंदा कोचर से फिर होगी पूछताछ

नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आइसीआइसीआइ-वीडियोकॉन धन शोधन मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगा। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि ईडी जल्द बैंक के कुछ अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है। इसके अलावा बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर से फिर पूछताछ हो सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने कई बार की पूछताछ के बाद चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के बयान दर्ज किए थे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजंसी चंदा कोचर के बयान के बाद अब बैंक के कुछ और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है ताकि इस मामले में सही तस्वीर सामने आ सके। चंदा कोचर जल्द एजंसी के समक्ष पेश होंगी।

वाड्रा मामले में ईडी ने विदेशी एजंसियों से सहयोग मांगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और ब्रिटेन की अपनी समकक्ष एजंसियों से वहां स्थित आधा दर्जन से अधिक संपत्तियों एवं संबंधित वित्तीय लेन-देन का ब्योरा साझा करने का आग्रह किया है। निदेशालय का दावा है कि ये संपत्तियां धनशोधन से हासिल रकम से खरीदी गईं और ये वाड्रा से जुड़ी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के प्रवाह का खुलासा करने के लिए कुछ देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों से भी मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि एजंसी लंदन और आसपास के क्षेत्रों में स्थित इन अचल संपत्तियों को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अंतिम रूप से कुर्क करने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा से ईडी लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य की संपत्ति के संबंध में कई बार पूछताछ कर चुकी है। एजंसी का दावा है कि यह वाड्रा की संपत्ति है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, एजंसी के पास सबूत हैं कि ब्रिटेन में कुछ और संपत्तियां वाड्रा से जुड़ी हैं। इनमें दो मकान-एक 50 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य का और दूसरा 40 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य का है। उन्होंने बताया कि संघीय धनशोधन रोधी एजंसी ने इन संपत्तियों की खरीद के लिए वाड्रा से जुड़े लोगों द्वारा साइप्रस और दुबई से किए गए गुप्त लेन-देन का पता लगाया है।

मृत किसानों के नामों पर कर्ज लेने वाली कंपनी के यहां छापे

मुंबई/नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मृत किसानों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक कंपनी के जरिए 328 करोड़ रुपए की कथित कर्ज धोखाधड़ी के सिलसिले में गुरुवार को महाराष्ट्र में कई स्थानों पर छापे मारे। यह कंपनी एक नेता से जुड़ी हुई है जिनकी पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी के मुताबिक एजंसी ने गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष रत्नाकर गुट्टे के खिलाफ धनशोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामले में मुंबई और परभणी जिले में 10 स्थानों पर छापा मारे। गुट्टे महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय समाज पार्टी (आरएसपी) के सदस्य हैं और विजय गुट्टे के पिता हैं। विजय गुट्टे ने हाल ही में रिलीज़ हिंदी फिल्म, 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का निर्देशन किया है। विजय गुट्टे को पिछले साल कथित जीएसटी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजंसी ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने फर्जी तरीके से 8-10 हजार किसानों को कृषि कर्ज के नाम पर कई बैंकों से धोखाधड़ी कर कर्ज लिया है।

बीएस छह श्रेणी के नियम अगले साल से लागू होंगे : जावडेकर

नई दिल्ली, 6 जून (भाषा)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 'भारत स्टेज' (बीएस) श्रेणी के छठे चरण के वाहन संबंधी नियम अगले साल 2020 से लागू होंगे।

जावडेकर ने गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएस छह मानकों पर आधारित वाहनों का प्रयोग 2022 से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब होने के कारण सरकार ने इस श्रेणी के मानकों पर आधारित वाहनों को 2020 से ही प्रयोग में लाने का फैसला किया है।

जावडेकर ने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 2007 से खराब होनी शुरू हो गई थी। मोदी सरकार ने इस चुनौती को समस्या के संबंध में समाधान परक रुख अख्तियार करते हुए स्वीकार किया। इसके मद्देनजर सरकार ने 2018 में ही निर्धारित लक्ष्य से चार साल पहले ही बीएस चार मानक के बजाय सीधे बीएस छह मानक पर आधारित वाहनों का प्रयोग करने का फैसला किया था।

इसके मुताबिक दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में अगले साल से बीएस छह मानक पर आधारित वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। इन शहरों में अगले साल से बीएस चार मानक वाला ईंधन भी मिलने लगेगा।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम)/ओंडो-II
लोधी रोड ऑटो वर्कशॉप,
सेवा नगर फ्लाईओवर के नीचे, नई दिल्ली-110003
सं. ईई (ईएंडएम)-II/एसडीएमसी/2019-20/105 दिनांक: 01.06.2019

एनआईटी प्रेस प्रचार सूचना

आयुक्त, एसडीएमसी की ओर से कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम)-II, एसडीएमसी द्वारा एनआईटी नं. 01 दिनांक 01.06.2019 के माध्यम से प्रतिष्ठित एवं योग्य ठेकेदारों से दो भाग निविदा प्रणाली अर्थात् तकनीकी निविदा एवं मूल्य निविदा में ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER से डाउनलोड किये जा सकते हैं और एनआईटी के विस्तृत विवरण www.mcdonline.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

निविदादाताओं से अनुरोध है कि किसी भी शुद्धिपत्र/संशोधन, यदि कोई हो, के लिए साइट नियमित रूप से देखते रहें।

हस्ता./-
ईई (ईएंडएम)-II

RO. No. 9/DPI/S/2019-20

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे जनाईट, मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणी के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

-नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Hanumangarh Town (RA): MAL-1098, 1162, 1635, MGL-549, 1763, MSL-3904, 4108, 4109, 4290, 8320, 8325, 8386, 8393, 8449, 8471, 8545, MUL-2, 5, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 75, 79, 80, 108, 109, 141, 168, 171, 174, 178, 216, 255, 312, 319, 332, 361, 362, 383, 398, 399, 427, 467, 468, 480, 484, 503, 504, 526, 533, 546, 547, 552, 554, 555, 568, 591, 596, 610, 617, 641, 644, 651, 653, 654, 667, 712, 722, 725, 769, 781, 787, 788, 793, 802, 813, 825, 826, 919, 929, 944, 945, 949, 967, 1011, 1017, 1037, 1046, 1050, 1051, 1056, 1059, 1101, 1114, 1115, 1188, 1203, 1205, 1210, 1217, 1261, 1282, 1295, 1302, 1315, 1318, 1319, 1338, 1340, 1360, 1407, 1424, 1434, 1435, 1436, 1437, 1447, 1458, 1477, 1495, 1496, 1497, 1505, 1509, 1526, 1529, 1542, 1554, 1558, 1562, 1569, 1578, 1581, 1590, 1591, 1609, 1611, 1626, 1632, 1634, 1641, 1643, 1644, 1650, 1680, 1684, 1690, 1693, 1717, 1718, 1730, 1735, 1737, 1739, 1751, 1753, 1756, 1757, 1761, 1772, 1776, 1788, 1790, 1794, 1805, 1824, 1827, 1832, 1835, 1837, 1840, 1851, 1863, 1864, 1865, 1870, 1874, 1884, 1897, 1904, 1905, 1906, 1931, 1932, 1942, 1943, 1944, 1954, 1959, 1970, 1984, 1990, 1991, 1999, 2000, **Hanumangarh Junction (RA):** MAL-986, 987, 1457, 1529, 1712, MBL-2015, 2270, 2401, MSL-11690, 11691, 11737, 11739, 11830, 11831, 11954, 12081, 12086, 12136, MUL-100, 105, 282, 309, 352, 356, 361, 365, 384, 386, 407, 427, 503, 504, 512, 523, 546, 582, 614, 635, 720, 742, 759, 760, 761, 765, 785, 786, 787, 815, 823, 832, 836, 856, 922, 923, 925, 961, 971, 973, 991, 994, 1008, 1033, 1034, 1091, 1123, 1139, 1140, 1162, 1166, 1181, 1189, 1194, 1200, 1212, 1213, 1217, 1243, 1258, 1263, 1266, 1279, 1280, 1285, 1293, 1312, 1322, 1383, 1405, 1412, 1430, 1431, 1432, 1434, 1444, 1453, 1461, 1465, 1475, 1477, 1482, 1500, 1502, 1508, 1509, 1520, 1521, 1523, 1534, 1536, 1554, 1564, 1566, MWS-14, 19, 28, 32, 37, 43, 45, 60, 63, 66, 97, 133, 144, 160, 178, 179, 185, 189, 207, 217, 222, 232, 252, 256, 259, 260, 263, 264, 265, 273, 281, 301, 304, 308, 322, 329, 337, 338, 339, 342, 345, 359, 361, 367, 371, 375, 377, 378, 381, 397

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

-नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Hanumangarh Junction (Ra): MAL-1250, MOL-190, MSL-12104, 12198, MUL-773, 1133, MWS-393, 1095

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 21.06.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र First Floor, Pawar Complex, Near Subhash Chowk, Hanumangarh Town - 335513 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

-नीलामी की तिथि: 21.06.2019

Sri Ganga Nagar-Gol Bazar: MAL-905, 935, MBL-1798, 1799, 2216, 2391, MSL-2619, 3851, 4146, 8550, 8551, MUL-8, 32, 181, 479, 926, 1021, 1055, 1073, 1116, 1143, 1155, 1156, 1158, 1161, 1166, 1176, 1195, 1219, 1220, 1269, 1289, 1311, 1318, 1338, 1347, 1359, 1369, 1392, 1398, 1417, 1419, 1488, 1494, 1525, 1539, 1553, 1594, 1631, 1654, 1736, 1741, 1745, 1761, 1764, 1765, 1770, 1778, 1779, MWS-21, 33, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 86, 97, 99, 105, 107, 119, 152, 158, 168, 170, 186, 212, 221, 275, 306, 307, 314, 323, 343, 364, 366, 1388, 1445, **Sri Ganga Nagar-Sukhadia Circle:** MOS-1, 50, MSL-2571, 3546, 4035, 5079, MUL-177, 178, 422, 599, 726, 965, 1061, 1082, 1104, 1123, 1186, 1187, 1192, 1203, 1216, 1255, 1263, 1264, 1279, 1287, 1292, 1335, 1352, 1359, 1361, 1362, 1385, 1388, 1419, 1430, 1438, 1456, 1464, 1465, 1466, 1489, MWS-23, 31, 43, 44, 51, 58, 67, 96, 116, 122, 128, 143, 144, 169, 174, 189, 193, 195, 198, 202, 232, 240, 245, 249, 250, 253, 255, 277, 281, 304, 307, 314, 318, 348, 349, 350, 358, 360, 367, 383, 384, 399, 400, 406, 417, 418, 419, 422, 429, 433, 435, 444, 455, **Sri Ganga Nagar (RA):** MAL-281, MGL-43, MSL-1385, 1497, 2002, 2008, MUL-232, 242, 314, 322, 338, 339, 341, 355, 372, 377, 378, 380, 387, 397, 404, 421, 422, 457, 461, 517, 527, 535, 554, 555, 560, 565, 570, 581, 584, 585, 629, 630, 644, 649, 659, 662, 663, Sriganga Nagar - Purani Abadi: MAL-855, 961, MBL-102, MSL-6096, MUL-497, 736, 737, 779, 793, 814, 872, 874, 910, 913, 969, 979, 1018, 1045, 1064, 1091, 1122, 1141, 1174, 1180, 1191, 1209, 1212, 1222, 1241, 1503

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 21.06.2019

Sri Ganga Nagar-Gol Bazar: MUL-32, 926, 1021, 1166, 1254, 1289, 1359, 1539, MWS-387, 1388, 1445, **Sriganga Nagar-Purani Abadi:** MUL-1503, MWS-78

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 22.06.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र The First Floor, Above Canara Bank, New Dhan Mandi, Rajasthan, Sri Ganga Nagar - 335001 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

-नीलामी की तिथि: 17.06.2019

Anupgarh (RA): MAL-1759, 1899, 2218, 2222, 2231, 2313, 2528, 2550, 2633, 2686, 3176, MBL-3356, 3420, 3435, 3548, 3620, 4150, 4183, 4204, MPL-92, MSL-13036, 13037, 13775, 13853, 13970, 14018, 14426, 14514, 14592, 14601, 14829, 15077, 15078, 15080, 15173, 15238, 15255, 15262, 15273, 15280, 15295, 15301, 15317, 15329, 15333, 15345, 15353, 15366, 15415, 15434, 15436, 15442, 15488, 15488, 15521, 15550, 15553, 15565, 15580, 15586, 15593, 15621, MUL-155, 196, 208, 213, 231, 232, 252, 253, 256, 258, 283, 287, 293, 297, 304, 310, 336, 356, 376, 383, 402, 408, 412, 431, 472, 476, 490, 527, 530, 538, 541, 542, 574, 584, 590, 643, 650, 683, 685, 687, 733, 740, 742, 773, 788, 789, 802, 824, 843, 848, 869, 872, 882, 896, 901, 902, 904, 906, 909, 910, 915, 924, 945, 947, 971, 1021, 1078, 1106, 1140, 1152, 1169, 1175, 1187, 1194, 1201, 1205, 1206, 1236, 1237, 1238, 1240, 1267, 1274, 1296, 1348, 1349, 1357, 1360, 1373, 1395, 1408, 1447, 1453, 1457, 1459, 1475, 1524, 1527, 1545, 1562, 1563, 1564, 1589, 1596, 1604, 1605, 1608, 1620, 1645, 1695, 1708, 1720, 1754, 1776, 1793, 1794, 1805, 1816, 1817, 1818, 1824, 1828, 1842, 1875, 1893, 1924, 1930, 1948, 1956, 1964, 1987, 1989, 2007, 2010, 2011, 2023, 2034, MWS-12, 20, 29, 31, 46, 50, 55, 69, 75, 92, 114, 126, 133, 135, 138, 148, 151, 152, 179, 185, 200, 202, 229, 230, 231, 245, 246, 270, 271, 285, 296, 312, 316, 336, 361, 364, 389, 405, 413, 441, 446, 448, 476, 487, 511, 515, 524, 555, 565, 579, 593, 594, 595, 607, 619, 627, 630, 639, 652, 672, 680, 682, 690, 704, 708, 709, 710, 711, 716, 733, 754, 772, 774, 784, 806, 813, 814, 815, 817, 821, 830, 832, 842, 846, 849, 851, 872, 889, 890, 894, 910, 921, 924, 942, 943, 947, 951, 972, 977, 978, 985, 988, 989, 996, 998, 997, 1006, 1008, 1009

-नीलामी की तिथि: 18.06.2019

Suratgarh (RA): MAL-1316, 1691, 1988, 2118, 2126, 2138, 2258, 2283, 2304, 2393, 2410, 2428, 2541, 2556, 2567, 2572, 2773, 2856, 2942, 2957, 3029, 3130, 3219, MBL-2505, 2514, 2900, 2977, 3047, MSL-12532, 13337, 13370, 13555, 14150, 14153, 14179, 14180, 14201, 14284, 14316, 14334, 14368, 14384, 14386, 14390, 14397, 14398, 14403, 14467, 14495, 14502, 14507, 14508, 14515, 14537, 14540, 14549, 14582, 14601, 14603, 14625, 14626, 14629, 14648, 14659, 14693, 14695, 14696, 14698, 14699, 14701, 14719, 14721, 14737, 14746, 14752, 14763, 14772, 14774, 14786, 14787, 14788, 14807, 14817, 14818, 14833, MUL-137, 212, 294, 344, 350, 369, 382, 383, 401, 421, 461, 489, 497, 502, 515, 535, 585, 589, 591, 593, 607, 608, 619, 688, 671, 681, 695, 715, 718, 728, 745, 754, 768, 769, 776, 777, 799, 803, 805, 811, 816, 840, 850, 865, 872, 873, 883, 903, 912, 938, 943, 950, 951, 974, 975, 995, 997, 1011, 1029, 1032, 1038, 1050, 1057, 1059, 1067, 1071, 1074, 1084, 1088, 1124, 1151, 1171, 1174, 1181, 1188, 1214, 1216, 1224, 1231, 1234, 1257, 1258, 1275, 1285, 1290, 1291, 1306, 1307, 1309, 1345, 1347, 1350, 1358, 1365, 1378, 1385, 1386, 1405, 1409, 1413, 1440, 1443, 1446, 1460, 1468, 1477, 1488, 1489, 1493, 1495, 1502, 1530, 1533, 1534, 1536, 1543, 1546, 1555, 1562, 1575, 1582, 1583, 1586, 1591, 1624, 1625, 1629, 1640, 1647, 1675, 1687, 1704, 1705, 1708, 1720, 1728, 1734, 1735, 1757, 1758, 1759, 1763, 1774, 1782, 1784, 1799, 1801, 1823, 1828, 1844, 1867, 1873, 1882, 1883, 1884, 1892, 1896, 1900, 1901, 1917, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1927, 1931, 1935, 1936, 1943, 1945, 1959, 1962, 1964, 1969, 1972, 1991, 2005, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2040, 2055, 2064, 2074, 2076, 2089, 2108, 2110, 2112, 2118, 2144, 2151, 2154, 2164, 2188, 2208, 2222, 2223, 2238, 2251, 2268, 2269, 2276, 2290, 2305, 2308, 2319, 2324, 2325, 2328, 2344, 2350, 2359, 2364, 2387, 2374, 2375, 2378, 2388, 2392, 2394, 2398, 2407, 2411, 2418, 2419, 2425, 2427, 2463, 2464, 2465, 2467, 2484, 2485, 2498, 2503, 2506, 2510, 2525, 2529, 2539, 2550, 2551, 2555, 2558, 2563, 2567, 2568, 2574, 2576, 2587, 2591, 2592, 2593, 2596, 2597, 2598, 2607, 2643, 2648, 2649, 2658, 2665, 2670, 2671, 2675, 2677, 2679, 2695, 2704, 2705, 2708, 2715, 2727, 2730, 2751, 2752, 2753, 2756, 2757, 2763, 2764, 2771, 2781

-नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Sangaria (RA): MAL-1339, 1450, 1868, 1909, 2006, MBL-1382, 1551, MGL-1134, MSL-2761, 4817, 4878, 4935, 5402, 5575, 5785, 5863, 5867, 5868, 5907, 5908, 5980, 6000, 6028, 6032, 6050, 6054, 6086, 6099, MUL-61, 360, 468, 484, 526, 606, 688, 756, 945, 986, 997, 1002, 1009, 1010, 1015, 1016, 1024, 1045, 1056, 1064, 1066, 1087, 1106, 1120, 1139, 1145, 1147, 1158, 1166, 1171, 1187, 1204, 1209, 1221, 1242, 1245, 1249, 1250, 1253, 1257, 1265, 1277, 1282, 1283, 1288, 1301, 1302, 1305, 1310, 1317, 1341, 1345, 1367, 1374, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1394, 1397, 1405, 1435, 1438, 1455, 1456, 1457, 1478, 1480, 1488, 1489, 1498, 1515, 1519, 1537, 1544, 1565, 1572, 1577, 1599, 1613, 1618, 1624, 1626, 1628, 1633, 1647, 1648, 1651, 1654, 1662, 1668, 1674, 1677, 1697, 1698, 1706, 1721, 1747, 1754, 1758, 1759, 1769, 1778, 1793, 1802, 1814, 1817, 1821, 1824, 1831, 1835, 1848, 1857, 1858, 1864

-नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Rai Singh Nagar (RA): MAL-1556, 1813, 1904, 1906, 1963, 2013, 2083, 2192, 2244, 2368, 2398, 2411, 2466, 2467, 2557, 2664, 2779, MBL-2642, 2661, 2877, 2959, 3017, MHL-164, 165, MPL-133, MSL-9443, 9555, 9798, 9934, 9974, 10107, 10143, 10181, 10217, 10256, 10387, 10453, 10462, 10463, 10466, 10484, 10520, 10532, 10534, 10550, 10560, 10564, 10591, 10598, 10611, 10640, 10641, 10646, 10653, 10654, 10655, 10662, 10663, MUL-49, 168, 278, 326, 355, 457, 577, 693, 694, 733, 743, 774, 789, 799, 862, 878, 883, 960, 979, 1080, 1129, 1145, 1200, 1262, 1282, 1286, 1306, 1307, 1336, 1358, 1363, 1397, 1398, 1399, 1411, 1413, 1414, 1417, 1418, 1437, 1442, 1450, 1454, 1465, 1476, 1480, 1483, 1496, 1522, 1530, 1538, 1539, 1547, 1551, 1571, 1576, 1578, 1587, 1590, 1591, 1604, 1606, 1613, 1618, 1624, 1639, 1643, 1647, 1651, 1652, 1658, 1673, 1683, 1697, 1698, 1700, 1708, 1710, 1717, 1720, 1755, 1757, 1760, 1767, 1773, 1774, 1811, 1827, 1830, 1844, 1852, 1867, 1882, 1883, 1896, 1912, 1914, 1924, 1927, 1934, 1938, 1954, 1965, 1969, 1972, 1979, 1983, 1989, 1990, 2006, 2032, 2033, 2034, 2043, 2051, 2052, 2060, 2076, 2086, 2098, 2105, 2106, 2113, 2122, 2124, 2136, 2144, 2150, 2160, 2163, 2167, 2168, 2170, 2173, 2175, 2179, 2180, 2202, 2204, 2208, 2219, 2225, 2232, 2233, 2234, 2237, 2248, 2255, 2260, 2261, 2271, 2276, 2288, 2291, 2292, 2294, 2296, 2305, 2315, 2316, 2322, 2329, 2334

-नीलामी की तिथि: 24.06.2019

Nagaur (RA): MAL-797, MBL-1062, 1195, MSL-6384, MUL-250, 270, 276, 325, 347, 356, 357, 359, 367, 398, 426, 439, 455, 456, 477, 487, 489, 494, 513, 548, 591, 606, 628, 629, 645, 646, 662, 673, 675, 678, 680, 708, 733, 737, 770, 771, 777, 792, 811, 828, 831, 832, 855, 857, 872, 890, 926, 952, 968, 995, 996, 1021, 1039, 1046, 1059, 1063, 1092, 1096, 1107, 1110, 1128, 1133, 1135, 1156, 1164, 1173, 1174, 1176, 1188, 1189, 1191, 1204, 1211, 1221, 1233, 1234, 1236, 1255, 1273, 1274, 1287, 1290, 1293, 1308, 1329, 1349, 1364, 1382, 1383, 1384, 1385, 1390, 1393, 1399, 1442, 1445, 1446, 1449, 1460, 1461, 1462, 1469, 1473, 1484, 1502, 1505, 1526, 1527, 1538, 1542, 1543, 1551, 1570, 1581, 1586, 1625, 1630, 1645, 1690, 1693, 1710, 1718, 1721, 1733, 1734, 1740, 1743, 1745, 1749, 1750, 1766, 1767, 1769, 1775, 1781, 1789, 1791, 1793, 1801, 1818, 1819, 1820, 1822, 1827, 1832

-नीलामी की तिथि: 25.06.2019

Kuchaman (RA): MBL-748, MGL-668, 773, 799, 985, 1077, 1687, 1837, 1846, 1875, 1957, 1998, 2100, 2117, 2185, 2273, 2356, MLS-18, 19, MSL-4835, 6348, 6397, 6411, 6424, 6440, 6836, 6861, 6831, 6912, 6913, 6920, 6922, 6938, 6945, 6952, 6958, 6959, 6960, 6962, MUL-82, 84, 116, 162, 217, 233, 251, 268, 302, 308, 329, 377, 385, 436, 441, 443, 448, 469, 514, 566, 582, 623, 635, 680, 685, 705, 719, 798, 834, 885, 930, 931, 994, 1004, 1021, 1115, 1137, 1156, 1164, 1182, 1184, 1185, 1207, 1210, 1265, 1268, 1277, 1303, 1314, 1336, 1348, 1369, 1386, 1395, 1401, 1413, 1431, 1507, 1525, 1531, 1534, 1549, 1558, 1586, 1593, 1600, 1664, 1670, 1676, 1686, 1691, 1720, 1728, 1730, 1738, 1742, 1753, 1763, 1764, 1782, 1783, 1826, 1848, 1868, 1869, 1872, 1886, 1898, 1910, 1920, 1932, 1941, 1954, 1967, 1972, 1977, 1980, 2000, 2009, 2010, 2013, 2014, 2026, 2040, 2045, 2050, 2053, 2055, 2060, 2061, 2067, 2071, 2075, 2081, 2083, 2086, 2097, 2103, 2124, 2135, 2136, 2162, 2166, 2171, 2184, 2195, 2201, 2204, 2228, 2232, 2234, 2238, 2240, 2258, 2273, 2279, 2285, 2293, 2294, 2300, 2302, 2303, 2310, 2313, 2314, 2320, 2326, 2334, 2340, 2346, 2349, 2356, 2368, 2369, 2373, 2374, 2375, 2393, 2432, 2442, 2443, 2448, 2454, 2455, 2458, 2471, 2484, 2493, 2495, 2496

-नीलामी की तिथि: 26.06.2019

Churu Nai Sadak (RA): MAL-280, 520, 538, MGL-807, 853, 880, 919, 926, 940, 961, 1000, 1002, 1003, 1050, 1071, 1080, 1082, 1085, 1088, 1114, 1126, 1135, 1165, 1192, 1196, 1230, 1242, 1245, 1263, 1320, 1326, MHL-76, MSL-2778, 3869, 3934, 4350, 4351, 4543, 4544, 4558, 4574, 4578, 4614, 4632, 4675, 4724, 4737, 4751, 4753, MUL-7, 59, 88, 92, 102, 139, 150, 160, 172, 181, 201, 231, 243, 269, 279, 291, 305, 340, 341, 342, 359, 374, 392, 404, 411, 422, 433, 461, 466, 504, 530, 534, 537, 552, 554, 587, 593, 594, 613, 616, 618, 632, 636, 640, 668, 680, 681, 682, 703, 707, 715, 730, 753, 768, 772, 781, 786, 793, 828, 852, 855, 882, 883, 892, 918, 925, 930, 935, 938, 939, 945, 946, 948, 952, 956, 966, 975, 981, 990, 1005, 1031, 1035, 1048, 1049, 1050, 1060, 1064, 1067, 1071, 1080, 1087, 1095, 1099, 1112, 1126, 1137, 1145, 1147, 1149, 1156, 1160, 1162, 1164, 1165, 1166, 1170, 1176, 1177, 1183, 1186, 1191, 1207, 1211, 1212, 1216, 1222, 1225, 1240, 1241, 1242, 1249, 1251, 1259, 1261, 1268, 1270, 1278, 1281, 1282, 1283, 1288, 1290, 1300, 1301, 1306, 1307, 1312, 1318

-नीलामी की तिथि: 27.06.2019

Sardar Shahar (RA): MGL-91, 173, 253, 255, 262, 291, 293, 390, 391, 438, 723, 759, 768, 784, 786, 790, 801, 802, 814, 824, 832, 894, 907, 929, 954, 976, 990, 1063, 1091, MLS-5, 6, 8, 19, 20, MSL-3392, 3425, 3447, 3467, 3500, 3503, 3510, 3513, 3515, MUL-17, 71, 142, 161, 202, 209, 219, 258, 262, 288, 289, 323, 334, 371, 376, 384, 400, 458, 480, 485, 500, 505, 558, 567, 575, 582, 608, 625, 636, 645, 669, 686, 717, 723, 739, 752, 759, 773, 777, 782, 792, 800, 807, 810, 831, 851, 852, 854, 855, 863, 864, 884, 892, 904, 908, 926, 935, 940, 951, 969, 976, 980, 983, 987, 1007, 1008, 1009, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1032, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1063

-नीलामी की तिथि: 28.06.2019

Sujangarh (RA): MHL-79, MSL-5897, 5905, 5944, 5945, MUL-231, 240, 241, 248, 315, 323, 331, 369, 419, 488, 581, 595, 610, 632, 666, 667, 698, 789, 816, 817, 819, 838, 843, 845, 855, 879, 933, 937, 938, 975, 990, 994, 995, 1033, 1042, 1048, 1081, 1156, 1158, 1164, 1184, 1209, 1212, 1213, 1214, 1228, 1254, 1271, 1373, 1374, 1375, 1376, 1403, 1408, 1426, 1428, 1449, 1458, 1472, 1481, 1494, 1495, 1497, 1510, 1520, 1539, 1543, 1547, 1553, 1574, 1579, 1592, 1597, 1601, 1602, 1629, 1637, 1643, 1669, 1674, 1679, 1689, 1691, 1693, 1707, 1727, 1759, 1774, 1782, 1783, 1784, 1788, 1790, 1791, 1817, 1818, 1819, 1854, 1860, 1876, 1882, 1883, 1898, 1907, 1910, 1928, 1931, 1944, 1947, 1948, 1955, 1966, 1972, 1988, 1993, 2011, 2023, 2033, 2047, 2050, 2054, 2057, 2069, 2070, 2071, 2073, 2075, 2076, 2086, 2092, 2099, 2102, 2103, 2112, 2124, 2129, 2144, 2147, 2152, 2156, 2158, 2154, 2184, 2185, 2194, 2198, 2200, 2201, 2211, 2213, 2214, 2215, 2219, 2220, 2223, 2225, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2260, 2266, 2267, 2269, 2270, 2275, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289,

विश्व कप -2019

जनसत्ता
महासमर

7 जून, 2019 20

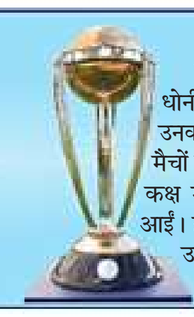

जीवा धोनी बनी हुई है हरदिलअजीज

क्रिकेटप्रेमी विश्व कप के दौरान मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का जलवा देखने को बेताब हैं लेकिन मैदान से इतर उनकी बेटी जीवा सुपरस्टार हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सभी मैचों में जीवा नजर आती थीं। वह यहां भी मीडिया के जलपान कक्ष में टीम के एक सहयोगी स्टाफ के साथ कुकीज खाने आईं। इसी समय आइसीसी की प्रसारण टीम के एक सदस्य ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाही लेकिन टीम के सहयोगी स्टाफ ने सुरक्षा कारणों से मना कर दिया।

विश्व कप में लगातार तीन हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम में शुरू हुआ मंथन

टूर्नामेंट में खेलना चाहते थे डिविलियर्स : रिपोर्ट

जोहानिसबर्ग, 6 जून (भाषा)।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एबी डिविलियर्स विश्व कप के लिए संन्यास से वापसी करना चाहते थे। हालांकि इस महासमर में खेलने वाली टीम की घोषणा की पूर्व संध्या पर दक्षिण अफ्रीकी टीम प्रबंधन ने उनकी यह पेशकश ठुकरा दी थी। ईएसपीएन क्रिकइंफो के अनुसार डिविलियर्स ने मई में यह पेशकश इंग्लैंड के लिए विश्व कप की टीम चुने जाने से 24 घंटे पहले की थी।

दक्षिण अफ्रीका का विश्व कप में अभियान निराशाजनक तरीके से शुरू हुआ। इसके बाद यह खुलासा हुआ है। टीम ने तीन मैच गंवा दिए जिसमें एक बांग्लादेश के खिलाफ था। बुधवार को भारत से मिली छह विकेट की हार से स्थिति और खराब हो गई और तेज गेंदबाज डेल स्टेन के कंधे की चोट के कारण बाहर होने से भी टीम कमजोर हुई थी।

इस खुलासे के बीच डिविलियर्स ने टीम को अपना समर्थन देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'अहम चीज यही है कि हमें विश्व कप में टीम का समर्थन करने पर ध्यान लगाना चाहिए। अभी लंबा सफर तय करना है और मेरा मानना है कि लड़के अब भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं।'

वेबसाइट में दावा किया गया है कि डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान फाफ डुप्लेसिस, मुख्य कोच ओटिस गिब्सन और चयनकर्ताओं के समन्वयक लिंडा जोंडी से संपर्क करके अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी की अपनी इच्छा व्यक्त की लेकिन इन तीनों ने इसका समर्थन नहीं किया।

रिपोर्ट के अनुसार इन सभी का मानना था कि डिविलियर्स की वापसी उन खिलाड़ियों के लिए अनुचित होगी जो उनकी अनुपस्थिति में खेल रहे थे जैसे रासी वान डर दुसेन। डिविलियर्स ने विश्व कप से एक साल पहले संन्यास लिया था जिससे वह टीम चयन के मानदंड को पूरा नहीं कर सकते थे जिसमें घरेलू या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शामिल था।

डिविलियर्स ने मई में यह पेशकश टीम चुने जाने से 24 घंटे पहले की थी।

विंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले आत्मनिरीक्षण करना होगा : अमला

सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने कहा कि विश्व कप में लगातार तीसरी हार के बाद दक्षिण अफ्रीका अच्छी स्थिति में नहीं है। उसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होगी। अमला ने स्पोर्ट24 डॉट को डॉट जा से कहा कि हम बहुत खराब स्थिति में हैं। हमने काफी औसत क्रिकेट खेला और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाकर चीजें बदलनी होंगी।

दक्षिण अफ्रीका को 10 जून को वेस्ट इंडीज से भिड़ना है। उन्होंने कहा कि हम सभी निराश हैं लेकिन अगले मैच से पहले हमारे पास पांच दिन हैं।

खिलाड़ियों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। अमला ने कहा कि प्रेरणा की कमी नहीं है और वे अपना अभियान पटरी पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

मुझे पता होता कि गलती कहां हुई तो मैं कोच होता : मौरिस

विश्व कप में लगातार तीसरी हार से मायूस दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज क्रिस मौरिस ने कहा कि उन्हें खराब प्रदर्शन के कारणों का पता होता तो वह टीम के मुख्य कोच होते। दक्षिण अफ्रीका को पहले तीन मैचों में इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत ने हराया। अब उसे बाकी छह मैचों में से कम से कम पांच जीतने होंगे ताकि सेमी फाइनल में प्रवेश का दावा बना रहे।

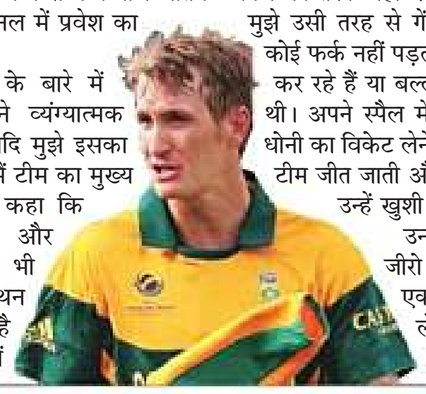

हार के कारणों के बारे में पूछने पर मौरिस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि मुझे इसका जवाब पता होता तो मैं टीम का मुख्य कोच होता। उन्होंने कहा कि टीम बहुत निराश और नाराज है जो होना भी चाहिए। हम आत्ममंथन करेंगे और उम्मीद है कि अगले मैच में जीत की राह पर लौट सकेंगे। अब हमें अगले सारे मैच जीतना है।

फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करके सभी को चौंका दिया लेकिन मौरिस ने कहा कि वह इस पर बहस नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं पिच की तरफ नहीं देखता। पिच कैसी भी हो, मुझे उसी तरह से गेंदबाजी करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं या बल्लेबाजी। यह अच्छी पिच थी। अपने स्पैल में 42 रन देकर एम एस धोनी का विकेट लेने वाले मौरिस ने कहा कि टीम जीत जाती और वह नहीं भी चलते तो उन्हें खुशी होती।

उन्होंने कहा कि मैं भले ही जीरो पर आउट हो जाता या एक भी विकेट नहीं लेता लेकिन टीम जीत जाती तो मुझे खुशी होती।

कूल्टर नाइल और स्मिथ ने जमाए अर्धशतक

आस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया

नॉटिंघम, 6 जून (भाषा)।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे नाथन कूल्टर नाइल और स्टीवन स्मिथ के अर्धशतकों के बाद मिशेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी से आस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 15 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। आस्ट्रेलिया के 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम स्टार्क (46 रन पर पांच विकेट) और पैट कमिंस (41 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 273 रन ही बना सकी। वेस्ट इंडीज की ओर से शाई होप (68), कप्तान जैसन होल्डर (51) और निकोलस पूरण (40) ने उम्दा पारियां खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

इससे पहले नाथन कूल्टर नाइल के करिअर के पहले अर्धशतक और स्टीवन स्मिथ के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से आस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहद खराब शुरुआत से उबरते हुए 288 रन बनाए। आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कूल्टर नाइल ने 60 गेंद में आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 92 रन की पारी खेलने के अलावा स्मिथ (73) के साथ सातवें विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की। स्मिथ ने एलेक्स कैरी (45) के साथ भी छठे विकेट के लिए उस समय 68 रन जोड़े जब टीम 79 रन पर पांच विकेट गंवाकर संकट में थी।

कूल्टर नाइल की यह पारी विश्व कप में सातवें नंबर के बाद बल्लेबाजी करते किसी बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। वेस्ट इंडीज की ओर से कार्लोस ब्रेथवेट सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 67 रन देकर तीन विकेट चटकाए। आंद्रे रसेल (दो विकेट), शेल्डन कोटरेल (दो विकेट) और ओशाने थॉमस (दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए जिससे आस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49 ओवर में आउट हो गई।

टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला

वेस्ट इंडीज के कप्तान जैसन होल्डर ने टॉस जीतकर विरोधी टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओशाने थॉमस ने तीसरे ओवर में ही आस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच (06) को विकेटकीपर शाई होप के हाथों कैच करा दिया। अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (03) भी शेल्डन कोटरेल की गेंद को बैकवर्ड प्वाइंट पर शिमरोन हेटमेयर के हाथों में खेल गए। उस्मान ख्वाजा (13) को आंद्रे रसेल की गेंद पर होप ने कैच लपककर आस्ट्रेलिया का स्कोर तीन विकेट पर 36 रन कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल (00) भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर कोटरेल की गेंद को हवा में लहरा गए और होप ने आसान कैप पलका।

स्मिथ की शानदार पारी

स्मिथ और विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने इसके बाद पारी को संवारा। स्मिथ ने एंकर की भूमिका निभाई जबकि कैरी ने तेजी से रन जुटाए।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कूल्टर नाइल ने 60 गेंद में आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 92 रन की पारी खेलने के अलावा स्मिथ (73) के साथ सातवें विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की।

न्यूजीलैंड ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया

लंदन, 6 जून (एपी)।

न्यूजीलैंड ने विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बुधवार की देर रात बांग्लादेश को दो विकेट से हराकर ईद का जश्न दुगुना करने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जीत के लिए 245 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 43वें ओवर में पांच विकेट पर 218 रन बना लिए थे। इसके बाद लगातार ओवरों में कोलिन डि ग्रांडहोमे और जिम्मी नीशाम आउट हो गए।

मिशेल सैंटनर और मैट हेनरी ने तीन ओवरों में 20 रन बनाए। हेनरी छह रन पर आउट हो गए जब न्यूजीलैंड को सात रन चाहिए थे और उसके दो विकेट बाकी थे। सैंटनर और लोकी फर्ग्युसन ने संभलकर खेलते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया। यह दो मैचों में न्यूजीलैंड की दूसरी जीत थी। इससे पहले बांग्लादेश की टीम 50 ओवर में 244 रन पर आउट हो गई। शीर्ष पांचों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। शाकिब अल हसन ने 64 रन बनाए और 30 के ऊपर बनाने वाले वह अकेले बल्लेबाज रहे। न्यूजीलैंड के लिए हेनरी ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए 47 रन देकर चार विकेट लिए।

'अपेक्षाओं का दबाव नहीं'

साउथम्पटन, 6 जून (भाषा)।

जसप्रीत बुमराह दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए आतंक का पर्याय बने हुए हैं। लेकिन, भारत के इस तेज गेंदबाज का मानना है कि उन पर अपेक्षाओं का कोई दबाव नहीं है। छह कदम के सरल रनअप और असाधारण गेंदबाजी एक्शन वाले बुमराह कप्तान विराट कोहली की तरकश के सबसे धारदार तीर हैं।

विश्व कप डायरी

धोनी ने जताया भारतीय सेना के प्रति विशेष सम्मान

साउथम्पटन, 6 जून (भाषा)।

भारतीय सेना के लिए महेंद्र सिंह धोनी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है और पैराशूट रेजिमेंट के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल ने विश्व कप में सेना के प्रति खास तरीके से सम्मान जताया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच में धोनी के विकेटकीपिंग दस्तानों पर सभी की नजरें गई जब कैमरे ने उस पर फोकस किया। उस पर अर्द्धसैनिक बलों का निशान बना हुआ था। धोनी ने पहले भी ये दस्ताने शायद पहने होंगे लेकिन अब विश्व कप में टीवी की नजर में आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं।

रोहित के फॉर्म से कोहली पर दबाव कम होगा : श्रीकांत

साउथम्पटन, 6 जून (भाषा)।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस श्रीकांत का मानना है कि रोहित शर्मा की तेज पारी खेलने की काबिलियत टीम के लिए बोनस है। उनके अच्छे फॉर्म से विश्व कप में कप्तान विराट कोहली पर से दबाव कम होगा। रोहित ने 144 गेंद में 122 रन बनाकर भारत को पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका पर जीत दिलाई।

श्रीकांत ने आइसीसी के लिए कॉलम में लिखा कि रोहित की यह पारी उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। वह पहले गियर से चौथे गियर में तुरंत जा सकते हैं। हालात के अनुरूप खेलने की उनकी काबिलियत कमाल की है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह अच्छी बात है कि उनके पास शतक और दोहरे शतक बनाने वाला बल्लेबाज है। इससे कोहली पर से दबाव कम होगा।

श्रीकांत ने कहा कि विश्व कप में भारत के शीर्षक्रम की भूमिका अहम होगी। शिखर धवन, शर्मा और कोहली का अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए काफी अहम होगा। भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे श्रीकांत ने जसप्रीत बुमराह की खास तौर पर तारीफ की।

उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने शुरुआती स्पैल से दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाकर भारत की पकड़ मजबूत की। बुमराह के विकेट लेने से बाद में स्पिनरों के लिए गेंदबाजी आसान हो गई।

एफआइएच सीरीज फाइनल्स

भारत ने रूस को 10-0 से रौंदा

भुवनेश्वर, 6 जून (भाषा)।

प्रबल दावेदारों में शुमार भारत ने गुरुवार को एफआइएच सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मैच में रूस को 10-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। पूल बी के इस एकतरफा मुकाबले में ड्रैगफ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने 32वें और 48वें तथा स्ट्राइकर आकाशदीप सिंह ने 41वें और 55वें मिनट में दो-दो गोल दागे। नीलकांत शर्मा ने 13वें, सिमरनजीत सिंह ने 19वें, अमित रोहिदास ने 20वें, वरुण कुमार ने 33वें, गुरसाहिबजीत सिंह ने 38वें और विवेक सागर प्रसाद ने 45वें मिनट में गोल किए।

भारत ने हालांकि धीमी शुरुआत की, वो भी ऐसी टीम के खिलाफ जो विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर काबिज है। पहले हाफ में भारतीय टीम थोड़ी ढीली दिखी और कुछ मौकों पर मूव को गोल में नहीं बदल सकी। लेकिन एक बार लय बनाने के बाद उसने लगातार गोल दाग दिए। विश्व रैंकिंग पर पांचवें स्थान पर काबिज भारत के लिए 13वें मिनट में नीलकांत ने गोल की शुरुआत की। अगले ही सेकंड में नीलकांत को फिर गोल करने का मौका मिला लेकिन रूसी गोलकीपर मरात गाफोरोव ने इसे रोक दिया। 19वें मिनट में भारत ने बढ़त दोगुनी कर दी जब सुमित की रिवर्स हिट के गोलकीपर द्वारा रोके जाने के बाद रिबाउंड पर सिमरनजीत ने गोल कर दिया। एक मिनट में भारत को तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जब रोहिदास ने 3-0 से बढ़त बनाने में कोई गलती नहीं।

रूस के खिलाफ जीत के बाद जश्न मनाते भारतीय खिलाड़ी।

विश्व कप खिताब का असल दावेदार भारत : कैलिस

साउथम्पटन, 6 जून (भाषा)।

महान हरफनमौला जाक कैलिस ने भारत को विश्व कप का असल दावेदार बताया है। साथ ही कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लिए अब हर मैच नॉकआउट की तरह होगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका की यह लगातार तीसरी हार थी।

कैलिस ने आइसीसी के लिए अपने कॉलम में लिखा कि भारतीय टीम विश्व स्तरीय और असल दावेदार है। वे पहले मैच के लिए इंतजार कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि यह उनके पक्ष में जाएगा या नहीं। वे तरोताजा होंगे या नर्वस। अब हमें उत्तर मिल गया है। कैलिस ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने खुद पर दबाव बना लिया है।

उन्होंने कहा कि अब दक्षिण अफ्रीका के लिए सभी छह मैच नॉकआउट की तरह होंगे। भारत ने उन्हें हर विभाग में उन्नीस साबित किया। टॉस जीतने के बाद भी वे मैच नहीं जीत सके। सभी खिलाड़ियों को हार की जिम्मेदारी लेकर अपनी गलतियों में सुधार करना होगा।

कैलिस ने कहा कि अगले दो मैचों में वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान को हराकर हालात बेहतर हो सकते हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले लय हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि फाफ डुप्लेसिस के लिए यह बड़ा टूर्नामेंट है लेकिन सब कुछ कप्तान के कंधे पर नहीं डाला जा सकता। सभी को अपने प्रदर्शन का आकलन करना होगा ताकि आगे अच्छा खेल सकें।

मॉडर्न स्कूल ने जीता उत्तरांचल कप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जून।

मेजबान मोती बाग नंबर एक को 1-0 से हरा कर मॉडर्न स्कूल बाराखंबा ने देवरानी उत्तरांचल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। विजेता टीम का एकमात्र गोल अमन साहनी ने अंशुल के पास पर जमाया। मॉडर्न ने सेमी फाइनल मे विद्या निकेतन को अंशुल के गोल से परास्त कर फाइनल मे जगह बनाई थी। उधर मेजबान टीम को अपनी अंडर14 टीम को हराने के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। फाइनल मे मुकाबला करीबी रहा लेकिन बाजी मॉडर्न के हाथ लगी। मोती बाग की अंडर 14 टीम के रक्षक अरमान को टूर्नामेंट का श्रेष्ठ खिलाड़ी, नितिन पेपे को उभरता खिलाड़ी, और गिरिजा को श्रेष्ठ फॉरवर्ड घोषित किया गया। श्रेष्ठ गोली मोती बाग का रवि बना, जबकि मॉडर्न के अंशुल मलिक को रक्षापंक्ति मे श्रेष्ठ आका गया। उभरते मिड फील्डर विद्या निकेतन के इसाक को विशेष सम्मान दिया गया।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 201, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।